दशम माला, खंड 11, अंक 40

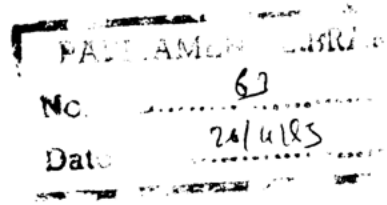
मंगलवार, 28 अप्रैल, 1992
8 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)





(खंड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जावेगा।]

लोक सभा वाद-[illegible]

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 28 अप्रैल, 1992/8 वैशाख, 1914 (शक)

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
21	4, 19	"श्री बल्लभ पाणिग्राही" के स्थान पर "श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही" पढ़िये ।
22	नीचे से पंक्ति 6	"श्री रंगराज कुमार मंगलम" के स्थान पर "श्री रंगराजन कुमार मंगलम" पढ़िये ।
43	नीचे से पंक्ति 6	"त्री" के स्थान पर "श्री" पढ़िये ।
75	11	"बथाने" के स्थान पर "जताने" पढ़िये ।
150	नीचे से पंक्ति 5	"श्री किलासराव नागनाथराव गूडवार" के स्थान पर "श्री किलासराव नागनाथराव गूडवार पढ़िये
176	नीचे से पंक्ति 11	"श्री गुमान पल लोढा" के स्थान पर "श्री गुमान मल लोढा" पढ़िये ।

विषय-सूची

दसवीं माला, खंड 11 तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 40 मंगलवार, 28 अप्रैल, 1992/8 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 779 से 784	2—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	27—171
तारांकित प्रश्न संख्या : 785 से 797 और 799	27—46
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8203 से 8336	47—171
प्रेस की स्वतंत्रता में तमिलनाडु सरकार के कथित हस्तक्षेप के बारे में	171—201
सभा पटल पर रखे गए पत्र	201—204
प्राक्कलन समिति	203
सत्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
प्राक्कलन समिति	
की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण—सभा पटल पर रखा गया	203
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	
सातवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	
चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	204
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखे गए	204
हथकरघा बुनकरों की समस्याओं और मांगों के बारे में याचिका	205
(संविधान संशोधन) विधेयक —पुरःस्थापित	205

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तापी नदी पर खुड़िया गुटी और नवधा सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण आरम्भ किए जाने की आवश्यकता 205

श्री विजय नवल पाटील

(दो) द्रविड़ संस्कृति के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के कुप्पम नामक स्थान पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता 206

श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी

(तीन) राजस्थान में रायसिंह नगर और अनूपगढ़ में उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता 207

श्री मनफूल सिंह

(चार) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता 207

श्री मानकूराम सोढ़ी

(पांच) राजस्थान के कोटा नगर को "बी" श्रेणी के नगर का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता 208

श्री दाऊ दयाल जोशी

(छः) उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में जल स्तर घटने की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता 208

श्री भगवान शंकर रावत

(सात) समस्तीपुर–दरभंगा–सीतामढ़ी–नरकटिया गंज मीटर गेज रेल लाईन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता 209

श्री नवल किशोर राय

(आठ) पश्चिम बंगाल में नवद्वीप से होकर जाने वाले एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता 209

डा० असीम बाला

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992–93 210

श्रम मंत्रालय

श्री नीतीश कुमार 210

श्री राम कापसे 213

श्री गंगाधरा सानीपल्ली 213

डा० आर० के० जी० राजन 219

श्री वीवल्लभ पाणिग्रही 221
श्री लोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 227
श्रीमती रीता वर्मा 231
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 236
श्री तेज नारायण सिंह 040
श्री सैयद शाहाबुद्दीन 244
श्री विजय एन० पाटील 249
श्री हाराधन राय 252
प्रो० के० वी० थामस 256
श्री नरेश कुमार बालियान 259
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी 261
श्रीमती सरोज दुबे 265
श्री द्वारका नाथ दास 271
डा० आर० मल्लू 273
श्री पी० सी० थामस 277
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 280
श्री सैयद मसूदल हुसैन 282
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 283
श्री वी० कृष्णा राव 285
प्रो० प्रेम धूमल 086
प्रो० रासा सिंह रावत 287

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत 249

लोक सभा

मंगलवार, 28 अप्रैल, 1992/8 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को अपने एक भूतपूर्व साथी, एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रसिद्ध सांसद श्री रघुनाथ सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री सिंह ने पहली लोक सभा में 1952 से 57 के दौरान बनारस जिला (सेंट्रल) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था । इसके बाद दूसरी और तीसरी लोक सभा में उन्होंने 1957-67 के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

देश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान श्री रघुनाथ सिंह अनेक वर्षों तक जेल में रहे । वे पेशे से वकील थे तथा एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे । वे श्रमिकों के कल्याण से जुड़े अनेक संगठनों से सम्बद्ध रहे । उन्होंने तकनीकी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए काफी काम किया, वह बनारस विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य भी रहे ।

अपने लम्बे संसदीय जीवन के दौरान श्री सिंह ने सभा की कार्यवाही में काफी रुचि ली और उसमें मूल्यवान योगदान किया ।

उन्होंने खूब भ्रमण किया और अंग्रेजी तथा हिन्दी में अनेक पुस्तकें लिखी ।

श्री रघुनाथ सिंह का निधन 82 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल, 1992 को वाराणसी में हुआ । हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे यकीन है, कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने की घड़ी में यह सभा भी मेरे साथ है ।

सदस्यगण, दिवगंत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े हो जायें । (11.03 म० पू० तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे) ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.05 म० पू० **व्यावसायिक शिक्षा**

[हिंदी]

*779. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण हेतु राज्यवार आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है, और

(ख) देश में व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

(ख) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना काफी वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से चलाई जाती है । अब तक 20 राज्य और 4 संघशासित प्रदेश इस कार्यक्रम को चला रहे हैं । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इस कार्यक्रम को शैक्षिक सहायता प्रदान करती है । प्रशिक्षुता अधिनियम (अप्रेन्टिसशिप एक्ट) के अंतर्गत 20 व्यावसायिक विषय-क्षेत्रों को पहले से ही अधिसूचित कर दिया गया है । व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को संगठित क्षेत्र में तथा स्व-रोजगार के माध्यम से रोजगार दिलाने के काम को सुकर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों, राज्य सरकारों तथा औद्योगिक क्षेत्र के साथ पहल की है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से इनके उच्चतर अध्ययन के अवसरों के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं । इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए रा० शै० अनु० प्र० प० के अंतर्गत केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

विवरण

(क) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में दी गई धनराशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

राज्य का नाम	अनुदान की राशि (लाख में)		
	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	177.06	686.85	1010.235
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	6.355

1	2	3	4
3. असम	—	42.62	140.28
4. बिहार	7.41	558.611	0.75
5. गोवा	64.59	80.630	49.65
6. गुजरात	1173.31	778.031	879.375
7. हरियाणा	129.87	184.83	155.00
8. हिमाचल प्रदेश	98.06	177.385	56.858
9. जम्मू और कश्मीर	—	16.50	15.80
10. कर्नाटक	49.21	150.80	324.996
11. केरल	223.44	353.23	346.899
12. मध्य प्रदेश	1121.48	1221.42	3.00
13. महाराष्ट्र	509.38	267.205	1230.25
14. मणिपुर	—	—	44.00
15. मेघालय	—	20.75	—
16. मिजोरम	—	16.68	—
17. नागालैण्ड	—	14.84	—
18. उड़ीसा	83.72	510.40	—
19. पंजाब	50.25	371.71	222.25
20. राजस्थान	72.35	561.543	323.56
21. सिक्किम	—	5.325	0.044
22. तमिलनाडु	358.11	279.558	727.90
23. त्रिपुरा	—	—	—
24. उत्तर प्रदेश	203.69	707.25	99.1475
25. पश्चिम बंगाल	—	—	—
(ख) संघ शासित प्रदेश			
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.24	3.238	—
2. चंडीगढ़	42.70	12.34	20.77

1	2	3	4
3. दादरा और नागर हवेली	—	—	—
4. दमन और दीव	—	—	—
5. दिल्ली	4.18	42.86	0.30
6. लक्षद्वीप	—	—	—
7. पांडिचेरी	—	16.63	—

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है, 25 प्रदेश इन्होंने गिनाये हैं, जहां पर धन आबंटित किया है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने धन तो आबंटित किया है लेकिन क्या कोई ऐसी समिति गठित की गई है, जिसके माध्यम से इन्होंने देखा है कि अब तक जिन-जिन तरीकों से शिक्षा प्रदान की गई है, उससे कितने छात्र लाभान्वित हुए, इससे कितने लोगों को किन-किन प्रान्तों में स्व-रोजगार के अन्तर्गत तथा सरकारी माध्यमों में नौकरी दी गई ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोई केन्द्रीय समिति तो इस तरह की गठित नहीं की गई है लेकिन जिन प्रोग्राम्स की समीक्षा होती रहती है, उससे जानकारी मिलती है। प्राब्लम हमारी यह है कि कई प्रदेशों में जो धनराशि दी गई है, उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है।

श्री अर्जुन सिंह यादव : मान्यवर, भविष्य में इसको सुनिश्चित किया जाये कि हमारी शिक्षा व्यवसायपूरक हो। हम यह चाहते हैं कि हमारे जो भी छात्र पढ़कर निकलते हैं, उनको किसी तरह से सरकार सिक्योरिटी दे कि उनको या तो नौकरी में रखा जायेगा या उनको स्व-रोजगार के लिए धन उपलब्ध कराया जायेगा।

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे छात्रों को या समस्त छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे और बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाएगा ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अप्रेंटिस एक्ट के अन्तर्गत इन छात्रों को नौकरी या व्यवसाय देने का प्रयास होता है। अभी तक केवल बीस सब्जेक्ट्स में इन लोगों को लेने की बात थी, अप्रेंटिस एक्ट के मुताबिक। अब जो प्रयास हुआ है, इसके अतिरिक्त 40 नए सब्जेक्ट्स में भी एम्पलायमेंट देने के लिए एप्रेंटिस एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। ऐसा अनुमान है कि इसकी वजह से इन लोगों को नौकरी मिलने में काफी बढ़ोतरी होगी।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मैंने यह पाया है कि सरकार ने शायद खर्चे की उपलब्धियों संबंधी कोई जांच तथा

मूल्यांकन नहीं किया है। मैं समझता हूं कि ऐसा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा के व्यवसायीकरण में कोई रुचि न दिखाने अथवा कोई पहल न करने की वजह से है। संघ शासित राज्यों पर केन्द्र सरकार का प्रशासन होता है। मैंने यह पाया है कि वर्ष 1991-92 में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार इस बारे में आश्वस्त नहीं है कि धनराशि के खर्च से क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर कोई विचार विमर्श किया है अथवा सरकार द्वारा शिक्षा के व्यावसायीकरण के संबंध में, जिससे कि मानव संसाधन का रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से उत्तम ढंग से प्रयोग करने में सहायता मिल रही है, कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि ऐसा है तो यह कैसे संभव हो सकता है कि कुछेक संघ शासित राज्यों और विभिन्न राज्यों को भी वर्ष 1991-92 के दौरान कोई भी धनराशि आवंटित न की जाये ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, आवंटन न किये जाने के पीछे तथ्य यह है कि पहले जो धनराशि आवंटित की गई थी उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। ऐसा नहीं है कि हम किसी राज्य सरकार अथवा संघ शासित राज्य के साथ कोई भेदभाव कर रहे हों। यदि किसी वर्ष आवंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता, तब अगले वर्ष धनराशि आवंटित करने में हमें इंतजार करना पड़ता है।

श्री राम नाईक : महोदय, जब हम विभिन्न प्रमुख राज्यों की तालिका पर नजर डालते हैं, तो उसमें कुछ भेदभाव दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर बिहार राज्य को 1990-91 में 558 लाख रुपये आवंटित किए गए और 1991-92 में केवल 75,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य को वर्ष 1990-91 में 1,221 लाख रुपये आवंटित किये गये थे और 1991-92 में केवल 3 लाख रुपये ही आवंटित किये गये हैं। राजस्थान के मामले में भी कम धन राशि आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 1991-92 में केवल 99 लाख रुपये ही मिले जबकि गत वर्ष 1990-91 में 707 लाख रुपये आवंटित किये गये थे। पश्चिमी बंगाल को कोई धनराशि नहीं दी गई। उपरोक्त आवंटन में कांग्रेस शासित राज्यों को अधिक धनराशि दी गई है। क्या आप हमें इस बात का खुलासा कर सकते हैं कि किन कारणों से कांग्रेसी सरकारों को अधिक और गैर-कांग्रेसी सरकारों को कम धनराशि दी गई है ?

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य एक ऐसे निष्कर्ष पर उतर आये है जोकि तथ्यों पर आधारित नहीं है।

श्री राम नाईक : आंकड़े यहां पर उपलब्ध हैं।

श्री अर्जुन सिंह : मुझे इन आंकड़ों का पता है। मैंने ही यह आंकड़े उनको दिये हैं। यह आंकड़े राज्यवार हैं। मैं इन आंकड़ों से इंकार नहीं कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा है, इन आंकड़ों का इस रूप में होने का कारण यह है कि गत वर्ष जो धन राशि आवंटित की गई थी, उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया और यदि राज्य सरकारें उनका उपयोग नहीं करती तो इसके बावजूद हम किस तरह से उन्हें धनराशि आवंटित करते रहें ? इसमें यही मूल कारण है।

श्री पी० सी० चाक्को : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से इसके उच्चतर अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है। मैं एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां पर अन्य राज्यों की तुलना में व्यावसायीकरण की यह नीति अच्छी तरह से और संतोषजनक ढंग से लागू की जा रही है। लेकिन इस योजना में विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक अहितकर बात यह है कि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश पाने में इन्हें कठिनाई होती है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से कौन-कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ चर्चा कर कौन-कौन से निर्णय लिये गये हैं क्या सरकार व्यावसायिक केन्द्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछेक सीटों के आरक्षण पर विचार करेगी ताकि व्यावसायीकरण और भी अधिक लोकप्रिय बन सके और विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश पाने के अवसर मिल सके ?

श्री अर्जुन सिंह : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसी बात पर विचार कर रहा है और जैसे ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा, मैं माननीय सदस्य को इससे अवगत करा दूंगा।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

[अनुवाद]

*780 **श्री महेश कनोडिया** :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र-प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में बालिकाओं के लिए और सामान्य (सह शिक्षा वाले) कितने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य को संस्वीकृत किए गए केन्द्रों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखे जाने की सम्भावना है। तथापि, प्रत्येक राज्य को कितने अतिरिक्त केन्द्र संस्वीकृत किए जाएंगे, इसका निर्णय प्रत्येक राज्य द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर लिया जाएगा।

विवरण

अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रशासन में लड़कियों तथा सामान्य (सह-शिक्षा) के लिए खोले गए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या :

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रशासन का नाम	खोले गए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या		
		लड़कियों के लिए केन्द्र	सामान्य (सह-शिक्षा केन्द्र)	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	6202	18198	24400
2.	असम	3068	10440	13508
3.	बिहार	7500	32400	39900
4.	जम्मू व कश्मीर	249	1896	2145
5.	कर्नाटक	746	2255	3001
6.	मध्य प्रदेश	12796	16284	29080
7.	मणिपुर	100	300	400
8.	मिजोरम	10	90	100
9.	उड़ीसा	2910	8325	11235
10.	राजस्थान	5466	4189	9655
11.	तमिलनाडु	50	150	200
12.	उत्तर प्रदेश	29910	29910	59820
13.	पश्चिम बंगाल	600	22118	22718
14.	चंडीगढ़	25	75	100
	जोड़	69632	146630	216262

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडिया : अध्यक्ष महोदय, अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है जिसके कारण यह अत्यावश्यक शिक्षा का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ रहा है और इस पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस विषय पर मैं कुछ कमियां बताना चाहता हूं ।

बच्चों की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की जरूरत है । लेकिन उस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । दूसरा यह कि जिन लोकल लोगों को पढ़ाने के लिए चयन किया जाता है, उसमें भी कमियां है और तीसरा यह कि इन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षण सामग्री बहुत देर से पहुंचती है । अनौपचारिक शिक्षा के लिए दी गई राशि बहुत कम

होती है और शिक्षक को बहुत कम वेतन मिलता है। मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन तमाम कमियों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता का क्या प्रावधान है।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने तीन बिंदू उठाए हैं। यह सही है कि कहीं-कहीं इसकी वजह से इस योजना को क्रियान्वित करने में दिक्कत हुई है, ऐसा व्यापक रूप से हो, ऐसी बात नहीं है। जहां तक संभव है, हम इस योजना को पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे व्यापक रूप से इसको देश में लागू किया जा सके। इसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है। इसलिए जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो स्तर था, उसको कायम रखा जायेगा और आंठवीं पंचवर्षीय योजना में कितना और बढ़ा सकें, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री महेश कनोडिया : अध्यक्ष महोदय, क्या गुजरात सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र गुजरात राज्य में खोलने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है। यदि हां तो उस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसको दिए जाने वाले धन का कोई फैसला लिया है।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, किसी विशिष्ट राज्य की ओर से कोई योजना आई है, इसकी जानकारी मेरे पास नही है। इसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को जरूर भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री चेतन पो० एस० चौहान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस कार्यक्रम को एक अच्छा कार्यक्रम मानकर स्वीकार कर लिया गया है, तथापि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बहुतेरी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी अड़चन यह है कि राज्य सरकारें इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन और इसकी सफलता के बारे में सन्तुष्ट नहीं है। वे सहयोग करने को तैयार नहीं है इसमें धनराशि का भी अभाव है, केन्द्रों को सामग्री बहुत ही देरी से पहुंचती है, पाठ्यक्रम भी उचित ढंग से निर्धारित नहीं किया गया है, अनुदेशकों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है—इस तरह की समस्याएं हैं। महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह बताने का अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए इन समस्याओं को दूर करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय मैंने पहले भी कहा है कि इस कार्यक्रम में कुछेक समस्याएं हैं और माननीय सदस्य ने जिन समस्याओं का जिक्र किया है वे भी इसमें हैं हम राज्य सरकारों की सहायता से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं राज्य सरकारों की सहायता के बिना हम कोई भी कार्यक्रम क्रियान्वित नही कर सकते और जब कभी भी इसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, भले ही ये बाधाएं अध्यापकों के प्रशिक्षण के बार में हों अथवा अपेक्षित सामग्री के बारे में हों, इन सभी पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय प्रावधान तो वर्तमान अवरोधों के दायरे में ही रह सकेंगे लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह विस्वास दिला सकता हूं कि यह एक ऐसी योजना है जिसे हम सभी को उच्च वरीयता देनी चाहिए और राज्य सरकारों के सहयोग से हम कमियों को दूर कर सकेंगे।

श्री पी० जी० नारायणन: आदरणीय अध्यक्ष महोदय स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा चलायी जा रही अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाओं के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए यह समझा गया है कि सरकार ने संयुक्त मूल्यांकन योजनायें बनाई हैं जिसमें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि तथा एक गैर सरकारी सदस्य को शामिल किया गया है। उन्हें मार्च 1992 तक परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा करना था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है ; और यदि हां तो मूल्यांकन का परिणाम क्या हैं और यदि नहीं तो इसे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय यह योजनायें सरकारी और स्वैच्छिक दोनों क्षेत्रों में ही हैं। अधिकतर केन्द्र राज्यों द्वारा ही चलाये जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने जिस मूल्यांकन का जिक्र किया है इसका अध्ययन किया जाना है और इस पर ही एक अंतिम दृष्टिकोण तैयार हो सकेगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस कार्यक्रम का समेकित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह अनौपचारिक शिक्षा लोगों के उन वर्गों तक पहुंच सके जिनके लिए इसे अपनाया गया है। यदि सर्वेक्षण के बाद कोई कमी हमारे ध्यान में आती है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है हम इसे दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, नान-फार्मल एजुकेशन और उसी का पार्ट है एडल्ट एजुकेशन। इसमें पिछले कई वर्षों से बड़े पैमाने पर धन केन्द्र सरकार लगा रही है। मंत्रीजी ने उत्तर दिया उसके मुताबिक आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी बड़े पैमाने पर इसमें धन लगाने का काम होगा। इस परिप्रेक्ष्य में नान- फार्मल एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन के इतने दिनों तक चल जाने के बाद भी जो स्कीम शुरू की गई थी उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, यह पुरे देश में एक जमीनी सचाई है। इसमें पूरी योजना में चाहे लालटेन घरीदनी हो या किताब खरीदनी हो सबमें, सभी राज्यों में घोटाले हैं। क्या कभी इस सवाल के बारे में कोई विचार हुआ है कि इससे क्या लाभ मिला है, अगर लाभ नहीं मिला है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि नान-फार्मल एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को बन्द करके सारा पैसा प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने में लगाये ?

श्री अर्जुन सिंह : माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह शायद इस पृष्टभूमि में है कि नान फार्मल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन में कोई प्रतिस्पर्धा है और उसमें पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, जबकि प्राइमरी एजुकेशन में कम लगा रहे हैं, लेकिन यह स्थिति नहीं है। नान-फार्मल एजुकेशन उन लोगों के लिए है कि जो स्कूल सिस्टम में नहीं जा पाते हैं। यदि हम इसको बन्द करके दूसरी जगह पैसा लगा देंगें तो उनकी आवश्यकता अपनी जगह रह जायेगी। यह प्रश्न जरूर है कि जो पैसा लगाया जा रहा है वह लाभप्रद है या नहीं, जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है या नहीं। मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं कि इसकी समीक्षा की गई है, कई सुधार भी किये गये हैं, जहां आवश्यकता होगी सुधार करके इस योजना को मजबूत किया जायेगा, इसको बन्द करने का प्रश्न नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : आदरणीय अध्यक्ष महोदय मेरा अनुभव यह है कि यह अनौपचारिक शिक्षा प्रयोजन को सिद्ध करने में असफल रही है। स्वैच्छिक संगठनों ने बहुत से केन्द्र चला रखें

हैं और वे लाखों रुपया कमा रहे हैं। ये स्वैच्छिक संगठन व्यावसायिक बनाये जा रहे हैं और मैं जानता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा एक भी केन्द्र नहीं है, बल्कि ये केन्द्र सरकार से पैसा वसूलते हैं। जब शिक्षा की यह पद्धति विगत कई वर्षों से ही अपने उद्देश्य की सिद्धी में असफल रही है तो माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस शिक्षा पद्धति की व्यापक रूप से समीक्षा करेगी।

महोदय, केरल में सम्पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली गई है और पश्चिमी बंगाल में भी कम से कम चार जिले ऐसे हैं जो कि पूर्णतया साक्षर हो गये हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार निरक्षरता को समाप्त करने के लिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल देगी ? इसके लिए क्या सरकार पर्याप्त धनराशि आबंटित करेगी ताकि हमारे देश के बहुत से जिलों में यह योजना लागू की जा सके ?

श्री अर्जुन सिंह : जब श्री बसुदेव आचार्य जैसा कोई वरिष्ठ सदस्य टिप्पणी करता है, तो मैं इस टिप्पणी को अधिकतम वरियता देता हूं।

जहां तक मूल्यांकन का संबंध है, मैं यह समझता हूं कि इसका मूल्यांकन समय-समय पर किया जाना चाहिये। लेकिन पश्चिमी बंगाल के बारे में जो आंकड़ उपलब्ध है, उनसे मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां पर 33,000 से भी अधिक केन्द्र हैं। मैं जानता हूं कि यदि वहां पर जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है, सभी केन्द्र सही कार्य करते तो इतने अधिक केन्द्रों की कोई आवश्यकता न होती। इसलिए, मैं यह कहूंगा कि कुछ कमियां हो सकती हैं जिन्हें अवश्य दूर किया जाना चाहिये।

लेकिन यह जो सुझाव दिया गया है कि हमें इस योजना को समाप्त कर देना चाहिए, मैं समझता हूं कि इस सुझाव की अभी कोई आवश्यकता नहीं है।

नागरहोल राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आग लगना

*781. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) :

श्री भुवनचन्द्र खण्डूरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या नागरहोल राष्ट्रीय प्राणी उद्यान मैसूर में हाल ही में लगी आग से वहां वन भूमि नष्ट हो गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वनों में लगने वाली आग को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के समस्त राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों को अपने नियंत्रण में लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(च) भविष्य में ऐसी आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रंगराजन कुमारामंगलम :

(क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) नागरहोल राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के कुछ हिस्सों को 14 से 16 मार्च, 1992 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में लगी आग से क्षति पहुंची।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के भीतर दिनांक 13 मार्च, 1992 को एक व्यक्ति एम०बी०चिन्नपा का शव पाया गया, जिस पर बन्दूक की गोलियों के निशान थे। मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों ने यह सहज कर कि इसे उद्यान रेंज वन अधिकारी श्री के० एस० चिन्नपा ने गोली मारी है। 14 मार्च 1992 को 200-300 व्यक्तियों की भीड़ के साथ वे उद्यान में आ गए। भीड़ ने वन अधिकारियों पर हमला किया, वन विश्राम गृह को क्षति पहुंचाई। श्री चिन्नपा रेंज वन अधिकारी के कार्यालय व घर में लूट-पाट की और एक जीप तथा अनुसंधान भवन एवं तीन लकड़ी के मण्डपों को जला डाला। भीड़ ने पड़ोस में रेंज कार्यालय को भी आग लगा दी, जिससे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद भीड़ उद्यान में वनों तथा पास के ब्रह्मगिरि अभयारण्य में आग लगाती गई। 16 मार्च 1992 को आग बुझा कर इस आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण तथा आस-पास के गांवों के पारिविकास सहित अन्य उपाय करने के लिए स्थानीय लोगों में जागरूकता पैदा करने, जनता और वन्यजीव प्रबन्ध कर्मियों के बीच मैत्री संबंध पैदा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोका जा सके।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : महोदय, उत्तर अस्पष्ट है और ठीक नहीं है। उत्तर में स्पष्टीकरण देने के स्थान पर तथ्यों को छुपाया अधिक गया है।

नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मेरे निर्वाचन क्षेत्र के समीप है। मैं वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से गया था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि विश्व में सर्वोत्तम किस्म के चीते यहां पर विद्यमान हैं। पहली बार वहां जनता ने वन में आग लगाई है जिसके परिणामस्वरूप हजारों एकड़ बहुमूल्य वनभूमि जल कर नष्ट हो गई है। इसके परिणामस्वरूप घास और झाड़ियां पूरी तरह जल कर नष्ट हो गई हैं। इसका अभिप्राय यह है कि आज भी पशु भोजन के बिना भूखे मर रहे हैं।

जिस समय ये सब घटनायें घटी, उस समय भारत सरकार, जो कि वन सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रति अधिक चिन्तित है, उसने वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल तक नहीं भेजा।

अतएव मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार स्थिति का जायजा लेने और इस अग्निकाण्ड की वास्तविक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए किसी विशेषज्ञ दल को भेजने का विचार है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : प्रारम्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। मेरे द्वारा दिये गये उत्तर में पृष्ठभूमि यह बतायी गई है कि स्थानीय निवासियों के अनुसार चिन्नपा की हत्या के लिए वन विभाग का एक अधिकारी जिम्मेवार था और उस पर ही संदेह हो रहा है। इस स्थिति के कारण और चूंकि संबद्ध अधिकारी उन व्यक्तियों के साथ काफी सख्ती से पेश आता था, जो राष्ट्रीय उद्यान को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए कोडागु इकिकरण रंग। नामक संगठन के नेतृत्व में 200, 300 व्यक्तियों ने उद्यान पर हमला बोल दिया। उन्होंने देखा कि उक्त अधिकारी उस समय यहां पर मौजूद नहीं था। अतः उन्होंने वन विभाग के आठ कर्मचारियों पर हमला किया और जीप, पर्यटक बंगले इत्यादि को आग लगा दी।

हमारा दल वहां गया था। उन्होंने 1 और 2 अप्रैल को उद्यान का दौरा किया था। वास्तव में स्थानीय काफी एस्टेट मालिकों ने अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी और कहा था कि जिस तरीके से वन अधिकारी राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्था कर रहे थे और उद्यान में से होकर आने जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, वह सब उन्हें पसन्द नहीं था।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भूख के कारण हुई किसी भी मृत्यु का कोई समाचार नहीं है। यद्यपि शाकभक्षी पशुओं के लिए चरागाह क्षेत्र कुछ समय के लिए कम हो गया है परन्तु अभी तक वास्तव में भूख के कारण हुई किसी भी मृत्यु का कोई समाचार नहीं मिला है। जिन क्षेत्रों में वास्तव में आग लगी थी वह सम्पूर्ण उद्यान के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है और आग सतही तौर पर ही लगी थी। वनस्पति और पेड़-पौधों को भारी क्षति पहुंचाने वाले वन का लगभग 8, 10 वर्ग कि० मी० क्षेत्र है। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि आग से कितनी क्षति पहुंची है। आपको उद्यान का सम्पूर्ण आकार क्षेत्र भी देखना पड़ेगा।

मैं माननीय सदस्य महोदय को सूचित करना चाहूंगा कि सरकार निश्चित रूप से काफी चिन्तित है। हमने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया है। हम कार्यवाही कर रहे हैं। हमने परिस्थिति की विकास सम्बन्धी एक कार्यक्रम बनाया है जिससे स्थानीय जनता लाभान्वित होगी और वह राष्ट्रीय उद्यान का महत्व समझेगी कि किस प्रकार से किसी राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा करना पारिस्थितिकी और राष्ट्रीय विकास के लिए कठिन होता है।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : मेरा प्रश्न काफी विशिष्ट था कि क्या सरकार स्थिति की वास्तविक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए किसी विशेषज्ञ दल को भेज रही है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने बताया था कि मंत्रालय के विशेषज्ञों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है। वास्तव में अतिरिक्त आई० जी० एफ० और संयुक्त निदेशक, वन्य जीवन ने 1 और 2 अप्रैल 1992 को नागरहोल उद्यान का दौरा किया था।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वन और पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री नागरहोल राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को उसके मूल भव्य रूप और उपयोगिता में पुनः परिवर्तित करने का विचार रखते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरे विचार से उद्यान की भव्यता और उपयोगिता को वास्तव में कोई भारी क्षति नहीं पहुंची है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम केवल यही सुनिश्चित कर सकते हैं कि आम तौर पर वातावरण ठीक हो और स्थानीय जनता और वन अधिकारियों के मध्य विवेकपूर्ण मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हों ताकि इन राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके क्योंकि सच्चाई यह है कि वे हमारे राष्ट्र का गौरव भी हैं।

श्री भुवन चन्द खण्डूरी : माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में बताया है कि जनता और वन अधिकारियों के मध्य सम्बन्ध ठीक न होने के फलस्वरूप ऐसी घटनायें हुई हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वन रक्षकों और अपनी जीविका के वनों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों में अकसर झगड़े और विवाद होते रहते हैं। विरोधाभास बात यह है कि अपने ऐसे रवैये के लिए दोनो पक्षों के पास उचित औचित्य है। नागरहोल घटना इस प्रकार की पहली घटना नहीं है न ही अन्तिम क्योंकि इस समय कुमायूं की पहाड़ियों के बिन्सार वनों में ऐसी ही आग लगने का समाचार सुनने में आया है।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने सबसे निचले स्तर पर इन समस्याओं को दूर करने के लिए इस समस्या का गम्भीरता से विचार किया है और (क) कब तक माननीय मन्त्री जी वनों में और उसके आसपास के निवासियों की आवश्यकताओं और उचित मांगों को पूरा करने के लिए वर्तमान वन अधिनियम, 1980 में संशोधन करेंगे और इस प्रकार से वन अधिनियम का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनायेंगे (ख) तेजी से उगने वाले ईंधन और चारे के पौधों, व्यावहारिक रूप में जहां पर लगाये गये हैं, की वास्तविक स्थिति क्या है और उसमें कितनी प्रगति हुई है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वनों के आस पास रहने वाले व्यक्तियों और वन अधिकारियों के मध्य होने वाले संघर्ष का यह पहला उदाहरण नहीं है। लोगों के अलग-अलग मत हैं। वह जरूरी भी है क्योंकि वनों के आस-पास रहने वाले लोग यह समझते हैं कि कुछ प्रतिबन्ध अनुचित हैं क्योंकि वे लोगों के आने-जाने पशुओं के चरने और पेड़ों के काटने इत्यादि पर रोक लगाते हैं और लोगों की जीविका इन पर ही आधारित है। सरकार ने एक केन्द्र प्रायोजित पारिस्थिति की विकास योजना पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू की थी। मूल रूप से उस योजना को चलाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सुरक्षित इलाकों के आसपास 'बायो-मास' जलाने की लकड़ी, चारा, घास इत्यादि उगाये जाये ताकि पशुओं के चरने लिए मैदानों और जलाने की लकड़ी इत्यादि की स्थानीय जनता की जरूरतें पूरी हो सकें। योजना पर कार्यान्वियन हो रहा है। इस समय मेरे पास इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि यह योजना कितनी सफल रही है परन्तु मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को दूंगा क्योंकि यह योजना केवल पिछले एक वर्ष से ही आई है। हम सम्पूर्ण जानकारी

प्राप्त करके उन्हें भेज देंगे । हम यह सुनिश्चित करने के लिए काफी गम्भीर हैं कि वन हमारे इस अर्थ में मित्र बन सकें ताकि वनों के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन वन्य जीवों के संरक्षण के अनुरूप बन सके ।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : वन अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के बारे में आपने क्या सोचा है ? प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नहीं दिया गया है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, हमारे यहां जब कभी कोई नेशनल पार्क बनाया गया, उसके आसपास या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ओर, उनकी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । यही कारण है कि समय समय पर वन विभाग के अधिकारियों और वहां रहने वाले लोगों के बीच में अकसर टकराव होता रहता है । बहुत से नेशनल पार्क्स में आज भी विलेजेज हैं, गांव बसे हुए हैं । लेकिन उनकी ओर, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया । मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे अलग से एक कमेटी सैट-अप करेंगे ताकि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों और उन पार्क के बीच रहन वाले लोगों के बीच रिलेशन्स सामान्य हो सके, उनकी प्रौब्लम्स का वह कमेटी अध्ययन करे और उसके बाद, वर्तमान कानून में जिस किसी संशोधन की आवश्यकता हो, उस संशोधन को करने का प्रयास करे ।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : किसी भी विधान में संशोधन करने की अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी । परन्तु निश्चित रूप से सरकार ने इस मामले पर विचार किया है । इसीलिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक पारिस्थिति की विकास योजना बनाई गई है ताकि राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों के आसपास रहने वाले और वनों में रहने वाले स्थानीय व्यक्तियों की पारम्परिक आवश्यकताओं 'बायो मांस', जलाने की लकड़ी, चाय, घास इत्यादि उगाने के लिए दिये गये वैकल्पिक क्षेत्रों द्वारा पूरा किया जा सके ।

पर्यावरणीय स्वीकृति देने संबंधी नीति

*782. **श्री एन० डेनिस :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या पर्यावरण संरक्षण तथा देश के विकास के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं/औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु सभी लंबित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए पर्यावरण समीक्षा समिति को दिए जाने वाले नये दिशा निर्देशों को ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

पर्यावरणीय मंजूरी, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, जैसे कानूनों में वर्णित सांविधिक निर्देशों और प्रदूषण उपशमन के लिए विवरण जैसे कार्यकारी निर्देशों और नीति विवरणों के अनुसार दी जाती है। ऐसी मंजूरियां परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर दी जा रही हैं।

परियोजनाओं के मूल्यांकन और उन्हें मंजूरी देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि विकास पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरुप हो, परियोजनाओं के बारे में अपेक्षित आंकड़े प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर मूल्यांकन करके उन पर निर्णय ले लिया जाता है। परियोजनाएं केवल तभी लम्बित रखी जाती हैं, जब उनके बारे में इस प्रकार के आंकड़े व पर्यावरणीय कार्य योजनाएं न भेजी गई हों। मंत्रालय के पास जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं, वे या तो इसी श्रेणी में आती हैं या अभी हाल में भेजी गयी हैं। इस प्रकार इस बारे में नए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना जरूरी नहीं समझा गया।

श्री एन० डेनिस : महोदय, पर्यावरणीय संस्थान और विकासात्मक गतिविधियां महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। इन दोनों के मध्य परस्पर संतुलन और सौहार्द होगा। माननीय मंत्री ने बताया है कि उत्तर में उल्लिखित विधानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान की जाती हैं। कुछेक मामलों में तो अत्यधिक विलम्ब किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पर्यावरणीय मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कोई व्यापक आधार अथवा विधान अपनाया जायेगा ? इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि क्या पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने के लिए किसी समिति का गठन किया जाता है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि स्वीकृति प्रदान करने के मामले में वास्तव में कोई विलम्ब नही किया गया है। हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि आवेदन में मांगी गई सभी सूचनायें भेजने पर तीन माह के अन्दर हम पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर देंगे। इसके दो भाग हैं---एक तो निश्चित रूप से पर्यावरणीय पक्ष है और दूसरा वानिकी सम्बन्धी पक्ष है और दोनों ही पक्षों के दृष्टिकोण से हम एक साथ स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न हो। हमने सिंगल विंडो की पद्धति अपनाई है। इसके अलावा अभी फिर से मार्ग निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और राज्य सरकारों और क्षेत्रीय मुख्य संरक्षकों को अधिक शक्तियां प्रदान कर रहे हैं ताकि वन अपवर्तन मामलों में स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब न हो।

श्री एन० डेनिस : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पर्यावरणीय क्षति को रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने और जनता की भागीदारी सम्बन्धी कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

एक और भी महत्वपूर्ण मामला है। मैं जानना चाहूंगा कि ब्राजील में रियो डी जैनीरो में जून 1992 में आयोजित होने वाले पर्यावरण सम्बन्धी विश्व सम्मेलन में भारत और दूसरे विकासशील देशों द्वारा कोई आम युक्ति अपनाई जायेगी ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हमने पर्यावरण में सुधार करने की आवश्यकता से जनता को सामान्यतः अवगत कराने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं। इससे पहले मैंने उत्तर में बताया था कि उनमें एक योजना परिस्थितिकी विकास योजना है जिसके अन्तर्गत स्थानीय जनता राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों, वनों, पुण्य-स्थलों इत्यादि के आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध ईंधन, चारा, घास, जल इत्यादि का लाभ सक्रियता पूर्वक उठा सके।

रियो सम्मेलन और सामान्य प्रयासों के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि इस समय कुछ देशों का सम्मेलन कुआलालाम्पुर में हो रहा है। माननीय पर्यावरण और वन मंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस समय वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं। प्रयास किये जा रहे हैं कि विकासशील देशो को इस सम्बन्ध में एक आम दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्री रूपचंद पाल : महोदय गंगा सफाई योजना पर देय करोड़ों रुपये व्यय कर रहा है। परन्तु जनता के हित में दायर एक याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय ने 10 दिसम्बर को आदेश दिया था और बहिःस्राव प्रवाहित करने वाले उद्योगों को 31 दिसम्बर 1991 तब प्रदूषण नियंत्रण मानकों को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका संबंध प्रश्न से है।

श्री रूपचन्द पाल : हां, मैं अब प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि पर्यावरण मंत्रालय को दिनांक 12 फरवरी 1992 की अधिसूचना के माध्यम से गंगा के किनारे स्थित 1500 से अधिक उद्योगों को निर्धारित तिथि अर्थात् 31 दिसम्बर 1991 के बाद और दो वर्ष तक की अनुमति दी है। ऐसा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कड़े विरोध के विरुद्ध किया गया है। यदि हां तो सरकार द्वारा अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट किए जाने के विरुद्ध पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : पहली बात मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजपत्र अधिसूचना का संबंध कुल मिलाकर राष्ट्रीय रूप से पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और विकास परियोजनाओं की स्वीकृति से है, इन विशिष्ट उद्योगों से नहीं। दूसरे मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन 1500 उद्योगों के संबंध में हम न्यायालय में एक शपथपत्र पहले ही दाखिल कर चुके हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि हमारी राजपत्र अधिसूचना इन मामलों में उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर प्रभाव नहीं डालती है और न यह इस पर प्रभाव डालेगी तथा न ही यह इन पर प्रभाव डाल सकती है।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, माननीय मंत्री महोदय का यह उत्तर कि परियोजनाओं को स्वीकृति देने में कोई विलंब नहीं हुआ है, तथ्यतः ठीक नहीं है। केरल में बिजली का गंभीर

संकट है, पिछले 15 वर्षों में एक भी जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी नहीं दी गई है और वे सभी लंम्बित पड़ी हुई हैं। बहुचर्चित भूक घाटी परियोजना को त्यागते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने केरल में कारापारा और पूयामकुट्टी परियोजनाएं मंजूर करने का आश्वासन दिया था। परन्तु वे वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा कि इस बात को समझने के लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नही किया गया है कि क्या इसमे कोई पर्यावरण संबंधी समस्या अन्तग्रस्त है। क्या मैं माननीय मंत्री से ये जान सकता हूं कि क्या इन दो परियोजनाओं में संबंध में समयबद्ध ढंग से उचित अध्ययन किया जाएगा और ये दो परियोजनाएं जिनके बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया था, केरल के लिए मंजूर की जाएगी, ताकि वहां कुछ हद तक वहां बिजली संकट को दूर किया जा सके।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं यह बात शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि असाधारण विलंब होने का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में प्रस्तुत किए गए 1728 प्रस्तावों में से फिलहाल केवल 74 प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं।

श्री ए० चार्ल्स : मैं विशेष रूप से केवल उन दो परियोजनाओं की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य की बात कर रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उन्होंने सामान्य से अपनी बात शुरू की थी और मैंने उसका उत्तर दे दिया है। अब विशिष्ट पर आता हूं.... **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : ये परियोजनाएं पिछले 14 वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि वे सारी जानकारी अपने पास रखें ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, वन्य क्षेत्र में बहुत अधिक कमी होने की संभावनाओं के कारण पूयमकुट्टी परियोजना को अस्वीकार कर दिया गया था। इसका विस्तृत अध्ययन किया गया और तत्पश्चात् विशिष्ट कारणों से इसे अस्वीकार दिया गया। वास्तव में दूसरी परियोजना को नामंजूर किया गया था और यह लंबित नहीं पड़ी हुई हैं। महोदय और पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति बिना जांच किए नहीं की जाती है। हमारे पास विशेषज्ञों की एक समिति है जो एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर सभी प्रस्तावों की जांच करती है। वन और पर्यावरण क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ-साथ अनेक एजेंसियों के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं और उन पर अपनी सिफारिशें देते हैं। उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर इन दोनों परियोजनाओं को नामंजूर किया गया, क्योंकि मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनसे स्थानीय वनों पर वास्तव में प्रभाव पड़ेगा तथा उससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट रखी है उसमें आखिरी लाइन में लिख रहे हैं "ऐसे में कोई नए मार्ग निर्देश आवश्यक नहीं हैं।" और अभी सप्लीमैंट्री के उत्तर में उन्होंने कहा है कि सिंगलविंडो से सर्विस देने के लिए "नए मार्ग जारी किए जा रहे हैं।"

दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले दिनों ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें अधिकतर मुख्यमंत्री थे और उन्होंने यह शिकायत की कि पर्यावरण मंत्रालय में बहुत से मामले लंबित रह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को वहां कहना पड़ा कि निश्चित समय के अंदर हम उन लंबित मामलों को क्लीयर कर देंगे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यदि यह सत्य है तो क्या प्रदेश सरकारों को जैसे की प्रदेश सरकारों ने मांग की है कुछ मामलों में अधिकार दिया जाएगा कि पर्यावरण और फौरस्ट्री से संबंधित जो मामले हैं उनमें वे स्वयं क्लीयरैंस दे सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न के इस भाग का उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : पहली बात यह है कि मैं उन पर्यावरण संबंधित मार्ग निर्देशों को स्पष्ट करना चाहूंगा जिनका जिक्र मैंने उत्तर में किया है। हम जिन मार्ग निर्देशों को संशोधित करने के बारे में सोच रहे हैं वे बन संरक्षण अधिनियम से संबंधित हैं, और यह नये मार्ग निर्देश की बजाए पुराने मार्ग निर्देशों में सुधार है। हम थोड़ा सा विकेन्द्रीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनमें से छोटे-मोटे प्रार्थना-पत्रों का तुरन्त निपटारा किया जा सके और जिन्हें वास्तव में स्थानीय स्तर पर निपटा दिया जाना चाहिए था।

महोदय, ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के मुद्दे के बारे में माननीय सदस्य ने कुछ कहा है, वह इस अर्थ में बिल्कुल उचित है कि माननीय प्रधान मंत्री ने उर्जा मंत्रियों को आश्वासन दिया था कि वह खुद इसकी पुनरीक्षा करेंगे ताकि यदि हमारी ओर से कुछ विलंब हो तो वह देखेंगे कि इस पर कार्रवाई पूरी हो।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु सहायता

*783 **श्री मोहन सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पिछले वर्ष प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कोई सहायता प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता से शुरू की गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता राशि प्राप्त होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक के साथ जुलाई 1991, में एक समझौता किया है। परियोजना के अंतर्गत कार्य नवम्बर, 1991 में आरम्भ हो गया है। इस समझौते में 31-3-1997 तक की अवधि के लिए 155.6 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण तथा भारत सरकार राज्य सरकारों, ऋण प्राप्त करने वाली अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों और आई डी बी आई, तथा आई सी आई सी आई, परियोजनाओं में शामिल वित्त विकास संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली लगभग 136 मिलियन अमरीकी डालर की पूरक निधि शामिल है।

शुरू की जा रही स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(1) प्रदूषण नियंत्रण विनियमों को लागू करने में शामिल केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामक संस्थाओं को सुदृढ करना। इनमें देश के अत्यधिक औद्योगिक राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

(2) अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों को उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के लिए कहना।

(3) छोटी औद्योगिक इकाइयों के समूहों से निकलने वाले बहिस्रावों को साझे रूप से शोधन करने के लिए साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना करने में सहायता देना।

(4) ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाना जो स्वच्छ हो और जिससे अपशिष्ट का सृजन कम से कम हो और सृजित अपशिष्टों का पुनः प्रयोग किया जा सके।

(5) तकनीकी कर्मचारियों तथा संबंधित वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहायता देना :

गंगा परियोजना निदेशालय द्वारा शुरू किए गए प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के लिए विश्व बैंक से कुल 25 मिलियन एस डी आर, जो लगभग 86 करोड रुपये के बराबर है, की सहायता उपलब्ध है : इस परियोजना के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों में उत्तर प्रदेश में हरिद्वार, कानपुर और इलाहाबाद में मलजल शोधन संयंत्रों, पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों में पम्पिंग स्टेशनों, जिन्हें 1987 में आरम्भ किया गया था, पर 31-3-1992 तक 13.76 करोड रुपए की राशि व्यय हो चुकी है, 1992-93 के लिए इन पर 13 करोड रुपए खर्च होने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सम्पूर्ण प्रश्न किया था उसका मंत्री जी ने सम्पूर्ण उत्तर नहीं दिया क्योंकि इसका जो पैरा "ग" है उसमें मैंने पूछा था कि कौन-कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके ऊपर विश्व बैंक का 155.6 मिलियन यू० एस० डालर खर्च किया

जाएगा : मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे एक इम्प्रैशन ऐसा बनता है कि केवल गंगा प्रदूषण नियंत्रण के ऊपर सम्पूर्ण राशि व्यय की जानी है : मैं साफ तौर से जानना चाहता हूं कि क्या गंगा प्रदूषण नियंत्रण के अतिरिक्त दूसरी जो योजनाएं हैं जैसे भी बीच के प्रदूषण नियंत्रण का सवाल है, जमना नदी के प्रदूषण नियंत्रण का सवाल है, वनों के लगाने का सवाल है, बहुत सारी स्कीम हैं वे कौनसी स्कीम्स हैं जिसके ऊपर इतनी बड़ी धनराशि पांच वर्ष के भीतर आप विश्व बैंक की सहायता से कर्ज लेकर खर्च करने जा रहे हैं ? उसका विवरण क्या है :

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रश्न को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ने की मेरी बात को गलत नहीं समझेंगे उन्होंने विशेष रूप से पूछा है कि क्या केन्द्रीय सरकार को पिछले वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संगठन से कोई सहायता मिली है। मैंने उसका विशेष रूप से उत्तर दे दिया है। मैंने वक्तव्य में यह भी कहा है कि यह केवल गंगा के लिए ही नहीं है। हमने कहा है कि 155.6 मिलियन अमेरीकी डालर का यह ऋण 31-3-1997 तक के लिए है। मैंने स्पष्ट रूप से छः उप-शीर्षकों में यह बात बताई है कि यह संस्थानों, समुचित रूप से प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरणों की स्थापना के लिए वित्तपोषित की जा रही निजी औद्योगिक इकाइयों, साधारण सफाई संयंत्रों की स्थापना, को मजबूत करने के लिए तथा नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत और कर्मचारियों को प्रशिक्षण में सहायता के लिए है। इसका गंगा परियोजना से कुछ भी लेना-देना नहीं है। गंगा परियोजना एक अलग परियोजना है, जिसमें मैंने कहा है कि 25 मिलियन एस डी आर राशि लगभग 86 करोड़ रुपए गंगा परियोजना निदेशालय द्वारा हाथ लिए गए प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के लिए उपलब्ध है। यह एक अतिरिक्त परियोजना है और यह सदस्य द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का उत्तर है, उसके अनुसार सरकार इस धन को निजी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने के लिए अपनी धनराशि देगी या सामूहिक तौर पर उसके नियंत्रण के लिए जो संयंत्र होंगे, उसमें इमदाद करेगी। में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं, या जो सामूहिक तौर पर संयंत्र लगाये जायेंगे, उनको केन्द्रीय सरकार जो सहायता देगी, उस सहायता को किन शर्तों के आधार पर उन निजी इकाइयों को देगी ? उसकी वसूली और उसे पुनः विश्व बैंक को उस कर्ज को वापस करने की क्या तरकीब सरकार के पास है ? यह मंत्री महोदय हमें बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, निजी इकाइयों को वित्तीय संस्थानों 'आई डी बी आई, या आई सी आईसी आई' से ऋण दिया जाए वास्तव में इन दोनों संस्थानों ने इन ऋणों के लिए 15 मिलियन डालर निर्धारित किए हैं। वे इस ऋण को रियायती दरों पर बड़ी औद्योगिक इकाइयों को और आगे ऋण के रूप में दे देंगी। इस तरह के उप-ऋण की पुनः अदायगी की समयावधि 15 वर्षों से अधिक नहीं होगी, जिसमें चार वर्ष छूट के भी शामिल होंगे।

ऋण लेने वाले संस्थानों और निजी उद्यमों को 'काउंटर-परिफंड' भी उपलब्ध कराने होंगे। निजी औद्योगिक इकाईयों द्वारा सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह विधि अपनाने का निर्णय लिया गया है।

श्री बल्लभ पाणिग्राही : जैसा कि हमारा अनुभव रहा है कि जहां कहीं भी औद्योगिक इकाई हो भले ही वह बड़ी इकाईयां हों, इनसे किसी न किसी तरह का प्रदूषण फैलता है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगा लिया है जिनमें यह समस्या बहुत गंभीर है? प्रदूषण गंभीर अनुपात तक बढ़ गया है। अतः ऐसे क्षेत्रों को इस योजना के तहत हम विदेशों से जो सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से धन आबंटन के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय पर्यावरण मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से इसमें कुछ भिन्नता है। इस मंत्रालय से संबंधित एक विधेयक पर परिचर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि सात महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें उडीसा में तलचरे क्षेत्र भी शामिल हैं तथा इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन क्षेत्रों को बाहय सहायता योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : गैर-नितान्त ढंग से ऋण प्राप्त करने के लिए जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे इस प्रकार हैं—चीनी औद्योगिक इकाएयां, लुगदी एवं कागज इकाइयां, चर्म एवं चर्मशोधक इकाइयां, डाई-एण्ड-डाई इन्टरमीडिएट, भैषज, पैट्रोलियम-रसायन, उर्वरक और कीटनाशक।

श्री बल्लभ पाणिग्राही : मैं निश्चित क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा हूं जो कि अत्यावश्यक हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या मैं उत्तर पर आ सकता हूं? क्या आप मुझे उत्तर देने की अनुमति देंगे ? मैं उत्तर देता हूं।

ये विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनका पता लगाया गया है। इन क्षेत्रों में यह बात भी सत्य है कि कुछ क्षेत्रो का पता लगाया जा रहा है या और पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जिनके बारे में हमारी रिपोर्टों के हिसाब से हमें मालूम है कि वहां पर आबादी अधिक है हम उन क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष सहायता दे रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहूंगी। उत्तर में, जहां पर विश्व बैंक परियोजना के तहत इस योजना के ब्यौरे दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि "ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाना जो स्वच्छ हो और जिससे अपशिष्ट का सृजन कम से कम हो।....."

यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि विकासशील देशों की बहुत पुरानी मांगों में से एक मांग प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के अन्तरण की है ताकि वे प्रदूषण फैलाने वाली प्रौद्योगिकियों का स्थान ले सके। पृथ्वी सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें यह मुद्दा भी शामिल है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या इस योजना के तहत कुछ प्रौद्योगिकी अन्तरण पहले ही किया जा चुका है।

यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ? क्या हमारे देश में ऐसी कोई प्रौद्योगिकी तैयार की जा रही है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, विशेष प्रश्न के संबंध में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है । मैं जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा ।

यह बात सत्य है कि नई प्रौद्योगिकी और पर्यावरण नान-डिग्रेडिंग प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ इस तरह से आ रही है कि कम से कम अपशिष्ट का सृजन हो और उससे अपशिष्ट फिर से न फैलने पाए । इस बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है ।

मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि इस घटक के तहत प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए नई प्रौद्योगिकी लाने के लिए चार मिलियन की राशि अनुदान के बतौर उपलब्ध है । अब यह राशि उपलब्ध है । यह धन राशि कितनी इकाइयों में दी गई है मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है । मैं निश्चित रूप से इसे माननीय सदस्य को भेज दूंगा ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय मंत्री केवल संयोगवश इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं ।

लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए और प्रदूषण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदानों के लिए सहायता के इस प्रश्न के परिपेक्ष्य में, क्या यह सही नहीं है कि मंत्रालय ने विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से इस वर्ष मार्च के अंत से पूर्व लगभग 650 लाख रुपए अभ्यर्पित कर दिए हैं ।

क्या यह भी सही नहीं है कि सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्रों के संवर्द्धन के लिए विशेष तौर पर आवंटित लगभग 300 लाख रुपए लौटा दिये हैं ?

क्या यह गलत है कि आपने वास्तव में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के भाग के रूप में 800 लाख रुपए प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं के अभ्यर्पित कर दिए हैं ? मैं इसके विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने क्या लौटाया है ? लेकिन इस मंत्रालय द्वारा लगभग 40 करोड रुपए लौटा दिये हैं ।

अतः, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 40 करोड़ रुपए वापिस करने के बाद, वे यह दावा कैसे कर सकते हैं कि जहां तक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का संबंध है वे एक अच्छी स्थिति में हैं अथवा यहां तक कि बहिस्राव उपचार संयंत्रों अथवा प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्टों इत्यादि जैसी पायलिक वस्तुओं को अच्छी प्रकार से चलाया जा रहा है ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय यह प्रश्न ही अपने आपमें सीमित है । यह प्रश्न पिछले वर्ष प्राप्त हुई सहायता के बारे में कहता है । मैंने विशेष रूप से कहा है कि यह परियोजना ही नवम्बर 1991 में शुरू हुई थी और यह 31-3-1997 तक है । इस परियोजना के अंतर्गत कोई पैसा वापिस किया ही नहीं गया है ।

यदि वह प्रारम्भिक वर्षों की बात कर रहे, मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह : मैं चालू वर्ष के बारे में बात कर रहा हूं ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : चालू वर्ष के बारे में राशि वापिस करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री जसवन्त सिंह : जो पैसा वापिस किया गया है वह मार्च, 1992 के महीने में वापिस किया गया है ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं बड़े ध्यान पूर्वक दोहराता हूं कि इस परियोजना के तहत कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि पैसा लौटाया गया हो ।

श्री जसवन्त सिंह : आप तथ्यों का पता लगाये ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा । अगर वह सामान्य विदेशी सहायता के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे पास ब्यौरा नहीं है ।

लेकिन साख की लाईन की इस स्कीम के बारे में, जिसके बारे में हमने विश्व बैंक से समझौता किया है, यह स्कीम 31–3–1997 की अवधि तक है । यह नवम्बर, 1991 में शुरू हुई थी अत: पैसा वापिस लौटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जबकि स्कीम उपलब्ध है ।

श्री जसवन्त सिंह : क्या मैं उस दस्तावेज का जिक्र करूं जिसके माध्यम से मंत्रालय ने वास्तव में यह पैसा लौटाया है। यह 27 मार्च की तिथि की संख्या जी–20011/(21)/91–बी० एंड ए० है । उन्होंने पैसा वापिस किया है ।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : जैसा कि मैंने जिक्र किया है, यह वर्ष 1991–92 के लिए नहीं है । मैं इसकी बारिकियों में नहीं जाना चाहता हूं । मैंने कहा ही है, मेरे पास गत वर्ष 1991–92 के ब्यौरे नहीं है । मैंने यह विशेषतौर पर कहा था। मैंने स्वीकृत स्कीम के बारे में कहा है । प्रश्न सीमित है । यह पिछले वर्ष के बारे में कहता है और यह इसका अर्थ पिछला वर्ष ही है । नवम्बर, 1991 में स्वीकृत–स्कीम की अवधि 31–3–1997 तक है । महोदय, मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष 1990–91 की स्वीकृति में से कुछ राशियां लौटाई गई है । लेकिन वे राशियाँ विश्व बैंक को वापिस नहीं की गई है । मैं इस बारे में बहुत ही स्पष्ट रहा हूं । मैंने पिछले वर्ष यह कहा है और दो बार ओर ऐसा कहा है । मैंने कहा है कि इस बारे में मैं बहुत ही स्पष्ट हूं । यदि आप इससे पहले के ब्यौरे चाहते है, मैं अवश्य ही आपको दे दूंगा । अब मेरे पास पूर्ववर्ती अवधि की सूचना नहीं है ।

उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र

*784. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्रों में राष्ट्रीय केन्द्र की अवधारणा को किस प्रकार मूर्त रूप दिया जाता है ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्रों और सी० ओ० एस० आई० एस० टी० के क्या मानदण्ड पूरे करने होंगे ;

(ग) उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र की शिक्षण और अनुसंधान संबंधी उपलब्धि के मामले में मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र अपना उद्देश्य पूरा करने से पूर्व ही बन्द हो गये और इसके क्या कारण है ;

(ङ) ऐसे उच्च अध्ययन केन्द्रों की संख्या क्या है जिन्होंने सह-संयुक्त कार्य पर आधारित अनुसंधान कार्य को स्वतंत्र पी० एच० डी० शोध पत्र के समतुल्य माना है; और

(च) इस प्रकार के शोध पत्रों को डाक्टरोत्तर अनुसंधान छात्र का दर्जा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या मानदण्ड निर्धारित किये है ।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने उच्च अध्ययन केन्द्रों में कोई राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित नहीं किया है ।

(ख) उच्च अध्ययन केन्द्रों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजनाओं में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने संबंधी समिति के अंतर्गत सहायता के लिए विश्वविद्यालय विभागों का चयन उनके द्वारा शिक्षण तथा शोध के क्षेत्रों में प्राप्त की गई उत्कृष्टता के आधार पर और विशेषज्ञ समिति की सलाह पर किया जाता है ।

(ग) उच्च अध्ययन केन्द्र योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता देने के लिए चुने गए विभागों के कार्य-निष्पादन को प्रत्येक विभाग के लिए गठित स्थानीय सलाहकार समितियों द्वारा मानीटर किया जाता है और विशेषज्ञ समितियों की सहायता से वि० अ० आ० द्वारा पांच वर्ष पूरा करने के बाद कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है ।

(घ) किसी उच्च अध्ययन केन्द्र को पिछले तीन वर्ष के दौरान समय से पूर्व बन्द नहीं किया गया है । हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय में भू-विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा हिमालयाई जीवावशेषों पर शोध कार्यों से संबंधित एक विवाद पर जांच किए जाने तक सहायता रोक दी गई है ।

(ङ) स्वतंत्र पी० एच० डी० शोध पत्र के रूप में सह-संयुक्त कार्य की समकक्षता का कोई निर्धारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। वि० अ० आ० ने इस संबंध में मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं।

(च) शोध एसोशिएटशिप योजना के अंतर्गत उत्तर डाक्ट्रल शोध के लिए अध्येताओं का चयन किसी अध्येता द्वारा पी० एच० डी० डिग्री प्राप्त करने के बाद किए गए स्वतंत्र शोध कार्य के आधार पर किया जाता है।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, निष्ठात स्तर पर सह-संयुक्त-कार्य में उम्मीदवारों का योगदान एक से दस अथवा 20 प्रतिशत तक अथवा इसके आसपास ही होता होगा और शेष कार्य पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता होगा। ऐसी स्थिति में, यह बिल्कुल स्वाभाविक है, जैसा कि विवरण के भाग 'च' में कहा गया है, कि शोध एसोशिएटशिप योजना के अंतर्गत उत्तर डाक्ट्रल शोध के लिए अध्येताओं का चयन किसी अध्येता द्वारा पी० एच० डी० डिग्री प्राप्त करने के बाद किए गए स्वतंत्र शोध कार्य के आधार पर किया जाता है। फिलहाल यह काफी अच्छी स्थिति है। अब, मंत्री महोदय क्या यह भी स्पष्ट करेंगे कि सह-संयुक्त अध्येता उत्तर-डाक्ट्रल शोध-कार्य के लिए भी पात्र है और विवरण की प्रविष्टि 'ङ' के अनुसार :

> "स्वतंत्र पी० एच० डी० शोध पत्र के रूप में सह-संयुक्त कार्य की समकक्षता का निर्धारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।"

यह अनर्थकारी होगा। इसमें इतना अधिक अन्तर है। हम यह देखते है कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया है। इसलिए, इसमें संकट है। उम्मीदवार जो लगभग जाने होते है; उन उम्मीदवारों के बराबर होते हैं, जिन्होंने पूर्णतया: योगदान दिया है और हमारे शैक्षणिक-कार्य में अराजकता है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा नहीं किया था तो क्या अब यह सह-संयुक्त कार्य और पी० एच० डी० स्तर पर स्वतंत्र-कार्य सीमांकन हेतु कुछ मापदंड निर्धारित करने जा रहा है ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, इस बारे में माननीय सदस्यगण की चिन्ता से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मापदंड और शैक्षणिक-आवश्यकता को बड़ी दृढ़ता से लागू किया ही जाना चाहिए। मैंने अद्यतन स्थिति के आधार पर यह कहा है। लेकिन उनका यह अनुरोध और मंशा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस पर एक कड़ा रुख अपनाना ही चाहिए, पूर्णतया: न्यायोचित है। वि० अ० आ० से यह अनुरोध किया जायेगा, कि वह आने ही मापदंड और दिशा निर्देश तैयार करे ताकि यह असंगति न रहे।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं मंत्री महोदय का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन मजा तो तभी है, जब वास्तव में ही ऐसा हो जाये। अत: महोदय, मैं मंत्री महोदय से उन उम्मीदवारों की संख्या जानना चाहता हूं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में उच्चतर-गणित में उन द्वारा प्रस्तुत किये गये शोध-पत्र पर आधारित कोई सह-संयुक्त शोध-पत्र

दिया हो। पंजाब विश्वविद्यालय उच्चतर गणित के लिए एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में और साथ ही उनमें उन छात्रों की संख्या भी इस सभा और देश को बतायेंगे, जो कि प्राध्यापकों और वि० अ० आ० शिक्षावृत्ति के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में सफल हुए है।

संघ लोक सेवा आयोग ने मौखिक परीक्षा में 12½ प्रतिशत की एक सीमा निर्धारित की हुई है। क्या वि० अ० आ० भी प्राध्यापकों आदि के लिए मौखिक परीक्षा हेतु 12½ प्रतिशत की इस सीमा को निर्धारित करे क्योंकि मौखिक परीक्षा में जो कुछ भी वे चाहे किया जा सकता है। जहां तक मेरे प्रश्न के द्वितीय भाग का संबंध है, क्या वह ऐसा करेंगे? क्या मंत्री महोदय मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का एक ठोस उत्तर देंगे?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, पंजाब विश्वविद्यालय में जो छात्र/उम्मीदवार परीक्षा में बैठे और जिनके पास यह अर्हता है, का ब्यौरा नहीं है। मैं निश्चय ही यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं और माननीय सदस्य को दे सकता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस मामले में वि० अ० आ० के दिशानिर्देशों के बारे में थोड़ा-सा निराशाजनक पहलू है। मैं वि० अ० आ० के अध्यक्ष से यह अनुरोध करूंगा कि यदि उसमें कोई संदेह अथवा निराशाजनक पहलू है, तो वह यह देखे कि शैक्षणिक स्तर के उत्कर्षण और संरक्षण हेतु कुछ स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किये जायें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने किन्हीं क्षेत्रों अथवा समस्याओं का पता लगाया है जिन्हें विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च अध्ययन केन्द्र द्वारा लिया जा सकता है, ताकि यह उन क्षेत्रों में जा सके और इस विषय में सहायता कर सके।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब विश्वविद्यालय में भू-विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र को सहायता देना बन्द कर दिया है। विश्वविद्यालय को सहायता देना बंद करने के क्या कारण हैं?

श्री अर्जुन सिंह : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के द्वितीय भाग का संबंध है। उत्तर विवरण में ही है। पंजाब विश्वविद्यालय में भू-विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा हिमालयाई जीवाशेषों पर शोध कार्य से संबंधित एक विवाद पर जांच किये जाने तक सहायता रोक दी गई है।

जहां तक माननीय सदस्यगण के पहले प्रश्न का संबंध है, विश्वविद्यालयों को उच्च अध्ययन केन्द्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर समीक्षा के उपरान्त दिया जाता है। सामान्यतः, सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

*785. डा० लाल बहादुर रावल
श्री विलास मुत्तेमवार } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल मार्गों की जोनवार तथा गेजवार लम्बाई कितनी है, जिनका अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

(ख) विद्युत चालित गाड़ियों को चलाने के लिए निरन्तर बिजली उपलब्ध करने हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था की है; और

(ग) रेलवे को कुल कितने विद्युत-चालित रेल इंजनों की आवश्यकता है तथा वर्ष 1992-93 के अंत तक ऐसे कितने इंजन उपलब्ध होने की संभावना है ।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :

(क)

रेलवे	31-3-1992 तक विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
मध्य	2584	—
पूर्व	1253	—
उत्तर	899	—
पूर्वोत्तर	—	—
पूर्वोत्तर सीमा	—	—
दक्षिण	787	168
दक्षिण मध्य	1125	—
दक्षिण पूर्व	2228	—
पश्चिम	1765	—
	10641	168

(ख) ऊर्जा मंत्रालय (बिजली विभाग) ने उपभोक्ताओं की प्राथमिकता-सूची बनायी हुई है, जिस के अनुसार, विद्युत कर्षण के लिए बिजली की आवश्यकता को ग्रुप-I में रखा गया है । गाड़ियां चलाने के लिए बिजली की निरन्तर उपलब्धता

सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

(ग) 1992-93 में 148 बिजली रेल इंजनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है जिसमें से चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से 125 बिजली रेल इंजन प्राप्त होने की संभावना है ।

[अनुवाद]

नलबंदी आपरेशन

*786. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर**
श्रीमती भावना चिखलिया } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने लेपरोस्कोपिक नलबंदी आपरेशन किए गए :

(ख) क्या ऐसे आपरेशनों से कोई मौतें हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हुई ऐसी मौतों की संख्या क्या है;

(घ) ऐसा आपरेशन करने वाले दलों को प्रशिक्षित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसे आपरेशनों से होने वाली मौतों को कम करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री एम० एल० फोतेदार

(क) से (ङ) राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1991-92 के दौरान 30 सितम्बर, 1991 तक 279038 लैपरोस्कोपिक नसबंदी आपरेशन किए गए । सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की पूरे वर्ष की पूर्ण रिपोर्ट की उनसे प्रतीक्षा की जा रही है ।

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान लैपरोस्कोपिक नलबंदी आपरेशनों के कारण हुई मौतें इस प्रकार है :

वर्ष	मौतें
1989-90	36
1990-91	42
1991-92	15 (दिसम्बर, 1991 तक)

देश के विभिन्न भागों में "ए" टाइप (शिक्षण) प्रश्नोत्तर केन्द्रों पर बीस केन्द्रीय लैपरोस्कोपिक शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं । इसके साथ-साथ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली

में नसबंदी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु चार क्षेत्रीय विशिष्टता केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए देश के विभिन्न भागों में बारह और विशिष्टता केन्द्र खोले जा रहे हैं।

लैपरोस्कोपिक नसबंदियों की गुणवत्ता सुधारने, जटिलताओं से बचने और मौतों की घटनाओं को समाप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ (i) पूर्ण प्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा आपरेशन करना (ii) रोगियों का उपयुक्त चयन (iii) प्रशिक्षित संवेदनाहरण विज्ञानी की उपस्थिति में स्थानीय संवेदनाहरण के अधीन आपरेशन करना (iv) उपयुक्त अनुवर्ती सेवाओं की व्यवस्था (v) रोगियों की संख्या को कैंप में प्रति दल प्रति दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर केवल 30 तक और तालुक/जिलास्तर के अस्पतालों में 100 तक सीमित करना (vi) लैपरोस्कोपिक उपस्करों को उपयुक्त रूप से जीवाणुहीन करना शामिल है।

परमाणु ईंधन काम्पलैक्स

*787 **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित परमाणु ईंधन काम्पलैक्स के प्रस्तावित विस्तार से इस शहर के लिए पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है ;

(ख) क्या पर्यावरणविज्ञों ने इस काम्पलैक्स के विस्तार का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) न्यूक्लियर फ्यूल काम्पलैक्स, हैदराबाद में प्रस्तावित विस्तार गतिविधियों की विस्तृत जांच की गई है और इसके लिए मंजूरी देते समय पर्यावरणीय रक्षोपाय निर्धारित किये गए है ताकि किसी प्रकार की पर्यावरणीय समस्या न हो।

(ख) किसी प्रकार के आन्दोलन की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल पुलों की मरम्मत

*788. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रवार कितने पुराने रेल पुलों को मरम्मत/नवीकरण के लिये चुना गया है; और

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :

(क) जिन रेल पुलों को पुन: स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए चुना और कार्यक्रमबद्ध किया गया है, उनकी जोन-वार संख्या नीचे दी गई है :—

मध्य	72
पूर्व	96
उत्तर	16
पूर्वोत्तर	13
पूर्वोत्तर सीमा	46
दक्षिण	48
दक्षिण मध्य	95
दक्षिण पूर्व	27
पश्चिम	36

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए 73.2 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

प्रतिभा पलायन

*789 मोहम्मद अली अशरफ फातमी
श्री नीतीश कुमार } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान शिक्षा के लिए बजट में आवंटित कुल राशि में से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए कितने प्रतिशत धनराशि नियत की गई है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से कितने प्रतिशत छात्र अन्य देशों को चले गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रत्येक छात्र पर किया गया औसत व्यय क्या है;

(घ) क्या प्रतिभा पलायन की स्थिति से बचने के लिए सरकार का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातकों के लिए कुछ ऐसी शर्तें निर्धारित करने का विचार है जिससे वे कम से कम किसी निश्चित अवधि तक देश की सेवा करने के लिए बाध्य हो सकें; और

(ङ) सरकार ने देश से तकनीकी प्रतिभा पलायन को हतोत्साहित करने/रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान शिक्षा के लिए कुल आवंटित बजट में से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सात प्रतिशत निधियां आवंटित की गयीं।

(ख) भा० प्रौ० सं० समीक्षा समिति की 1986 की रिपोर्ट के अनुसार आई०आई०टी० के लगभग 20 प्रतिशत स्नातक विदेश चले जाते हैं।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए लगाए गए अनुमानों के अनुसार प्रत्येक छात्र पर प्रतिवर्ष अवर स्नातक स्तर के लिए लगभग 52,000 रुपये, स्नातकोत्तर स्तर के लिए लगभग 77,000 रुपये तथा पी० एच० डी० के लिए लगभग 98,000 रुपये का खर्च बैठता है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) विदेशों में बसे हुए भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं। इनमें वैज्ञानिक पूल योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अस्थायी तैनाती, अधिसंख्य पदों का सृजन, विदेशों से वापिस आने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों द्वारा उपस्कर आयात की सुविधा देना वैज्ञानिक संस्थानों को अपेक्षतया अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, प्रवासी राष्ट्रिकों के जरिए जानकारी के स्थानांतरण की योजना आदि शामिल है।

वापसी रेल आरक्षण सुविधा

*790 श्री धर्मण्णा मोडव्या सादुल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के किन-किन स्टेशनों/शहरों में वापसी रेल आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक शहरों में ऐसी सुविधा प्रदान करने हेतु क्या कार्यक्रम बनाये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :

(क) वापसी यात्रा के आरक्षण की सुविधा, हाल्ट और फ्लैग स्टेशनों को छोड़कर, सभी स्टेशनों पर संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से उपलब्ध है, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत, यह सुविधा 31 कंप्यूटरीकृत स्टेशनों पर उपलब्ध है और 53 स्टेशनों पर आटोमैक्स प्रणाली की व्यवस्था है। इसके अलावा, कुछ स्टेशनों पर, जिनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं, वापसी यात्रा के लिए आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गई है।

(ख) 1992-93 के दौरान, 18 अन्य स्टेशनों पर कंप्यूटरीकरण के जरिये आरक्षण की व्यवस्था करके तथा सिकन्दराबाद को कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास की कंप्यूटर प्रणालियों से जोड़कर इस सुविधा का विस्तार करने की योजना है,

विवरण

उन स्टेशनों के नाम जहां वापसी यात्रा के कोटे उपलब्ध हैं

आद्रा
आगरा छावनी
आगरा फोर्ट
अहमदाबाद
अजमेर
अकोला
इलाहाबाद
अमरावती
अमृतसर
आसनसोल
बेंगलूरु
बरकाकाना
बाड़मेर
बेलापुर
बेलगांम
भागलपुर
भावनगर
भीम वरम्
भोपाल
बीदर
बीजापुर
बिलासपुर
बोकारो
बंबई सेंट्रल
बंबई वी० टी०
कलकत्ता
कालीकट
काणनोर
नांदेड़
चंगनाचेरी
चेंगन्नूर
छपरा
कुनूर
कटक
दानापुर
दावणगेरे
देहरादून
दिल्ली
धनबाद
धारवाड़
धुले
दुर्ग
दुर्गापुर
एर्णाकुलम
ईरोड
गांधीधाम
गया
गोरखपुर
गुडूर
गुलबर्गा
गुवाहाटी
ग्वालियर
हापा
हुबली
इन्दौर
जबलपुर
जयपुर
सिलीगुड़ी सीबीओ
जम्मू तवी
जामनगर
झारसुगुडा
जोधपुर
काकिनाडा
काकिनाडा टाउन
कालका
कानपुर
काठगोदाम
करिक्कुड्डी
करूर
कटिहार
खम्भालिया
कोल्हापुर
कोट्टयम
लोनावला
लखनऊ
लखनऊ जंक्शन
लुधियाना
मद्रास
मालदा टाउन
मंगलौर
मिरज
मुगलसराय
मुजफ्फरपुर
मैसूर
नागपट्टिणम
नागपुर

नरसापुर
नासिक सीबीग्रो
नासिक रोड
नेल्लोर
निजामाबाद
पालघाट
पटना
पुणे
पुरी
कोल्लम
रायपुर
राजमुंद्री
राजपालैयम्
राजकोट
रामेश्वरम्
रांची
रानीगंज
रतलाम
राउरकेला
सागर
सेलम
सिकन्दराबाद
सेंकोट्टाई
शेगांव
सिलचर
शिवकाशी
शोलापुर
सूरत
सुरेन्द्र नगर
टाटा नगर
तिरुच्चिरापल्ली
त्रिचूर
त्रिरूनेलवेली
तिरूपति
तिरूवल्ला
तिरुअनन्तपुरम
तूतीकोरिन
उदगमंडलम्
उदयपुर
उज्जैन
वडोदरा
वाराणसी
वास्कोडिगामा
विजयवाड़ा
विरूदुनगर
विशाखापट्टनम

रेल मार्गों की लंबाई

*791. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, बड़ी, मीटर गेज तथा छोटी रेल लाईनों की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्र के हिसाब से रेल मार्गों की लम्बाई कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है :

विवरण

(क) और (ख): 31-03-1991 को देश में राज्यवार /संघ-शासित क्षेत्रवार बड़े आमान, मीटर आमान और छोटे आमान के मार्गों की लम्बाई एवं प्रत्येक राज्य में प्रति 100 वर्ग कि० मी० क्षेत्रफल में रेल मार्ग की कुल लम्बाई नीचे दी गई है :—

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बड़ी लाईन (मार्ग कि०मी०)	मीटर लाइन (मार्ग कि०मी०)	छोटी लाइन (मार्ग कि०मी०)	*प्रति 100 वर्ग कि०मि० क्षेत्र-फल में मार्ग कि० मी०
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3503.97	1481.75	36.94	1.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1.26	—	0.002
3.	असम	266.41	2200.42	—	3.14
4.	बिहार	3558.07	1681.57	69.15	3.05
5.	गोवा	—	79.06	—	2.14
6.	गुजरात	1710.31	2655.10	920.91	2.70
7.	हरियाणा	883.58	612.81	3.38	3.39
8.	हिमाचल प्रदेश	22.20	—	244.25	0.48
9.	जम्मू और कश्मीर	77.29	—	—	0.03
10.	कर्नाटक	656.22	2259.84	148.46	1.60
11.	केरल	869.84	114.43	—	2.53
12.	मध्य प्रदेश	4422.83	497.86	948.44	1.32
13.	महाराष्ट्र	3340.89	993.66	1100.05	1.77
14.	मणिपुर	—	1.35	—	0.006
15.	मेघालय	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	1.50	—	0.007
17.	नागालैंड	—	9.35	—	0.06
18.	उड़ीसा	1858.59	—	143.03	1.29
19.	पंजाब	1989.85	158.23	11.93	4.29
20.	राजस्थान	1235.27	4505.52	86.51	1.70
21.	सिक्किम	—	—	—	—

22. तमिलनाडु	1132.96	2879.14	—	3.08
23. त्रिपुरा	—	44.72	—	0.43
24. उत्तर प्रदेश	6213.37	2710.35	2.28	3.03
25. पश्चिम बंगाल	2986.31	477.11	352.60	4.30
संघ शासित क्षेत्र				
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह	—	—	—	—
2. चंडीगढ़	11.00	—	—	9.65
3. दादरा एवं नागर हवेली	—	—	—	—
4. दमन एवं दीव	—	—	—	—
5. दिल्ली	140.74	27.09	—	11.32
6. लक्षद्वीप	—	—	—	—
7. पांडिचेरी	—	27.11	—	5.51

*आंकड़ों का संकलन 31-3-91 को विद्यमान मार्ग किलोमीटर के हिसाब से और भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा "इंडिया 1990" में दिये गए क्षेत्रफल के अनुसार किया गया है ।

[हिन्दी]

रंगीन टेलीविजनों और कम्प्युटरों का दुष्प्रभाव

*792 **डा० परशुराम गंगवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक समय तक रंगीन टेलीविजन देखने या कम्प्यूटर पर अधिक समय तक कार्य करने से प्राय: हृदय, रक्त चाप और दृष्टि संबंधी अनेक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बंध में सरकार ने ऐसे क्या उपाय किये हैं जिनसे ऐसे दुष्प्रभावों को कम से कम किया जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार हृदय और रक्तचाप को प्रभावित करने वाले रोग रंगीन टेलीविजन को काफी लम्बे समय तक देखने अथवा लम्बे समय तक कम्प्यूटरों से संबंधित कार्य करने के कारण नहीं होते । लेकिन तनाव, सिरदर्द, आंखों की जलन और उनसे पानी निकलना जैसी आम बीमारियां सामान्यत: अनुपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, अनुपयुक्त बैठने की व्यवस्था टेलीविजन और बैठने के स्थान के बीच की अनुपयुक्त दूरी, तनावपूर्ण कार्य के वातावरण जैसे पहलुओं के कारण होती हैं । ये लक्षण परिहार्य और प्रतिवर्तनीय दोनों होते हैं ।

[अनुवाद]

रियायती दरों पर खाद्यान्न

*793 श्री महेश कनोडिया
श्रीमती महेन्द्र कुमारी } : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार किन-किन जिलों में समेकित जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों हेतु रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरण की केन्द्रीय योजना को अब तक लागू किया गया है; और

(ख) 1990 के दौरान इस योजना के अंतर्गत उन जिलों में ग्रामीण परिवारों को कितनी मात्रा में गेहूं तथा चावल प्रदान किया गया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम, कवर किए गए जिलों के नाम और 1990 के दौरान आदिवासी बहुल राज्यों सहित समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर वितरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सप्लाई की गई चावल और गेहूं की मात्रा का ब्यौरा दिया गया है ।

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें सबन्वित आदिवासी विकास परियोजना लागू की गई तथा इसके तहत कवर होने वाले जिलों के नाम और 1990 के दौरान आई०टी०डी०पी० क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर वितरण के लिए भा०खा०नि० द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई की गई चावल और गेंहूं की मात्रा का ब्यौरा :

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जिले का नाम	सप्लाई की गई मात्रा (आंकड़े मी० टन में)	
			गेंहुं	चावल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आन्ध्र प्रदेश	1. श्रीकाकुलम 2. विजय नगरम 3. विशाखापतनम 4. ईस्ट गोदावरी 5. वेस्ट गोदावरी 6. खम्माम 7. वारंगल 8. अदिलाबाद	1850	1,029,678

1	2	3	4	5
2.	असम	1. कोकराझार		
		2. धुबरी		
		3. गोलपाड़ा		
		4. बारपेटा		
		5. नालबाड़ी		
		6. कामरूप		
		7. कामरूप		
		8. नौगाँग		
		9. दुरंग		
		10. सोनितपुर	उ०न०	4,926
		11. जोरहाट		
		12. जोरहाट		
		13. गोलाघाट		
		14. शिवसागर		
		15. डिब्रूगढ़		
		16. डिब्रूगढ़		
		17. लखीमपुर		
		18. लखीमपुर		
		19. कछार		
3.	बिहार	1. राँची		
		2. गुमला		
		3. लोहारडेगा		
		4. पलामू		
		5. पश्चिमी सिंहभूम	61,113	10,521
		6. पूर्वी सिंहभूम		
		7. दुमका		
		8. साहेबगंज		
		9. गोड्डा		
4.	गुजरात	1. साबरकंठा		
		2. पंचमहल		
		3. बड़ोदरा		
		4 भड़ौच		
		5. सूरत-1	1,72,675	1,08,101
		6. सूरत-2		
		7. वलसाड		
		8. डांग्स		
		9. बांसकंठा		

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा		
		2. चम्बा	5,366	985
		3. किन्नौर		
		4. लाहौल और स्पीति		
6.	कर्नाटक	1. मैसूर		
		2. मदिकारी		
		3. दक्षिण कन्नड	16,130	64,802
		4. दक्षिण कन्नड		
		5. चिकमगलूर		
7.	केरल	1. कन्नानोर		
		2. वायानाड		
		3. त्रिवेन्द्रम		
		4. पालघाट	6,050	10,697
		5. मालापुरम		
		6. इडुक्की		
		7. कोट्टायम		
8.	मध्य प्रदेश	1. झाबुआ		
		2. धार		
		3. खारगौन		
		4. खंडवा		
		5. बस्तर		
		6. रायपुर		
		7. दुर्ग		
		8. राजनन्दगांव		
		9. सरगुजा		
		10. बिलासपुर		
		11. रायगढ़		
		12. मांडला	95,748	79,652
		13. बालाघाट		
		14. सियोनी		
		15. छिन्दवाड़ा		
		16. जबलपुर		
		17. सिद्धि		
		18. शाहडोल		
		19. बेतुल		
		20. रतलाम		
		21. देवास		
		22. मुरैना		
		23. होशंगाबाद		

1	2	3	4	5
9.	महाराष्ट्र	1. ठाणे 2. नासिक 3. धुले 4. जलगांव 5. अहमदनगर 6. पुणे 7. नान्देड़ 8. अमरावती 9. यवतमाल 10. गढ़चिरोली 11. चंद्रापुर	68,192	50,391
10.	मणिपुर	1. चंडेल 2. उखरूल 3. चुराचांदपुर 4. सेनापति 5. तामेंगलांग	2,791	22,063
11.	उड़ीसा	1. बालासोर 2. फुलबनी 3. गंजम 4. कालाहांडी 5. क्योंझर 6. कोरापुट 7. मयूरभंज 8. सम्बलपुर 9. सुंदरगढ़	32,189	1,42,865
12.	राजस्थान	1. उदयपुर 2. बांसवाड़ा 3. चित्तौड़गढ़ 4. डूंगरपुर 5. सिरोही	1,00,908	8,937

1	2	3	4	5
13.	तमिलनाडु	1. सेलम		
		2. दक्षिणी आरकाट		
		3. उत्तरी आरकाट	उ०न०	646
		4. धर्मपुरी		
		5. तिरुचिरापल्ली		
14.	सिक्किम	1. पूर्वी		
		2. दक्षिणी		
		3. पश्चिमी	3;135	13;617
		4. उत्तरी		
15.	त्रिपुरा	1. पश्चिमी		
		2. दक्षिणी त्रिपुरा	उ०न०	51954
		3. उत्तरी त्रिपुरा		
16.	उत्तर प्रदेश	1. लखीमपुर खीरी	उ०न०	उ०न०
17.	पश्चिमी बंगाल	1. पुरुलिया		
		2. बांकुरा		
		3. बीरभूम		
		4. माल्दा		
		5. दार्जिलिंग		
		6. जलपाईगुड़ी		
		7. पश्चिमी दीनाजपुर	69,720	26,736
		8. मेदिनीपुर		
		9. मुर्शिदाबाद		
		10. बर्दवान		
		11. 24 परगना		
		12. हुगली		
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	निकोबार	उ०न०	उ०न०
19.	दमन और दीव	दमन	100	1,311
20.	अरूणाचल प्रदेश	सभी जिले	7,728	87,275
21.	मेघालय	सभी जिले	26,942	1,16,366
22.	मिजोरम	सभी जिले	13,514	88,489
23.	नागालैंड	सभी जिले	72, 242	1,11,202
24.	दादर और नगर हवेली	सभी जिले	300	1,640
25.	लक्षद्वीप	सभी जिले	23	4,067
		जोड़	7,56,726	11,36,921

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल परियोजनाएं

*794. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में आरम्भ की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन पर परियोजनावार कितनी लागत आने का अनुमान है ।

(ख) प्रत्येक ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा उन पर अब तक कितना धन खर्च हो चुका है ;

(ग) इनमें से उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनकी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा होने की संभावना है ; और

(घ) उन नई परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिन पर उक्त राज्य में कार्य आरम्भ कर दिया गया है और उनके लिए वर्ष 1992–93 के दौरान परियोजनावार कितना धन आवंटित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ) :(क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) : 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की केवल एक बड़ी परियोजना शुरू की गई थी इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	लम्बाई	अनुमानित लागत	पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य	वर्तमान स्थिति	31-3-92 तक खर्च की गई कुल राशि
टूंडला-आगरा-बयाना खंड का विद्युतीकरण	114 कि० मी० (40 कि० मी० राजस्थान में)	32.92 करोड़ रुपये	सितम्बर 1992	खंड को मार्च, 1991 में चालू कर दिया गया था । अतिरिक्त सब-स्टेशन पर कार्य प्रगति पर है ।	29.78 करोड़ रुपये

(घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	सातवीं योजना के बाद शुरू की गई नई परियोजनाओं के नाम	परियोजना की लागत	1992-93 के लिए आबंटित धनराशि
1.	माल डिब्बा कारखाना, कोटा का आधुनिकीकरण	27.44 करोड़ रुपये	6.69 करोड़ रुपये
2.	फुलेरा-बीकानेर (लालगढ़) मेड़ता रोड़-आमान परिवर्तन (430 कि० मी०)	325.87 करोड़ रुपये	60.80 करोड़ रुपये
3.	भिलड़ी-समदड़ी-समदड़ी से जोधपुर तक समानांतर बड़ी लाइन (306 कि० मी०)	267.83 करोड़ रुपये	1 लाख रुपये
4.	सवाई माधोपुर-जयपुर और जयपुर-फुलेरा आमान परिवर्तन (101 कि० मी०)	133.04 करोड़ रुपये	60 करोड़ रुपये
5.	रेवाड़ी-जयपुर आमान परिवर्तन (210 कि० मी० राजस्थान में)	104.60 करोड़ रुपये	33 करोड़ रुपये
6.	मथुरा-अलवर नई लाईन (90 कि० मी० राजस्थान में)	69.43 करोड़ रुपये	13 करोड़ रुपये

जन्म दर और मृत्यु दर

*795 **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन्म दर और मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर के अनुमानित आँकड़ों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन दरों में बहुत अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्र में इस स्थिति में सुधार लाने के लिए आर्थिक और अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) (क) से (ग) : 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जन्म, मृत्यु और नवजात शिशु मृत्यु दरों के वार्षिक अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। नमूना पंजीयन पद्धति

से प्राप्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जन्म, मृत्यु और नवजात शिशु मृत्यु दरों के नवीनतम अनुमान (अनन्तिम) वर्ष 1990 से संबंधित हैं और वे इस प्रकार हैं:—

	जन्म दर	मृत्यु दर	नवजात शिशु मृत्यु दर
	(प्रति 1000 जनसंख्या)	(प्रति 1000 जनसंख्या)	(प्रति 1000 जीवित जन्म)
ग्रामीण	31.5	10.4	86
शहरी	24.4	6.7	51

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है, फिर भी शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल की जरूरत और परिवार कल्याण और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को प्राप्त करने के बारे में अत्यधिक जागरूकता और इन सेवाओं की सुलभता के कारण स्थिति बेहतर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक विस्तृत नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाती है। 31-12-91 की स्थिति के अनुसार इन क्षेत्रों में 1,31385 उप-केन्द्र, 22,328 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1955 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 लाख प्रशिक्षित दाईयां और 3.35 लाख ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड भी कार्य कर रहे हैं।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान 759 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 259 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन संस्थाओं को स्थापित करने संबंधी लागत को संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बजट में से पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

रैबीज-रोधी टीका

*796. **श्रीमती शीला गौतम :**

की तेज नारायण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रैबीज-रोधी टीकों का उत्पादन कौन-कौन से केन्द्र/संस्थान कर रहे हैं ;-

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार ऐसे कितने टीकों का उत्पादन किया गया ;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस टीके के उपलब्ध न होने के कारण राज्यवार कितनी मौतें होने के समाचार हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान रेबीज रोधी टीकों का उत्पादन करने वाले मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने अथवा नए उद्योग लगाने का है ताकि इसकी मांग को पूरा किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री एम० एल० फोतेदार :

(क) और (ख) : अलर्क–रोधी टीके का निर्माण करने वाले राज्य–वार संस्थानों और 1991–92 के दौरान निर्मित की गई मात्राओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	स्थानों का नाम	91–92 के दौरान अनन्तिम उत्पादन (आंकड़े लाख मिलीमीटर में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	इन्स्टीट्यूट आफ प्रिवेन्टिव मेडिसन नारायण गुडा हैदराबाद	25.00
बिहार	गवर्नमेंट वैक्सीन इन्स्टीट्यूट, नामकुन राँची	अनुपलब्ध
गुजरात	वैक्सीन इन्स्टीट्यूट, बड़ोदा	अनुपलब्ध
	हेक्सटस इंडिया लिमिटेड, रबिपुर	8.00×
हरियाणा	इंडियन वैक्सीन कारपोरेसन लिमिटेड, गुडगांव	1.20×
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	60.00
कर्नाटक	(1) वैक्सीन इन्स्टीट्यूट, बेलगॉम	27.00
	(2) जन स्वास्थ्य संस्थान, बैंगलुर	36.00×
केरल	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, तिरुवनंतपुरम	25.00
महाराष्ट्र	हाफकिन बायो–फार्मास्यिूटीकल कारपोरेशन लिमिटेड, परेल, बम्बई	अनुपलब्ध
मेघालय	पाश्चयूर संस्थान, शिलांग	20.00
तमिलनाडु	(1) किंग इन्स्टीट्यूट आफ प्रिवेन्टिव मेडिसिन, गिन्डी मद्रास	35.00
	(2) पाश्चयूर संस्थान, कुनूर ।	
	(क) ए आर वी	48.00
	(ख) टिशू कल्चर रेबिज वैक्सीन इन वीरो सेल	0.50
उत्तर प्रदेश	राज्य वैक्सीन संस्थान, पटवाडागर, नैनीताल	50.00
पश्चिम बंगाल	पाश्चयूर संस्थान, कलकत्ता	अनुपलब्ध

*आंकड़े लाख खुराकों में

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(घ) वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन का मौजूदा स्तर पर्याप्त है ।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद

*797. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय बफर स्टाक को पूरा करने हेतु राज्यों के लिए निर्धारित खरीद-लक्ष्य उनके द्वारा पूरा न किए जाने की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार का विचार उन्हें इस बफर स्टाक से प्रति माह किए जाने वाले खाद्यान्न आवंटन में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ;

(ग) किन-किन राज्यों ने अपने लक्ष्य पूरे नहीं किए हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) (क) से (घ) : यद्यपि राज्यों को गेंहू और धान की अधिकतम वसूली करने और निश्चित मात्रा में इन वस्तुओं की वसूली करने के लिए सभी प्रयत्न करने के महत्व के बारे में बताया गया है, लेकिन वास्तव में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि किसानों से गेंहू और धान की वसूली न्यूनतम मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन स्वैच्छिक आधार पर की जाती है। चावल की वसूली राज्य सरकारों द्वारा मिल मालिकों पर लगाई गई सांविधिक लेवी के अधीन की जाती है, जो कि राज्य प्रति राज्य भिन्न भिन्न होती है। चावल की वसूली की मात्रा मिल मालिकों द्वारा विधायित धान की मात्रा पर निर्भर करेगी।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को गेंहू और चावल के आवंटन विभिन्न तथ्यों के आधार पर प्रत्येक मास किए जाते हैं जिनमें केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता—एक प्रमुख तथ्य है।

फिल्म स्टेडी सेंटर

*799. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में "फिल्म स्टेडी सेंटर" स्थापित करने के लिए सहायता देने की कोई योजना है ताकि फिल्मों की छवि आधुनिक कला के रूप में अहेर सामाजिक संवाद और शिक्षा के माध्यम के रूप में उभर कर सामने आये ;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी सहायता राशि दी गई ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना का मूल्यांकन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, आयोग के पास मुख्य रूप से एक कला के रूप में और सामाजिक सम्प्रेषण और शिक्षा के माध्यम के रूप में फिल्मों के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से चुनिन्दा विश्वविद्यालयों और कालेजों को फिल्म अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है । आयोग ने अभी तक 19 विश्वविद्यालयों और कालेजों को ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार केन्द्रों को दिए गए अनुदानों की धनराशि निम्नलिखित है :—

(रुपये में)

राज्य का नाम	1989–90	1990–91	1991–92
उत्तर प्रदेश	21,400	—	16,400
मणिपुर	20,947	—	—
महाराष्ट्र	19,143	—	36,059
दिल्ली	57,438	—	24,433
गुजरात	21,400	—	21,400
पश्चिम बंगाल	—	—	21,400

इसके अतिरिक्त, पुणे विश्वविद्यालय को योजना के समन्वय और अनुवीक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय समन्वय केन्द्र के लिए 2 लाख रुपये दिए गए ।

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान में अध्यापकों की भर्ती

8203. **श्री नानी भट्टाचार्य :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ने उसकी स्थापना के समय प्रशासनिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए कोई नियम बनाये थे;

(ख) यदि नहीं, तो किस अधिकारी के अधीन ये नियम बनाये गए थे;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निर्धारित अर्हताओं का उल्लंघन करके शिक्षकों को भर्ती किए जाने के आरोपों के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ)

(क) **और** (ख) : राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी । राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के अनुच्छेद ज्ञापन और नियमों तथा विनियमों एवं उप-नियमों में उल्लिखित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की शासी निकाय को दी गई शक्तियों के अनुसार, प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए ।

(ग) **और** (घ) : राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के कर्मचारी संघ से आरोपों संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई तथा मामले की जांच की जा रही है ।

डिब्बा-बन्द आहार

8204. **डा० विश्वनाथम कैनियी :**

श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जनसाधारण के लिए सब पोषक तत्वों से युक्त कम लागत पर डिब्बा बन्द आहार उपलब्ध कराने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे मौजूदा यूनिटों का ब्यौरा क्या है जिन्हें डिब्बा-बन्द आहार तैयार करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है ;

(घ) क्या इस क्षेत्र में किसी अन्य देश ने रुचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) (क) से (ङ) : जनसाधारण को कम लागत पर पैकटों में तैयार खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर कोई योजनाएं अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गई हैं। संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में कई युनिट तैयार खाद्य पदार्थों का उत्पादन पहले से ही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के कुछेक यूनिट भी मुख्यत: राज्य सरकारों के कल्याण फीडिंग कार्यक्रमों के लिए एनर्जी खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर रहे हैं। किसी अन्य देश द्वारा इस क्षेत्र में दिखाई गई किसी रुचि के बारे में खाद्य मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल

8205. प्रो० अशोक आनन्द राव देशमुख :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य सरकार का ध्यान यूनिसेफ रिपोर्ट 1992 की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार भारत में बाल मृत्यु में आई कमी से जन्म दर में कमी आने का पता चलता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बच्चों के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ)

(क): जी हां ।

(ख) शिशु मृत्यु दर में आई कमी और बच्चों के जीवन-रक्षा के प्रति अधिक अश्वस्त होने से लोग छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप प्रजननता में कमी आई है ।

(ग) उठाये गए कदमों में निम्नलिखित कार्यों को तेज करना भी शामिल है :—

(i) शिशुओं को पोलियो, टेटनस, डिफ्थीरिया, कुकुरखांसी, क्षय रोग और खसरे से बचाने तथा गर्भवती महिलाओं को टेटनस से बचाने के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम ।

(ii) 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में अतिसार से होने वाली जलशून्यता के कारण होने वाली मौतों को नियन्त्रित करने के लिए मुखीय पुनर्जलपूरण कार्यक्रम ।

(iii) बच्चों में न्युमोनिया के कारण होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए तीव्र श्वसनीय संक्रमणों पर नियंत्रण ।

(iv) महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम तथा बच्चों में विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम ।

एड्स परीक्षण किट्स

8206. **श्री रामचन्द्र डोम :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर एंड रॉकफेलर फाउण्डेशन, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सस्ती एड्स विषाणु परीक्षण किट को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस किट का भारत में प्रयोग करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके भारत के बाजारों में कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ)

(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

मेडिकल कालेजों में अध्यापकों की भर्ती

8207. **श्री भीम सिंह पटेल :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडिकल कालेजों में अध्यापकों की भर्ती के बारे में मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया की क्या सिफारिशें हैं;

(ख) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ)

(क) : मेडिकल कालेजों में अध्यापन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में भारतीय आयु-विज्ञान परिषद की सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

व्यापक विशिष्टताओं हेतु

लेक्चरर : एम डी/एम एस में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता ।

रीडर : किसी मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में लेक्चरर की हैसियत से 5 वर्ष का अनुभव ।

प्रोफेसर : मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में रीडर की हैसियत से चार वर्ष का अनुभव ।

अति विशिष्टताओं हेतु :

लेक्चरर : संबंधित विषय में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अति विशिष्ट अर्हता।

रीडर : किसी मेडिकल कॉलिज में संबंधित विषय में लेक्चरर की हैसियत से 5 वर्ष का अनुभव।

प्रोफेसर : किसी मेडिकल कॉलिज में संबंधित विषय में रीडर की हैसियत से चार वर्ष का अनुभव।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय वन विश्वविद्यालय

8208. **श्री बापू हरि चौरे :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय वन विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) :

(क) वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, जो कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् के अधीन एक संस्था है, को केन्द्रीय सरकार ने 6 दिसम्बर 1991 से "विश्वविद्यालय के समान" दर्जा दिया है। देश में फिलहाल कोई और केन्द्रीय वन विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) "विश्वविद्यालय के समान" संस्था में वानिकी के विभिन्न विषयों में डॉक्टोरल और पोस्ट-डॉक्टोरल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस संस्था में चार क्षेत्रों, अर्थात् वानिकी गतिविधियों, इमारती लकड़ी को पकाना और उसका संरक्षण, लुगदी और कागज प्रौद्योगिकी और सामाजिक वानिकी, में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों शिक्षा

8209. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) जी नहीं। सरकार के पास इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिर गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजस्थान के नारायणा स्टेशन पर मीनाक्षी और चेतक एक्सप्रेसों का ठहराव

8210. **श्री रामनारायण बैरवा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के नारायणा स्टेशन पर मीनाक्षी एक्सप्रेस और चेतक एक्सप्रेस के ठहराव के लिए कोई मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर इन रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) जी हाँ।

(ख) प्रस्ताव की जाँच की गई है, लेकिन यातायात का औचित्य कम होने के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

परिवार नियोजन के लिए अमरीकी सहायता

8211. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी सहायता (यू एस ए आई डी) परिवार नियोजन क्षेत्र पर अधिक ध्यान देकर भारत में अपनी विकास नीती को दिशा प्रदान कर रहा है।

(ख) क्या इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर (यू एस ए आई डी) उनके मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण करने वाला है।

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित सर्वेक्षण की कार्य प्रणाली कैसी होगी और इस प्रयोजनार्थ गणनाकारों तथा अन्य कर्मचारियों को कौन नियुक्त करेगा; और

(घ) इस सर्वेक्षण के लिए किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का चयन किया गया है और इस संबंध में उनकी भूमिका क्या होगी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमति डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ)

(क) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने उत्तर प्रदेश में चल रहे कार्यकलापों के अतिरिक्त परिवार कल्याण कार्यक्रम के सुधार के लिए काफी व्यापक सहायता पैकेज का प्रस्ताव किया है ।

(ख) से (घ) : अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने भारत सरकार के साथ 1983 में हस्ताक्षर किए गए चल रहे परिवार नियोजन संचार और विपणन परियोजना के एक अंग के रूप में उन जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा धन दिया जाता है । इस परियोजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 20 एककों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने का एक घटक भी शामिल है । इन एककों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । यह सर्वेक्षण करने के लिए इस मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय जनसंख्या विज्ञान का अन्तरर्राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है । उनके समग्र निर्देशन और सहायता से यह सर्वेक्षण चुनिन्दा परमर्शी संगठनों और राज्यों के जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से चरण-वद्ध ढंग से किया जा रहा है । जनसंख्या विज्ञान का अन्तरर्राष्ट्रीय संस्थान/परामर्शी संगठनों/जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों नामक 3 स्तरीय संगठनों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों को देखते हुए सर्वेक्षण के लिए नियुक्त समितियों द्वारा विधिवत अनुमोदित सूची के आधार पर परियोजना के लिए निर्धारित धन में से भुगतान किए जाने के लिए भुगतान की दरें निर्धारित की गई हैं । जहां जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के अधिकारियों को सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं में पूरी तरह शामिल किया जाएगा वहां परामर्शी संगठन जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के परामर्श से अपेक्षित संख्या में अतिरिक्त क्षेत्र साक्षात्कार कर्ताओं आदि के चयन और उन्हें भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे ताकि सारा सर्वेक्षण सुचारु ढंग से चले और समय पर पूरा हो सके । सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रस्तावित सर्वेक्षण में पूरी सहायता दें और सर्वेक्षण में लगे हुए संगठनों की मदद करें तथा परियोजना की प्रगति समय-समय पर मालूम करें और इसके निष्कर्षों का पूरा-पूरा उपयोग करें ।

विवरण

चरणबार ढंग से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने के लिए चयन किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (20 एककों) के नाम

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गोवा
5. गुजरात

6. हरियाणा
7. हिमाचल प्रदेश
8. जम्मू और कश्मीर
9. कर्नाटक
10. केरल
11. मध्य प्रदेश
12. महाराष्ट्र
13. उड़ीसा
14. पंजाब
15. राजस्थान
16. तमिलनाडु
17. उत्तर प्रदेश
18. पश्चिम बंगाल
19. उत्तर-पूर्वी राज्यों का समूह
    (i) अरुणाचल प्रदेश
    (ii) मणिपुर
    (iii) मेघालय
    (iv) मिजोरम
    (v) नागालैंड
    (vi) त्रिपुरा
20. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्ध विद्यालयों में ट्यूशन फीस

8212. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त कुछ विद्यालय दिल्ली और हरियाणा के गुड़गांव जिले में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन विद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पुराने छात्रों सहित सभी छात्रों से अधिक ट्यूशन फीस, भवन निर्माण शुल्क और वार्षिक शुल्क वसूल करने की अनुमति मिली हुई है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है अथवा की जावेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) और (ख) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों को केवल सम्बद्धन प्रदान करता है। यह किसी स्कूल को मान्यता नहीं देता है। दिल्ली के 1088 स्कूलों को और हरियाणा के गुड़गांव जिले के 10 स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सम्बद्ध प्राप्त है।

(ग) से (ङ) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बद्धन उपविधियों में यह प्रावधान है कि प्रभारित शुल्क संस्थान द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के अनुरूप हों। उपविधियों में स्कूल में दाखिले के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से केपिटेशन शुल्क या स्वैच्छिक दान लेने पर पाबंदी की गई है। ऐसे कुसंयोजन के मामले में बोर्ड स्कूल का सम्बद्धन समाप्त करने के लिए कार्यवाही करने के संबंध में निर्णय ले सकता है।

पब्लिक स्कूलों का पंजीकरण

8213. श्री विजय कुमार यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और चंडीगढ़ में किसी शैक्षिक संस्था/व्यक्तिगत निकायों विशेषकर पब्लिक स्कूलों को स्वयं को सरकार द्वारा पंजीकृत कराने के लिए उन्हें क्या क्या आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करना पड़ता है;

(ख) विगत दो वर्षों में पंजीकरण के पश्चात कितने विद्यालयों को दिल्ली में कार्य करने की अनुमति दी गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे विद्यालयों की संख्या क्या है जिन्हें निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण अनुमति नहीं दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) दिल्ली और चंडीगढ प्रशासनों ने सूचित किया है कि "पब्लिक स्कूलों" का पंजीकरण होना अपेक्षित नहीं है परन्तु उन्हें मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है, जिसके लिए विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

मच्छरदानियों का विकास

6214 श्री : सुशील चन्द्र वर्मा

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने ऐसी मच्छरदानियां विकसित की हैं जो जैवाधारित कीटनाशी प्रभाव छोड़ती रहती है ;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मलेरियाग्रस्त क्षेत्रों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमति डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली में मानव मच्छर संपर्क को रोकने तथा मलेरिया के संचरण में कमी करने के लिए कीटनाशक (सिलेटिक पाइरेथॉयड : बायो-डिगेडेबल कीटनाशक) संसिक्त मच्छरदानियों पर प्रयोगशाला अध्ययन और क्षेत्रीय परीक्षण किए हैं यह प्रयोग असम के जिला कामरूप के सोनापुर क्षेत्र में 26 गाँवों में 1988 में शुरू किया गया था, लगभग 10,000 लोगों को कुल 4864 संसिक्त मच्छरदानियाँ वितरित की गई कमरे में डेल्टामेथ्रिन उपचारित सूती मच्छरदानियों को लगाने से प्रातः काल के समय विश्राम कर रहे एन मिनिमस प्रजाति के मच्छरों की संख्या में काफी कमी हुई । घर में प्रवेश करने वाले रहने वाले अन्य प्रजातियों के मच्छरों की संख्या में भी काफी कमी हुई ।

मानव को रात भर काटने मच्छरों के पकड़ में आने से पता चला कि ग्रामीण स्तर पर उपचारित मच्छरदानियों के इस्तेमाल से उसी गाँव में एन० मिनिमस के काटने की दर असुरक्षित लोगों पर लगभग शून्य हो गई अर्थात ग्रामीण जनसंख्या पर एन० मिनिमस का मास किलिंग इफेक्ट हुआ । तथापि अन्य एनोफैलीज अथवा क्यूलिसिस संख्या पर कोई प्रभाव नही पड़ा काटने वाले मच्छरों को पकड़ने से एन० मिनिमस से 92 प्रतिशत व्यक्तिगत सुरक्षा का पता चला जो गैर उपचारित अथवा मच्छरदानी को न लगाने की स्थिति के मुकाबले आँशिक रूप से डेल्टामेथ्रिन उपचारित मच्छरदानी के इस्तेमाल से मिली क्यूलेक्स प्रजातियों के लिए यही आँकड़े 85 प्रतिशत थे ।

स्पोरोजायटस के परीक्षण और देखने से गैर उपचारित मच्छरदानियों का इस्तेमाल करने वाले गांवों अथवा सोनापुर क्षेत्र में मच्छरदातियों का इस्तेमाल न करने वाले गावों से एन० मिनिमस का एक प्राथमिक मलेरिया विषाणु के रूप में पता लगाया गया । पायोएेस्से से सूती मच्छरदानियरों पर डेल्टामेथ्रिन संसिक्त पाउडर के साथ 6 महीने तक सामान्य क्षेत्रीय इस्तेमाल की स्थितियों के अधीन उपचारित मच्छरदानियों के पता चले अवशिष्ट प्रभाव का पता चला ।

कीटनाशक संसिक्त मच्छरदानियों के इस्तेमाल को असम सरकार के स्वास्थ्य और जनजातीय विकास विभाग के जरिए बढावा दिया गया है । संसिक्त करने की प्रौद्योगिकी और वितरण की विधियों तथा मूल्यांकन के प्रभाव के बारे में असम सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा सूचित कर दिया गया है । मच्छरों के काटने से सुरक्षा प्रदान करने और मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए अन्य विषाणुओं वाले क्षेत्रों में मच्छरदानियों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए मांडला और राउरकेला में अध्ययन किए जा रहे है ।

विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण

8215. **प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों में केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित करने हेतु विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है ।

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने महिलाओं के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। विश्वविद्यालयों की दाखिला नीति का निर्णय, विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अधिनियमों व विधानों के प्रावधानों के अनुसार स्वयं किया जाता है। तथापि, महिलाओं की उच्च शिक्षा की प्रोन्नति के लिए योग्य महिला कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की संख्या के संबंध में योग्यता मापदंड में ढील देते हुए विकास अनुदान दिया जाता है। आयोग महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु भी 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

8216. **श्री आनन्द अहिरवार :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कौन-कौन से जिले शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं,

(ख) इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) : एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) : प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा,

कार्यक्रमों जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 36.23 (सभी व्यक्ति) से नीचे साक्षरता दर वाले जिलों की सूची

राज्य का नाम	क्रम संख्या	जिले का नाम	साक्षरता दर	क्रम संख्या	जिले का नाम	साक्षरत दर
मध्य प्रदेश	1.	मुरैना	25.60	21%	धर	20.26
	2.	भिंड	31.35	22%	पश्चिम निमाड़	22.99
	3.	दतिया	27.70	23%	पुर्व निमाड़	30.71
	4.	शिवपुरी	20.51	24%	राजगढ़	18.17
	5.	गुना	21.59	25%	विदिशा	25.43
	6.	टीकमगढ़	19.16	26%	सीहोर	23.28
	7.	छतरपुर	20.31	27%	रायसन	23.01
	8.	पन्ना	19.51	28%	बेतुल	27.95
	9.	सागर	34.26	29%	होशंगाबाद	35.35
	10.	दमोह	29.99	30%	नरसिम्हपुर	33.23
	11.	सतना	2684	31%	मण्डला	22.92
	12.	रीवा	25.21	32%	छिन्दवाड़ा	28.19
	13.	शाहडोल	19.49	33%	सियोनी	27.01
	14.	सिधी	14.96	34%	बालाघाट	33.89
	15.	मन्दसौर	31.26	35%	सरगुजा	16.40
	16.	रतलाम	29.50	36%	बिलासपुर	28.60
	17.	उज्जैन	33.08	37%	रायगढ़	26.18
	18.	शाजापुर	23.73	38%	राज नन्द गाँव	26.63
	19.	देवास	26.61	39%	रायपुर	30.81
	20.	झाबुआ	11.15	40%	बस्तर	14.25

[अनुवाद]

कर्नाटक में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

8217. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक में बेलगांव, बीजापुर, धारवाड तथा हुगली स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) जी हां ।

(ख) (i) बेलगाम स्टेशन की इमारत में सुधार और प्लेटफार्मों पर सायबान

(ii) बीजापुर में 14 बोगियां खडी करने के लिए प्लेटफार्म का विस्तार,

(iii) धारवाड़ स्टेशन के प्लेटफार्म पर 35 एच०पी०एच०बी० बैम्पों की व्यवस्था और

(iv) हुबली स्टेशन पर द्वीप प्लेटफार्म का विस्तार और जन उद्घोषणा प्रणाली में सुधार से संबंधित कार्य शुरु किए गए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

गुजरात में रेलवे पुलों की मरम्मत

8218. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ रेल लाइनों को रेल पुलों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बंद कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी लाइनों और पुलों के नाम क्या है , और

(ग) उनकी शीघ्र मरम्मत करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) और (ख) बोडेली-छोटा उदयपुर छोटी लाइन (37 कि० मी०) को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके पुल सं० 81 और 96 क्षतिग्रस्त हो गये हैं ।

(ग) इस लाइन को पुन: चालू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

रेलवे कैंटीन कर्मचारियों के भविष्य निधि लाभ

8219. **श्री हाराधन राय :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों से भी अधिक समय से गैर-सांविधिक रेलवे कैंटीनों के कर्मचारिनों की बकाया पड़ी भविष्य निधि राशि का भुगतान नहीं किया है

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की जोनवार संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन सांविधिक और गैर-सांविधिक कैंटीन कर्मचारियों की जोनवार संख्या क्या है जिनको अपने संबंधित राज्य भविष्य निधि आयुक्त से अपने अंशदान को प्राप्त करना अभी शेष है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रतिपूरक वनरोपण

8220. **श्री जार्ज फर्नान्डीज**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिपूरक वनरोपण के बकाया कार्य को निकट भविष्य में तत्काल समाप्त करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस मामले को विभिन्न राज्यों के साथ जारी रखे हुए है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत 1991 के अन्त तक मंजूर प्रस्तावों के संबंध में देश में 3.47 लाख हैक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण की कुल आवश्यकता की तुलना में, 1991 तक 0.86 लाख हैक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण किया गया है। 1992 में, 0.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को प्रतिपूरक वनरोपण के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये रखती है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के वन विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। मंत्रालय के बंगलौर, भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ शिलांग और चण्डीगढ स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण में हुई प्रगति की निगरानी की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को पेंशन

8221. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पेंशन पाने की इच्छा व्यक्त करने वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है।

(ख) क्या सरकार तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति 14 जनवरी 1989 के वेतन समझौते के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को यह पेंशन सुविधा देने का विचार है।

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं, और

(घ) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध करावे जाने की संभावना है।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :

(क) : जी नहीं।

(ख) : भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि दिनांक 14-1-89/23-3-89 के मजदूरी संबंधी समझौते में खाद्य स्थानान्तरियों को छोड़कर, जिन्होंने खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 12-क के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यथा अनुमेय सेवा-निवृत्ति लाभ प्राप्त करने का विकल्प चुना था, भारतीय खाद्य निगम के कर्मकारियों को पेंशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) सेवा-निवृत्ति लाभों के संदर्भ में, भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियमों द्वारा शासित होते हैं जिनमें पेंशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

चण्डीगढ़ के सरकारी कालेजों में प्राध्यापक

8222. **श्री हरचन्द सिंह :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) चंडीगढ़ के सरकारी कालेजों में 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार कुल कितने प्राध्यापक हैं और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्राध्यापकों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या प्राध्यापकों के ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया सभी रिक्त पदों को भरने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो ये बकाया रिक्तियां कब तक भर लिए जाने की संभावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि मौजूद 471 प्राध्यापकों में से 19 अ० जाति/अ० ज० जा० समुदाय के हैं।

(ख) से (घ) चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया है कि अ० जा०/अ० ज० जा० के पिछले 15 पद रिक्त हैं। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के जरिए पिछली रिक्तियों को भरने के लिए भरसक प्रयास किए हैं किन्तु, उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार नहीं पाए गए।

खेलों के विकास के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण

8223. **श्रीमती विमल कुमारी भण्डारी।**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खेलों के विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और इनका अध्ययन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी):

(क) से (ग) : खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लक्ष्य से भारतीय खेल प्राधिकरण (भा० खे० प्रा०) द्वारा पहले ही विभिन्न खेल विकास योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं जिनके अन्तर्गत बालक और बालिकाओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्रों को वैज्ञानिक उपस्कर और कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावों को पहले ही आठवीं योजना में शामिल किया गया है ताकि प्रतिभा खोज, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पोषण तथा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर खिलाड़ियों के सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार पर सहायता प्रदान की जा सके।

प्राथमिक विद्यालय

8224. **श्री सैयद साहाबुद्दीन :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक दो-अध्यापक वाले आदर्श प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम प्रवेश क्षमता कितनी है,

(ख) प्रति एक हजार की जनसंख्या में प्राथमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए औसत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है,

(ग) क्या जिन बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यार्थियों की संख्या एक प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम क्षमता से अधिक है, वहाँ एक से अधिक प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है,

(घ) क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों की पर्याप्त संख्या का होना पहली शर्त है,

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 1991 के मध्य तक की जनसंख्या के लिए अनुमानित कितने आदर्श प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी, और

(च) शैक्षिक सत्र 1991–92 के लिए देश में प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) प्राथमिक शिक्षा स्तर पर स्वीकृत शिक्षक-शिष्य अनुपात 1:40 की सिफारशें की गई हैं ।

(ख) 6 से 11 आयु वर्ग में बच्चों की अनुमानित औसत संख्या 116 प्रति हजार है ।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई कार्य योजना में यह सिफारिश की गई है, कि 300 लोगों वाली (जनजातीय, पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 200 लोगों की संख्या वाली) बस्तियों में एक किलोमीटर की दूरी के भीतर एक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराया जाये । ऐसा अनुमान है कि इन मानदण्डों को पूरा करने के लिए 35000 प्राथमिक स्कूल खोले जाने चाहिए । सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, राज्यों को प्राथमिक स्कूल खोलने या औपचारिक शिक्षा प्राप्त न कर सकने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ।

(च) वर्ष 1990–91 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकडों के अनुसार देश में लगभग 558392 प्राथमिक स्कूल हैं ।

मादक पेयों में हानिकारक मिश्रण

8225. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी/उर्वरक/रसायन फैक्ट्रियों से प्राप्त उन उपोत्पाद कार्बन डाइ-ऑक्साइड में हानिकारक मिश्रण होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसे पेय पदार्थों में प्रयोग करने/पेय तैयार करने विशेषकर सोडा में प्रयोग करने हेतु बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं जिससे पेय पदार्थों में हानिकारक मिश्रण के स्तर पर निगरानी रखी जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ)

(क) और (ख) : ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिससे सोडा/पेय पदार्थों को तैयार करने में चीनी उर्वरक फैक्टरियों से प्राप्त उप-उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल पर इस आधार

पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया गया है कि ऐसे कार्बन डाइआक्साइड में हानिकारक अशुद्धताएं होती हैं।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन कार्बोनेटिड पानी के मानक निर्धारित किए गए हैं। ऐसे पेय पदार्थों की गुणवत्ता का अनुवीक्षण फल उत्पाद आदेश, 1955 के अधीन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन किया जाता है। निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने पर आदेशों/नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आपातकालीन सेवाएं

8226. **श्री सूर्यनारायण यादव :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आपातकालीन सेवा बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधालयों के नाम क्या हैं जहां ये सेवाएं बन्द कर दी गई हैं; और

(ग) उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ)

(क) दक्षिण दिल्ली में तेरह औषधालयों में केवल दोपहर बाद की सीमित सेवाएं बंद की गई हैं तथा उन्हें सभी आपातकालीन सेवाओं हेतु उनके कार्यरत औषधालयों के साथ संबद्ध कर दिया गया है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) यह परिवर्तन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की संशोधित समय-सारणी के कारण किया गया।

विवरण

औषधालयों जहां अपराह्न सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं	कार्यरत औषधालय
1. हौज खास	किदवई नगर
2. —	लक्ष्मीबाई नगर
3. एक्स, वाई ब्लॉक, सरोजनी नगर, नौरोजी नगर	सरोजिनी नगर मार्किट
4. सादिक नगर	एम्बेसी गंज

5. जंगपुरा	लाजपत नगर
6. कस्तूरबा नगर - II	कस्तूरबा नगर
7. कालकाजी (डी.डी.ए. फ्लैट्स-II)	कालकाजी-I
8. मालवीय नगर, पुष्प विहार (दक्षिणपुरी)	एम० बी० रोड०
9. —	श्रीनिवास पुरी
10. सरोजिनी नगर II (एल ब्लाक)	नेताजी नगर
11. आर के पुरम (सैक्टर ×III) आर के पुरम III (सैक्टर VI) आर के पुरम VI (सैक्टर III) आर के पुरम II (सैक्टर II) मुनीरका	आर के पुरम-I (सैक्टर IV में)
12. आर के पुरम V (सैक्टर XII)	आर के पुरम IV (सैक्टर VIII)
13. नानक पुरा	मोती बाग I

[हिन्दी]

नशीली औषधियों के सेवन की लत छुड़ाने वाले केन्द्र

8227. **श्री श्री कान्त जेना :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री कांशी राम राणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में नशीली औषधियों के सेवन की लत छुड़ाने वाले केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को वित्तीय सहायता की कितनी धन राशि दिये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा-देवी सिद्धार्थ):

(क) उपचार, परामर्श, शिक्षा और उत्तरवर्ती परिचर्या के प्रयोजनों के लिए नशीली औषधों की लत छुड़ाने वाले केन्द्रों को स्थापना करना केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय का कार्य है ।

इन मंत्रालयों द्वारा खोले गए केन्द्रों के बारे में राज्यवार सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना आवंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त	कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त			
			परामर्श केन्द्र	नशा मुक्ति केन्द्र	उत्तरवर्ती परिचर्या केन्द्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	2	—	—	2
2.	असम	—	1	—	—	1
3.	बिहार	—	10	3	—	13
4.	गोवा	—	3	—	1	4
5.	गुजरात	—	6	4	—	10
6.	हरियाणा	—	9	7	—	16
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	1	—	1
8.	कर्नाटक	—	2	1	—	3
9.	केरल	—	7	4	—	11
10.	मध्य प्रदेश	—	3	2	—	5
11.	महाराष्ट्र	1	14	4	3	22
12.	मणिपुर	6	8	8	1	23
13.	मेघालय	—	1	—	—	1
14.	मिजोरम	—	5	3	1	9
15.	नागालैंड	—	3	1	1	5
16.	उड़ीसा	—	3	3	—	6

1	2	3	4	5	6	7
17.	पंजाब	—	6	2	—	8
18.	राजस्थान	—	9	3	1	13
19.	सिक्किम	—	1	—	—	1
20.	तमिलनाडु	—	8	3	1	12
21.	त्रिपुरा	—	2	1	—	3
22.	उत्तर प्रदेश	—	17	11	—	28
23.	पश्चिम बंगाल	1	9	5	—	15
		8	129	56	9	212
(ख)	संघ राज्य क्षेत्र					
	1. चंडीगढ़	1	1	—	—	2
	2. दिल्ली	3	14	6	2	25
	3. पांडिचेरी	1	2	—	—	3
		5	17	6	2	30
	कुल योग :	13	146	72	11	242

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स के उपचार की व्यवस्था न होना

8228. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स के उपचार की व्यवस्था न होने के बारे में 3 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1940 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ)

(क) से (ग) समिति की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। आशा है कि समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट मई, 1992 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।

दक्षिण रेलवे में स्पोर्टस कोटा

8229. **श्री जी० माडे गौडा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में डिवीजन स्तर पर स्पोर्टस और स्काउट कोटा के पद भर लिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी] **राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर में निदेशक का पद**

8230 **श्री दाउ दयाल जोशी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर में पूर्णकालिक निदेशक का पद रिक्त पड़ा है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ)

(क) से (ग) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के निदेशक का पद उस पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति के अधिवर्षिता वय प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप 1-12-1991 से रिक्त हुआ था यह पद 18-1-1992 को अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापित किया जा चुका है और भर्ती प्रक्रिया चल रही है ।

[अनुवाद] **क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी पाठ्यक्रम**

8231. **श्री भू० विजय कुमार राजू :**

श्री पी०जी० नारायणन :

श्री आर० रामास्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के कर्मचारियों की स्थिति की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सभी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम शुरु करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के स्टाफ निरीक्षण एकक ने वर्ष 1972 में, स्टाफ की स्थिति की जाँच की और 55 पदों की सिफारिश की । बाद में, इन पदों को संस्वीकृत कर दिया गया था । शिक्षा विभाग के आन्तरिक कार्य-अध्ययन एकक ने वर्ष 1979 में स्टाफ स्थिति की जाँच की और 34 अतिरिक्त पदों की सिफारिश की जिसमें से 26 पद संस्वीकृत किए गए थे और शेष 8 पद, व्यय में बचत करने के लिए अस्थगित रखे गए थे ।

(ग) से (ङ) : वर्ष 1987 में हिन्दी संस्थाओं के कार्य और हिन्दी प्रोन्नति योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, मंत्रालय द्वारा गठित हिन्दी शिक्षा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सिफारिश की थी । तमिल, मलयालम और बंगला में हिन्दी-पत्राचार पाठ्यक्रम पहले से ही प्रारम्भ कर दिए गए हैं। संसाधन की कठिनाई के कारण, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किए जा सके ।

[हिन्दी] **चीनी का उत्पादन**

8232. **श्री सुकदेव पासवान** :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है -

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के बावजूद चीनी उद्योग की वित्तीय स्थिति असंतोषजनक है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) चीनी उद्योग की वित्तीय स्थिति प्रत्येक फैक्ट्री में अलग-अलग होती है और यह यथा उपलब्धता, तकनीकी एवं प्रबंधकीय दक्षता, प्लांट एवं मशीनरी के आकार, स्थिति एवं अवस्था तथा कुछ अन्य कारकों पर निर्भर करती है ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनियमितताएं

8233. **श्री मुहीराम सैकिया :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ संसद सदस्यों ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन में हाल के मामलों/अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) और (ख) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दाखिले और कार्मिक प्रशासन के मामले के संबंध में कुछ माननीय सांसदों के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) उच्च स्तर की जांच की कोई अनिवार्यता नहीं बताई गई है। ऐसे फोरम विद्यमान हैं जिनमें ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र को सक्रिय बनाया गया है और संगठन तथा इसके शासी बोर्ड में कम से कम छः कर्मचारियों के संघों के प्रधानों को नामजद किया गया है। सरकार कर्मचारियों के साथ किसी भी वाजिब शिकायत पर विचार विमर्श करने के लिए हमेशा इच्छुक रहती है ताकि उचित समाधान निकाला जा सके।

राजाराम मोहन राय का समाधि चिन्ह

8234. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनम :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में ब्रिस्टल के निकट कब्रिस्तान में राजाराम मोहन राय की समाधि के ऊपर बने समाधि चिन्ह को सम्बद्ध प्रशासन ने हटाने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार इस समाधि चिन्ह को नष्ट होने से बचाने तथा इसका नवीकरण करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार को यह सूचित किया गया है कि समाधि चिन्ह हटाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने एनटैक (ब्रिटेन) न्यास से इस समाधि चिन्ह के नवीकरण एवं मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरु करने का अनुरोध किया है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें

8235 **श्री के० एच० मूनियप्पा :**

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री पी० सी० थामस :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतीय खाद्य निगम को 28 मार्च, 1992 को अपने कर्मचारियों का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(घ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई):

(क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उनके पास दिनांक 27 मार्च, 1992 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) अभ्यावेदन में विभिन्न मुद्दे उठाये गए हैं, जैसे भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा क्रय केन्द्रों/डिपुओं के दौरे, कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संदंघ औद्योगिक संबंधों में क्षोभ के कारणों को समाप्त करना/न्यायालयों के निर्णयों/श्रम न्यायालयों के पंचाटों को कार्यान्वित न करना, सतर्कता संबंधी मामलों का 5–7 वर्षों बक लम्बित रहना, यूनियन के पदधारियों/सक्रिय कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्यपूर्ण स्थानान्तरण, धान की कुटाई न होना, पेंशन का भुगतान, श्रेणी–2 के कर्मचारियों को औद्योगिक मंहगाई भत्ते के पैटर्न पर मजदूरी का भुगतान, भारतीय खाद्य निगम के बिक्री केन्द्रों के जरिये छोटे पैकेटों में खाद्यानों का लितरण, विशेष ड्यूटी भत्ते के भुगतान में भंदभाव, भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड की पुनसंरचना और कार्यकारी निदेशकों आदि की नियुक्ति।

(ग) उक्त अभ्यावेदन में मांग की गई है कि दुर्भावपूर्ण स्थानान्तरणों सहित उत्पीड़न को समाप्त किया जाना चाहिए और की जाने वाली प्रस्तावित दण्डनीय कार्रवाई वापस ली जाए, मांगों को तय करने के लिए उद्देश्यपूर्ण बातचीत की जाए और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड की पुनर्संरचना की जानी चाहिए।

(घ) भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर पहले से विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन

8236. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा कितनी चीनी के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और चालू वर्ष के दौरान अब तक अनुमानतः कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या पुरानी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) :

(क) चीनी उत्पादन के राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। चालू चीनी मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश में 31-3-92 तक चीनी का कुल उत्पादन 24.53 लाख टन (अनंतिम) हो गया था।

(ख) और (ग) सरकार ने पुरानी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए किसी योजना की घोषणा नहीं की है। तथापि चीनी मिलों की आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन योजनाओं, जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन की संबद्ध योजनाओं के तहत सहायता के लिए अनुमोदित की गई हों, के लिए प्रवर्तकों के अंशदान में पड़ने वाली कमी को पूरा करने हेतु चीनी विकास निधि से उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

भगवान जगन्नाथ मन्दिर

8237. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में आई ताजा दरारों के कारण इसको खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी नवीनतम स्थिति क्या है और इसके उचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मन्दिर के रख-रखाव तथा मरम्मत कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) और (ख) भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी के विमान का पलस्तर उतारते समय कुछ पुरानी दरारें दिखाई दी हैं। तथापि, इन दरारों से इमारत को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है।

जगन्नाथ मंदिर पुरी के उचित संरक्षण हेतु जो कदम उठाए गए हैं वे हैं :—

(i) मुख्य मन्दिर की सतह से एक्रीशनरी पलस्तर को हटाना, ताकि मूर्तियों वाली सतह तथा दरारों को, यदि कोई हो तो, प्रकाश में लाया जा सके।

(ii) टूटे हुए/क्षतिग्रस्त पत्थरों के स्थान पर नए पत्थरों को लगाना तथा इमारत को सुदृढ़ करना।

(iii) जंग लगे हुए लोहे के शिकंजों/मेखों के स्थान पर बिना जंग लगे शिकंजे/मेख लगाना।

(iv) इमारत में दरकों/दरारों की एपोक्सी रेजिन से पिलाई करना।

(v) उघड़ी सतह का रासायनिक उपचार और संरक्षण करना।

(ग) पिछले तीन वर्षों में हुआ व्यय निम्नानुसार है :—

1989–90	रु० 3,83,180.00
1990–91	रु० 4,69,363.00
1991–92	रु० 6,11,169.00

[हिन्दी]

लखनऊ से उन्नाव तक दोहरी रेल लाइन

5238. श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लखनऊ से उन्नाव तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) से (ग) लखनऊ से उन्नाव तक ब० ला० के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसके 1992-93 के दौरान पूरा होने तथा यातायात के लिए खोल दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

बाय- पास सर्जरी

8239. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हृदय रोग के उपचार हेतु बाय-पास सर्जरी के लिए भारत से प्रतिवर्ष कितने रोगी अमरीका गये ; और

(ख) भारत सरकार ने उन्हें उपर्युक्त अवधि के दौरान, वर्ष-वार, कितनी विदेशी मुद्रा दी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ):

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में नारियल जटा उद्योगों के लिए माल-डिब्बे

8240. **श्री थाइल नाल अंबलोज :**

क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अलेप्पी में नारियल जटा उद्योग माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) वहां पर नारियल जटा उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुनन) : (क) जी, नही ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मांग को नियमित रूप से पूरा किया जा रहा है । जनवरी, 1992 से अप्रैल 1992 दौरान (19-4-92 तक) अलेप्पी से 231 माल डिब्बों का लदान किया गया था और 19-4-92 को कोई मांग पत्र बकाया नहीं था ।

कन्डोम का आयात

8241. **श्री सोमजी भाई डामोर :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्बाध रूप से रबड़ कन्डोम का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो कन्डोम के आयात को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

नर्सरी शिक्षक डिप्लोमा को मान्यता

8242. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघशासित क्षेत्र दिल्ली और चन्डीगढ़ में राजा राम मोहन राय एज्यूकेशन (रजिस्टर्ड) द्वारा नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण में चलाये जा रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रम को रोजगार के लिए केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सरकारों ने ही मान्यता दी हुई है और दिल्ली प्रशासन ने इसे अभी तक मान्यता नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क से ख) जहां तक दिल्ली प्रशासन का सम्बन्ध है, राजा राम मोहन राय शिक्षा (पंजीकृत) ने अपने नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए दिल्ली प्रशासन से संपर्क किया है । तथापि मान्यता प्रदान किए जाने से पूर्व अनिवार्यता प्रमाण-पत्र लेना वांछनीय होता है, जिसके लिए राजा राम मोहन राय शिक्षा (पंजीकृत) ने दिल्ली प्रशासन के पास आवेदन नहीं किया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा सूखा-प्रवण क्षेत्र परियोजनाओं के क्षेत्रों के आस पास-अन्न भंडार

8243. **श्री के० प्रधानी**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित आदिवासी विकास परियोजना तथा सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पर्याप्त खाद्य भंडार एकत्रित किए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन स्थानों को शीघ्र खाद्यान्न भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :

(क और ख) : अधिशेष क्षेत्रों से नियमित रूप से संचलन कर पर्याप्त स्टाक का अनुरक्षण करना भारतीय खाद्य निगम की एक निरन्तर प्रक्रिया है । भारतीय खाद्य निगम अपने डिपुओं से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को स्टाक को सुपुर्दगियां करता है । राज्य/संघ शासित प्रदेश तदुपरान्त समन्वित आदवासी विकास परियोजना और सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन कवर किए गए क्षेत्रों सहित राज्य के अन्दर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करते हैं ।

दोपहर के भोजन की योजना

8244. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम** :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में फिलहाल दोपहर के भोजन की योजना चल रही है ।

(ख) 1991-92 के दौरान उक्त कार्यक्रम पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस योजना के लिए विभिन्न राज्यों को धनराशि तथा सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) और (ख) : विभिन्न राज्यों में राज्य योजनाओं के तहत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों को दर्शाने वाला और साथ ही कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के 199-92 के परिव्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) से (ङ) पूरे देश में प्रारम्भिक स्कूलों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के वास्ते इस समय कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	1991-92 का परिव्यय (लाख रुपए)
1	2	3
1.	गोवा	50.00
2.	गुजरात	5100.90
3.	कर्नाटक	950.00

1	2	3
4.	केरल	175.00
5.	मध्य प्रदेश	1293.00
6.	महाराष्ट्र	518.00
7.	मेघालय	161.00
8.	मिजोरम	115.09
9.	नागालैंड	173.00
10.	उड़ीसा	344.00
11.	सिक्किम	110.00
12.	तमिलनाडु	7010.00
13.	त्रिपुरा	638.00
14.	उत्तर प्रदेश	754.00
15.	पश्चिम बंगाल	2440.00

[हिन्दी]

भवन रहित विद्यालय

8245. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री रामलखन सिंह यादव :

कुमारी विमला वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से स्कूल अब भी उपयुक्त भवनों के बिना चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयुक्त स्कूल भवनों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राज्य वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(घ) उनके निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इस धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) प्राईमरी, अपर प्राईमरी, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के संबंध में स्कूल भवनों को राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ग) स्कूल भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की होती है । तथापि, सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम के तहत प्राईमरी, मिडिल माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए सीमावर्ती राज्यों जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को निधियां जारी की गईं । आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए प्राईमरी स्कूलों के भवन निर्माण के लिए जवाहर रोजगार योजना की स्कीम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को भी निधियां जारी की गईं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल निर्माण के लिए राज्यवार जारी की गई निधियों की सूचना विवरण-2 में दी गई है ।

(घ) और (ङ) निर्माण कार्य की प्रगति का अनुदीक्षण राज्य सरकारों पर निर्भर करता है । तथापि, राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं ।

11—97 LSS/93

विवरण–1

प्राइमरी स्कूलों की संख्या 30 सितम्बर 1986 तक

क्र०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पक्का भवन	अंशत: पक्का भवन	कच्चा भवन	छप्परनुमा	तम्बू	खुला स्थान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	31837	3367	2670	4430	43	2661	45008
2.	अरुणाचल प्रदेश	142	51	144	615	0	0	952
3.	असम	1962	7578	10503	5830	0	0	25873
4.	बिहार	17010	14549	6961	3626	168	9163	51377
5.	गोआ	841	94	22	17	19	0	993
6.	गुजरात	11211	377	827	59	3	232	12709
7.	हरियाणा	4163	326	21	1	0	338	4849
8.	हिमाचल प्रदेश	1725	1202	3843	14	0	120	6904
9.	जम्मू व कश्मीर	2253	1687	3160	103	17	246	7466
10.	कर्नाटक	19454	1418	1566	289	44	252	23023
11.	केरल	4256	1050	528	262	0	0	6096
12.	मध्य प्रदेश	34850	14128	7826	2632	15	4638	64089
13.	महाराष्ट्र	25473	4628	3545	1746	2215	487	38094
14.	मणिपुर	61	479	1371	846	0	0	2757
15.	मेघालय	288	698	1215	1482	9	0	3692
16.	मिजोरम	0	578	355	72	0	0	1005
17.	नागालैंड	79	401	506	145	0	0	1131
18.	उड़ीसा	16566	7939	6065	961	0	2647	34178
19.	पंजाब	10943	842	135	26	0	892	12838
20.	राजस्थान	21972	1900	1812	295	0	2124	28103
21.	सिक्किम	139	147	133	48	0	1	468
22.	तमिलनाडु	23124	3697	693	1671	40	43	29268
23.	त्रिपुरा	69	43	1553	194	0	68	1927
24.	उत्तर प्रदेश	56112	3964	1799	662	14	13013	75564
25.	पश्चिम बंगाल	13551	13579	15432	3461	54	2379	48456

अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पक्का भवन	अंशत. भवन	पक्का कच्चा भवन	छप्पर-नुमा	तम्बू	खुला स्थान	जोड़
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	4161	763	230	122	2	40	5318
2.	अरूणाचल प्रदेश,	75	23	19	65	0	0	182
3.	असम	415	2086	1830	660	0	0	4991
4.	बिहार	4678	5636	1362	300	3	232	12211
5.	गोआ	117	4	2	0	0	0	123
6.	गुजरात	15517	497	137	7	2	32	16192
7.	हरियाणा	1070	67	1	1	0	22	1161
8.	हिमाचल प्रदेश	258	261	451	4	0	46	1020
9.	जम्मू व कश्मीर	929	678	546	6	0	37	2196
10.	कर्नाटक	13522	974	445	9	8	11	14969
11.	केरल	2385	764	278	120	0	0	3547
12.	मध्य प्रदेश	8504	3011	696	147	7	327	12692
13.	महाराष्ट्र	12726	2568	1241	112	205	67	16919
14.	मणिपुर	14	117	262	43	0	0	436
15.	मेघालय	150	224	186	105	0	0	665
16.	मिजोरम	0	295	154	14	0	0	463
17.	नागालैंड	89	82	113	7	0	0	291
18.	उड़ीसा	3655	2651	1752	152	1	60	8271
19.	पंजाब	1334	75	7	1	0	28	1445
20.	राजस्थान	7055	901	208	13	0	157	8334
21.	सिक्किम	59	39	20	3	0	0	121
22.	तमिलनाडु	4416	885	125	234	5	1	5666
23.	त्रिपुरा	11	30	360	16	0	2	419
24.	उत्तर प्रदेश	13187	1671	348	191	31	1907	17335
25.	पश्चिम बंगाल	1553	1014	504	54	2	0	3127

		प्राइमरी स्कूलों की संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	102	14	13	48	0	0	177
27.	चंडीगढ़	40	3	0	0	0	1	44
28.	दादरा व नागर हवेली	77	0	47	0	0	0	124
29.	दमन व दीव	32	0	0	0	0	0	32
30.	दिल्ली	913	888	31	1	5	0	1838
31.	लक्षद्वीव	18	0	0	0	0	0	18
32.	पांडिचेरी	211	19	1	108	0	0	339
	संपूर्ण भारत	299474	85646	72777	29644	2546	39305	529392

अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या

1	2	10	11	12	13	14	15	16
26.	अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	37	3	0	0	0	0	40
27.	चंडीगढ़	30	1	0	0	0	0	31
28.	दादरा व नागर हवेली	36	0	0	0	0	0	36
29.	दमन व दीव	16	0	0	0	0	0	16
30.	दिल्ली	200	114	3	1	48	0	366
31.	लक्षदीप	4	0	0	0	0	0	4
32.	पांडीचेरी	65	5	0	30	0	0	100
संपूर्ण भारत		96268	25439	11280	2417	314	2969	138687

माध्यमिक

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र	पक्का भवन	आंशिक पक्के भवन	कच्चा भवन	छप्पर वाली झोंपड़ियां	टैंट	खुला स्थान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	ग्रामीण	2965	512	87	45	1	22	3632
		शहरी	1053	283	61	4	0	1	1402
		जोड़	4013	795	148	49	1	23	5034
2.	अरूणाचल प्रदेश	ग्रामीण	33	7	4	4	0	0	48
		शहरी	2	0	0	0	0	0	2
		जोड़	35	7	4	4	0	0	50
3.	असम	ग्रामीण	237	938	611	116	0	0	1902
		शहरी	1142	150	31	5	0	0	328
		जोड़	379	1088	642	121	0	0	2230
4.	बिहार	ग्रामीण	1664	1103	92	22	0	15	2896
		शहरी	607	116	3	4	0	0	730
		जोड़	2271	1219	95	20	0	15	3626
5.	गोवा	ग्रामीण	209	19	1	0	0	0	229
		शहरी	53	14	1	0	0	0	68
		जोड़	262	33	2	0	0	0	297
6.	गुजरात	ग्रामीण	2263	194	145	0	0	0	2602
		शहरी	686	10	4	0	0	0	700
		जोड़	2949	204	149	0	0	0	3302
7.	हरियाणा	ग्रामीण	1421	39	0	0	0	13	1473
		शहरी	417	3	0	0	0	6	426
		जोड़	1838	42	0	0	0	19	1899
8.	हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण	254	203	250	2	8	5	714
		शहरी	67	16	4	0	0	0	87
		जोड़	321	219	254	2	0	5	801

उच्चतर माध्यमिक

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र	पक्का भवन	आंशिक पक्के भवन	कच्चा भवन	छप्पर वाली झोंपड़ी	टैन्ट	खुला स्थान	जोड़
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	ग्रामीण	234	20	3	5	1	3	266
		शहरी	265	25	2	0	0	1	294
		जोड़	500	45	5	5	1	4	550
2.	अरूणाचल प्रदेश	ग्रामीण	21	2	0	0	0	0	23
		शहरी	8	0	0	0	0	0	8
		जोड़	29	2	0	0	0	0	31
3.	असम	ग्रामीण	52	196	0	2	0	0	254
		शहरी	57	54	0	0	0	0	111
		जोड़	109	250	4	2	0	0	365
4.	बिहार	ग्रामीण	44	15	0	0	0	0	59
		शहरी	184	10	0	0	0	0	194
		जोड़	228	25	0	0	0	0	253
5.	गोआ	ग्रामीण	11	1	0	0	0	0	12
		शहरी	11	0	0	0	0	0	11
		जोड़	22	1	0	0	0	0	23
6.	गुजरात	ग्रामीण	478	15	2	0	0	0	495
		शहरी	738	9	0	0	0	0	747
		जोड़	1216	24	2	0	0	0	1242
7.	हरियाणा	ग्रामीण	74	0	0	0	0	0	74
		शहरी	103	2	0	0	0	1	106
		जोड़	177	2	0	0	0	1	180
8.	हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण	49	15	5	9	0	0	78
		शहरी	32	7	1	1	0	0	41
		जोड़	81	22	6	10	0	0	119

		प्राथमिक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	जम्मू तथा कश्मीर	ग्रामीण	287	157	99	0	0	0	643
		शहरी	181	18	4	0	0	0	203
		जोड़	568	175	103	0	0	0	846
10.	कर्नाटक	ग्रामीण	1885	200	202	12	8	5	2315
		शहरी	1153	68	34	1	0	1	1257
		जोड़	3041	265	236	13	8	6	3572
11.	केरल	ग्रामीण	1566	281	71	44	0	0	1962
		शहरी	370	25	5	1	0	0	401
		जोड़	1936	306	76	45	0	0	2363
12.	मध्य प्रदेश	ग्रामीण	741	263	58	10	0	25	1097
		शहरी	434	69	5	0	0	0	508
		जोड़	1175	332	63	10	0	25	1605
13.	महाराष्ट्र	ग्रामीण	2825	1047	603	43	55	13	4586
		शहरी	2238	245	107	5	2	4	2601
		जोड़	5063	1292	710	48	57	17	7187
14.	मणिपुर	ग्रामीण	8	80	139	2	0	0	229
		शहरी	24	58	52	0	0	0	134
		जोड़	32	138	191	2	0	0	363
15.	मेघालय	ग्रामीण	53	95	33	17	0	0	198
		शहरी	58	27	4	1	0	0	90
		जोड़	111	122	37	18	0	0	288
16.	मिजोरम	ग्रामीण	0	84	30	2	0	0	116
		शहरी	0	40	4	0	0	0	44
		जोड़	0	124	34	2	0	0	160
17.	नागालैंड	ग्रामीण	44	20	7	0	0	0	71
		शहरी	16	3	5	0	0	0	24
		जोड़	60	23	12	0	0	0	95
18.	उड़ीसा	ग्रामीण	1707	1047	582	97	0	8	3441
		शहरी	457	46	9	0	0	2	514
		जोड़	2164	1093	591	97	0	10	3955

		उच्चतर माध्यमिक						
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
9.	जम्मू व कश्मीर	ग्रामीण	65	15	1	3	0	0	84
		शहरी	92	4	0	0	0	0	96
		जोड़	157	19	1	3	0	0	180
10.	कर्नाटक	ग्रामीण	416	13	7	8	0	0	444
		शहरी	469	8	2	4	0	2	455
		जोड़	885	21	9	12	0	2	929
11.	केरल	ग्रामीण	53	3	1	0	0	0	62
		शहरी	22	0	0	0	0	0	22
		जोड़	80	3	1	0	0	0	84
12.	मध्य प्रदेश	ग्रामीण	596	174	10	7	2	6	795
		शहरी	943	71	2	0	0	0	1016
		जोड़	1539	245	12	7	2	6	1811
13.	महाराष्ट्र	ग्रामीण	584	80	12	5	0	1	682
		शहरी	574	120	3	2	0	1	700
		जोड़	1158	200	15	7	0	2	1382
14.	मणिपुर	ग्रामीण	0	1	0	0	0	0	1
		शहरी	2	5	2	0	0	0	9
		जोड़	2	6	2	0	0	0	10
15.	मेघालय	ग्रामीण	1	1	0	0	0	0	2
		शहरी	0	0	0	0	0	0	0
		जोड़	1	1	0	0	0	0	2
16.	मिजोरम	ग्रामीण	0	0	0	0	0	0	0
		शहरी	0	0	0	0	0	0	0
		जोड़	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	ग्रामीण	0	0	0	0	0	0	0
		शहरी	0	0	0	0	0	0	0
		जोड़	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	ग्रामीण	4	0	0	0	0	0	4
		शहरी	11	0	0	0	0	0	11
		जोड़	15	0	0	0	0	0	15

		माध्यमिक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	पंजाब	ग्रामीण	1679	57	7	4	0	24	1771
		शहरी	468	7	0	0	0	1	476
		जोड़	2147	64	7	4	0	25	2247
20.	राजस्थान	ग्रामीण	1663	112	11	0	0	0	1786
		शहरी	414	2	1	0	0	0	417
		जोड़	2077	114	12	0	0	0	2203
21.	सिक्किम	ग्रामीण	35	15	2	0	0	0	52
		शहरी	3	0	0	0	0	0	3
		जोड़	38	15	2	0	0	0	55
22.	तमिलनाडु	ग्रामीण	1224	432	68	129	6	11	1870
		शहरी	604	185	10	19	0	0	818
		जोड़	1825	617	78	148	6	11	2688
23.	त्रिपुरा	ग्रामीण	58	20	174	6	0	0	258
		शहरी	13	4	5	0	0	0	22
		जोड़	71	24	179	6	0	0	280
24.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	1632	168	19	4	1	9	1833
		शहरी	634	16	1	0	0	1	652
		जोड़	2266	184	20	4	1	10	2485
25.	पश्चिम बंगाल	ग्रामीण	2088	727	200	12	1	0	3028
		शहरी	1280	169	6	0	0	0	1455
		जोड़	3368	896	206	12	1	0	4483
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	ग्रामीण	16	3	0	0	0	0	19
		शहरी	4	0	0	0	0	0	4
		जोड़	20	3	0	0	0	0	23
27.	चंडीगढ़	ग्रामीण	7	0	0	0	0	0	7
		शहरी	63	1	0	0	0	0	64
		जोड़	70	1	0	0	0	0	71
28.	दादरा व नागर हवेली	ग्रामीण	4	0	0	0	0	0	4
		शहरी	0	0	0	0	0	0	0
		जोड़	4	0	0	0	0	0	4

			उच्चतर माध्यमिक						
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
19.	पंजाब	ग्रामीण	92	0	0	0	0	0	92
		शहर	185	5	0	0	0	1	191
		जोड़	277	5	0	0	0	1	283
20.	राजस्थान	ग्रामीण	381	9	0	0	0	0	390
		शहरी	526	22	0	0	0	0	548
		जोड़	907	31	0	0	0	0	938
21.	सिक्किम	ग्रामीण	8	1	0	0	0	0	9
		शहरी	4	0	0	0	0	0	4
		जोड़	12	1	0	0	0	0	13
22.	तमिलनाडु	ग्रामीण	585	115	23	5	1	4	733
		शहरी	817	115	9	1	1	3	946
		जोड़	1402	230	32	6	2	7	1679
23.	त्रिपुरा	ग्रामीण	52	4	0	4	0	0	60
		शहरी	39	0	0	1	0	0	40
		जोड़	91	4	0	5	0	0	100
24.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	1687	138	2	10	0	0	1837
		शहरी	1515	21	0	0	0	0	1536
		जोड़	3202	159	2	10	0	0	3373
25.	पश्चिम बंगाल	ग्रामीण	542	37	0	0	0	0	579
		शहरी	571	11	0	1	0	0	583
		जोड़	1113	48	0	1	0	0	1162
26.	अंडमान व	ग्रामीण	17	1	0	0	0	0	18
	निकोबार द्वीप	शहरी	8	1	0	0	0	0	9
	समूह	जोड़	25	2	0	0	0	0	27
27.	चंडीगढ़	ग्रामीण	1	0	0	0	0	0	1
		शहरी	11	0	0	0	0	0	11
		जोड़	12	0	0	0	0	0	12
28.	दादरा तथा	ग्रामीण	2	0	0	0	0	0	2
	नागर हवेली	शहरी	1	0	0	0	0	0	1
		जोड़	3	0	0	0	0	0	3

					माध्यमिक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	दमन व दीव	ग्रामीण	8	0	0	0	0	0	8
		शहरी	7	0	0	0	0	0	7
		जोड़	15	0	0	0	0	0	15
30.	दिल्ली	ग्रामीण	16	12	0	1	7	0	36
		शहरी	146	58	1	0	18	0	223
		जोड़	162	70	1	1	25	0	259
31.	लक्षदीप	ग्रामीण	6	0	0	0	0	0	6
		शहरी	3	0	0	0	0	0	3
		जोड़	9	0	0	0	0	0	9
32.	पांडीचेरी	ग्रामीण	23	1	0	6	0	0	30
		शहरी	32	1	0	2	0	0	35
		जोड़	55	2	0	8	0	0	65
	भारत	ग्रामीण	26724	7336	3495	578	79	150	38862
		शहरी	11629	1634	357	42	20	16	13698
		जोड़	38353	9470	3852	620	99	166	52560

		माध्यमिक उच्चतर						
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
29.	दमन व दीव	ग्रामीण	0	0	0	0	0	0	0
		शहरी	2	0	0	0	0	0	2
		जोड़	2	0	0	0	0	0	2
30.	दिल्ली	ग्रामीण	57	14	0	0	1	0	72
		शहरी	498	77	0	1	15	0	591
		जोड़	555	91	0	1	16	0	663
31.	लक्षदीप	ग्रामीण	1	0	0	0	0	0	1
		शहरी	1	0	0	0	0	0	1
		जोड़	2	0	0	0	0	0	2
32.	पांडिचेरी	ग्रामीण	7	0	0	0	0	0	7
		शहरी	15	0	0	0	0	0	15
		जोड़	22	0	0	0	0	0	22
	भारत	ग्रामीण	6119	870	70	58	5	14	7136
		शहरी	7705	567	21	11	16	9	8329
		जोड़	13824	1437	91	69	23	23	15465

विवरण–2

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्कूल भवनों के निर्माण के लिए मुक्त की गई राशि (1989–90 से 1991–92) (लाख रु० में)		
		जवाहर रोजगार योजना	सीमावर्ती क्षेत्र विकास शिक्षा कार्यक्रम	कुल
1	2	3	4	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	578.19	—	578.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.25	—	11.25
3.	असम	23.76	—	23.76
4.	गुजरात	450.78	592.90	1043.68
5.	हरियाणा	138.72	—	138.72
6.	हिमाचल प्रदेश	135.93	—	135.93
7.	जम्मू और काश्मीर	823.20	2373.90	3197.10
8.	कर्नाटक	1122.82	—	1122.82
9.	मध्य प्रदेश	1384.50	—	1384.50
10.	मेघालय	60.00	—	60.00
11.	मिजोरम	15.60	—	15.60
12.	उड़ीसा	360.00	—	360.00
13.	पंजाब	635.35	1104.84	1740.19
14.	राजस्थान	976.87	1171.20	2148.07
15.	त्रिपुरा	33.69	—	33.69
16.	पश्चिम बंगाल	461.52	—	461.52
17.	पांडिचेरी	95.87	—	95.87

[अनुवाद]

औषधियों का आयात

8246. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान किन-किन औषधियों का आयात किया गया;

(ख) क्या इन औषधियों का उन देशों में प्रयोग किया जाता है जहां से उनका आयात किया गया है;

(ग) क्या मानव स्वास्थ्य पर उन औषधियों के दुष्प्रभावों के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उन औषधियों का आयात करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) और (ख) वर्ष 1990–91 के दौरान लगभग 15442 प्रवेशपत्रों के अन्तर्गत आने वाली लगभग 450 बल्क औषधों और 100 फार्मूलेशनों का आयात किया गया था। भारत के विपणन के लिए स्वीकृत औषधों को ही आयात करने की अनुमति है।

(ग) और (घ) : चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा हानिकारक मानी गई औषधों को आयात करने की अनुमति नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

8247. **कुमारी विमला वर्मा :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1992–93 के दौरान विभिन्न राज्यों में कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में भी कार्यान्वित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को इस संबंध में आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) और (घ) विभिन्न राज्यों में कोई नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की अधिकांश

मौजूदा स्कीमें जारी रखने का प्रस्ताव है जिनमें मध्य प्रदेश राज्य में चल रही स्कीमें भी शामिल हैं ।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य को विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 1992-93 के कुल आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

[हिन्दी]

गांवों में परिवार नियोजन सुविधाएं

8248. **श्री यशवन्त राव पाटिल :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सुदूर गांवों में परिवार नियोजन सुविधाएं उपलब्ध हैं: और

(ख) यदि नहीं, तो इन गांवों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तरादेवी सिद्धार्थ) :

(क) और (ख) उप-केन्द्रों के जरिए देश के पिछड़े गांवों में परिवार नियोजन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । उप-केन्द्र सामान्यतः मैदानी इलाकों में 5,000 और जनजातीय और पहाड़ी इलाकों में 3,000 की जनसंख्या पर खोले जाते हैं ।

उप-केन्द्र परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन के लिए प्रेरणा, परम्परागत गर्भनिरोधकों का वितरण, विटामिन "ए" की कमी और रक्ताल्पतता के विरुद्ध रोग निवारण सेवाएं शामिल हैं । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में 1,31,385 उप-केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

उप-केन्द्रों के अलावा, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र परिवार नियोजन सेवाएं भी प्रदान करते हैं । ये केन्द्र खंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक अभिन्न अंग होते हैं । समूचे देश में 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र हैं । इन केन्द्रों को बुनियादी स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके विस्तृत कार्यों में इस कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन, मानिटरिंग, आपूर्ति की व्यवस्था, संभार-तंत्र और प्रशासन शामिल हैं ।

[अनुवाद]

रोगियों के संबंधियों के लिए विश्रामगृह

8249. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपचार के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों के विख्यात संबंधित अस्पतालों में आने वाले बाहरी रोगियों के संबंधियों के उपयोग के लिए विश्रामगृह बनाने के लिए सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) और (ख) : बाहर से आने वाले रोगियों और उनके संबंधियों के ठहरने की सुविधाएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरण बाल अस्पताल में मौजूद हैं ।

रोटरी इंटरनेशनल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए एक अन्य विश्रामगृह के लिए एक परियोजना/विचार प्रस्तुत किया है । दिल्ली प्रशासन का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोबिन्द बल्लभ पंत अस्पताल और गुरु तेगबहादुर अस्पताल में धर्मशालाओं का निर्माण करने का विचार है ।

(हिन्दी)

प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन

8250. **कुमारी उमा भारती :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

(ख) क्या सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के कालेजों में इन छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखने के लिए कुछ प्रबंध किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) छात्रवृत्ति की योजनाओं के अलावा, नवोदय विद्यालय की योजना को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए तैयार किया गया है और 75% सीट ग्रामीण प्राथमिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेने वाले बच्चों के लिए आरक्षित हैं ।

(ख) और (ग) : मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए भारत सरकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

8251. **श्री लाल बाबू राय :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जोन-वार कितने व्यक्तियों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की गई और नियुक्ति के लिए कितने मामले अभी भी लंबित हैं; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों की शीघ्र नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल स्टेडियम

8252. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने तथा किन-किन स्थानों पर खेल स्टेडियम विद्यमान हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे और स्टेडियमों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) :

(क) खेल राज्य का विषय है। राज्य सरकारों का मुख्य उत्तरदायित्व अपने राज्यों में राष्ट्र-स्तरीय खेल स्टेडियमों सहित खेल सुविधाओं का सृजन करना है। केन्द्रीय सरकार "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान की योजना" के अंतर्गत कुछ निर्धारित सीमा में वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों का संवर्धन करती है। अतः देश में उपलब्ध

राष्ट्रीय खेल स्टेडियमों की संख्या दर्शाना संभव नहीं होगा; तथापि केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/राष्ट्र स्तर के स्टेडियमों के निर्माण हेतु 126 स्टेडियमों के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग) : भाग (क) में उल्लिखित स्थिति के प्रसंग में, केन्द्रीय सरकार की आंशिक सहायता सहित आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय स्टेडियमों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाएं

8253. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की किन परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था लेकिन उनका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका;

(ख) ये परियोजनाएं इस समय किस चरण में हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है और उन पर अनुमानत: कितना खर्च आयेगा; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में किन रेल परियोजनाओं को शुरू करने का विचार है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) से (घ) सातवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में शुरू की गई 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बड़ी परियोजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति	पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
1.	सतना-रीवा नई लाइन (50 कि० मी०)	35 करोड़ रु०	75% काम पूरा कर लिया गया है	मार्च 1993.

1	2	3	4	5
2.	गुना-इटावा नई लाइन (340 कि० मी०)	256 करोड़ रु०	36% काम पूरा कर लिया गया है	लक्ष्य तिथि संसाधनों की उपलब्धत. पर निर्भर करेगी।
3.	गोधरा-दाहोद-इन्दौर और देवास-मकसी नई लाइन (316 कि० मी०)	297.14 करोड़ रुपये	15% काम पूरा कर लिया गया है	लक्ष्य तिथि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
4.	ग्वालियर - कायल स्प्रिग के निर्माण संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था	55.54 करोड़ रुपये	संयंत्र चालू कर दिया गया है।	अवशिष्ट कार्यों के लिए 31-3-1993
5.	रायपुर-भविष्य में 100 रेल इंजन खड़े करने की क्षमता के विस्तार सहित 60 रेल इंजनों वाला नया डीजल शेड	22.09 करोड़ रुपये	अनुमानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	31-3-1994

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 1992-93 अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए निम्नलिखित बड़ा निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है :

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
मकसी-बेरागढ़	56.87 करोड़ रुपये
38.81 कि० मी० का दोहरीकरण	

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों को दवाईयों की आपूर्ति

8254. श्री भूपेन्द्रसिंह हुड्डा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों/डिस्पेंसरियों को कुछ दवाइयों की आपूर्ति निजी निर्माताओं द्वारा की जाती है यद्यपि ये दवाईयां इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन दवाईयों को इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स से न खरीदे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राइवेट कम्पनियों से खरीदी गई दवाईयों के नाम, उनकी मात्रा तथा मूल्य क्या हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है कि दवाईयां निजी निर्माताओं की बजाए अनिवार्य रूप से आई० डी० पी० एल० से खरीदी जाएं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) से (घ) उन औषधों को, जो केवल इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सहित सार्वजनिक उपक्रमों से खरीदी जाने के लिए निर्धारित की गई हैं, उनसे मेडिकल स्टोर संगठन द्वारा खरीदा जाता है जो सरकारी अस्पतालों/औषधालयों को औषधें सप्लाई करता है। अन्य औषधें मेडिकल स्टोर संगठन द्वारा प्रतियोगी दर के आधार पर खरीदी जाती हैं। तथापि, खरीददारी करते समय 10 प्रतिशत तक के मूल्य/खरीद की तरजीह इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को दी जाती है।

भर्ती के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेश

8255. श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों की भर्ती और पदोन्नति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में अपनाई जा रही पदोन्नति संबंधी नीति का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने संबंधित राज्यों में ऐसी भर्तियों पर प्रतिबंध लगाने, रोकने अथवा निष्प्रभावित करने हेतु कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (घ) : भारत सरकार द्वारा जून, 1987 में घोषित विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों के लिए संशोधित वेतनमानों की योजना और उच्च शिक्षा के स्तरों के रख-रखाव के अन्य उपायों में यह व्यवस्था है कि लेक्चररों, रीडरों और प्रोफेसरों के पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यताएं वही होगीं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की

जायेंगी। इस योजना में लेक्चररों की आजीविका तरक्की और तत्संबंधी पात्रता शर्तों के लिए भी प्रावधान है। उपलब्ध सूचनानुसार, सभी राज्य सरकारों ने सामान्य तौर पर योजना को स्वीकार कर लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनानुसार, आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रत्येक नियुक्ति और पदोन्नति का अनुवीक्षण नहीं करता। तथापि, जब कभी भी निर्धारित मानदण्डों में विचलन के मामले ध्यान में आते हैं, वे यथाशीघ्र संबंधित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेज दिए जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में कम्प्यूटर शिक्षा

8256. श्री बीर सिंह महतो :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कम्प्यूटर शिक्षा और अध्ययन कार्यक्रम के लिए चुने गए स्कूलों की संख्या कितनी है, और

(ख) इस संबंध में अब तक की उपलब्धि क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) अभी तक पश्चिम बंगाल के लिए 228 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।

(ख) 209 स्कूलों में 745 कम्प्यूटर लगाए गए हैं और इन स्कूलों में कम्प्यूटरों के रहस्योद्घाटन की योजना तथा व्यावहारिक अनुभव के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं पर अत्याचार रोकने हेतु शिक्षण कार्यक्रम

8257. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं पर अत्याचार रोकने हेतु जनता को शिक्षित करने के लिए कोई राज्य-वार कार्यक्रम शुरू किया गया;

(ख) क्या 1990-91 के दौरान इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी)

(क) से (ग) : महिलाओं के प्रति अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्यों हेतु विभाग स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की एक योजना चला रहा है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा कार्य की विभिन्न मदों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जैसे-प्रचार सामग्री का उत्पादन, महिलाओं के प्रति अत्याचारों/दुर्व्यवहार के विशेष पहलुओं का अध्ययन, सर्वेक्षण, श्रेष्ठ फिल्मों के लिए पुरस्कार, लघु कथाएं, कविताएं तथा अन्य सृजनात्मक प्रयास, इस योजना के अन्तर्गत सहायता राज्यवार आधार पर नहीं दी जाती।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-एक की सिफारिशें

8258. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए गठित राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-दो की सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं,

(ख) क्या राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-एक द्वारा की गई सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों को निकट भविष्य में लागू करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक लागू किया जायेगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-II की रिपोर्ट के अध्याय VIII में की गई मुख्य सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है।

(ख) से (ङ) चट्टोपाध्याय आयोग (एन०सी०टी०-I) ने कुल 138 सिफारिशें की थीं, इनमें से कुछ सामान्य टिप्पणियां थीं, जिन पर सरकार ने उचित ध्यान दिया है। कुछ अन्य सिफारिशें विशेष प्रकृति की थीं, इनकी जांच की गई है और यथासंभव इन पर कार्यवाही की गई है, और वहां भी इन्हें सम्पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सका, लिए गए निर्णयों में इन सिफारिशों को घटक के रूप में लिया गया है, जैसे शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों के मामले में। सिफारिश का तीसरा वर्ग राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके अन्तर्गत कार्यवाही योजना में है और ये कार्यान्वियन के विभिन्न स्तरों पर हैं। चूंकि ये दीर्घकालीन प्रकृति की हैं अतः उनके कार्यान्वयन के लिए विशेष समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षक-II की रिपोर्ट के अध्याय-VIII की मुख्य सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जिनका विस्तृत रूप से उल्लेख नीचे किया जा रहा है :—

पाठ्यचर्या—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों के माध्यम से भिन्न-भिन्न विषय क्षेत्रों में पाठ्यचर्या विकसित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। 27 विषयों में पाठ्यचर्या विकास पर रिपोर्टें पहले से ही तैयार की जा चुकी हैं तथा इन्हें अपनाने के लिए विश्व-विद्यालयों में परिचालित किया जा चुका है।

न्यूनतम मानक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत प्रथम डिग्री स्तर की शिक्षा के लिए शिक्षण का न्यूनतम मानक निर्धारित करने वाला विनियम जारी किया है।

चुने हुए कालेजों को स्वायत्ता : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वायत्त कालेजों की एक योजना को लागू कर रहा है।

दूरस्थ अध्ययन और दूरदर्शन कार्यक्रम : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूरदर्शन नेटवर्क के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रमों (देशव्यापी कक्षा कक्ष परियोजना) का प्रसारण कर रहा है। सरकार ने भी दूरस्थ शिक्षा के समेकन और प्रोन्नति के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

विश्वविद्यालयों का प्रबंध : आयोग द्वारा 'विश्वविद्यालय प्रबंध के वैकल्पिक मॉडल' विषय पर प्रो० ज्ञानम की अध्यक्षता में स्थापित समिति की सिफारिशों को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

शिक्षकों की रहने और कार्य करने की दशा : मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षकों के वेतनमानों और अन्य सेवा-शर्तों में व्यापक रूप में संशोधन किया गया है जो 1986 से प्रभावी हैं।

कार्य करने का माहौल तथा व्यावसायिक उत्कृष्टता : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तथा व्यावसायिक नैतिकता संबंधी एक संहिता को पहले से ही विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाने हेतु परिचालित कर दिया है। शिक्षकों की प्रेरणा और सेवा-कालीन प्रशिक्षण के लिए आयोग ने कई शैक्षिक स्टाफ कालेजों को स्थापित किया है।

अहिंसा एक्सप्रेस की बारम्बारता

8259. श्री अन्ना जोशी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिंसा एक्सप्रेस को पुणे से अहमदाबाद तक सेकंड एक्सप्रेस का रैक उपलब्ध कराया जाता है जिसके कारण दोनों गाड़ियां अनेक बार विलंब से चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) अहिंसा एक्सप्रेस के लिए पृथक रैक उपलब्ध कराने तथा गाड़ी की बारम्बारता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) जी हां ।

(ख) सवारी डिब्बों की कमी और अहिंसा एक्सप्रेस के लिए अलग रैक के रख-रखाव हेतु पुणे में टर्मिनल सुविधाओं की अनुपलब्धता ।

(ग) संसाधनों की स्थिति सुधरने पर रैकों को अलग करने तथा इसके फेरे बढ़ाने की व्यावहारिकता पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा ।

जन्म-दर

8260. श्री राजकृष्ण कोंतामा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में अशोधित जन्म-दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में अशोधित जन्म-दर राष्ट्रीय औसत से कम है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को प्रोत्साहन देने का है जहां अशोधित जन्म-दर राष्ट्रीय औसत से कम है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) और (ख) नमूना पंजीयन पद्धति से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अखिल भारत के बारे में वर्ष 1990 अशोधित जन्म-दर (अनन्तिम) के नवीनतम उपलब्ध अनुमान इस प्रकार हैं:–

	अशोधित जन्म दर (अनन्तिम) 1990 (प्रति 1000 आबादी)
उत्तर प्रदेश	35.7
बिहार	32.9

राजस्थान	33.1
मध्य प्रदेश	36.9
आंध्र प्रदेश	25.6
भारत	29.9

(ग) और (घ) राष्ट्रीय औसत से कम अशोधित जन्म-दर वाले राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्कूलों के व्यावसायिक अनुभागों का लक्ष्य

8261. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 तक स्कूलों के व्यवसायिक अनुभागों के प्रति छात्रों की क्या प्रतिक्रिया थी ;

(ख) क्या यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो 1992 से आरंभ की गयी नयी योजना के अनुसार सरकार द्वारा व्यवसाय पूर्व और व्यावसायकोत्तर पाठ्यक्रमों को सोद्देश्य-पूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के पश्चात् उसे वित्तीय सहायता से प्रोत्साहन देने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (ग) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अंतर्गत 1990-91 तक 10316 व्यावसायिक अनुभाग अनुमोदित किए गए थे । 1990-91 के दौरान 1200 नए व्यावसायिक अनुभागों को शामिल करने का लक्ष्य था, लेकिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर 2428 नए व्यावसायिक अनुभाग अनुमोदित किए गए थे ।

(घ) से (च) प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, यथा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए और अधिक विषयों को शामिल करना, केन्द्र और राज्य सरकारों के भर्ती नियमावली में संशोधन करना और स्व-रोजगार के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना ।

प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों का चयन

8262. **श्री रोशन लाल :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु विभिन्न संस्थाओं में देश और विदेशों में भेजता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण पर भेजने हेतु अधिकारियों का चयन करने के लिए क्या मानदन्ड अपनाया गया है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तथा विदेशों में भेजे गए अधिकारियों की, देश-वार अलग-अलग कुल संख्या क्या है; और

(घ) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :

(क) जी, हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि भारत तथा विदेश में प्रशिक्षण देने के लिए अधिकारियों का चयन करने हेतु सामान्यतया निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं :—

(1) भारत में तथा विदेश में, दोनों प्रकार के प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण संस्थानों की अपेक्षा के अनुसार प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाता है ।

(2) यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए अधिकारी के पास न केवल पृष्ठभूमि संबंधी आवश्यक जानकारी हो बल्कि वह कार्यों के प्रति उत्तरदायी भी हो ।

(3) जो अधिकारी पाठ्यक्रम शुरू होने से एक अथवा दो वर्षों में सेवा-निवृत्त होने वाले हों, उनकी सिफारिश नहीं की जाती है ।

(4) उन अधिकारियों के संबंध में विचार नहीं किया जाता है जो प्रतिनियुक्ति पर आए हों/जिन्हें पुनः रोजगार दिया गया हो और जिनकी सेवा-निवृत्ति के बाद सेवा अवधि बढ़ाई गई हो ।

(5) प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करते समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के बारे में उपयुक्त रूप से विचार किया जाता है ।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष	भारत में प्रशिक्षण		विदेश में प्रशिक्षण		
	अशिक्षित किए गए अधिकारियों की कुल संख्या	इनमें से अ०जा०/ अ०ज०जा० के अधिकारियों की कुल संख्या	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या	देश का नाम	इनमें से अ०जा०/ अ० ज० जा० के अधिकारियों की संख्या
1989-90	650	82	2	एक इंडोनेशिया में और एक थाइलैंड में	—
1990-91	468	82	2	एक यूगोस्लाविया में और दूसरा लंदन में।	1
1991-92	523	98	1	संयुक्त राज्य अमेरिका	1

भाषा शिक्षण केन्द्र के लिए योजना

8263. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर, असम ने तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं हेतु भाषा शिक्षण केन्द्र की स्थापना की एक योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (ग) आठवीं योजना में शामिल किये जाने के लिए, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा के वास्ते भाषा शिक्षण केन्द्र की स्थापना के संबंध में अब तक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर (असम) से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खेलों के लिए अतिरिक्त धनराशि

8264. **श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी ओलम्पिक को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान खेलों के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) :

(क) से (ग) वित्तीय कठिनाइयों की वजह से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खेलों के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करना संभव नहीं हो पा रहा ।

पड़ौस शिक्षा

8265. **श्री गुरुदास कामत :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पड़ौस शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) और (ख) दिल्ली प्रशासन दिल्ली में पड़ौस शिक्षा की संकल्पना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है । यह लोगों की शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों को खोलने, प्रोन्नत करने और पृथक करने का कार्य करता है जिसके लिए निम्नलिखित पर मुख्य विचार किया जाता है :

(i) सम्बद्ध क्षेत्र की शैक्षिक जरूरतें,

(ii) निर्धारित दूरी के साथ तादात्म्य,

(iii) न्यूनतम और अधिकतम दाखिला,

(iv) पर्याप्त संसाधन, कर्मचारी और उपस्कर,

(v) कम से कम स्थान ।

कम्पोजिट मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और कक्षा 1 में क्षेत्र के बच्चों को ये दाखिले ड्रा के आधार पर दिए जाते हैं ।

खिलाड़ियों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं

8266. श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं के ब्यौरे की जांच के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) :

(क) जी, हां ।

(ख) समिति ने विभिन्न आयु वर्गों के लिए शक्ति और शक्तिहीन खेल विधाओं हेतु अलग-अलग भोजन की आवश्यकताओं की सिफारिश की है ।

(ग) राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के दौरान सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

गुजरात में चीनी मिलों में कथित घपले

8267. श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात के भड़ौच जिले में कुछ चीनी मिलों द्वारा किए गए करोड़ों रुपयों के घपलों के संबंधों में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :

(क) खाद्य मंत्रालय को गुजरात के भड़ौच जिले में कुछ चीनी मिलों द्वारा किए गए करोड़ों रुपयों के घपलों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

8268. श्री जीवन शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 8 अगस्त 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उठाए गए मामलों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) से (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों की निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है ।

रामकृष्णपुरम में स्त्री रोग अस्पताल

8269. श्री मदन लाल खुराना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 29 अगस्त, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 290 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के स्त्री रोग अस्पताल के कार्यकरण और परिचालन संबंधी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अस्पताल को स्त्रियों के लिए एक पूर्ण सुसज्जित अस्पताल के रूप में संवर्धित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल पर दबाव कम हो और रामकृष्णपुरम, मोतीबाग आदि में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को उसकी सुविधा उपलब्ध हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) जी, हां ।

(ख) जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायत गलत पाई गई ।

(ग) इस समय वित्तीय तंगी के कारण महिलाओं के लिए अस्पताल का दर्जा बढ़ाने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

भारतीय वन सेवा हेतु आयु सीमा

8270. **श्री योगानन्द सरस्वती :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु-सीमा और परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर की संख्या को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पैटर्न के अनुरूप संशोधित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा में भरती दो अलग-अलग परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है और इन पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं । एक परीक्षा के लिए नियमों में संशोधन करने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरी परीक्षा के नियमों में भी संशोधन किया जाए ।

भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी की खरीद

8271. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्यों का समय पर भुगतान न किए जाने की स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी खरीदने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :

(क) और (ख) आंशिक नियंत्रण के वर्तमान नीति के तहत चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की केवल 45 प्रतिशत मात्रा ही लेवी चीनी के रूप में ली जा सकती है तथा

इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों को दे दिया जाता है। चीनी के उत्पादन की शेष 55 प्रतिशत मात्रा चीनी फैक्ट्रियों द्वारा खुले बाजार में बेचे जाने के लिए विनियमित ढंग से रिलीज की जाती है।

खाद्य मंत्रालय गन्ने की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर लिखता रहा है। गन्ना कीमत का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है जिनके पास ऐसे भुगतान हेतु बाध्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां एवं क्षेत्रीय संगठन हैं।

[अनुवाद]

समेकित आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न का कोटा

8272. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि वे राज्यों को केन्द्रीय पूल से जारी किए गए खाद्यान्न कोटे में से समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का कतिपय कोटा आवंटित करें; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उक्त क्षेत्रों के लाभ भोगियों को खाद्यान्नों की नियत मात्रा पहुंचे।

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :

(क) जी, हां।

(ख) लाभभोगियों को निश्चित मात्रा का विवरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की होती है, जो कि इस योजना को कार्यान्वित करते हैं। तथापि, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समस्त निश्चित मात्रा इन क्षेत्रों के लाभभोगियों के पास पहुंचती है।

जनसंख्या नियंत्रण योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

8273. **श्री बापू हरि चौरे :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या नियंत्रण योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

पर्यावरण और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां, भारत सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या नियंत्रण स्कीमों सहित परिवार कल्याण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर रही है।

(ख) बम्बई में कार्यान्वित की जा रही भारत जनसंख्या परियोजना -V के लिए भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र को रिलीज की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	रिलीज की गई राशि (लाख रुपए)
1989-90	145.00
1990-91	347.00
1991-92	800.00
	कुल 1292.09

सुन्दरवन जैवमंडल रिजर्व के लिए धनराशि

8274. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरवन जैवमंडल रिजर्व केन्द्र सरकार द्वारा वायदा की गई धनराशि न प्रदान किए जाने के कारण समाप्त होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है;

(ग) सुन्दरवन की मैंग्रूव परिस्थिति की प्रणाली की वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं को बचाने हेतु धनराशि प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान सुन्दरवन जीवमंडल रिजर्व पर विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वायदा की गई धनराशि के तौर पर 416.66 लाख रुपए बंटित किए। विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत बंटित निधियों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सुन्दर वनस्पति पारि-प्रणाली की वनस्पति जात और प्राणिजात को बचाने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए निधियां दी गई हैं।

विवरण

सुन्दरवन जीवमंडल रिजर्व पर विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारित निधियां

(लाख रुपयों में)

स्कीमें	वर्ष				
	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1. सुन्दरवन जीवमंडल रिजर्व	—	22.00	—	16.00	26.90
2. सुन्दरवन कच्छ वनस्पति के लिए प्रबंध कार्य योजना	15.65	15.65	—	29.00	83.09
3. सुन्दरवन बाघ रिजर्व	19.75	25.91	43.42	16.61	34.50
4. समन्वित परती भूमि परियोजनाएं	—	—	—	—	45.00
5. सुन्दरवन के कच्छ वनस्पति क्षेत्र में हवाई बीजरोपण	—	—	5.37	9.19	8.71
				कुल जोड़	416.66

शारीरिक शिक्षा का विस्तार

8275. श्री मालिकराव होडल्या गावीत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शारीरिक शिक्षा का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा कालेजों को प्रारम्भ करने का है; और

(ग) कितने विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चला रहे हैं और प्रतिवर्ष उनमें कितने विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) :

(क) विद्यालय क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप को बढ़ाने के प्रस्तावों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण के दो शारीरिक शिक्षा कालेज—लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (एल० एन० सी० पी० ई०) ग्वालियर और एल० एन० सी० पी० ई०

तिवेन्द्रम है। इस समय शारीरिक शिक्षा के और राष्ट्रीय कालेज खोलने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 25 विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों को चलाते हैं तथा उनकी वार्षिक क्षमता लगभग 1000 छात्र हैं।

केरल में आयुर्वेद विश्वविद्यालय

8276. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (ग) नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में सरकार की नीति और संसाधनों की उपलब्धता में बहुत कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार केरल में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कर्नाटक को सहायता

8277. श्री एस० बी० सिद्दनाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई;

(ख) क्या इस राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है, और

(घ) कर्नाटक के बेलगाम जिले में इस समय कितने परिवार कल्याण केन्द्र हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उन पर कितना धन खर्च किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य के विषय क्षेत्र में आता है। तथापि विभिन्न रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में तेजी लाने की दृष्टि से केन्द्र उन्हें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के

दौरान कर्नाटक राज्य को बड़ी स्कीमों हेतु दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

(लाख रुपये)

कार्यक्रम का नाम	केन्द्रीय सहायता		
	1989-90	1990-91	1991-92
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	358.97	174.90	279.02
2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	146.28	122.96	102.23
3. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	45 05	64.43	45.00
4. दृष्टिहीनता नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	51.65	39.83	46.77
5. परिवार कल्याण कार्यक्रम	3462.37	3647.79	2860.75

(ख) जी, हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जिलावार सूचना राज्य सरकार द्वारा एकत्र की जाती है और चूंकि परिवार कल्याण विभाग में यह उपलब्ध नहीं होती, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि राज्य सरकारों को आवंटित करती है।

[हिन्दी]

स्त्री रोग और प्रसूति अस्पताल रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के चिकित्सक और कर्मचारी

8278. **श्री नारायणभाई जमनाभाई राठवा :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्त्री रोग और प्रसूति अस्पताल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में कितने चिकित्सक और कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इनमें से कितने चिकित्सक/कर्मचारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं ;

(ख) क्या चिकित्सकों और कर्मचारियों की वर्तमान संख्या स्वीकृत पदों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इस समय चिकित्सकों/कर्मचारियों के कितने पद रिक्त पड़े है और इनमें से कितने स्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, और

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जी०जे०लारा देवी सिंहार्च) :

(क) विशेष ग्रेड-II सहित डाक्टरों की स्वीकृत संख्या 16 है और समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 97 है। इस समय विशेषज्ञ ग्रेड-II सहित 22 डाक्टर और समूह 'ग' और 'घ' के 105 कर्मचारी स्त्री रोग और प्रसूति अस्पताल आर० के० पुरम में नियुक्त हैं। वहां नियुक्त 22 डाक्टरों में से 1 डाक्टर अनुसूचित जाति समुदाय का है और समूह 'ग' और 'घ' के 105 कर्मचारियों में से 29 कर्मचारी अनुसूचित जाति समुदाय के और 2 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वनों का विदोहन

8279. श्री जार्ज फर्नान्डीज

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संसाधनों का अत्यधिक विदोहन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वन संसाधनों का विदोहन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (1) वन फसल की कटाई वन प्रभागों की राज्य सरकार द्वारा यथास्वीकृत कार्य योजनाओं में निर्धारित शर्तों के तहत विनियमित होती है और कार्य योजनाएं राष्ट्रीय वन नीति 1988 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। इसके अलावा कटाई का कार्य या तो राज्य/संघ क्षेत्र के वन विभागों और/अथवा राज्य वन निगमों द्वारा किया जाता है।

(2) इसके अलावा, भारत सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये हैं :—

(क) कम से कम कुछ वर्षों के लिए 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ियों और पर्वतों में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

(ख) प्राकृतिक वनों की कटाई न करना और जहां इस प्रकार की कटाई फसलों की होली तथा अन्य वनवर्धन कारणों से अपरिहार्य हो, वहां इसे पहाड़ियों में अधिकतम 10 हेक्टेयर तथा मैदानी इलाकों में अधिकतम 25 हेक्टेयर तक सीमित रखना ।

(ग) भोगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जैवमंडल रिजर्वों आदि के रूप में आरक्षित रखना ।

(3) 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में व्यापक वनरोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं और यह कार्य ज्यादातर अवर्गमित वनों में किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

पंजाब मेल में और अधिक सवारी डिब्बे लगाना

8280. **श्री मोहन सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाजिल्का से पंजाब मेल में जो एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा जोड़ा जाता था उसे स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस रेलगाडी में ग्राम यात्रियों हेतु सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अल्लिकार्जुन) :

(क) जी हां ।

(ख) परिचालनिक कारण तथा कम लोकप्रिय होना ।

(ग) जी हां ।

(घ) जांच की गई है, लेकिन फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

उत्तर प्रदेश में लार्ड कार्नवालिस के मकबरे का रखरखाव

8281. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में लार्ड कार्नवालिस के मकबरे का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) सरकार इसके उचित संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में लार्ड कार्नवालिस के मकबरे के रख-रखाव पर हुआ व्यय निम्नानुसार है :

1989-90	रु० 10,758.00
1990-91	रु० 13,589.00
1991-92	रु० 37,700.00

(ग) रख-रखाव के अतिरिक्त, संरक्षण-कार्य पुरातत्वीय मानकों के अनुसार स्मारक की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर किए जाते हैं ।

[अनुवाद]

रेलवे स्कूल

8282. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा समूचे देश में स्तर-वार कितने स्कूल खोले गए हैं और उनका रख-रखाव ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये स्कूल रेलवे कर्मचारी बहुल उन स्थानों में खोले गए हैं जहां केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वैकल्पिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ग) क्या इन स्कूलों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(घ) 1 अप्रैल, 1992 को रेलवे स्कूलों में अध्यापकों के ग्रेड-वार कुल कितने स्वीकृत पद खाली पड़े हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां, स्थानीय रेल कर्मचारियों की आवश्यकताओं को यथा व्यवहारिक पूरा करने के लिए ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

(क) 31-3-91 को उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

रेलवे इकाइयां	डिग्री कालेज	इंटर कालेज	उ. मा. स्कूल	हाई स्कूल	मिडिल स्कूल	प्राथमिक स्कूल	एटीपी* स्कूल	कुल जोड़
मध्य	—	—	4	2	1	10	35	52
पूर्व	—	1	3	6	8	11	99	128
उत्तर	—	1	1	1	2	5	75	85
पूर्वोत्तर	—	4	—	—	—	—	—	4
पूर्वोत्तर सीमा	—	—	6	1	—	4	28	39
दक्षिण	—	—	3	8	—	6	8	25
दक्षिण-मध्य	1	1	1	17	7	10	23	60
दक्षिण-पूर्व	—	—	11	8	8	28	60	115
पश्चिम	—	—	4	2	3	31	53	93
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	—	—	2	1	—	17	—	23
डीजल रेल इंजन कारखाना	—	1	—	—	—	3	—	4
डीजल कलपुर्जा कारखाना	—	—	—	—	—	1	—	1
जोड़	1	8	35	49	29	126	381	629

*ए टी पी : आसटेरिटी टाइप प्राईमरी ।

केन्द्रीय वन संरक्षण बल

8283. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय वन संरक्षण बल गठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस पर आने वाले खर्च का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

होम्योपैथी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम

8284. श्री तेजनारायण सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ने यह सिफारिश की है कि 1983 के बाई. सी.डी.एम.एस./डी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रमों के पूर्व विभिन्न होम्योपैथिक परिषदों द्वारा संचालित चार वर्षीय होम्योपैथी पाठ्यक्रम को बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के समकक्ष माना जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पदोन्नति और सेवा संबंधी मामलों में बी.एच.एम.एस. डिग्री धारकों को डी.एम.एस./डी.एच.एम.एस. डिग्री धारकों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है ;

और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिंढायं) :

(क) और (ख) केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद ने अपने 13 मार्च, 1990 के पत्र सं० 12-24/86-सीसीएच/5474 के द्वारा सूचित किया है कि "केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद ने अपनी 9 मार्च, 1990 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया है कि डी० एम० एस० (पश्चिम बंगाल परिषद) डी. एच. एम. एस., एल. सी. ई. एच. आदि जैसी चार वर्षीय अवधि की होम्योपैथी चिकित्सा अर्हताएं (जो होम्योपैथी में कम से कम चार वर्षीय अध्ययन के बाद प्राप्त की गई हों) होमियोपैथी डिप्लोमा पाठ्यक्रम विनियम, 1983 के लागू होने से पूर्व प्रदान की गई हों और होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में शामिल की गई हों, उन्हें डिग्री के समकक्ष माना जाए । परिषद् के उक्त निर्णय पर केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् की मार्च, 1992 में हुई बैठक में पुनः विचार किया गया था, जिसमें परिषद् ने निम्न-लिखित संकल्प पारित किया है—

"इस निर्णय के पीछे यह भावना थी कि वर्ष 1983 से पहले प्रदान किए गए डिप्लोमा अथवा ऐसे छात्र जिन्होंने डी. एच. एम. एस., एल. सी. ई. एच., डी. एम. एस. (पश्चिम बंगाल) बी. एम. एस. आदि जैसे पाठ्यक्रमों में (1983 तक) दाखिला लिया था, जो कि

चार वर्ष से कम अवधि के नहीं थे, उन्हें नौकरी में वेतनमानों, पदोन्नतियों आदि जैसे सेवा मामलों के प्रयोजनों के लिए डिग्री के बराबर माना जाना चाहिए ।

(ग) बी. एच. एम. एस. धारकों को डिग्री धारक माना जाता है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासियों द्वारा हथियार लेकर चलना

8285. **श्री वत्तात्रेय बंडारू :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री अन्ना जोशी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभयारण्य अंचलों के हिंसक पशुओं वाले वनों में रहने वाले कुछ जनजातीय लोग हिंसक पशुओं द्वारा मारे जा रहे हैं;

(ख) क्या वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इन जनजातीय लोगों को आत्म-रक्षार्थ कृपाण/धनुष-बाण/बरछा आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) किसी बाघ अथवा तेंदुए के नर-भक्षी बन जाने के इक्के-दुक्के मामलों को छोड़कर वन्य जीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में मानव-जीव संघर्ष की स्थिति में कहीं-कहीं केवल दुर्घटना स्वरूप मृत्यु हुई है ।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा मुख्य वन्य जीव वार्डन अथवा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान में हथियार ले जाये जा सकते है ।

(ग) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर मानव-जीव संघर्ष को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के कोर क्षेत्रों के भीतर मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना ।

(2) जहां तक संभव हो, राष्ट्रीय उद्यानों और मानव-आवासों का वैकल्पिक स्थानों पर स्थानान्तरण ।

(3) पारि-विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिसके जरिए लोगों की ईंधन, ऊर्जा, जल, चारा आदि की आवश्यकताओं को वनों के बाहर संसाधनों के विकास के माध्यम से पूरा किया जा सके, इस प्रकार वनों पर भोगाधिकार की स्थानीय लोगों की निर्भरता कम की जा सकेगी ।

चीनी का निर्यात

8286. श्री संदीपान भगवान घोरात :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक मात्रा में चीनी का निर्यात करने और आगामी वर्षों में पर्याप्त दुर्लभ मुद्रा अर्जित करने के लिए कोई योजना/प्रस्ताव/नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :

(क) और (ख) पिछले मौसम के दौरान सरकार ने वाणिज्यक निर्यात के लिए 5.25 लाख टन चीनी का निर्यात तथा चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 के तहत तरजीही कोटा लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी । उक्त मात्रा के निर्यात का काम 31-5-92 तक पूरा किया जाना था । चालू मौसम के लिए सरकार ने वाणिज्यिक निर्यात के लिए चीनी की 2.71 लाख टन मात्रा के लिए तथा उक्त अधिनियम के तहत तरजीही कोटा लेने हेतु अधिसूचना जारी कर दी है ।

[हिन्दी]

नवजात शिशुओं की मृत्यु

8287. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के प्रसूति कक्षों में दिसम्बर, 1990 से महीनेवार कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है ;

(ख) क्या मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया गया है और रुग्णता के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगा लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अस्पतालों में ऐसी मौतों को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल द्वारा सूचित नवजात शिशुओं की मौतों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

दिसम्बर, 90	1 (एक)
जनवरी, 91	1 (एक)
फरवरी, 91	1 (एक)
मार्च, 91	5 (पांच)
अप्रैल, 91	1 (एक)
मई, 91	5 (पांच)
जून, 91	– (शून्य)
जुलाई, 91	7 (सात)
अगस्त, 91	4 (चार)
सितम्बर, 91	5 (पांच)
अक्तूबर, 91	6 (छः)
नवम्बर, 91	5 (पांच)
दिसम्बर, 91	1 (एक)
जनवरी, 92	2 (दो)
फरवरी, 92	5 (पांच)
मार्च, 92	2 (दो)
अप्रैल, 92	1 (एक)

(ङ) से (घ) :

नवजात शिशुओं की मौतों के सामान्य कारण जन्म के समय कम वजन, जन्मजात कुरचना, जन्म श्वासावरोध और अन्तःगर्भाशय फीटल डिस्ट्रेस रक्तालप्ता और कुपोषण की उच्च प्रतिशतता, स्रावयुक्त एवं अवरूद्ध प्रसव वाले रोगियों का देर से अस्पताल आना, अस्पताल में दाखिल होने से पूर्व रोगियों की जांच और उपचार नीम-हकीमों द्वारा होना आदि हैं। ऐसी मौतों को रोकने के लिए अस्पताल द्वारा निम्नलिखिम कदम उठाए गए हैं :—

(i) रोगियों को परामर्श देना,

(ii) स्वास्थ्य शिक्षा,

(iii) अधिक खतरे वाली गर्भवती माताओं पर वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा शीघ्र ध्यान दिया जाना,

(iv) प्रसव कक्ष और आपरेशन थियेटर में पर्याप्त सुविधाएं,

(v) प्रसव कक्ष में प्रत्येक समय रेजिडैंट बाल रोग चिकित्सकों द्वारा नवजात शिशुओं की देखभाल,

(vi) जीवन-रक्षक औषधियों की उपलब्धता, और

(vii) आपात्कालीन रक्ताधान सेवाएं ।

[अनुवाद]

बाल शिक्षा केन्द्र

8288. श्रीमती कुलदीप कौर :

प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :

श्रीमती दीपिका एच० डोपीवाला :

श्री राजेश कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार कितने प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्र हैं ;

(ख) क्या ऐसे केन्द्र चलाने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी धनराशि दी गई।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) :

(क) से (ग) देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में 4365 प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्र हैं। एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित किए जा रहे
प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्र

(लाख रुपए में)

राज्य	ई.सी.ई. केन्द्रों की संख्या (राज्यवार)	स्वयंसेवी संगठनों की संख्या (राज्यवार)	जारी की गई अनुदान राशि		
			1989-90 में	1990-91 में	1991-92 में
आंध्र प्रदेश	672	5	46.29	47.78	46.41
असम	170	4	10.57	11.36	11.22
बिहार	340	6	21.60	22.24	22.37
जम्मू और कश्मीर	65		3.04	1.79	2.32
मध्य प्रदेश	375	14	25.87	24.46	26.74
उड़ीसा	338		22.03	24.06	22.83
राजस्थान	336	29	21.48	20.25	22.26
उत्तर प्रदेश	1099	68	74.86	62.92	90.18
पश्चिम बंगाल	970	19	67.77	74.97	66.17
जोड़	4365	190	293.51	289.83	310.50

गोआ एक्सप्रेस के साथ "भोजन यान" जोड़ना

8289. श्री धर्मण्णा सोंडय्या सादुल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ एक्सप्रेस के साथ "भोजन" जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जोड़ा जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1992 से यह सेवा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

मुम्बई में उपनगरीय रेल

8290. श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना के दूसरे चरण में उपनगरीय रेलें के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया है; और

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) और (ख) बम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II में शामिल उपनगरीय रेल परियोजनाओं में से बांद्रा और अंधेरी के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइन बिछाने से संबंधित परियोजना पर ही कार्य शुरू किया गया है। इस परियोजना के लिए 1992-93 में 14 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसे 1993 के दौरान यातायात के लिए चालू किए जाने की संभावना है।

केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षक

8291. श्री मुहीराम सैकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के योग शिक्षक कई वर्ष की सेवा हो जाने के बावजूद सदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या उन्हें नियमित सेवा में खपाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : योग शिक्षण प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया था और कई बार इसकी समीक्षा की गई है । योजना की इन समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (शा० शि० शि०) को योग में प्रशिक्षण देकर तथा योग शिक्षकों के लिए शारीरिक शिक्षा में पर्याप्त प्रशिक्षण अर्जित करने की अपेक्षित ठहराते हुए, शारीरिक शिक्षा और योग को समेकित कर दिया जाए । इस तरह से 24 योग शिक्षकों को जिनके पास शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की अर्हताएं थीं, नियुक्त किया था ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज में योग शिक्षकों को 3 सैमेस्टरों में एक विशेष बी० पी० एड०, (ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रम) प्राप्त करने के लिए नामित किया । 95 योग शिक्षकों में से जिन्होंने बी० पी० एड०, की योग्यता प्राप्त की 76 ने शा० शि० शि० के रूप में नियमन के लिए विकल्प दिया है ।

बरेली–लखनऊ रेलवे लाइन को बड़ी लाईन में बदलना

8292. डा० परशुराम गंगवार

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बरेली–पीलीभीत–लखनऊ मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हाँ, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अखिलेश दास)

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की तंगी ।

अजमेर में रेल इंजन और रेल डिब्बा कारखाने

8293. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर स्थित रेल इंजन तथा रेल डिब्बा कारखानों के आधुनिकीकरण, विस्तार तथा रख-रखाव के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे किये गये आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इन दोनों कारखानों की वर्ष-वार उत्पादक लाभ प्रदत्ता कितनी रही ; और

(ग) इन कारखानों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये 1992-93 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है तथा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) अजमेर स्थित रेल इंजन, सवारी डिब्बा और माल डिब्बा कारखानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(लाख रुपयों में)

1989-90	—	600.00
1990-91	—	956.53
1991-92	—	599.91

अनुरक्षण के लिए आवंटित की गई राशि नीचे दी गई है :-

	1989-90	1990-91	1991-92
भाप रेल इंजन (मी.ला.)	663.76	647.43	765.43
डीजल रेल इंजन (मी.ला.)	306.25	491.92	306.20
सवारी डिब्बा (मी.ला.)	909.65	861.58	1063.68
माल डिब्बा (मी.ला.)	708.00	720.00	818.67

(ख) अजमेर कारखाने के आधुनिकीकरण विस्तार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे किए गए प्रमुख निर्माण कार्य नीचे दिए गए हैं :—

(i) माल डिब्बा बाडी मरम्मत कर्मशाला का विस्तार ।

(ii) सवारी डिब्बों के लिए नयी रंग-रोगन कर्मशाला (चरण-I)

(iii) स्प्रिंग कर्मशाला का विस्तार ।

(iv) पहिया कर्मशाला का विस्तार ।

(v) सामग्री सम्हलाई उपस्कर की व्यवस्था ।

(vi) कर्मचारी क्वार्टर ।

(vii) संगणकीकरण ।

(viii) 230 मशीनें चालू कर दी गई हैं ।

रेल प्रणाली पर कारखाना यूनिटों के लाभ और हानि का लेखा-जोखा अलग से तैयार नहीं किया जाता है ।

(ग) चल रही परियोजना को पूरा करने हेतु अजमेर स्थित कारखानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 1992-93 में 364 00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं ।

स्वयंसेवी कल्याण संगठनों को अनुदान

8294. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने स्वयंसेवी कल्याण संगठन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार इन संगठनों के खातों की लेखा-परीक्षा करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग करने के कुछ मामलों का सरकार को पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठनों की कार्यक्रमवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) स्वयंसेवी संगठनों के लेखाओं की लेखा परीक्षा सनदी लेखापालों द्वारा की जाती है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की संख्या		
		1989-90 में	1990-91 में	1991-92 में
1	2	3	4	5
1.	प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	173 (पाठ्यक्रम)	135 (पाठ्यक्रम)	188 (पाठ्यक्रम)
2.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	41 (एकक)	58 (एकक)	57 (एकक)

1	2	3	4	5
3.	कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह	22	27	26
4.	ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं	78	75	157
5.	शिशुगृह कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	2	—	5
6.	कामकाजी महिला होस्टल	2	2	—
7.	महिला मण्डल	24	17	22
8.	परिवार परामर्श केन्द्र	8	13	22
9.	अवकाश शिविर	59	62	49
10.	वार्षिक अनुदान	173	157	166
11.	बालवाड़ी पोषाहार	186	200	114

[अनुवाद]

वाल्टेयर से बेलाडिला के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बों का लगाया जाना

8295. **श्री के० प्रधानी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु वाल्टेयर-बेलाडिला रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के कुछ और सवारी डिब्बे लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक औचित्य की कमी।

[हिन्दी]

प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल

8296. **श्री शिवलाल भागजीभाई वेकारिया :**

श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ ऐसे अस्पताल चलाए जा रहे हैं जहां प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उपचार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल नहीं चलाया जा रहा है । बहरहाल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्थापित की है जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा की ऐसी संस्थाओं को अनुदान देती है जो प्राकृतिक चिकित्सा में अंतरंग और बहिरंग उपचार सुविधाएं प्रदान करती हैं ।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में निरक्षरता उन्मूलन हेतु स्वयं सेवी संगठन

8297. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में निरक्षरता उन्मूलन के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन्होंने निरक्षरता उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में कोई लक्ष्य-रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) लक्ष्य प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है और प्रत्येक संगठन की सदस्य संख्या कितनी है; और

(घ) इन संगठनों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत, निम्नलिखित दो योजनाएं हैं जिनके तहत स्वैच्छिक एजेंसियों को पूर्ण साक्षरता अभियान तथा जनशिक्षण निलयमों की परियोजनाएं संस्वीकृत की जाती हैं ।

(i) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत वे पंजीकृत सोसायटियां, जो तीन वर्ष या इससे अधिक समय से अस्तित्व में है, को संस्वीकृति दी जाती है।

(ii) निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, जिन जिला साक्षरता समितियों को, विशेष तौर पर पूर्ण साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन

के लिए पंजीकृत किया गया है तथा जिनकी अध्यक्षता जिलाधीशों/जिला आयुक्तों द्वारा की जाती है, उन्हें पूर्ण साक्षरता अभियान तथा उत्तर साक्षरता अभियानों को संस्वीकृति दी जाती है।

तमिलनाडु राज्य की स्वैच्छिक एजेंसियों तथा जिला साक्षरता समितियों की बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं तथा जनशिक्षण निलयमों का ब्यौरा विवरण संलग्न है।

(ख) स्वैच्छिक एजेन्सियों की बुनियादी शिक्षा परियोजनाएं वर्ष 1991–92 की अन्तिम तिमाही के दौरान संस्वीकृत की गई थीं। अतः परियोजनाओं के आरम्भ होने के बाद ही उनकी प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होनी शुरू होंगी। पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्टें, इस मंत्रालय को प्राप्त हो रही हैं।

(ग) संगणकीकृत प्रबन्ध सूचना पद्धति के तहत प्रगति रिपोर्टों के प्रारूप स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा जिला साक्षरता समितियों को पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं।

(घ) जहां तक स्वैच्छिक एजेन्सियों की पूर्ण साक्षरता परियोजनाओं (9) का संबंध है, इन्हें वर्ष 1991–92 की अन्तिम तिमाही में संस्वीकृत किया गया था, अतः अभी ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं जिला साक्षरता सोसायटियों की संस्वीकृत पूर्ण साक्षरता परियोजनाओं से सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त होने की सूचना मिली है।

विवरण

खण्ड I

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, स्वैच्छिक एजेंसियों को बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं तथा जन शिक्षण निलयमों को संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

क्रम सं०	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	जन शिक्षण निलयम की संख्या	पूर्ण साक्षरता अभियान के ब्लाक का नाम	शिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	कंग्रेगेशन आफ दी सिस्टमस आफ दी क्रास आफ शेवनाड, पोस्ट बाक्स नं० 395, ओल्ड गुड्स शैड रोड, तेपाकुल्लम, तिरुचिरापल्ली।	30	तिरुचिरापल्ली नगर निगम क्षेत्र	40,000
2.	दूरईस्वामी जीनियस सोशल एज्यूकेशन एसोशिएशन विलवारायमाल्लूर पंकय पोस्ट, मदुरानतकम तालुक, जिला चेंगलेपट्टू	14	इलापुरम पंचायत यूनियन	28,467

1	2	3	4	5
3.	एज्युकेशन एंड अपलिफ्ट सोसायटी फार रूरल डाउनट्रोडन, 6 आर० सी० स्कूल स्ट्रीट, गांधीनगर, मदुरानतगम जिला चेंगलेपट्टू	—	लावुर	16,233
4.	खाजामलाई लेडीज एसोसिएशन, पो० आ० खाजामलाई, जिला तिरुचिरापल्ली।	23	थिरुवेराम्बुर	40,400
5.	पंजाब ऐसोसिएशन, लाजपत राय भवन, पोस्ट बाक्स सं० 416, 170, 171, 172, पीटर्स रोड, रोयापेठ, मद्रास	30	काटनकोलाचुर एंड सेंट थामस माउन्ट	प्रत्येक के 5000
6.	ग्रामीण कार्य एवं सुधार शिक्षा सोसायटी, संख्या 6, 111 गली अन्ना नगर, पेट्टायलाई, तिरुचिरापल्ली		थोगमलाई	14,867
7.	तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड, मार्फ़त राज्य संसाधन केन्द्र सं० 4, 11 गली वेंकटेश्वर नगर, अदायर, मद्रास।	20	थिरुप्पोवर तथा थिरुक्कलकुदरम	19,490 26,782
8.	भारतीय महिला एसोसिएशन, 43, ग्रीनवेज, रोड मद्रास	10	मद्रास नगर निगम के वार्ड 56,66, 67, 68, 69 और 70	36,160
9.	यंग वूमन क्रिश्चियन एसोसिएशन, पूनमेल्ले हाई रोड, मद्रास–600084	3	ओटेरी एंड पुलियांथोप	8,600
10.	अरुनड वेल्लालर संगम, 1–2, सन्निधि स्ट्रीट, तिरुवनकोल, तिरुचिरापल्ली।	3	मुसिरी	
11.	क्रिश्चियन एज्यूकेशनल डिवलपमेंट सोसायटी, 12, नापालया स्ट्रीट, विल्लापुरम, जिला एस० ए०	10	मुगयिपुर वरिदाचलम	
12.	गांधी निकेतन आश्रम टी० काल्लु-पट्टी–626702 जिला, मदुराई, तमिलनाडु।	6	काल्लुपट्टी	

1	2	3	4	5
13.	मधर नाला थोण्डु निरुवानम, थिरुवेन्दीपुरम मेल रोड, पधीरी-कुप्पम, पोस्ट आफ़िस कुड्डालोर, जिला साउथ आरकट	16	कुड्डालोर पोरटीनोड	
14.	श्री विवेकानन्द चैरीटीज एंड एण्डोमेन्ट्स, 5–184जी, वाइंडिंग ड्राइवर चिन्नासामी स्ट्रीट, धर्मापुरी	3	हुरूर	
15.	तमिलनाडु बेसिक एज्यूकेशन सोसायटी, गांधी निकेतन आश्रम, टी काल्लूपट्टी, मदुराई	14	कालीगुडी	
16.	तिरुप्पुटुर रूरल अपलिफ्ट प्रोजेक्ट एसोसिएशन, तिरुपट्टूर तालुक, पासुम्पन, जिला मथुरालिंगम ।	4	सिंगमपुनरी	
17.	तमिलनाडु महिला स्वैच्छिक सेवा, 19, ईस्ट स्पर टक रोड, चेरपेठ, मद्रास–600031	31	पडप्पई	

खण्ड II

विशेषकर पूर्ण साक्षरता के उद्देश्य के लिए पंजीकृत जिला साक्षरता सोसायटियों को संस्वीकृत तथा जिला कलेक्टर/उप-आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्ण साक्षरता अभियान का ब्यौरा ।

क्रम सं०	जिले का नाम	सोसायटी का नाम	शिक्षार्थियों की संख्या (लाखों में)
1	2	3	4
1.	कामराजर	कामराजर जिले का अरिवोली इयाक्कम, मार्फ़त जिला कलैक्टर, विरुधुनगर	9
2.	पी० एम० टी० शिवगंगे	पी० एम० टी० जिले का अरिवोली इयाक्कम, मार्फ़त जिला कलैक्टर, सायगंगे 632560	7.5

1	2	3	4
3.	कन्याकुमारी	कन्याकुमारी जिला अरिवोली इयक्कम, मार्फ़त जिला कलैक्टर, नागरकोयल-629001	0.84
4.	मदुराई	मदुराई जिला अरिवोली इयाक्कम, मार्फ़त जिला कलैक्टर, मदुराई-625020	4.20
5.	नार्थ आरकट अम्बेदकर	नार्थ आरकट अम्बेदकर जिला, अरिवोली इयाक्कम, मार्फ़त जिला कलैक्टर, वैल्लूर-632009	4.80
6.	तिरूनेलवेली	तिरुनेलवेली, अरिवोली इयाक्कम, मार्फत कलैक्टर, तिरुनवेली-627009	2.80

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा शिक्षण

8298. **मेजर जनरल (सेवा निवृत्त)**

भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय और डिग्री स्तर पर कौन-कौन से राज्यों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है ;

(ख) क्या सभी केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की नीति कार्यान्वित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) राज्यों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दमन तथा द्वीव और दिल्ली राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में तीन भाषाओं में से एक के रूप में पढ़ाई जाती है ।

असम, बिहार तथा त्रिपुरा में संस्कृत एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है । प्रायः सभी राज्यों के अधिकतर विश्वविद्यालयों/कालेजों में संस्कृत डिग्री स्तर पर पढ़ाई जाती है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत को कक्षा 5 से 9 में एक अनिवार्य विषय, कक्षा 10 में एक अतिरिक्त विषय तथा 11 से 12 में एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है । नवोदय विद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारम्भ करना संभव नहीं हो सका है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

8299. **श्री आनन्द अहिरवार :**

श्री बापूहरि चौरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश के प्रत्येक राज्य में स्थान-वार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) :

सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/यूनिटों की राज्यवार/शहरवार सूची :

	ऐलोपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक	यूनानी	सिद्ध
	1	2	3	4	5
महाराष्ट्र :					
बम्बई	28*	2	3	—	—
नागपुर	10××	2	1	—	—
पुणे	7	1	2	—	—
2 औषधालयों सहित					
गुजरात					
अहमदाबाद	3	1	1	—	—
उत्तर प्रदेश					
लखनऊ	6	1	1	1	—
**एक उप औषधालय सहित					
मेरठ	6	1	1	—	—
कानपुर	9	1	2	—	—
इलाहाबाद	7	1	1	—	—
पश्चिम बंगाल					
कलकत्ता	17	1	2	1	—

	1	2	3	4	5
बिहार :					
पटना	5	1	1	—	—
आंध्र प्रदेश :					
हैदराबाद	14**	2	2	2	—
कर्नाटक :					
बंगलौर	10	2	1	—	—
तमिलनाडु :					
मद्रास	14	1	1	—	1
मध्य प्रदेश :					
जबलपुर	2	—	—	—	—
उड़ीसा :					
भुवनेश्वर	1*	—	—	—	—
राजस्थान :					
जयपुर	5	1	1	—	—
दिल्ली :					
दिल्ली	84	13	13	4	1
	228	31	33	8	2

2 उप औषधालयों सहित।

**एक उप औषधालय सहित ।

*केवल महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों के लिए ।

ग्रामीण महिलाओं को स्व–रोजगार

8300. श्री यशवन्त राव पाटिल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना को कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) :

(क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने और अन्य आयोत्पादक कार्यकलापों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास" नामक एक योजना चला रहा है । इस प्रयोजन के लिए अपनाई गई मुख्य कार्यनीति निर्धन महिलाओं के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, ऋण और अन्य सहायता सेवाएं और अधिक सुलभ बनाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के समूह बनाये जाते हैं ताकि उन्हें समर्थ बनाया जा सके।

उपर्युक्त के अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भी करता है जिनके द्वारा कुछ हद तक ग्रामीण महिलाओं को भी स्वरोजगार मिलता है :

1. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-रोजगार और आयोत्पादक उत्पादन एकक की योजना (नोराड) के अन्तर्गत महिलाओं को सतत आधार पर रोजगार प्रदान करने और अधिमानतः गैर पारम्परिक व्यवसायों में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

2. रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) योजना कृषि, डेयरी उद्योग, लघु स्तर पर पशु पालन, मछली पालन खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें महिलाएं काफी संख्या में कार्यरत होती हैं, महिलाओं के लिए रोजगार हेतु सहायता प्रदान करती है । यह योजना अति निर्धन, सर्वाधिक सीमान्तक और सम्पत्ति विहीन वर्गों की महिलाओं पर संकेन्द्रण करती है ।

3. सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम जरूरतमंद महिलाओं को "काम और मजदूरी" प्रदान करता है । इस योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

4. आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का एक घटक "महिलाओं के लिए आयोत्पादक कार्यकलाप" है। इसके अन्तर्गत उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के 120 ब्लाकों को कवर किए जाने की व्यवस्था है ।

[अनुवाद]

अध्यापकों से अभ्यावेदन

8301. श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत कई वर्षों से बंद दिल्ली नगर निगम से सहायता प्राप्त कुछ विद्यालयों के अध्यापकों से दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों में उन्हें खपाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (ग) जी, हां। ऐसे पांच सहायता प्राप्त स्कूल हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं और इन स्कूलों का स्टाफ, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में कार्य कर रहा है। इन स्कूलों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री सनातन धर्म कन्या पाठशाला, चीराखाना।
2. आर्य पुरुषार्थी बाल, चूना मण्डी, पहाड़ गंज, दिल्ली।
3. आर्य पुरुषार्थी कन्या, चूना मण्डी, पहाड़ गंज, दिल्ली।
4. महामाना प्राइमरी स्कूल, बी ब्लाक, जगतपुरी, दिल्ली।
5. ऋषभ जैन प्राइमरी स्कूल, गली नं० 2, रघुबरपुरा, गांधी नगर, दिल्ली।

दिल्ली नगर निगम में विलयन से सम्बन्धित उनके मामले सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत निपटाए जायेंगे।

[हिन्दी]

खाद्यानों की खरीद एवम् विक्रय मूल्य

8302. श्री मोतीलाल कुमार :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गेहूं और चावल के खरीद मूल्य क्या रहे ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गेहूं और चावल के विक्रय मूल्य क्या रहे ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित खरीद मूल्यों और विक्रय मूल्यों में कोई अन्तर है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने इन वर्षों में इस अन्तर को कम करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :

(क) गत तीन विपणन वर्षों के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार रहा है :—

विपणन वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)
1988–89	173.00
1989–90	183.00
1990–91	215.00
1991–92	225.00
1992–93	250.00

विवरण-1 संलग्न है जिसमें लेवी चावल के वसूली मूल्य दिए गए हैं (उपाबन्ध–1) ।

(ख) विवरण–2 संलग्न है ।

(ग) से (च) समर्थन मूल्यों में वार्षिक वृद्धियों के भारतीय खाद्य निगम की वसूली लागतों पर प्रभाव को दृष्टि में रखने के बाद सुविचारित सामाजिक नीति के मामले के रूप में सरकार द्वारा गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नतर स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं । तथापि, केन्द्रीय निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम की समस्त आर्थिक लागतों को पूरा नहीं करते हैं और भारतीय खाद्य निगम को अंतर राशि की प्रतिपूर्ति खाद्य राज सहायता के रूप में की जाती है।

विवरण–1

1988–89, 1989–90, 1990–91 और 1991–92 के विपणन मौसमों के लिए लेवी चावल का वसूली मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र० सं०		साधारण			
		1988–89	1989–90	1990–91	1991–92
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	266.05	304.15	338.55	387.55
2.	असम	261.45	301.60	335.75	384.45
3.	बिहार	254.00	293.00	326.20	368.20
4.	गुजरात	243.90	281.25	313.00	358.55
5.	हरियाणा	270.85	312.05	347.50	396.65
6.	दिल्ली	253.55	–वही–	–वही–	–वही–
7.	कर्नाटक	250.90	289.40	322.20	369.10
8.	मध्य प्रदेश	259.15	298.95	334.55	383.10
9.	उड़ीसा	266.50	307.40	345.05	394.90
10.	पंजाब	269.50	310.50	347.25	396.40
11.	राजस्थान	262.55	302.95	341.25	389.45
12.	उत्तर प्रदेश	251.85	290.05	330.70	377.80
13.	पश्चिम बंगाल	251.60	290.25	323.15	370.25
14.	महाराष्ट्र	255.35	294.40	330.05	377.90
15.	पांडिचेरी	245.70	283.80	313.90	356.70
16.	चण्डीगढ़	269.50	310.50	338.20	393.00

(रूपये प्रति क्विंटल)

बढ़िया				उत्तम			
1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
7	8	9	10	11	12	13	14
281.95	319.90	354.30	403.30	297.85	335.65	370.05	419.05
281.30	322.10	356.75	406.25	297.15	337.90	372.60	422.10
271.90	311.30	344.80	392.80	287.20	326.60	360.10	408.10
258.40	295.70	327.50	373.05	272.90	310.20	342.00	387.55
295.60	338.05	374.55	425.20	314.50	357.25	394.10	445.10
276.75	-वही-	-वही-	-वही-	294.40	-वही-	-वही-	-वही-
265.85	304.35	337.15	384.05	280.80	319.35	352.10	399.05
274.60	314.40	350.10	398.65	290.10	329.90	365.65	414.20
282.40	323.35	361.10	411.00	298.30	339.25	377.15	427.05
294.10	336.35	374.30	424.90	312.90	355.45	393.80	444.80
284.55	325.80	365.00	414.50	300.60	341.85	386.95	437.15
266.70	304.95	345.90	393.00	287.90	327.00	369.25	417.45
269.30	308.35	341.55	389.15	284.45	323.50	356.70	404.30
270.55	309.55	345.35	393.15	285.70	324.70	360.60	408.45
260.50	298.60	328.20	371.50	—	313.40	343.00	386.30
294.10	336.35	364.55	421.25	312.90	355.45	383.50	441.00

विवरण–2

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से)

(दर रुपये प्रति क्विंटल)

I. चावल

निम्न तारीख से प्रभावी	साधारण	बढ़िया	उत्तम
25–1–1989	244.00	304.00	325.00
25–6–1990	289.00	349.00	370.00
28–12–1991	377.00	437.00	458.00

II. गेहूं

निम्न तारीख से प्रभावी	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
25–3–1988	204.00
1–5–1990	234.00
28–12–1991	280.00

[अनुवाद]

"अक्षर ज्योति"

8303, प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साक्षरता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में अक्षर ज्योति कार्यक्रम चलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (रा० सा० मि०) के सहयोग से देश के कई जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान (पू० सा० अ०) आरम्भ किए गए। पूर्ण साक्षरता अभियान समयबद्ध आधार पर जिला साक्षरता समितियों द्वारा विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ पंजीकृत समितियों

द्वारा ही कार्यान्वित किए जाते हैं और इन के अध्यक्ष जिलाधीश उपायुक्त होते हैं। पूर्ण साक्षरता अभियान जिले के कुछ हिस्सों में ही चलाए जाते हैं। ये सोसाइटियां विभिन्न नामों, जैसे कि 'अक्षर ज्योति' आदि के तहत पंजीकृत हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ करने के लिए राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी आवधिक बैठकों में जिलों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक मौलिक कार्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात ही संबंधित जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा मार्च, 1992 तक (139 जिलों को शामिल करते हुए) 88 पूर्ण साक्षरता अभियानों को संस्वीकृति प्रदान की गई।

इनमें से केरल में हरनाकुलम को सबसे पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था उसके पश्चात अपने-अपने पूर्ण साक्षरता अभियान पूरे करने पर पूरे केरल राज्य संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी, बर्दवान जिला (पश्चिम बंगाल) दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक) सिन्धुदुर्ग तथा वर्धा (महाराष्ट्र) को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया।

पूर्ण साक्षरता अभियान के पहले चरण को पूरा करने अथवा अग्रिम स्थिति प्राप्त करने पर केरल राज्य, संघ शासित प्रदेश, पांडिचेरी तथा बर्दवान और मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के जिलों, दक्षिण कन्नड़, और बीजापुर (कर्नाटक) सिन्धुदुर्ग तथा (महाराष्ट्र) में नव-साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

खरगौन के साथ रेल-सम्पर्क

8304. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या खरगौन को इंदौर और खण्डवा रेल लाईन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी। इस खण्ड के एक भाग खण्डवा-खरगांव नई बड़ी लाईन के लिए 1986 में सर्वेक्षण किया गया था जिससे यह पता लगा था कि यह परियोजना अलाभप्रद होगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन

8305. डा० रामचन्द्र डोम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) नलबन्दी तथा नसबन्दी आपरेशनों पर अनुमानित कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) पुरुष तथा महिला नसबन्दी आपरेशन लागत में यदि कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमति डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) :

(क) भारत सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए स्वास्थ्य स्टाफ के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती । तथापि, नसबन्दी/आई० यू० डी० निवेशन के स्वीकार-कर्त्ताओं के मजदूरी को हानि के लिए मुआवजे की योजना के अन्तर्गत क्रमशः महिला नसबन्दी पुरुष नसबन्दी तथा आई० यू० डी० निवेशन के प्रत्येक मामले के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को 200 रुपए, 180 रुपए, और 12 रुपए दिए जाते हैं । इन धनराशियों में से तीस रुपए, चालीस रुपए और 0.50 पैसे प्रकीर्ण प्रयोजन के निधि के खाते में डाल दिए जाते हैं, जिसका प्रयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगे अन्य विभागों के कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ स्वास्थ्य स्टाफ के लिए प्रेरक शुल्क आदि के प्रावधान के लिए किया जाता है । स्वास्थ्य स्टाफ के लिए प्रेरक शुल्क से संबंधित वास्तविक खर्च भारत सरकार द्वारा मानीटर नहीं किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) नलबन्दी तथा नसबन्दी आपरेशनों पर किए गए व्यय की राशि का अनुमान लगाने के लिए कोई स्टीक अध्ययन नहीं किया गया है।

विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्यापक

8306. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्यापकों और प्रोफेसरों को भेजने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में ऐसे कितने अध्यापकों को भेजा गया;

(घ) क्या देश में हिन्दी के विकास हेतु उत्तर भारत के हिन्दी प्रोफेसरों को दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत के प्रोफेसरों को उत्तर भारत में भेजने की भी कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) और (ख) : भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, द्विपक्षी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम और विदेशों में हिन्दी प्रसार की योजना के तहत विदेशी, विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाते हैं।

(ग) 1989–90 से 1991–92 की अवधि के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के तहत 12 हिन्दी शिक्षक भेजे गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बौद्ध स्मारकों और स्थलों के विकास के लिए जापान से सहायता

8307. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री बोल्लाबुल्ली रामैय्या :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या जापान बौद्ध स्मारकों और स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कोई स्थान विकसित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वित्तीय समस्याओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) जी हां।

(ख) सरकार ने (1) उ० प्र० और बिहार राज्य के परिलक्षित बौद्ध क्षेत्र के चुने हुए स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास (2) अजन्ता और एलोरा के संरक्षण और विकास हेतु जापान की ओ० ई० सी० एफ० के साथ एक ऋण के करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) जापान सरकार से ओ० ई० सी० एफ० की सहायता प्राप्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य में बौद्ध महत्व के स्थानों पर पर्यटन का

आधारभूत सुविधाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिए इस परियोजना के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा, जब उ० प्र० और बिहार राज्यों में चल रही यह परियोजना पूरा हो जाएगी ।

उड़ीसा में आपरेशन ब्लैक बोर्ड

8308. श्री श्रीकांत जेना :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या उड़ीसा के सभी जिलों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत वर्ष के दौरान उड़ीसा के लिए इस योजना के अन्तर्गत जिलावार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) उड़ीसा के सभी जिलों में 30-9-1986 तक के मौजूदा सभी प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने का विचार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : वर्षवार तथा जिलावार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते, इस योजना की चरण व्यवस्था राज्य सरकारों के कार्यान्वयन की गति तथा क्षमता पर निर्भर करती है । अब तक 1987-88, 1988-89 तथा 1990-91 के तीन चरणों में उड़ीसा राज्य के सभी जिलों के अन्तर्गत आने वाले 30498 स्कूलों को शामिल करते हुए संस्वीकृति प्रदान की गई है । रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन तथा निधियों का उपयोग निम्नानुसार है :—

(i) उपकरण :

संस्वीकृति धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
19,4166,000 रुपए	13,84,94,000 रुपए (71.32 प्रतिशत)

(ii) शिक्षक

संस्वीकृत पदों की संख्या	नियुक्त किए गए शिक्षकों की संख्या
10,638	10,638 (शत प्रतिशत)

(iii) निर्माण

निर्माण किए जाने वाले अपेक्षित कक्षा–कक्षों की संख्या	निर्माण किए गए कक्षा–कक्षों की संख्या
6744	1886 (27.96 प्रतिशत)

[अनुवाद]

हिन्दी विश्वविद्यालय

8309.

श्री गरुदास कामत :

श्री गोविन्द राव निकाम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब से प्रारंभ किये जाने की संभावना है;

(ग) यह कहां स्थित होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालयों की स्थापना को अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (ग) : सरकार ने हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(घ) से (च) : सरकार सामान्यतया किसी भाषा के अध्ययन के लिए ही कोई विश्व–विद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं है ।

दक्षिण–मध्य रेलवे में रेल पथों का नवीकरण

8310. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे में नवीकरण किये गये रेल–पथों की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान इस क्षेत्र में कुल कितने लंबे रेल पथों का नवीकरण करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) 1978 किलोमीटर ।
(पूर्ण रेल पथ यूनिट)

(ख) 928 किलोमीटर ।
(पूर्ण रेल पथ यूनिट) ।

(हिन्दी)

राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा

8311. **श्री गोविन्द राव निकाम :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने देश के विभिन्न राष्ट्रीय स्मारकों की दुर्दशा के संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता ।

(अनुवाद)

मानव आंख संचयन हेतु प्रौद्योगिकी

8312. **श्री अर्ल फर्नांडीज :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "टेक्नालाजी टू स्टोर ह्यूमन आईज" समाचार शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, दोनों तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नेत्रहीन लोगों के लाभ हेतु करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमति डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ) :

(क) और (ख) : नेशनल फैसिलिटी फार टिशु एण्ड सेल कल्चर पुणे ने, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एक स्वायत निकाय है मानव कार्निया के संचयन तथा रख रखाव के लिए हाल ही में प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया है। विशेष कल्चर मीडियम का प्रयोग करते हुए आर्गन कल्चर के उपायों का मानकीकरण किया गया है जो दो दिन के बजाय (परम्परागत तरीकों द्वारा) 35 दिन तक मानव कार्निया की व्यवस्था करती है।

(ग) और (घ) : नेशनल फैसिलिटी फॉर एनीमल टिशु सेल इस प्रौद्योगिकी का विकास तथा मानकीकरण करने के लिए विभिन्न क्लीनिशियनों तथा नेत्र बैंकों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती है और इसमें पूरी सफलता मिल जाने पर कार्निया के प्रतिरोपण के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

8313. श्री प्रकाश वी० पाटिल

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई में रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय यह मामला किस चरण में है;

(ग) क्या इस प्रकार प्राप्त धन का उपयोग केवल मुंबई में रेलवे के विकास के लिए किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) : रेलों की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बांद्रा में रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। यह एक पायलट परियोजना है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम

8314. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा जिला-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस दिशा में नियमित रूप से प्रयास करने के बावजूद जन्म दर प्रतिशत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) :

(क) से (घ) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

[अनुवाद]

सौराष्ट्र में छोटी रेल लाइनें

8315. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान छोटी लाईनों पर चलने वाली उन रेल गाड़ियों के नाम क्या हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या छोटी लाईनों की पटरियां, इंजन और यात्री डिब्बे बेकार पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इनका कैसे निपटान करने का विचार है; और

(घ) क्या जनता के लाभ के लिए ऐसी रेल गाड़ियों को ठेके पर चलाने के लिए प्राइवेट एजेंसियों को अनुमति देने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) से (ग) : सौराष्ट्र क्षेत्र में छोटी लाइन की कोई गाड़ी नहीं चल रही है । विनिर्मुक्त सवारी डिब्बों अथवा रेल इंजनों को गतायु होने के कारण या तो नाकारा घोषित कर दिया गया है या छोटी लाइन के अन्य खंडों पर लगा दिया गया है ।

(घ) : जी नहीं ।

पारिस्थितिक कार्य-बल

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष के दौरान वन्य सम्पत्ति की सुरक्षा में पारिस्थितिक ने क्या कार्य-बल भूमिका निभाई है;

(ख) क्या सरकार का विचार पारिस्थितिक कार्य-बल को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री श्री रंगाराजन कुमारमंगलम

(क) से (ग) : पारि-कृत्यक बलों की स्थापना कठिन क्षेत्रों में पारि-विकास के कार्य में भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग करने की दृष्टि से प्रायोगिक आधार पर की गई है। बल के मुख्य कार्यों में नर्सरियां उगाने, वृक्ष लगाने, मृदा तथा नमी संरक्षण कार्यों जैसी पारि-विकास की गतिविधियां शामिल हैं । इन बलों द्वारा किसी परियोजना अवधि के दौरान उगाये गये पौधों की देखभाल करने के अलावा इन बलों की वन सम्पत्ति की सुरक्षा करने की कोई भूमिका नहीं है ।

(हिन्दी)

मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं

8317. **श्री आनन्द अहिरवार :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का, वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमति डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ)

(क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कछुओं का विलुप्त होना

8318. **श्री यशवंतराव पाटिल :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछुओं की कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) परांम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य द्वारा कराये गए सर्वेक्षण के अनुसार किन-किन जानवरों की सुरक्षा की आवश्यकता है; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमगलम) :

(क) भारत में पाई जाने वाली कछुए की किसी भी प्रजाति को विलुप्त होने का खतरा नहीं है ।

(ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सभी वन्य जीवों को प्रदान की गई सुविधा के अतिरिक्त, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में संरक्षण, शिकार पर प्रतिबन्ध तथा वन्य जीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए हैं, जिससे कछुओं की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण में भी मदद मिलती है, कछुओं की कुछ प्रजातियों के बन्दी प्रजनन के लिए कुछ प्रजनन केन्द्रों ने कार्यक्रम शुरू किए हैं । कछुओं की कुछ प्रजातियों की पारिस्थिति की और प्रजनन जीव-विज्ञान में अनुसंधान भी किया जा रहा है ।

(ग) से (घ) : केरल राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

संस्कृत महाविद्यालय

8319. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

श्री विलासराव नागनाथ राव गूडवार :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्वविद्यालय-वार / बोर्ड-वार और राज्यवार आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/ स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1991-92 में उनके लिए केन्द्र द्वारा दी जाने वाली कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्यापकों और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) सरकारी रोजगार के उद्देश्य से इन संस्थानों द्वारा दी गई डिग्रियां किन विषयों के समकक्ष हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) : आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और शोध संस्थान की स्थापना की योजना के अन्तर्गत, देश भर में 14 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों और 2 शोध संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है। उनकी राज्य-वार तथा विश्वविद्यालय-वार स्थिति नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	महाविद्यालयों की संख्या	जिससे सम्बद्ध है
1. बिहार	4	1—के० एस० डी० संस्कृत विश्व-विद्यालय दरभंगा। 3—राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान,
2. हरियाणा	2	1—एम० डी० यूनिवर्सिटी। 1—कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय।
3. हिमाचल प्रदेश	1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय।
4. केरल	1	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान।
5. महाराष्ट्र (जिसमें एक शोध संस्थान भी शामिल है)	2	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली।
6. तमिलनाडु (जिसमें एक शोध संस्थान भी शामिल है)	3	2—मद्रास विश्वविद्यालय। 1—राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान,
7. उत्तर प्रदेश	3	सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्व-विद्यालय वाराणसी।

(ख) : वर्ष 1991–92 में उन्हें 1,13,23000/– रुपए के कुल राशि प्रदान की गई।

(ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) : इन संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की समतुल्यता नीचे दी गई है :—

(i) प्राक शास्त्री —इंटरमीडिएट के समतुल्य।

(ii) शास्त्री —स्नातक डिग्री के समतुल्य।

(iii) आचार्य —स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य।

नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में प्रधान अध्यापक

8320. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के प्राथमिक स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के कई पद लम्बे समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह पद कब से खाली पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (ग) : नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके प्राइमरी स्कूलों में मुख्याध्यापकों के 15 पद रिक्त हैं जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

तारीख, जिससे पद रिक्त हैं	पदो की संख्या
28-9-90	1
1-1-91	1
1-4-91	3
24-7-91	1
1-8-91	2
1-9-91	1
1-1-92	1
1-4-92	5

ये पद भरे नहीं जा सके क्योंकि कुछेक पद अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं और कोई भी अ० जा०/अ० ज० जा० का उम्मीदवार सामान्य अथवा यहां तक कि बढ़ाए गए विचारार्थ क्षेत्र में भी नहीं आता है। पदोन्नतियों, सेवानिवृतियों, से त्यागपत्रों और नए सृजित पदों के कारण शिक्षकों की रिक्तियां बढ़ती ही रहती हैं। पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा–निर्धारित नहीं की जा सकती ।

गुरूवायूर संस्कृत विद्यापीठ के लिए भवन :

8321. **प्रो० श्रीमति सावित्री लक्ष्मण**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुरूवायूर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के लिए भवन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संस्थान में रिक्त पड़ें पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) और (ख) जी हां - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान उस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसने 116.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से गुरूवायूर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के भवन निर्माण की तीन चरणों में क्रमश: शिक्षण एवं प्रशासनिक भवन, छात्रावास भवन तथा पुस्तकालय सह-समागार भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा है । निर्माण कार्य का पहला चरण शीघ्र आरंभ होने की संभावना है ।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : विद्यापीठ में निम्नलिखित पद रिक्त पड़े हुए हैं :—

रीडर (अद्वैत वेदांत) . . .	एक
रीडर (प्रशिक्षण)	एक
व्याख्याता (अद्वैत वेदांत)	एक
शारीरिक शिक्षा शिक्षक	एक
पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
तकनीकी प्रयोगशाला सहायक	एक

संस्थान ने रीडरों, शारीरिक शिक्षा शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को विज्ञापित करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं और व्याख्याता के पद के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है । विद्यापीठ के प्रिंसिपल ने तकनीकी प्रयोगशाला सहायक के पद को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं ।

जलोद्भूत रोग

8322. श्रीमति वसुन्धरा राजे :

डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दिल्ली में जलोद्भूत रोगों की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों से इस प्रकार की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महामारी का रूप लेने से पूर्व इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गयें हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) और (ख) : चालू वर्ष 1992 के दौरान महरौली के निकट आसोला गांव में लगभग 100 व्यक्तियों के ज्वर और उल्टी से पीड़ित होने की सूचना दी गई जिसमें से 10 रोगियों को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा था। अस्पताल में इनमें से अधिकतर रोगियों का टायफ़ायड ज्वर के लिए उपचार किया गया।

इस अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी, पीतमपुरा से पीलिया के 54 रोगियों की सूचना प्राप्त हुई।

यद्यपि जठरान्त्र शोथ और हैजे के कुछ रोगियों की भी सूचना प्राप्त हुई, फ़िर भी किसी विशेष इलाके में कोई रोगी स्मूह्ल नहीं पाया गया है।

(ग) टाइफायड रोगियों के संबंध में जल के स्रोतों से नमूने लेने के लिए डाक्टरों और तकनीकी अधिकारियों के दल को प्रतिनियुक्त किया गया। टायफ़ायड के विरुद्ध रोग-प्रतिरक्षण का कार्य शुरू किया गया और जल के उपयुक्त क्लोरीनिकरण की जांच की गई। पानी के टैंकरों के माध्यम से पेय जल की आपूर्ति की गई।

पीतमपुरा में पीलिया के रोगियों के संबंध में पी वी सी के पाइपों में रिसाव होने से जल के दूषित होने का पता चला। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब इन रिसावों को बन्द कर दिया है। दिल्ली नगर निगम ने जल का क्लोरीनिकरण कर दिया है और क्लोरिन की मात्रा के पाजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निगरानी और मानीटरिंग, पीने के साफ़ पानी की आपूर्ति मानव-मल और कूड़ा-करकट का सुरक्षित निपटान, पर्यावरणिक स्वच्छता के सुधार और स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करने जैसे जलोदभूत रोगों की रोकथाम किए जाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा सामान्य तौर पर आवश्यक उपाए किए जा रहे हैं।

डी०पी०टी० के० टीके के कारण हुई मौतें

8323. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से डी० पी० टी० टीके से दिल्ली तथा अन्य संघ राज्यों क्षेत्रों में कितने बच्चों की मौत हुई;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ) :

(क) जनवरी, 1992 तक डी० पी० टी० टीकाकरण के पश्चात दिल्ली अथवा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों से किसी बच्चे के मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हुबली रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशाप का विस्तार

8324. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली रेल इंजीनियरी कारखाना के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहां किन-किन वस्तुओं/उपस्करों का निर्माण करने की योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) जी हां ।

(ख) रेल कारखाना हुबली के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए अनन्तिम रूप से उसकी पहचान की गई है । वहां निर्मित की जाने वाली अतिरिक्त मदों/उपस्करों का निर्माण किए जाने के संबंध में निर्णय इसका विस्तार करते समय लिया जाएगा ।

[हिन्दी]

"लम्बित विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति"

8325. **श्री नारायण भाई जमलाभाई राठवा :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में लम्बित विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में अप्रैल 1992 के प्रथम सप्ताह में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों और अन्य मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था,

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वालों द्वारा किए गए सुझाव/सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

(क) से (ग) : बिजली के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ऊर्जा विभाग ने 4-4-92 को राज्यों के बिजली मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में, संक्षेप में निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए :

1. राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उपयुक्त वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर कार्य करने और ई. एस. अधिनियम, 1948 में यथा निर्धारित 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष सांविधिक न्यूनतम लाभ कमाने की आवश्यकता।
2. फिलहाल 50 पैसे प्रति किलोवाट की दर से कम से कम राष्ट्रीय कृषि शुल्क निर्धारित करने की आवश्यकता।
3. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शुल्क बोर्डों के तत्काल गठन की आवश्यकता।
4. जल विद्युत विकास को सर्वोधिक प्राथमिकता देने और आगामी दशक में 25000 मेगावाट हाइड्रो क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता, ताकि हाइड्रोकर्मल मिश्रण को सुधारा जा सके और इस प्रकार संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके तथा विद्युत प्रणालो का विश्वसनीयता बढ़ सके।

[अनुवाद]

नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संबंधी बैठक

8326. **श्री जार्ज फर्नांडीज :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फरवरी, 1992 में नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संचालन परिषद की विशेष बैठक में एक आठसूत्रिय योजना की रूपरेखा पेश की थी ; और

(ख) यदि हां तो इस पर्यावरण योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

संसदीयकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम)

(क) और (ख) : पर्यावरण और वन राज्य मंत्री ने फरवरी में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद के तीसरे विशेष सत्र को सम्बोधित करते हुए ऐसे आठ मुद्दे बताये थे, जिनका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में समाधान खोजने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के प्रति विकासशील देशों के दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

– विकास का अधिकार मूल मानव अधिकार है ;

– विश्व की अर्थ-व्यवस्था में असन्तुलन से विकासशील देशों पर भारी दबाव पड़ता है ;

– विश्व ऐसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में नहीं रह सकता, जिसमें धनी देशों की खपत और उत्पादन की प्रणालियों से विश्व पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचती हो जिससे निर्धन देश अपने अधिकारों से और अधिक वंचित रह जायें ।

– पर्यावरण समस्याओं का हल खोजने ,तथा इस प्रयोजन के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का दायित्व विकसित देशों का है ।

– यदि विकासशील देशों को विश्व के संदर्भ में पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करने हेतु प्रेरित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के *कुछ प्रतिकूल तथ्यों, जैसे व्यापार सन्तुलन, ऋण सेवा आदि को हटाना होगा ।

– सुरक्षित पेयजल भूमि अवक्रमण तथा वननाशन आदि जैसी स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को भी विश्व पर्यावरणीय समस्याओं की भाँति हल करने की आवश्यकता है ।

– प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय प्रभुसम्पन्नता को पूर्व मान्यता और समर्थन तथा राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं और नीतियां निर्धारित करने का अधिकार ।

– बहुपक्षीय वित्तीय संसथाओं को अपने कार्यों में अधिक स्पष्ट और प्रजातांत्रिक बनाना तथा विशिष्ट विश्व करारों के लिए एक पृथक और समर्पित निधीयन कार्यविधि बनाना ।

पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों के लिए परिषद

8327. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी-पत्राचार संस्थानों को एक ही परिषद के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परिषद केन्द्र सरकार के प्राधिकार में कार्य करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) से (ख) : इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 की धारा 5(2) के प्रावधानों के अनुसार यह विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा कि वह मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों की प्रोन्नति और शिक्षण के स्तरों के निर्धारण, ऐसी पद्धतियों में मूल्यांकन तथा अनुसंधान के लिए, यथा उपयुक्त सभी कदम उठाएं । इस प्रावधान के अनुसरण में, इं० गा० रा० मु० वि० ने शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में एक दूरस्थ शिक्षा परिषद् स्थापित की है दूरस्थ शिक्षा परिषद

की स्थापना से संबंधित कानूनों में इसके गठन, शक्तियों तथा कार्यों की व्यवस्था है। यह परिकल्पना की गई है कि इं० गां० रा० मु० वि०, दूरस्थ शिक्षा परिषद के माध्यम से कार्य करते हुए, धीरे-धीरे पत्राचार अध्ययन संस्थानों सहित, देश के मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों में स्तरों की प्रोन्नति तथा समन्वय के कार्य की पूर्ण जिम्मेदारी संभाल लेगा।

कर्नाटक में परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

8328. **श्री एस० बी० सिदनाल**

श्री बी० कृष्णा राव

श्री के० एच० मुनियप्पा

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में बरही वनबिजली परियोजना, कोंकण रेलवे परियोजना और सन्दूर हिल्स में लोह अयस्क खनन संबंधी लाइसेंस प्रदान करने की पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रंगराजन कुमारमंगलम)

(क) से (ग) : सन्दूर हिल्स में लोह अयस्क खनन प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए मंत्रालय को नहीं भेजा गया है। बरही पन बिजली परियोजना को अपेक्षित योजनाएं न भेजे जाने के कारण जुलाई, 1984 में नामंजूर किए जाने के बाद परियोजना प्राधिकारियों से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। कोंकण रेलवे परियोजना अप्रैल 1992 में ही प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

स्त्रीरोग एवं प्रसूति अस्पताल, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली के लिए धनराशि का आवंटन

8329. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्त्रीरोग और प्रसूति अस्पताल, रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली को गत वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई और अस्पताल द्वारा गत वर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या उचित सफाई प्रबन्ध, बिस्तरों की मैटरेसिसों को बदलने तथा औषधियों की उपलब्धता एवम् वहां पर महिला रोगियों को उचित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाये गये;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ)

(क) स्त्रीरोग और प्रसूति अस्पताल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली के लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। इसका व्यय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के समेकित बजट अनुदान से वहन किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। बिस्तरों के पुराने मैटरेसिसों के स्थान पर नए मैटरेसिसों की व्यवस्था की जा रही है। अंतरंग रोगियों को भोजन चिकित्सा अधीक्षक की समग्र देखरेख में प्रदान किया जा रहा है। उपलब्ध औषधें तत्काल प्रदान की जाती हैं। जो औषधें उपलब्ध नहीं होती हैं। उन्हें स्थानीय केमिस्ट से खरीद कर शीघ्र प्रदान कर दिया जाता है।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एकल खाद्य क्षेत्र

8330. **श्री आर्थर फर्नान्डीज**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य समस्या को हल करने हेतु सम्पूर्ण देश के लिए एकल खाद्य क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्यमन्त्री (तरुण गोगोई)

(क) से (ग) : गेहूं, लेवी मुक्त चावल और मोटे अनाजों का संचलन करने के लिए समस्त देश को पहले से ही एक जोन के रूप में माना जाता है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक

पंजाब, उत्तर प्रदेश (कुछ प्रखण्डों में) और चण्डीगढ़ के संघ शासित प्रदेश की सरकारों ने धान के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और राजस्थान पांडिचेरी और तमिलनाडु ने स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कुछ निर्यात लेवी लगाई है।

दुर्लभ प्रजातियों के लिए परियोजनाएं

8331, **श्री एस०बी० चोरात :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्लभ प्रजातियों के वैज्ञानिक और तीव्र विकास हेतु गत तीन वर्षों में तैयार की गई "प्रोजेक्ट टाइगर" और अन्य विशेष परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान किन-किन खामियों का पता चला है; और

(घ) इस संबंध में भावी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम)

(क) और (ख) सरकार ने बाघ परियोजना के निष्पादन की 1989 में पुनरीक्षा की है। लेकिन अन्य दो विशेष परियोजनाओं अर्थात् असम में गैंडों का संरक्षण और हाथी परियोजना (जिसे 1992 में शुरू किया गया था) की पुनरीक्षा नहीं की गई है।

(ग) पुनरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार बाघ परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(1) अधिकांश बाघ रिजर्वों में फील्ड निदेशक का कोर तथा बफर दोनों क्षेत्रों पर कोई समान नियंत्रण नहीं है।

(2) अधिकांश मामलों में कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने से संबंधित दूसरी अधिसूचना जारी नही की गई है।

(3) अधिकांश बाघ रिजर्वों में पशु चिकित्सा ईकाइयों की स्थापना नहीं की गई है।

(4) अधिकतर सभी बाघ रिजर्वों में अनुसंधान को पीछे का क्रम दिया गया है।

(5) लगभग सभी बाघ रिजर्वों में अत्यधिक पर्यटन के हानिकर प्रभाव को महसूस किया जाने लगा है।

(6) कई बाघ रिजर्वों में विवेचन केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं ।

(7) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रबंध-योजनाएं मंजूर नहीं की गई हैं ।

(घ) राज्य सरकारों को उपचारी कार्रवाई आरंभ करने की सलाह दी गई है । "बाघ परियोजना क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि-विकास" नामक एक नई स्कीम चलाई गई है ताकि ऐसे उद्यानों के हिस्से में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके और लोगों एवं उद्यान प्राधिकारियों के बीच होने वाली झड़पों में कमी लाई जा सके ।

जनसंख्या नियंत्रण

8332. **श्री मानिकराव होडल्या गावीत :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है जहां गत तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक रही ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं ; और

(ग) इन क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ)

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है । बहरहाल, 1981 की जनगणना के आंकड़ों से प्राप्त जिलावार जन्म-दर के आधार पर, प्रति हजार जनसंख्या पर 39 से अधिक जन्म दर वाले 90 जिलों का पता लगाया गया है और उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) हाल में तैयार की गई कार्य-योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत इन जिलों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए कुछ विशेष उपाय सुझाए गए हैं । कार्य योजना में उल्लिखित विभिन्न घटकों के प्रचालन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्ययोजना की प्रतियां भेज दी गई हैं ।

विवरण

प्रतिहजार जनसंख्या पर 39 से अधिक जन्मदर वाले 90 जिलों की राज्यवार सूची

राज्य	जिला
बिहार	1. नवादा
	2. सहरसा

राज्य		जिला
	3.	समस्तीपुर
	4.	कटिहार
	5.	गया
गुजरात	6.	कच्छ
	7.	बनासकांठा
हरियाणा	8.	भिवानी
केरल	9.	मालापुरम
मध्य प्रदेश	10.	सीहोर
	11.	रीवा
	12.	गुना
	13.	दमोह
	14.	ग्वालियर
	15.	पन्ना
	16.	रायसेन
	17.	होशंगाबाद
	18.	विदिशा
	19.	टीकमगढ़
	20.	भिंड
	21.	पश्चिम निमाड़
	22.	सागर
	23.	झबुआ
	24.	भोपाल
	25.	शिवपुरी
	26.	बेतूल
	27.	छतरपुर
	28.	मुरैना
	29.	पूर्वी निमाड़
	30.	दतिया
	31.	धार
	32.	सतना
उड़ीसा	33.	बालेश्वर

राज्य	जिला
राजस्थान	34. जोधपुर
	35. उदयपुर
	36. सवाई माधोपुर
	37. कोटा
	38. झालवाड़
	39. जालौर
	40. डूंगरपुर
	41. भरतपुर
	42. बांसवाड़ा
	43. अजमेर
	44. सिरोही
	45. गंगा नगर
	46. जयपुर
	47. सीकर
	48. बीकानेर
	49. पाली
	50. बाड़मेर
	51. अलवर
	52. बूंदी
	53. नागौर
	54. झुंनुझुनु
	55. टोंक
	56. चुरू
उत्तर प्रदेश	57. फर्रूखाबाद
	58. प्रतापगढ़
	59. मैनपुरी
	60. बांदा
	61. आजमगढ़
	62. शाहजहांपुर
	63. टिहरी गढ़वाल
	64. हरदोई

राज्य		जिला
उत्तर प्रदेश	65.	मुरादाबाद
	66.	अलीगढ़
	67.	ललितपुर
	68.	पीलीभीत
	69.	देवरिया
	70.	बुलंदशहर
	71.	गोरखपुर
	72.	बदायूं
	73.	सहारनपुर
	74.	सीतापुर
	75.	बस्ती
	76.	सुल्तानपुर
	77.	एटा
	78.	जौनपुर
	79.	आगरा
	80.	बरेली
	81.	गोंडा
	82.	इलाहाबाद
	83.	नैनीताल
	84.	मेरठ
	85.	बिजनौर
	86.	रायबरेली
	87.	गाजियाबाद
	88.	रायपुर
पश्चिम बंगाल	89.	मालदा
	90.	मुर्शीदाबाद

[हिन्दी]

सिंथेटिक ट्रेक

8333. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री के० प्रधानी : } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1992 के राष्ट्रीय सहारा में "कृत्रिम ट्रैक बिछाने में लाखों का घपला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अभ्यास केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां जाँच करने पर निम्न स्तर के ट्रैक पाए गये है;

(ग) उनमें से ऐसे अभ्यास केन्द्रों के नाम क्या हैं जहाँ कंपनी ने ट्रैकों को नए सिरे से बदल दिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) : भारतीय खेल प्राधिकरण के कुछ अभ्यास केन्द्रों में विदेशी कम्पनी द्वारा बिछाए गए सिंथेटिक ट्रैकों की रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान द्वारा की गई जाँच को समाचार मद में उल्लिखितानुसार प्रतिकूल पाया गया है । यह आरोप कि मैसर्स बालसम स्पोर्टस लिमिटेड, साईप्रस ने घटिया किस्म के ट्रैक बंगलौर के अभ्यास केन्द्र में बिछाए थे तथा सरकार द्वारा इसी कम्पनी से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने के लिए दूसरा समझौता किया गया है ।

बंगलौर में बिछाया गया पहले का ट्रैक दोषपूर्ण पाया गया था । आपूर्तिकर्ता ने अपनी लागत पर लगभग नए सिरे से इसे बिछाया है । इस ट्रेक को संयुक्त अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

हिसार में सिंथेटिक ट्रैक के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने और आपूर्ति करने हेतु मैसर्स बालसम के साथ समझौता किया है तथा सरकार ने इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 40 लाख रुपये दिए थे । ट्रैक अभी तक बिछाया नहीं गया है ।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

8334 **श्री मणिशंकर अय्यर :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांति निकेतन में पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है,

(ख) यदि हां तो, इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र ने हाल में विज्ञापन देकर डिजाइनों की मांग की है, और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित भवन का निर्माण शांति निकेतन अथवा किसी अन्य स्थान पर किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) और (घ) पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र शांति निकेतन में स्थापित किया जा चुका है । तथापि, 1989 में केन्द्र के शासी निकाय ने यह निर्णय किया था ।

कि यद्यपि केन्द्र का मुख्यालय शान्ति निकेतन में होगा किन्तु संचालन केन्द्र कलकत्ता मे होगा ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के लिए 8 एकड़ भूमि शांति निकेतन में तथा 3 एकड़ भूमि बिधान नगर, कलकत्ता में मुफ्त दी है ।

(ग) शांति निकेतन में प्रस्तावित सांस्कृतिक परिसर एवं कलकत्ता में भवन के लिए योजना कार्य करन के इच्छुक वास्तुकारों से आवेदन-पत्र आंमंत्रित किए गए हैं ।

[हिन्दी]

बुरहानपुर में ऐतिहासिक भवन

8335. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बुरहानपुर में कितने ऐतिहासिक भवनों का रख-रखाव कर रहा है;

(ख) इन भवनों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ग) क्या सरकार इन ऐतिहासिक भवनों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने हेतु प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री अर्जुन सिंह)

(क) से (घ) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास बुरहानपुर में केन्द्रीय संरक्षित नौ स्मारक हैं, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातत्वीय मानकों के अनुसार उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप रखरखाव और संरक्षण किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों में स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास पर हुआ व्यय निम्नानुसार है :-

1989-90	रु० 1,27,390/-
1990-91	रु० 2,01,866/-
1991-92	रु० 1,33,016/-

[अनुवाद]

खाद्यान्नों में अशुद्धता

8336. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री सनत कुमार मंडल :
मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यू० एन० आई० के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खरीदे गये खाद्यान्नों में 49 प्रतिशत तक की अशुद्धता सरकारी तौर पर क्षम्य है ;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न में इतनी अधिक मात्रा में अशुद्धता को स्वीकार करने का औचित्य क्या है;

(ग) अखाद्य पदार्थ, टूटे-फूटे बदरंग, अंकुरित तथा घुन लगे खाद्यान्नों तथा मिलाये गये घटिया किस्म के अनाज का ग्राह्य स्तर अलग-अलग क्या है;

(घ) यह फार्मूला कि तारीख से शुरू किया गया है ;

(ङ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले घटिया किस्म के खाद्यान्नों के बारे में सरकार को जानकारी मिली है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस फार्मूले में संशोधन करने का है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई)

(क से च) : उक्त यू० एन० आई० समाचार, जो कि वास्तव में सही नहीं है और जो कि धान और गेहूं की वसूली करने के लिए निर्धारित तकनीकी विनिर्दिष्टियों के भ्रांतिपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित है, की तरफ सरकार का ध्यान गया है। ये विनिर्दिष्टियां देश में कृषि संबंधी पद्धतियों और कृषि मौसमी स्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। विजातीय तत्व (अशुद्धता) की गेहूं के मामले में केवल 0-75 प्रतिशत और चावल के मामले में केवल 1-0 प्रतिशत तक की इजाजत दी जाती है। एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्तमान विपणन मौसम के दौरान सरकारी एजेन्सियों द्वारा धान, चावल और गेहूं की वसूली करने के लिए देशभर में एक-समान रूप से लागू धान, चावल और गेहूं की विनिर्दिष्टियों में विजातीय तत्व, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित, घुने हुए अनाज और निम्नतर किस्मों के विविध मिश्रण की अधिकतम मात्रा के बारे में किए गए प्रावधान की स्थिति दी गई है। विनिर्दिष्टियों में इस प्रकार की एकरूपता पहली बार विपणन मौसम, 1968-69 में लागू की गई थी। तथापि, राज्य सरकारों के परामर्श से विपणन मौसम के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक वर्ष विनिर्दिष्टियों की समीक्षा की जाती है और प्राकृतिक विपदाओं के मामले में भी समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों को विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों/उनके नामितों को निर्गम से पूर्व खाद्यान्नों के स्टाक की करने जांच की इजाजत दी जाती है और यदि कोई ढेर निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं होता है तो उस दशा में राज्य सरकारें/उनके नामिती उस ढेर को अस्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

विवरण

क्रम सं० — वर्तमान का नाम — वर्तमान विपणन मौसम के दौरान विनिर्दिष्टियों में निम्नलिखित अधिकतम प्रतिशतता का प्रावधान किया गया है।

			चावल			
			साधारण/बढ़िया		उत्तम	
	गेहूं	धान	कच्चा	सेला	कच्चा	सेला
1. विजातीय तत्व	0.75%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
2. क्षतिग्रस्त अनाज	3.00%	3.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%
3. अंकुरित अनाज			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4. बदरंग अनाज	शून्य		4.0%	8.0%	3.0%	5.0%

5. घुना हुआ अनाज 3.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
6. विविध मिश्रण (निम्न-					
तर किस्म का)	लागू नहीं	10.0%	20.0%	20.0%	20.0%

12 00 मध्याह्न

[व्यवधान]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलिए । पिछली सीटों पर बैठे सदस्यों को भी अपनी बात कहने दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, 22 मार्च को होम मिनिस्टर कच्छ में गए थे । वहां उन्होंने हमारे जवानों का हौसला बढ़ाया और यह भी बताया कि सीमा पर से पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे हैं । मगर, दूसरे दिन ही होम मिनिस्टर को चुनौती दी । जामनगर के पास सलाया है । वह कस्टम का बड़ा अड्डा है । लेन्डिंग एजेंट को पकड़ने के लिए कस्टम के लोग खंभालिया जाते हैं । एक दिन खंभालिया से लैन्डिंग एजेंट को पकड़कर एक होटल के पास तीन किलोमीटर दूर ले आए तो पीछे से दो ट्रक और एक कार आई । कस्टम के दो सिपाहियों को वहां मार दिया गया और कस्टम इन्सपैक्टर की रिवाल्वर छीन ली । बाकी चार-पांच लोगों को चोटें पहुंची और वे लोग छुड़ाकर ले गए । हमारे यहां सिर्फ खंभालिया ही नहीं सलाया में आज मिल नहीं है, फिर भी मानचेस्टर कहलाता है । द्वारिका है, तो वहां भी पाकिस्तानियों की घुसपैठ होती है । वहां पर पाकिस्तानियों के 900 राशन कार्ड पकड़े गए, जोकि हिन्दुस्तानी नहीं हैं जबकि वे हिन्दुस्तानियों का राशन खाते हैं । बीड दूसरा पाकिस्तान होने जा रहा है । यदि ध्यान नहीं दिया तो बीड, काश्मीर और पंजाब से ज्यादा तकलीफ वाला हो जायेगा । हमारे यहां गवर्नमेंट का राज नहीं चलता । हमारे यहां स्मगलरों की पैरेलल गवर्नमेंट चलती है । जब सोना, चांदी, कपड़ा और इलैक्ट्रोनिक सामान की स्मगलिंग होती थी तब तो ठीक था, मगर आज मादक द्रव्यों जैसे हेरोइन, कोकिन और आधुनिक हथियार भी आने लगे हैं और इनका इस्तेमाल होता है, वह हमारे देश के तानाशाहों और आतंकवादियों के पास पहुंच जाता है । इसका हमारे खिलाफ उपयोग होता है तो सरकार क्या करती है । सरकार आज तक कुछ नहीं कर सकी । करोड़ों रुपयों का माल पकड़ा जाता है और अरबों रुपयों का माल चला जाता है, फिर भी सरकार देखती रहती है । मेरी मांग है कि काफी सालों से वहां पड़े हुए कस्टम के और पुलिस अधिकारियों को बदला जाए । प्रामाणिक अफसरों को बार-बार बदला जाता है और दो-तीन महीने नहीं टिकने देते ।

जो भ्रष्टाचारी हैं वे काफी सालों से वहां पड़े हुए हैं । जो कस्टम के सिपाही मारे गए हैं उनका राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे राष्ट्र की खातिर मारे गए हैं,

उनको पुरस्कार भी देना चाहिए। आज हमारे यहां जो तस्कर हैं उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। वहां के बातेमदारों का करोड़ों रुपया दिल्ली की सरकार के वित्त विभाग में पड़ा हुआ है, वह भी नहीं मिलता। उसकी वजह से बातमी नहीं मिलती। यह सारे राष्ट्र का सवाल है इसके लिए कस्टम वालों को आधुनिक लांच देनी चाहिए, पुलिस को आधुनिक वेपंस देने चाहिएं, क्योंकि तस्करों के पास आधुनिक हथियार, राकेट और लांचर आदि हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक महीना हो गया है, एक दिन ऐसा नहीं है जब गुजरात के पेपर्स में स्मगलिंग के बारे में कुछ न कुछ लिखा जाता हो। अतः मेरी मांग है कि जो कस्टम के दो आदमी मरे हैं उनको उचित सम्मान दिया जाये।

श्रीमती रीता वर्मा (धनबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में, महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उनमें जो नवीनतम अध्याय है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं आशा करती हूं कि पूरे सदन के सहयोगीगण इस मुद्दे पर हमारे साथ होंगे। क्योंकि यह राजनीति का मामला नहीं है, यह नारियों के मान-सम्मान का मामला है। पिछले तीन चार दिनों से पूनम नाम की लड़की की कहानी रोज अखबारों में निकल रही है, कल यहां भी इस विषय को उठाया गया था। हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि गृह मंत्री इस पर वक्तव्य देंगे। लेकिन लगता है कि एक नारी के मान-सम्मान का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं कि गृह मंत्रालय उसकी सुध ले, उसके बहरे कानों तक लगता है हमारी चीख नहीं पहुंचती है।

यह तब हो रहा है जब केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त महिला आयोग की अध्यक्षा जयंती पटनायक इस कार्य में स्वयं रूचि ले रही हैं और वे स्वयं गृह मंत्री जी से मिली भी हैं और उनको सारा केस बताया है। तब भी केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही है, गृह मंत्री कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि दूसरे मामलों का क्या होगा। महिला आयोग की उपयोगिता के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस आयोग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तब इसकी क्या प्रासंगिकता रह जाती है, यह कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है, यह आप देख लें।

राजधानी में गृह मंत्रालय की नाक के नीचे काल गर्ल का धंधा फल-फूल रहा है। बड़े-बड़े दलाल पुलिस के सक्रिय सहयोग से मासूम लड़कियों को इस पेशे में प्रवृत्त करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस को जो रक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, वह स्वयं भक्षक बनी

हुई है। न पुलिस प्रशासन के बड़े-बड़े अधिकारियों को इसकी चिन्ता है और न गृह मंत्रालय को इसकी कोई चिन्ता है।

मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगी कि इस मुद्दे पर हमारे साथ हो और नारियों के मान सम्मान का मामला इतना मामूली नहीं है कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाये। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे सदन में आयें और हमलोगों की आहत भावनाओं को सम्मान दें और एक वक्तव्य दें।

12.08 म० प०

प्रेस की स्वतंत्रता में तमिलनाडु सरकार के कथित हस्तक्षेप के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोतेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक गंभीर विषय की ओर जो प्रेस की आजादी से संबंधित है, खींचना चाहता हूं। तमिलनाडु में जिस ढंग से पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं...

[अनुवाद]

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : वह राज्य विधान सभा की कार्यवाही का हवाला दे रहे हैं। इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती और मैं इसका विरोध करता हूं। हम राज्य विधान सभा के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मुझे बोलने की अनुमति दी जाये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं विधान सभा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एम० आर० गणेशन जिनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जो तमिलनाडु वीकली के प्रिंटर हैं, की बात कर रहा हूं। पुलिस के द्वारा टार्चर किये जाने से कल उनकी मृत्यु हो गई है। उनको 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। यह सीधे प्रेस की आजादी पर खतरा है। एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में इतना टार्चर किया जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक बात देश के लिए और कोई नहीं हो सकती है। एक तरफ सरकार प्रेस की आजादी की बात कहती है तथा हमारे फंडामेंटल राईट्स में प्रेस की आजादी की बात करती है तो दूसरी तरफ प्रेस की आजादी पर सीधा कुठाराघात है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भारत सरकार इस सदन में वक्तव्य दें कि किन कारणों से श्री एस० आर० गणेशन, जिसकी उम्र 55 साल की है तथा एक वीकली का प्रिंटर था, उसका गिरफ्तार करके उसको टार्चर किया गया तथा कल उसकी मृत्यु हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह का एक उदाहरण नहीं है बल्कि तमिलनाडू में इस तरह का जंगल का राज चल रहा है। सरकार के अपने मन के मुताबिक यदि प्रैस काम नहीं करता है तो उसको तरह-तरह के कष्ट देकर कानून नियम ताक पर रखकर प्रैस की आजादी पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह कोई पालिटिकल पार्टी का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। यदि इस तरीके से प्रैस का मुंह बन्द करने की कोशिश की गई तो मैं नहीं समझता कि देश में जनतंत्र कायम रहेगा। इसलिए यह तो सीधा जनतंत्र पर हमला है और भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि सदन में इसके ऊपर वकतव्य दें और सदन में इसके ऊपर चर्चा हो।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्जफरपुर): अध्यक्ष जी, मुझे एक दो बातें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस बात को श्री रामविलास पासवान ने यहां छेड़ा है, यह बात केवल इस वक्त तमिलनाडू में जो सिलसिला चला है, वहां तक ही सीमित नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। चूंकि पिछले सप्ताह यह सवाल यहां पर उठाया गया था और उस वक्त मैंने ख्याल रखा था कि हम न किसी सूत्र का नाम लें, न किसी आदमी का नाम लें अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और एक नहीं अनेक व्यक्तियों को लेकर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न केवल उल्लंघन हो रहा है बल्कि सीधे सुप्रीम को चुनौती दी जा रही है कि आपका चाहे जो आदेश हो लेकिन हम उनको गिरफ्तार करेंगे जिनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान संविधान की धारा 240 के अन्तर्गत सैवथ शैड्यूल के 77 नं० पर पन्ना 282 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन की पूरी जिम्मेदारी है। मैं यह कह रहा हूं कि यूनियन सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी है कि "संविधान, संगठन, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का कार्यक्षेत्र, समेत ऐसी न्यायालय की अवमानना।" आज हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का जब कंटैम्प्ट हो रहा है तो हम जानना चाहेंगे कि कौन इसका इलाज कहां करेगा;

अध्यक्ष महोदय: न्यायालय ही उसका इलाज करेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, अगर कोर्ट उसमें दखल देने के लिए .....

अध्यक्ष महोदय: यदि न्यायालय के विरुद्ध अवमानना की गई है, न्यायालय को कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि इस संविधान के अन्तर्गत अगर यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि इन मामलों पर कानून बनाने की "संविधान, संगठन कार्यक्षेत्र

[अनुवाद]

जमा सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना।" अगर यह हम लोगों का अधिकार है तो फिर आज फिर

[हिन्दी]

जब उसका हनन हो रहा है तो मेरा आपसे कहना यह है कि यह सदन इस पर चर्चा करने के लिए अधिकार रखता है और इसलिए यहां पर इस मामले पर विचार होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप किस घटना का हवाला दे रहे है? हम किसी घटना का हवाला दिए बिना विचार-विमर्श अथवा चर्चा नहीं कर सकते हैं। कौन-सी घटना है? यह कहां घटी है?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, मैंने तो कहा और वह इंसिडेंट हो गया और सुप्रीमकोर्ट ने फैसला दिया। उसने कहा कि इन पत्रकारों की गिरफ्तारी नहीं होगी और उस फैसले का आज उल्लंघन किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो फैसला हो, तुम जाकर इनकी गिरफ्तारी करके इनको हमारे सामने खड़ा करो। तो अध्यक्ष जी, एक बात को इस बहस में या इसी प्रश्न को जिसे श्री राम विलास पासवान ने यहां उठाया है, इस पर चर्चा करते हुए ख्याल रखना होगा।

दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति की कल मृत्यु हो गयी अगर इनके तथ्यों को देखें तो 10 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी होती है, 20 अप्रैल तक उनको कस्टडी में रखा जाता है और 20 को ही बेल पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने अखबार के दफ्तर में आता है जिसका नाम "नकीरन" है। वहां पर पुलिस ने उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया और वह बताता है।

और यह बताते हुए यह कहता है कि मुझे टार्चर किया गया, मुझे मारा, मेरे साथ क्या-क्या व्यवहार किया गया। अब यह गणेशन का कोई कंटेम्प्ट का मामला नहीं था। वह एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है। उससे ज्यादा इस मामले में उसका योगदान नहीं है। उनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंगज नहीं चली थी और उसके साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया चाहे वह तमिलनाडु में हो या हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे में हो कि आप हर अखबार को छापने वाले प्रेस के मालिकों को भी गिरफ्तार करोगे, उनको टार्चर करने का काम करोगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट आई है। यहां से सरकार चिलाकर यह कह रही है कि हिन्दुस्तान में टार्चर नाम की चीज नहीं है, कस्टोडियल डेथ्स नाम की चीज नहीं है। उसमें हम लोगों की आंखों के सामने प्रेस के मालिक का सारी दुनिया के सामने कत्ल हो जाता है और अगर हम लोग इस बात को यहां नहीं छेड़े, केन्द्र और राज्यों के जो संबंध है, उनके लिए हम मजबूती से उन संबंधों को ठीक रखने की बात करते हैं। उससे अधिक मेरे ख्याल से जब दूसरे किसी सूबे में यह सवाल

छेड़ा जाता है तो साथियों को नाराजगी होती है, वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते है। मैं सूबे के अधिकारों या उल्लंघन की बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह सवाल छेड़ रहा हूं कि आज जो स्थिति बन गई है दक्षिण के उस सूबे में, इसका इलाज कौन हमको कहां देगा।

अध्यक्ष जी, मुझे आज सुबह अखबार मिला। एक राष्ट्रीय अखबार "इंडियन एक्सप्रेस" की खबर कि विज्ञापन का मामला खत्म कर देने का काम किया है तमिलनाडु की सरकार ने। क्यों खत्म किया। पहले जबानी आदेश दिया कि विज्ञापनन नहीं छापे जाएंगे। जिन्होंने विज्ञापन दिए है वह वापस ले रहे हैं। अखबार ने कहा है कि ऐसे कैसे चलेगा इसे लिखित में दे दो, तो उस सरकार ने यहां तक लिखकर दे दिया कि उसमें विज्ञापन नहीं छापे जाएंगे। इस तरह से अखबार को दबाने का काम आप करोगे तो यह एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला नहीं रह जाता है। एक "सुनील" का नाम यहां हमको लेने से इंकार किया था लेकिन उन्हीं लोगों ने यहां हमें नाम छेड़ने पर विवश किया। आज वह नौजवान, हिम्मत वाला पत्रकार दौड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह। पहले दिल्ली में दौड़कर जा रहा है, फिर मद्रास गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर। अब पुलिस उसके पीछे पड़ी है। "मुरासोली" अखबार है, उसके संपादक इस संसद के सदस्य है, आज उनके उपर हमला हो रहा है। तो जहां भी यह बात चलेगी ..... (व्यवधान) .....

अध्यक्ष महोदय : फर्नांडीज साहब, अगर आपको इस बारे में कुछ करने का अधिकार होता तो आप जरुर वह चीज कर सकते थे। मगर जो हमारे संविधान की स्थिति है, वह इस प्रकार की है कि अगर कुछ उस लेजिस्लेचर में हुआ है तो उसकी चर्चा उसी हाउस में होनी चाहिए। दूसरे लोग जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं वे उसको उठा सकते हैं, यहां जो हो रहा है उसे यहां उठाना चाहिए।

[व्यवधान]

श्री जार्ज फर्नांडीज : इसलिए मैंने संविधान को साथ में लिया है, मैंने परसों संविधान को हाथ में नहीं लिया। मैंने इसलिए हाथ में नही लिया कि मैं जानता था कि यह बात सदन में हमारे सामने आ जाएगी [व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी मनगढ़ंत कही हुई बात नहीं है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : आप कनकरेंट लिस्ट को पढ़ लीजिए पेज 291, आइटम 39।

[अनुवाद]

समाचार-पत्र, पुस्तकें और प्रिंटिंग-प्रैस

[हिन्दी]

कनकरेंट लिस्ट है। यह सदन पूरा अधिकार रखता है, अगर कहीं भी अखबार की आजादी का हनन होता हो, भारतीय संविधान की धारा 19 का हनन होता हो तो आर्टिकल 246, 7वां शेड्यूल, आईटम 39 के अंतर्गत हमारा अधिकार है, उस बात को यहां छेड़ने का और

केन्द्र का इस बारे में निश्चित राय बनाकर संबंधित लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले लोगों को सीधी ताकीद देने का अधिकार है [व्यवधान] गणेशन की मृत्यु पर आज इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। [व्यवधान]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ये विभिन्न विधानमंडलों को प्रदत्त विधायी शक्तियां हैं। कृपया यह समझ लें। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। लेकिन, ये विधायी शक्तियां संघीय विधायिका और राज्य विधानमंडलों को दी गई है। संवर्ती सूची में यह कहा गया है कि यदि आप एक कानून बनाना चाहते हैं, आप इसे यहां बना सकते हैं, अथवा राज्य विधानमंडलों में समाचार-पत्रों, पुस्तकों और मुद्रणालयों के बारे में कानून बना सकते हैं। लेकिन आप यदि इसे लागू करना चाहते हैं

[व्यवधान]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं लागू करने के बारे में बात नहीं कह रहा हूं। मैं केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह छोटा सा प्रश्न इस सभा के कार्यक्षेत्र के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा राज्य विधानमंडल से बाहर घटित हुआ था तो यह एक स्थिति है। यदि यह राज्य विधानमंडल के माध्यम से हुआ है, तो आपको यह चर्चा करने का अधिकार है कि वहां क्या घटना घटी है ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं कि राज्य विधानमंडल में क्या हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न दलों से संबंधित निर्वाचित सदस्य भी है। वे वहां खड़े हो सकते हैं और इस मुद्दे को उठा सकते है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : संविधान की अवहेलना की गई है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष जी, इसलिए मैं केवल एक बात तक ही सीमित हूं क्योंकि यहां पर बार-बार आवाज उठती है कि नहीं, नहीं, यह राज्य का मामला है, इसलिये मैं अपने आप को वहीं तक सीमित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर हम सब लोग मिलकर उसको चेंज कर लें और जो उस लैजिस्लेचर में होता है, उसे यहां डिस्कस करना शुरू कर दें और जो यहां डिस्कस होता है, उसे वहां डिस्कस किया जाये। अगर वह नहीं करना है और हम कर रहे हैं, कल समझ लीजिये कि आज जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, वही तमिलनाडु लैजिस्लेचर में डिस्कस होता है, चर्चा होती है, तो क्या वह करेक्ट होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसीलिये मैंने नाम नहीं लिया, किसी लैजिस्लेचर का नाम नहीं लिया। मैंने एक अखबार का नाम लिया।

अध्यक्ष महोदय : नाम न लेने से क्या होता है, आप इन्फरेंस या किसे रैफर कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, अंत में मैं फिर इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो अखबार को विज्ञापन बन्द करके, अखबार का गला घोटने का काम हुआ है, प्रयास हुआ है, हम चाहेंगे कि केन्द्र में जो सम्बन्धित मंत्री हैं, वे अपना बयान इस सदन में, यहां दें। मैं उनका बयान चाहूंगा। मैं इसके साथ यह भी चाहूंगा कि केन्द्र तत्काल इस मामले की जांच करे, सूबाई सरकार से, और हमें इस सदन में बताये कि इस वक्त उनकी जो कार्यवाही चल रही है, अखबारों का गला घोंटने की, उसमें उनकी क्या भूमिका है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जहां तक अखबारों को एडवर्टाइजमेंट देने का सवाल है, वह संविधान की धारा 14 के अंतर्गत आता है और उसके लिये आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि यहां ईक्वैलिटी बिफोर लॉ एप्लाई होता है और रिट ज्यूरिस्डिक्शन में वहां आप जा सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह मैं मानता हूं। (**व्यवधान**) लेकिन अंत हम ही लोगों को इस सदन को ऐसे मामलों में अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व होता है।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष जी, यह मामला पहला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : लोढ़ा जी, मैं आपको बाद में टाईम दूंगा, अभी आप बैठ जाइये।

(**व्यवधान**) [**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री नारायणन को मौका देना चाहता हूं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं एक तरीका सुझाना चाहता हूं। अनुच्छेद 143 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अगर विधि मंत्रालय का यह कहना हो कि कोई निर्णय स्वीकार्य नहीं है तो राष्ट्रपति उसमें निर्देश दे सकता है। अगर कोई निर्णय लागू होता हो तो तमिलनाडु को एक तरफ होने के लिए कहा जा सकता है और उस निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिये।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले इनको बोलने दीजिए, मैंने इनका नाम लिया है। आप बैठ जाईये, बाद में बोलिये।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : चूंकि आपने एक बात कही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं यहां कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर रेज नहीं कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मुझे संविधान की व्याख्या करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आप बैठ जाईये ।

श्री नीतीश कुमार : आपने यहां सर एक स्टेटमेंट दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री नीतीश कुमार : वही मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बार-बार कहते है कि याद नहीं दिलाना चाहिये । आप वही, इसके बावजूद भी करते हैं । (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : इस सदन में एक सवाल उठा था, इसी संदर्भ में, जब बिहार विधान सभा के तीन सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी, तो आपने इसी चेयर से कहा था कि वह गलत हुआ है, मैं मानता हूं, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त आपने कहा था कि मैं वहां के स्पीकर से बात करूंगा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं, उसका बिल्कुल इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । कब क्या हुआ है ।

श्री नीतीश कुमार : पहले उस पर चर्चा हुई है, आप याद करिये । आपने कहा था कि स्टेट लजिस्लेचर के स्पीकर से मैं बात करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ न कुछ बोलने के लिये, कुछ भी बोलिये खड़े होकर, मैंने उस वक्त क्या बोला, मुझे याद नहीं है । उसका क्या रैफरैंस था, वह भी याद नहीं है । मैंने बोला कि नहीं बोला, यह भी मुझे याद नहीं हैं । आप बराबर उठकर स्पीकर के कमेंटस पर कमेंट कर रहे हैं और वह भी महीने, दो महीने बाद, उसका यहां कोई संदर्भ नहीं है । आप बैठ जाईये । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ के माननीय सदस्यों ने यह दर्शाने के लिए कि तमिलनाडु सरकार प्रैस द्वारा की गई किसी भी आलोचना के प्रति असहिष्णु है, गलत तस्वीर पेश की है ।

मेरा पहला अनुरोध यह है कि उन्हें राज्य विधान सभाओं की कार्यवाही-वृत्तांत को संसद में लाना ही नहीं चाहिये । राज्य विधान सभाओं की कार्यवाही की यहां चर्चा नहीं की जा सकती । सबसे बड़ी बात यह है कि हम राज्य विधान सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । हमारे मुख्य मंत्री और तमिलनाडु सरकार प्रेस का हर प्रकार से आदर करते है । विधान सभा में हमारे मुख्य मंत्री ने कहा है कि प्रेस को सभा के आवश्यक अंग के रूप में लिया जा रहा है । इसीलिए वे संपूर्ण प्रेस के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । वे प्रेस के केवल उन्हीं सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही कर रहे है जिन्होंने गलती की है.... (**व्यवधान**) ....

संविधान में विधान सभाओं को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार दिये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक तमिलनाडु विधायिका का सम्बन्ध है मेरा मानना यह है कि सभी सदस्य यह बात स्वीकार करते हैं। वे उस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं। इसका हवाला देते हुए जब उन्हें कहा गया कि इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती तो मेरे विचार में वह बात स्वीकार कर ली। जिस बात पर वे जोर दे रहे है वह यह है कि विज्ञापन दिये गये है या नहीं। यह कोई विधान सम्बन्धी कार्य नहीं है। यह कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यवाही है (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : विधि मंत्रालय अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को मामला भेज सकता है। अन्यथा वे उसका उल्लंघन नहीं कर सकते ····· (व्यवधान)·····

श्री पी० जी० नारायणन : तमिलनाडु में सभी नहीं बल्कि कुछेक समाचार पत्र कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का चरित्र हनन करने में संलिप्त हैं। वे प्रतिदिन विद्वेषपूर्ण और अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल निराधार हैं, महोदय उन्होंने राज्य विधान सभा की कार्यवाही को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। इससे विधान सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों का मामला शामिल है। अतः अध्यक्ष महोदय को राज्य विधान सभा का संकल्प लागू करना पड़ा। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने कार्यवाही की ···· (व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : कृपया उस बात का जिक्र मत कीजिए। वे उस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं।

श्री पी० जी० नारायणन : उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर ही कार्यवाही की है और उन्होंने उसमें कुछ अतिरिक्त नहीं किया है। हमारे सदस्य महोदय यहां राज्य विधान सभा की कार्यवाही के बारे में कोई बात नहीं उठा सकते। उन्होंने कोई अतिक्रमण नही किया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, किसी लैजिस्लेचर को यह पावर नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० जी० नारायणन : संविधान ने विधान सभाओं को कुछ अधिकार दिये हैं।
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम एक बहुत ही जटिल विषय को ले रहे है। हमें यह करते हुए सावधानी बरतनी चाहिये कि किसे अधिकार और किसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, और किसे प्राप्त नहीं हैं। यदि आप हमारे एक सहयोगी को कथनमात्र खण्डन करने के लिए ही कुछ कह रहे हैं तो वह उचित नहीं होगा। यह एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। कृपया इसके सभी पहलुओं पर विचार किए बगैर टिप्पणी मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री पी० जी० नारायणन : उन्होंने एक सम्पादक श्री गणेशन का जिक्र किया है। वह पुलिस हिरासत में नहीं मरे हैं। लेकिन तमिलनाडु सरकार या पुलिस उनकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने गलत तस्वीर पेश की है। यह सही नहीं है। वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। वे सही तथ्य नहीं दे रहे है। वे राज्य विधान सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इस मुद्दे पर जोर नहीं दे रहे हैं।

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मैंने 10 बजे से पहले नोटिस दिया है। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय निःसंदेह यह बहुत दुख की बात है। देश में कहीं भी हिरासत में मौत हो जाना बहुत ही खेदजनक बात है और इसे देखते हुए पुलिस के आचरण पर गौर करना जरूरी है। परन्तु पुलिस का आचरण तो देश भर में आम आदमी की भिन्न राय बना हुआ है। आपने जिस सावधानी की बात की है उसका मुझे ध्यान है। लेकिन मेरा निवेदन है कि जिन घटनाओं का अभी जिक्र किया जा रहा है वे वस्तुतः उस घृणा को प्रतिबिम्बित करती हैं जो अब काफी अधिक बढ़ गयी है और मैं समझता हूं कि इसका बढ़ना काफी गंभीर रूप ले सकता है। पिछले छह माह के दौरान हमने काफी अधिक गड़बड़ी का माहौल देखा है और हम इसे गणतन्त्र के विभिन्न अंगों का आपस में एक संघर्ष कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि पिछले छह-सात माह में हमारे यह किसी तरह का दुष्चक्र चल रहा था जिसमें गणतन्त्र के सभी अंग एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में आ गए हैं। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें लापरवाही से काम लिया जाये। अतः मैं महसूस करता हूं कि संसद के कृत्यों, उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों की भी अपनी एक भूमिका है। जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथी श्री लाल कृष्ण अडवाणी अक्सर कहते हैं कि जहां समाचार पत्रों की बात आती है वहां संसद की भी बात होती है। यही मेरा निवेदन है। दूसरी बात यह है कि जब गणतन्त्र के अंगों की बात आती है तो जैसे कि पिछले छह माह के दौरान देखने में आया है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य अक्सर संघर्ष होता रहा है जोकि अब एक दैनिक बात हो गई है यहां मैं किसी राज्य विशेष या विधान मंडल या किसी एक राज्य विशेष या अन्य राज्यों का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। हमने बार-बार विधायिका तथा न्याय-पालिका के बीच संघर्ष के मामले देखे हैं। फिर सरकार और राज्यपाल के बीच निर्वाचित लोक प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति के बीच भी संघर्ष हो जाता है और अब हम देख रहे हैं कि वे राज्य विधान मण्डल या उनके सभापति देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों से टकरा रहे हैं। यह देश के केवल एक भाग में नहीं हो रहा है। बल्कि देश के कई भागों में हो रहा है। यहां एक और बात भी है यहां अपने अधिकारों अथवा शक्ति के उपयोग पर कोई दमन या नियंत्रण नहीं है अब चाहे वह शक्ति किसी के पास भी हो इस शक्ति पर नियंत्रण नहीं है और ये किसी भी प्राधिकार का आन्तरिक हिस्सा होना चाहिए। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं

जिनकी यह विधान सभा अनदेखी नहीं कर सकती है। अतः मैं आपसे तीन या चार सिफारिशें करूंगा। मैं बहुत सावधानी पूर्वक यह कह रहा हूं और जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका मुझे आभास भी है। मैं समझता हूं वह समय आ गया है जब आपको लोक सभा के अध्यक्ष के नाते इस दिशा में पहल करनी चाहिए और मैं आपके समक्ष पहल करने के लिए तीन या चार प्रस्ताव रखूंगा। प्रथमतः मैं पूरी विनम्रता के साथ आपको यह सुझाव दूंगा कि आपको इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसी विधान सभा के नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए। दूसरे मैं समझता हूं कि आपको विधायिका और न्यायपालिका के संबंधों के बारे में नेताओं के साथ चर्चा करनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि संघ और राज्यों में अब वे सम्बन्ध नहीं चल रहे जो संविधान में निर्धारित किये गये हैं क्योंकि संविधान में निहित कानून के शब्दों का पालन करते हुए भी उन शब्दों में अन्तर्निहित भावना की अवहेलना कर संविधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। वैसे मैं इस सम्बन्ध में कोई उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। तीसरे विधायिका के विशेषाधिकारों की बात है। अब वह समय आ गया है जब हम अधिक समय तक विधायिका के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने की बात से विमुख नहीं रह सकते हैं। यदि हम उन्हें अस्पष्ट और अपरिभाषित और असंहिताबद्ध ही छोड़ देते हैं तो संभवतः इस प्रकार की कठिनाइयां जारी रहेंगी। यदि आप अध्यक्षों के सम्मेलन के बाद नेताओं का सम्मेलन करें और इस मामले पर वहां चर्चा करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि किसी के अधिकारों या कर्तव्यों का हनन करे वगैर, या जब तक हम इस समस्या पर विचार नहीं करते हैं तब तक हमें ऐसी अधिकाधिक समस्याओं का सामना करते रहना पड़ेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय मैं आपका ध्यान इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता को पैदा हुए गंभीर खतरे की तरफ दिलाना चाहता हूं। महोदय, आपके जरिये मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति के बारे में वक्तव्य दे। श्री गणेशन की वास्तव में पुलिस हिरासत में मौत नहीं हुई बल्कि उन्हें बहुत सताया गया था और वह यह सब बताते हुए बेहोश हुए थे; और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गयी। यह वस्तुस्थिति है। तमिलनाडु में मुरासोली और मुरासू दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादकों तथा संवाददाताओं को गिरफ्तार कर लेने के आदेश हैं।

आपके जरिये मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें समाचार पत्रों और पत्रकारों के चार महत्वपूर्ण संगठनों ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के प्रति तमिलनाडु सरकार के रवैये तथा समाचार पत्रों का मुंह बन्द करने की नीति के विरोध में तमिलनाडु विधान सभा की आज की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्हें आपतकाल स्थिति के अनुभव को नहीं भूलना चाहिए जब समाचार पत्रों का मुंह बन्द कर दिया गया था और तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पायी थी और उसे अन्ततः

इसका नुकसान उठाना पड़ा था। आज भी तमिलनाडु सरकार समाचार पत्रों को स्वतंत्रता देने से इन्कार कर रही है। यही तो वह माध्यम है जिस पर संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी रहती है।

मैं श्री जसवन्त सिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि आपको आवश्यक कदम उठाने चाहिएं क्योंकि आप इस देश के कानून बनाने वाले इस उच्चतम निकाय के संरक्षक हैं क्योंकि स्वयं संसदीय लोकतंत्र को संरक्षित तथा सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बगैर कोई भी संसदीय लोकतन्त्र नहीं चल सकता। मैं आशा करता हूं कि आप इससे सहमत होंगे। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में वस्तुस्थिति दर्शाने वाला एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आचार्य जी, मैं समझता हूं कि आचार्य जी के निवेदन के बाद सभी निवेदन पूरे हो चुके होंगे और उसके बाद श्री कुमारमंगलम इसे पूर्ण करेंगे तथा फिर अन्य मुद्दों पर भी सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन या लेजिस्लेचर की जुरिस्डिक्शन में नहीं जाना चाहता हूं। प्रेस पर आक्रमण होने का सवाल मैं उठाना चाहता हूं। फ्रीडम ऑफ प्रेस ···· (**व्यवधान**) ····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप केवल हिन्दी में बोलना जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : इस सवाल को लेकर हम लोग कई बार इस हाउस में चर्चा कर चुके हैं। तमिलनाडु में जो घटना घटी, गणेशन की मृत्यु को लेकर जो घटना घटी, वह कोई साधारण घटना नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर तत्काल होम मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर जो कि तमिलनाडु से ही हैं ···· (**व्यवधान**) ···· वेस्ट बंगाल में प्रेस पर कभी आक्रमण नहीं होता है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में समाचार पत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। आपका आनन्द बाजार कुछ भी कह सकता है, किसी की भी आलोचना कर सकता है।

[हिन्दी]

वेस्ट बंगाल में सब को एडवरटाइजमेंट मिलता है। आपने जो सवाल छेड़ा है, वायलेंस ऑफ आर्टीकल 14, राइट ऑफ इक्वेलिटी, यह सवाल लेजिस्लेचर का सवाल नहीं है, स्टेट असेम्बली का सवाल नहीं है, यह सवाल हमको भी देखना है, पार्लियामेंट को भी देखना है इसलिए यह सवाल आज गम्भीर सवाल है। तमिलनाडु में जो यह अटैक ऑन प्रेस हो रहा है, यह खाली प्रेस के ऊपर आक्रमण नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

अब सभी राजनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। तमिलनाडु विधान मंडल ने राजनैतिक दलों द्वारा किसी भी प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया है। यह भी गंभीर प्रश्न है।

[हिन्दी]

हमारे राजनैतिक अधिकार के ऊपर, खाली प्रेस के ऊपर आपका आक्रमण नहीं हो रहा है, आज तमिलनाडु में जो हो रहा है, आज राजनैतिक अधिकार, पोलिटिकल राइट के ऊपर आक्रमण हो रहा है। यह मामला बहुत गम्भीर है, हम चाहते हैं कि अभी चाहे होम मिनिस्टर, अगर होम मिनिस्टर की रैस्पोंसिबिलिटी कुमारमंगलम साहब ले लें.....

[अनुवाद]

गृह मंत्री की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मान लीजिए कि गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना है और उन्होंने जानकारी मांगी है। तो वह किससे मांगे।

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार से।

अध्यक्ष महोदय : विधान मंडल से।

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं सरकार से। (व्यवधान)

[हिन्दी]

हम चाहते हैं, आज ही इसके ऊपर बयान हो, तत्काल बयान हो ...

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, अब आप बैठिए।

श्री वासुदेव आचार्य : यही नहीं, हम चाहते हैं, इसके ऊपर इस हाऊस में चर्चा भी हो, आज जिस तरह की घटना घट रही है, अटैक ऑन प्रेस जिस तरह का हो रहा है, इसके ऊपर हम एक.....

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप बैठ जाइये। देखिये मेरे पास यहां तक लोगों ने कहा है कि अगर आप सब को चांस नहीं देंगे तो हम इस हाऊस में काहे को रहेंगे। एक विषय पर अगर एक पाइन्ट एक ने अच्छे ढंग से बता दिया है तो बार-बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको नजर नहीं आते हैं, कितने हाथ ऊपर उठ रहें हैं, दूसरे विषयों पर बोलने के लिए। तो आप इसको प्लीज रिपीट मत कीजिए और बार-बार मत बोलिए।

जैना जी, अगर दूसरे पाइन्ट पर बोलना है तो बोलिए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं इस पर जरूरत नहीं है । .

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जैना (कटक) : मैं स्वयं को सीमित रखूंगा । . . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप लोगों की यही बात है, जिस लिए जसवन्त सिंह जी का जो सजेशन है, वह मैं मानने जा रहा हूं । मैं सब सदस्यों को; लीडर्स को अपने चेम्बर में बुलाकर पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस आवर में ऐसे ही हाउस चलाना चाहेंगे ? आपको चांस देने के बाद एक पाइन्ट पर 4–4 लोगों को बोलने के लिए पीछे के लोग पूछ रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं । यह क्या मतलब है ? इससे इसकी सारी सीरियनैस खत्म हो जाती है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जैना : महोदय, आपने मुझे बुलाया है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया जबर्दस्ती बोलने की कोशिश न करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरों को कैसे समय दूंगा ।

श्री श्रीकान्त जैना : महोदय, इससे पहले कि माननीय मंत्री इसका जवाब दें मैं एक बात कहना चाहता हूं । मैं इस सब को नहीं मिला रहा हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई नया मुद्दा रखना चाहते है ।

श्री श्रीकान्त जैना : जी हां यह एक नया मुद्दा है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है हमें बताईये ।

श्री श्रीकान्त जैना : मैं वह बात नहीं उठाऊंगा कि तमिलनाडू विधानमंडल का उस विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने क्या किया है । मैं केवल श्रीगणेशन की मौत का मुद्दा उठाऊंगा और जो विज्ञापन नहीं दिये गए है उनकी बात करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह नई बात है पहले नहीं की गई है ।

श्री श्रीकान्त जैना : मेरा मुद्दा केवल यह है कि क्या विधानमंडल या अध्यक्ष ने श्री गणेशन को हिरासत में लेने और हिरासत में सताए जाने के लिए पुलिस को निदेश नहीं दिये थे । मेरा मुद्दा केवल यही है कि क्या श्री गणेशन बेहोश हुए थे या नहीं और बाद में सताए जाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं । यही मेरे मुद्दे हैं । **(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद : (मंजेरी) महोदय मैं मुख्यत: अध्यक्ष पीठ से आदेश पारित किए जाने के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहने के लिए प्रश्न करना चाहता हूं।.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न नही पूछना चाहिए अहमद जी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको अध्यक्ष पीठ से प्रश्न नही पूछना चाहिए। आपके दिमाग में जो प्रश्न कौंध रहे हैं मैं उन का उत्तर देने के लिए बाध्य नही हूं। कृपया भगवान के लिए हम सभा की प्रकिया का सही ढंग से चलने दें। आप उठकर जो कुछ भी आपके मन में आए पूछें यह ठीक नही है। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, यह सीधे अध्यक्ष पीठ से प्रश्न नही है। यह तो अध्यक्ष पीठ से उनकी स्थिति स्पष्ट करने के बारे में किया गया था ताकि इस विषय पर चर्चा करने के लिए सदन की प्रक्रिया को सुनियमित किया जा सके। बस। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप कृपया अपना स्थान गृहण कीजिए। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, संपादक श्री गणेशन तथा 'इण्डियन एक्सप्रैस' समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करने इत्यादि पर रोक के सम्बन्ध में जो तथ्य मेरे विचार में माननीय सदस्यों को समाचार पत्रों से प्राप्त हुए हैं, उनसे सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में हम राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् इस सदन के समक्ष पुन: उपस्थित होंगे।

महोदय, व्यापक रूप में मेरे विचार में श्री जसवंत सिंह जी उचित रूप में ही यह तथ्य आपकी जानकारी में लाये हैं कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, तथा यद्यपि मुझे इसकी जानकारी नहीं कि उनके पास जो तथ्य हैं, वह ठीक है या नहीं, परन्तु न्यायालय तथा विधानपालिका के सम्बन्ध में पिछले कुछ समय के दौरान यह कोई पहला मामला नहीं है। महोदय, इसी मुद्दे पर आपने विभिन्न दलों के नेताओं तथा पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी तथा उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों इत्यादि को बरकरार रखने के सम्बन्ध में आम सहमति द्वारा निर्णय लिया गया था। महोदय, विधानपालिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका तथा प्रैस की भूमिका के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह चारों संस्थाएं तभी कार्य कर सकती हैं जबकि उनमें आत्म-संयम हो तथा वे एक दूसरे में आत्म संयम की भावना का संचार कर सकें। ये आरोप लगाए जाते हैं कि कई बार प्रैस अपनी सीमा रेखा पार कर जाती है, कभी हम तो कभी न्यायपालिका अपनी सीमा रेखा का अतिक्रमण कर जाते हैं, यद्यपि हम इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सीमा निर्धारित करके कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकते जिसके पार कोई न जा सके। बहुत से अप्रभावी क्षेत्र हैं तथा वास्तव में आत्म संयम से ही सफलता मिल सकती है। श्री जसवंत सिंह द्वारा एक सुझाव दिया गया था। इस मुद्दे पर हम उनका समर्थन करना चाहेंगे जिसका कि आचार संहिता से कोई सम्बन्ध नहीं है— आचार संहिता केवल विधान पालिका के लिए ही नहीं बल्कि प्रैस के लिए भी तथा न्यायपालिका

के लिए भी बनाई जा सकती है। फिर भी मेरे विचार में इस मुद्दे पर हमें संसद में चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे अन्य विधान मण्डलों की सीमाओं का उल्लंघन होगा जोकि ठीक नहीं।

प्रविष्टि संख्या 77 तथा 39 का उद्देश्य कानून बनाना है। कोई यह नहीं कहता कि संविधान और उसकी व्याख्या के सम्बन्ध में चर्चा करना संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता स्पष्टतः, यह अधिकार रहे है, परन्तु प्रश्न यह है कि वर्तमान ढांचे में, जबकि एक और राज्य विधान मण्डल है, केन्द्रीय विधान पालिका है, न्यायालय और प्रेस है, तो इसमें इसकी क्या भूमिका है तथा क्या सीमाए हैं तथा इस सम्बन्ध में इस प्रकार चर्चा करना क्या उचित होगा अथवा इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई और रास्ता निकालना ठीक रहेगा तथा मेरे विचार में, महोदय, इस सम्बन्ध में उचित समय पर आपके द्वारा निर्णय लेना ठीक रहेगा तथा हमारी ओर से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके इस सदन को उसकी सूचना देंगे। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री गणेशन की मृत्यु के सम्बन्ध में सरकार वक्तव्य कब देगी ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद।

श्री वसुदेव आचार्य : हम यह आज ही चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, आज ही ध्यान आ जाए। इसमें ढिलाई न आ जाए। आज शाम तक ध्यान आ जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह संभव नहीं। हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टेटमेंट का मामला है, हम आपसे आग्रह करेंगे, सरकार प्रत्येक बार कहती है कि स्टेटमेंट देंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। इसलिए आप इसकी समय सीमा निर्धारित कर दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी : (मिरयाल गुडा) : अध्यक्ष महोदय,

आन्ध्र प्रदेश को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में यहां 3000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन नहीं होता जबकि इसकी आवश्यकता 4000 मेगावाट की है। यहां तक यहां पर प्रतिदिन 550 लाख यूनिट बिजली खर्च नहीं की जाती जबकि पहले यहां प्रतिदिन 800–850 लाख यूनिट बिजली खर्च की जाती थी।

हाई ट्रैन्शन इकाइयों में पहले ही 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बिजली आपूर्ति में कटोती की जा रही है।

श्री सेलम पन बिजली इकाई पहले ही बंद हो चुकी है तथा सागर पन बिजली इकाई को बंद होने का खतरा है। अब समूचे राज्य में प्रतिदिन पांच घण्टे बिजली की कटौती को झेलना पड़ रहा है। कृषि के लिए बिजली कनैक्शन देने के 3 लाख से भी अधिक मामले लम्बित पड़े हैं।

12.50 म० प० [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य के लोगों को इस गंभीर बिजली संकट का सामना अपनी किसी गलती के कारण नहीं बल्कि राज्य सरकार की अवहेलनापूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण योजनाओं के कारण करना पड़ रहा है।

कुछ साल पहले यह स्पष्ट हो गया था कि कोयले और पानी की कमी के कारण स्थिति की यह मांग है कि प्राकृतिक गैस पर आधारित योजनाओं का निर्माण होना चाहिए परन्तु हमारी राज्य योजनाओं ने इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की। उदाहरणार्थ, मैं इन परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। वे हैं—काकीनाडा, अमलापुरम, जेगुरूपादू (प्रथम चरण), विज्जेसवरम राज्य–II जेपुरूपादू (चरण II) तथा राजमुंद्री (वेमगिरी)।

यद्यपि गोदावरी बेसिन में दिसम्बर, 1991 में इन गैस पर आधारित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई थी, परन्तु केन्द्र ने अभी तक उन्हें पारित नहीं किया है।

जबकि राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजने में विलम्ब किया, केन्द्र इन्हें मंजूरी देने में विलम्ब कर रहा है। यह आग से खेलने वाली बात है जिसमें कि सारे राज्य के विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए केन्द्र से मेरा यही निवेदन है कि आन्ध्र प्रदेश को तमिलनाडु, कर्नाटक, तथा मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से बिजली आपूर्ति में सहायता प्रदान की जाये। गैस पर आधारित लम्बित परियोजनाओं को यथाशीघ्र स्वीकृति देने के साथ-साथ उनको पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता भी दी जानी चाहिए इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के प्रति उदासीन तथा गलत रवैया अपनाने के लिए उन्हें राज्य सरकार की खिचाई भी करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार की नयी कृषि के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

.....(व्यवधान) किन्तु, मध्य प्रदेश में इसकी सर्वथा उपेक्षा की गई है। नवीन कृषि तकनीक की सभी को जानकारी देना, किसानों को इस प्रकार का कृषि प्रशिक्षण देना, जिससे कि वे उत्पादन वृद्धि कर सकें तथा युवकों में आकर्षण पैदा करने की दृष्टि से इन कृषि विज्ञान केन्द्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जिस प्रकार से इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना में उपेक्षा की गई है वह न हो और आप कृषि अनुसंधान परिषद् को निर्देश देने की कृपा करें कि मध्य प्रदेश के जिन-जिन स्थानों में कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थापना की बात कही गई है तो वे शीघ्रता से खोले जावें। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने बार-बार इस बात का अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए विशेषकर मंदसौर और रतलाम जिले में जहां सघन कृषि है। कृषि विज्ञान केन्द्र जावड़ा और मंदसौर में स्वीकृत हैं तो इन दोनों स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के आदेश करने की कृपा करें। मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचंद मुरमु (झाडग्राम) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश लोक परीक्षा में (अनुचित तरीकों का निवारण) अध्यादेश, 1992 के अंतर्गत 2970 विद्यार्थियों को जिनमें कि 212 लड़कियां हैं तथा जो कि 15 से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के हैं, को परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया है? क्या यह भी सच है कि उनके मामले की सुनवाई तक जिसमें कि दो वर्ष का समय भी लग सकता है, उन्हें जेल में रहना पड़ेगा ? (व्यवधान)। जब उन्हें हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया जाता है तो बाल अपराधी को न्याय दिलवाने सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध उनकी उम्र को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता ? जहां आरोप सत्य भी है उन मामलों में भी यह अध्यादेश बच्चों को और कठोर तथा अपराधी बनाता है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्रूर कानून को समाप्त किया जाए तथा परीक्षाओं में निष्पक्षता स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायें।

श्री लाल कृष्ण आडवानी (गांधीनगर), उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रूप चंद मुरमु ने एक मुद्दा उठाया है। मेरे विचार में यह दलगत मतभेदों का मुद्दा नहीं है। आखिरकार यह उत्तर प्रदेश में लागू एक कानून से सम्बन्धित है जिसका उद्देश्य वहां पर बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में नकल को रोकना है।

बड़े पैमाने पर नकल बड़े ही अपमान तथा शर्म की बात है। अगर कानून में कोई त्रुटि अथवा दोष है, तो आप उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करवाइए। परन्तु किसी कानून पर आपत्ति उठाने से मुझे काफी आश्चर्य हुआ है। यह एक बहुत ही अच्छा कानून है जिसका कि उत्तर प्रदेश में व्यापक स्वागत हुआ है।

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में दलगत मतभेदों को भुलाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किस प्रकार सुचारू ढंग से परीक्षाओं को करवाया जा सकता है तथा बड़े पैमाने पर नकल जैसे दुष्कृत्यों पर काबू पाया जा सकता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जैसा कि श्री आडवाणी जी ने कहा है, कठोर कदम उठाए जाने चाहिएं।

श्री बालिन कुली (लखिमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन तथा केन्द्रीय सरकार का ध्यान अप्रैल के तीसरे सप्ताह के दौरान असम में आई एक प्राकृतिक आपदा की ओर दिलवाना चाहता हूं। यह प्राकृतिक आपदा एक चक्रवात के रूप में आई जिसने सारे असम को प्रभावित किया विशेषकर नागाओं जिले के इससे 500 गांवों के दस लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस चक्रवात के कारण 25 लोगों की नागाओं में और 10 लोगों की गुवाहाटी में मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त 50,000 मकानों तथा 200 शैक्षणिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों कच्चे मकान तबाह हो गए हैं तथा हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोगों को सिर तथा दूसरे अंगों पर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा।

सैकड़ों स्कूलों, कालेजों, धार्मिक स्थलों निजी तथा सरकारी ईमारतों की टीन की छतें उखड़ कर जमीन पर गिर गई। बिजली तथा टेलिफोन की तारों के खम्भे टेढ़े हो गये तथा उखड़ गये।

करोड़ों रुपए मूल्य की सम्पत्ति तथा खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। इसलिए, महोदय, आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वह स्थिति का सामना करने के लिए धनराशि तथा अन्य सहायता उपलब्ध करवाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रिय श्रीमान, मेरे पास सदस्यों की सूची है। नामों को सूची बद्ध किया गया है। मैं भी सूची में दिये नाम के अनुसार ही नाम पुकारता हूं। अगर आप इसी प्रकार पांच छः मिन्ट तक भाषण पढ़ते रहते हैं तो आप अन्य सदस्यों का अवसर छीनते हैं। (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उल्लूबेरिया) : महोदय, एक बहुत ही चिन्ताजनक समाचार है कि अफगान विद्रोहियों ने भारतीय दूतावास पर बम्बबारी शुरु कर दी है। रिपोर्ट यह है कि दूतावास की इमारत को नुकसान पहुंचा है तथा भारतीय दूतावास के कर्मचारी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। हमें उनकी सुरक्षा और उनके सुरक्षित होने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। हम सबके लिए यह काफी चिन्ता का विषय है। अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं। हमने सदैव उनका साथ दिया है तथा उन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं नहीं जानता कि इन कट्टर पंथी विद्रोही गुटों का भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? क्या उन्होंने हमारे

दूतावास की इमारत पर आक्रमण किया। क्या कोई जख्मी हुआ है। यद्यपि अफगानिस्तान के लोगों तथा अफगानिस्तान सरकार के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं परन्तु नए विरोधी गुटों के दृष्टिकोण की हमें जानकारी नहीं है। उनका ऐसा दृष्टिकोण क्यों है तथा वे भारतीय दूतावास पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास हमारे लोगों के सुरक्षा और बचाव के सम्बन्ध में कोई जानकारी है।

1.00 म० प०

हम यह तुरन्त जानना चाहते हैं। सरकार को दूतावास में व्याप्त स्थिति की तुरन्त जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि दूतावास के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों को राहत उपलब्ध करवाई जा सके तथा हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा और बचाव के उपाय किए जा सकें।

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति श्री रूपलाल शहरिया जासूसी के आरोप में पिछले 17–18 वर्षों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। उसे मौत की सजा सुनायी गयी है। विदेश मंत्रालय इस पर क्या कर रहा है? श्री रूप लाल शहरिया की लड़की और उसका दामाद माननीय मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधान मंत्री से लेकर वर्तमान प्रधान मंत्रियों से मिल चुके हैं और उन्होंने राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है। प्रधान मंत्री के साथ उनके चित्र भी छपे हैं लेकिन विदेश मंत्रालय ने अभी तक कुछ नहीं किया है और न इस बारे में कोई जानकारी उनके परिवार वालों को दी है। उनकी एक ही औलाद एक लड़की है जिसकी आर्थिक मदद भी नहीं की है। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी इस सदन को अवगत करायें कि उस परिवार के लिए क्या मदद की है और श्री रूप लाल शहरिया जो पिछले 17–18 सालों से पाकिस्तान जेल में बंद हैं, उनके लिए क्या करने जा रही है?

श्री भुवनचन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या की ओर लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर पौड़ी और चमोली जनपदों में पेयजल का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इन जनपदों के 3/4 गावों में अभी तक पेयजल का भारी संकट व्याप्त है। लोगों को पेयजल प्राप्त करने के लिए पहाड़ों से 3–3, 4–4 कि० मी० दूर से आना पड़ता है। यहां के प्रत्येक परिवार के सदस्य चाहें वे बूढ़े हों, महिलायें हों, बच्चे हों, उन सभी को अपने तथा अपने मवेशियों के पानी लाने में दिनभर अपना समय व्यतीत करना पड़ रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जनपद पौड़ी और चमोली में पेयजल का संकट का प्रमुख कारण पानी का स्तर अत्यन्त गहरा होना है। हालांकि वहां गंगा, यमुना नदियां हैं जिनमें वर्षभर पानी रहता है लेकिन ऊंचाई पर बसे गाँवों के लिए इन नदियों का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए पेयजल के लिए यहां पर पम्पिंग सैट लगाने पड़ते हैं तो बिजली पर अत्यधिक धन व्यय होता है। इन जनपदों में पेयजल का संकट ग्रीष्मकाल में

और भी अधिक बढ़ जाता है। जब प्राकृतिक स्रोत सूख जाते हैं। लोगों को पानी प्राप्त करने के लिए पूरा दिन व्यतीत करना पड़ता है। इस वर्ष वर्षा न होने के कारण आगामी महीनों में यहां सूखा पड़ने और अभूतपूर्व पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि पेयजल संकट से ग्रस्त इन जनपदों में इस समस्या के शीघ्र निराकरण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि का आबंटन करे तथा निर्मित और निर्माण के पेयजल योजनाओं के लिए भी अलग धन का प्रावधान किया जाये। यहां के पेयजल संकट से ग्रस्त गावों का शीघ्र सर्वेक्षण कराया जाये तथा जल्दी कार्यान्वयन हेतु प्रतिवर्ष लक्ष्य रखा जाये। मेरा अनुरोध है कि यह कार्य युद्धस्तर पर किया जाये।

श्री रविराय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गंभीरतम सवाल के सिलसिले में इस सदन का और देश का ध्यान खींचना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पिछले 10–15 दिन से स्पेस टैक्नालॉजी के बारे में हम लोग सवाल उठाते रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद प्रधानमंत्री ने आकर यहां बयान दिया जो कि बहुत ही असंतोषजनक रहा है। हमारे हिन्दुस्तान के स्पेस सैक्रेटरी श्री राव रूस से लौटकर आये हैं। हमें डर है कि यू० एस० ए० रूस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि वह हिन्दुस्तान को यह टैक्नालॉजी न दे। हमारे देश को, खासकर क्रायोजेनिक इंजनों की जरूरत है। आप अन्दाजा लगायें कि प्रधानमंत्री जी ने यहां जो बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं है और जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब मि० राव दिल्ली में पहुंच गये हैं।

एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से जो पी०टी०आई० ने सर्कूलेट किया है, उसमें सब ठीक चल रहा है लेकिन उसमें एक वाक्य है जो बहुत खतरनाक है। यह वाक्य कहा गया है :—

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तनों के कारण भले ही हमें इस सम्बन्ध में हमें कुछ समझौते करने पड़ें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, बार-बार इस मामले में कहा जाता है कि हिन्दुस्तान स्पेस टैक्नोलॉजी के बारे में सेल्फ रिलायंट हो गया है, स्पेस टैक्नोलॉजी में हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ा है, स्पेस टैक्नोलॉजी में हमने बहुत काम किया है। हमारे हिन्दुस्तान के नामी वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है और हम लोगों के दोस्त के नाते सोवियत यूनियन ने बाकायदा हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि हमको पीसफुल काम करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी देगा। अभी जो करार रूस के साथ होने वाला था, फरवरी से सारे बड़े आदमी यू० एस० के० बेकर से लेकर येल्त्सिन के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप हिन्दुस्तान को स्पेस टैक्नोलॉजी ट्रांसफर मत करो। मैं जानना चाहता हूं कि राव साहब आते हैं, प्रेस वाले उनसे पूछते हैं। वे बताते हैं कि हम तो डेवलप नहीं करेंगे। ये राव साहब का बयान है और विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन कहते हैं कि

सब ठीक है लेकिन कुछ एडजस्टमेंट हुई है, मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए। अभी सरकार के मंत्री लोग यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके जरिए प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि ये बाहर बयान न देकर, चूंकि अभी सदन भी चल रहा है सदन के बाहर बयान न देकर खुद यहां आकर बयान दें कि क्या करार हुआ है। राव साहब और वहां की जो स्पेस एजेन्सी ग्लैवकॉसमॉस है, उसके साथ जो बात हुई है, उसके बारे में बाहर बयान न देकर सदन को विश्वास में लें ताकि सदन गुमराह न हो और देश को सही मायने में सारी चीज पता चले और मैं शंका कर रहा हूं कि इसमें कुछ दाल में काला है, इसमें कुछ गड़बड़ है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भी कुछ डायरेक्ट करें, यहां फोतेदार जी बैठे हैं, कुरियन साहब बैठे हैं, वे बतायें और प्रधानमंत्री जी यहां आकर बतायें कि क्या करार हुआ है और यह सरकार सदन के अंदर बयान दें। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : मैं भी एक बात में इसका समर्थन करता हूं कि बयान सदन के सामने आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को आकर यहां बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री को यहां आकर स्टेटमेंट देनी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पर वक्तव्य दें रूस के साथ क्या समझौता हुआ है ? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। माननीय प्रधानमंत्री हमें इस बारे में बताएं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया मेरी बात सुनिए। सभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को अगली पंक्ति में बैठने का विशेषाधिकार मिला हुआ है वे पीछे बैठें अपने भाइयों का भी ध्यान रखें। वे भी हमारे वरिष्ठ भाइयों से आशा करते हैं कि वे उनकी सहायता करें। अतः कम से कम कुछ नियम तो होने ही काहिए। हमने एक प्रणाली बनाई है। एक सूचि है और उसी के अनुसार हम सदस्यों को बुलाते हैं। अतः यदि प्रत्येक व्यक्ति दो मिनट बोले, तो अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिल जाएगा। हम उन्हें निराश नहीं करना चाहते। अब मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को बोलने के लिए बुलाता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : श्री ए० चार्ल्स ने मुझे बोलने के लिए कहा है। क्या आप मुझे अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब श्री निर्मल कान्ति चटर्जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपका नाम सूची में है और आप सहयोग करें तो हम बीस मिनट के भीतर पूरा कर सकते हैं। यदि कोई पांच छः मिन्ट तक बोलता है तो अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सत्र भी समाप्त होने वाला है। आपको निराश नहीं होना चाहिए। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी कृपया आप बोलिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैंने देश की खराब अर्थ व्यवस्था की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए सूचना दी थी। लेकिन मैं कुछ कहने से पहले श्री रवि राय के विचार का समर्थन करना चाहता हूं क्योंकि यह मुद्दा सत्ता पक्ष द्वारा उठाया गया था और यह कहा गया था कि डा० यू० राव मास्को में थे। ..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट। कृपया आप मेरी बात सुनिए। जब आप लाबी में गए थे तब आपने कुछ टिप्पणियां सुनी होंगी। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह बात यूं ही कही गई थी। (**व्यवधान**) अब मैं अपनी सूचना के विषय में बोलता हूं। यह स्थिति अर्थव्यवस्था की अस्त-व्यस्तता की स्थिति की ओर संकेत करती है। यह बैंकों में जमा राशि पर ब्याज दर के बारे में बताती है। कुछ ही महीनों में शेयर बाजार में उन कम्पनियों के शेयरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं जो हमेशा घाटे में चलती थीं। शायद विश्व की अर्थव्यवस्था में यह पहला मौका है कि ऐसा हुआ है कि अल्पावधि के लिए जमा राशि पर ब्याज की दर दीर्घावधि के लिए जरूरी राशि पर ब्याज की दर से कम है, भारत में विदेशी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों अथवा अनुदेशों के बाद यह निर्णय लिया गया कि 46 दिन के लिए जमा करवाने पर 13% ब्याज दर होगी और इसके बाद 12.75% और 12.50% होगी। मैंने ऐसा इस लिए कहा है क्योंकि भारतीय बैंकों ने वही किया है जो आमतौर पर किया जाता है। उन्होंने अल्पावधि के लिए 12.50% ब्याज दर निर्धारित की है, मध्यावधि के लिए 12.75% तथा दीर्घकाल के लिए 13% निर्धारित की है। भारतीय रिजर्व बैंक की यही इच्छा थी। 46 दिन के लिए राशि जमा करने पर 13% ब्याज दर देने से विदेशी बैंकों में ही सारा पैसा जाएगा। यदि 46 दिन के लिए 13% दिया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन होगा। 46 दिन के बाद यह इकट्ठा हो जाएगा और वे औसत ब्याज दर से इसे फिर जमा कर देंगे और तीन वर्ष की अवधि का वास्तव में 16% से अधिक ब्याज मिलेगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उलंघन है मैं सत्ता पक्ष का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में विदेशी बैंकों के पूर्वानुमानों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह अल्पकालिक ऋण है। अल्पकालिक ऋण शेयर बाजारों से संबंधित है। दूसरे हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण देना कठिन होगा क्योंकि उनकी ब्याज दरें विदेशी बैंकों के अल्पकालिक ब्याज दरों से कम होंगी। अतः बैंकों की क्षमता .... (**व्यवधान**) यह अत्यन्त

महत्वपूर्ण प्रश्न है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह वर्तमान सरकार द्वारा बाजार आर्थिक नीतियों का उदारीकरण करने के परिणाम हैं। वित्त मंत्री महोदय को इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए एक व्यक्तव्य देना चाहिए क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची का कड़ाई से पालन कर रहा हूं। आपको इस बारे में कोई संदेह नहीं करना चाहिए इसके बाद हम एक प्रति बाहर रखने की व्यवस्था करेंगे ताकि आपको यह पता रहे कि आपका नाम सूची में है अथवा नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। महोदय मैं चाहता हूं कि सरकार अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के बारे में कोई वक्तव्य दे।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, रक्षा अनुसंधान क्षेत्र के कार्यकरण के बारे में आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : सर, हमारा भी नाम है, हमें बोलने दीजिए।

श्री अमल दत्ता : अरे भाई, इन्हें बोलने दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अमल दत्ता : महोदय, इस देश की आत्म-निर्भरता के लिए रक्षा अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस पर बहुत राशि खर्च की है और अब 50 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। सरकारी क्षेत्र में सरकारी वैज्ञानिकों में अधिकतर रक्षा अनुसंधान में कार्यरत हैं। फिर भी आज सरकार इस दुविधा में है कि क्या रक्षा अनुसंधान के मुखिया के इस्तीफे को स्वीकार किया जाए जिनके बारे में रिपोर्ट है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

यह रिपोर्ट थी कि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और सरकार ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अब सरकार द्वारा उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने से समाचार-पत्रों में बहुत विरोध हुआ है और पहले श्रीमति गांधी ने तत्कालीन रक्षा अनुसंधान के मुखिया श्री एम० जी० के० मेनन को विदेश जाने से रोक दिया था। यह माना जाता है कि जिन लोगों को इस देश के सभी रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी है उन्हें विदेश में जाने और वहां नौकरी करने की अनुमति न दी जाये।

सरकार ने इसे वापस लेकर उनके इस्तीफे को भी रद्द कर दिया है।

यह गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस बारे में एक आरोप लगाया गया था जिस केकारण इस्तीफा दिया गया था । ये आरोप भी बहुत गंभीर हैं जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में कार्यरत सारा वैज्ञानिक समुदाय इस रक्षा अनुसंधान मुखिया द्वारा किए गए एकतरफा निर्णय, चयन पक्षपातपूर्ण चयन और पदोन्नति से हतोत्साहित है ।

इसलिए यह उचित था कि सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार कर ले, लेकिन यह उचित नहीं था कि उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दें । इतना समझ में आता है । अब मुझे पता लगा है कि सरकार ने उनके इस्तीफे को रद्द कर दिया है और उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति दी है जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो गई है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो कि सही है तो इन पर उनके स्थान पर आने वाले व्यक्ति को तत्काल कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां पर मौजूदा रक्षा राज्य मंत्री इसे ध्यान में रखें । मैं रक्षा मंत्री से तुरन्त उत्तर चाहता हूं और यह आज ही दिया जाए क्योंकि एक बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : महोदय, मैं जानता हूं कि आपके पास सूची है । लेकिन आप यहां पर उपाध्यक्ष हैं और आपका अपना मत भी है । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा मुझे क्षमा करें । हमने शून्य काल को नियमित करने का प्रयास किया है । यह एक छोटा सा प्रयास है । इसलिए कल देखें कि मान लिजिए सूची बाहर प्रकाशित की जाती है तो आप जान सकेंगे कि क्या आपका विषय लिया जा रहा है या नहीं । आपको अनभिज्ञ नहीं रखा जाएगा । इसलिए वरिष्ठ सांसदों की सलाह के अनुसार यह प्रयास किया गया है ।

[**हिन्दी**]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष जी, बरेली उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख एवं महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है । यहां पर 12 हजार से अधिक टेलीफोन कनेक्शन्स हैं । परन्तु अत्यन्त दुख की बात है कि टेलीफोनों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सरकार का राजस्व घट रहा है । एक समय में अभी भी एक-चौथाई टेलीफोन ठीक कार्यरत नहीं रहते हैं । यहां तक कि बरेली के दो जनप्रतिनिधि हैं, लोक सभा के दो सदस्य हैं और दोनों के टेलीफोन निरन्तर खराब रहते हैं । मैंने अपने टेलीफोन को खराब होने के कारण सरेन्डर कर दिया । उसके बाद भी टेलीफोन की दशा में सुधार नहीं हुआ है । मैंने एक अतारांकित प्रश्न किया उसका जवाब दिया गया कि किसी का टेलीफोन खराब नहीं है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि संचार मंत्री इस ओर गंभीरता से ध्यान दें नहीं तो बरेली के टेलीफोन उपभोक्ता अपने सारे टेलीफोन सरेन्डर करना चाहते हैं दोनों जनप्रतिनिधियों सहित । मेरा निवेदन है कि दस हजार लाइन का इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज तुरन्त लगाया जाए ।

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : मैं भी इसके इसके समर्थन में एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी वहीं रहता हूं। लोक सभा का पैसा बरबाद हो रहा है। हम लोगों को जो टेलीफोन दिए गए गए हैं वे खराब हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : यह सरकार हमारे टेलीफोन वापिस ले ले क्योंकि बरेली में टेलीफोन का कोई उपयोग नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम भी लूंगा। रविराय जी, इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष ने अपना हाथ उठाया है। वह बोलना चाहते थे। आप जानते हैं कि भूतपूर्व अध्यक्ष और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक दर्जा प्राप्त है। मैंने उन्हें अवसर दिया। लेकिन यह सख्त आपत्ति की गई कि रविराय जी का नाम सूची में 19वां था। मैंने उनका नाम क्यों लिया और उनके प्रति पक्षपात किया। सभी बहुत वरिष्ठ और विद्वान सदस्य हैं। वे इन मुद्दों पर उत्सुक हैं। इसलिए मैं आपका नाम भी ले रहा हूं। आपका नाम नहीं है। आप एक गंभीर मामला उठा रहे है। हमें सूची के अनुसार चलना चाहिए।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : असम और त्रिपुरा में करीमगंज और हैलाकांडी जिलों के तहत सभी डाकघरों की डाक सिल्चर आर० एम० एस० को रात को दी जाती है। ये सभी डाक रात्रि सेवा के समाप्त होने के कारण अलग-अलग किए बगैर ही सिल्चर आर० एम० एस० में जमा रहती है। इस विलंबित डाक की फिर छंटाई की जाती है और सिल्चर आर० एम० एस० में कई घंटे रुकने के बाद उन्हें उनके डाकघरों में भेजा जाता है। डाक को इस प्रकार बहुत अधिक रोककर रखने को दूर करने के लिए लोगों द्वारा करीमगंज रेलवे स्टेशन पर एक डाक छंटाई कार्यालय खोलने की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर करीमगंज के डाक छंटाई कार्यालय में अगर करीमगंज, हैलाकांडी और समस्त त्रिपुरा क्षेत्र की डाक की छंटाई हो जाए तो यह कार्य तेजी से हो जाएगा और डाक अधिक ले जाने और इसे सिल्चर आर० एम० एस० से वापसी मार्ग पर भेजने की बजाय सार्वजनिक डाक को रोककर रखने से बचा जा सकेगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी के घर में आग लगी है; हमने नोटिस दिया है.... **(व्यवधान)** एक प्रैस के आदमी की मृत्यु पर एक घंटे की डिबेट होती है लेकिन गरीब को कोई देखने वाला नहीं है।

हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम वाक-आऊट करते हैं।

1.14 म०प०

(तत्पश्चात् श्री सूर्य नारायण यादव सभा-भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास: इसलिए मैं संचार मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि लोगों के व्यापक हित में यथा शीघ्र जिला मुख्यालय होने के नाते करीमगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूदा आर० एम० एस० (टी० एम० ओ०) कार्यालय में एक छंटाई कार्यालय खोला जाए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभा ने फ्लैट खाली नहीं कर रहे भूतपूर्व मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के मामले में सार्वजनिक भवन रिक्त अधिनियम पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय था। लेकिन यह हुआ है कि बाद में अनेक संगठनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है—बीमा कम्पनियों, बैंकों, कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इन कपड़ा मिलों या बैंकों के किराएदार अब सरकार के किरायेदार बन गए हैं। सरकार ने सार्वजनिक भवन रिक्त अधिनियम का लाभ उठाते हुए किरायेदारों को हटाना शुरू कर दिया है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किरायेदार अधिनियम, भवन अधिनियम के ऊपर नहीं होगा। इसी कारण ऐसे सभी किरायेदारों को हटाया जा रहा है।

बम्बई में एक आंदोलन हुआ और बाद में सरकार ने कहा कि वह अधिनियम में संशोधन नहीं करेगी लेकिन मार्गनिर्देश जारी करेगी। उन्होंने 27 जनवरी को सभी सार्वजनिक उद्यमों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी उपक्रम है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम एक सरकारी उपक्रम है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अनुरोध कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : भारतीय जीवन बीमा निगम वैध किरायेदारों को हटा रहा है। सरकार ने इस बारे में मार्ग निर्देश दिया है कि उन्हें नहीं हटाया जायेगा। ये मार्ग निर्देश 27 जनवरी 1992 को जारी किए गए थे। लेकिन जीवन बीमा निगम कहता है कि वे इन मार्ग निर्देशों से बंधे नहीं हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन मार्ग निर्देशों को एक बार पुन: सभी सरकारी उपक्रमों को परिचालित किया जाए। इस अधिनियम में संशोधन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किरायेदारों को न निकाला जाए। बम्बई में हजारों किरायेदारों को निकाला जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि तत्काल यह खाली करने की कार्यवाही रोकी जाए और अधिनियम में संशोधन किया जाए।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, इस देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 50 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन है। इसका मुख्य भाग अर्थात् 40 मिलियन घन मीटर लगभग 80 प्रतिशत का उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में होता है। इस क्षेत्र में उत्पादित प्रति दिन 40 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगभग 30 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन मिश्रित गैस है और लगभग 10 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन स्वतन्त्र गैस है। स्वतन्त्र गैस का पूरा उत्पादन और आधे का उपयोग हेतु गुजरात में हजीरा ले जाया जा रहा है। 30 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन मिश्रिस गैस में से चार मिलियन घन मीटर प्रतिदिन और अधिक उपयोग

हेतु उरण लाई जाती है और बाकी 14 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन तट पर उपयोग हेतु ले जाने की सुविधाओं के अभाव से कुओं के मुख पर ही हवा में जला दी जाती है। उरण टर्मिनल पर प्राप्त गैस का उपयोग उर्वरक, अमोनिया, रसोई गैस, पैट्रो-रसायन इत्यादि के उत्पादन में होता है। महोदय, 2000 ईसवी तक इस गैस का उत्पादन 23 मिलियन घन मीटर और बढ़ाया जा रहा है।

इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस गैस के उपयोग हेतु कुछ व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र सरकार ने 1985 में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि रायगढ़ जिले में उसार में एक और गैस टर्मिनल बनाया जाए। सरकार ने उनसे अनुरोध किया है कि इसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हुं कि हजीरा में गैस ले जाने की बजाय उसार रायगढ़ जिले में नया गैस टर्मिनल स्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

डा० महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान पेय जल की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि मुझसे पहले मेरे सहयोगी इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन मैं कुछ दूसरे मुद्दे आपके सामने उठाना चाहूंगा। मनुष्य के जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी पीने के पानी की है। अभी गर्मी का मौसम आरम्भ नहीं हुआ है लेकिन चारों तरफ न्यूजपेपर इस बात पर चिल्लाने लगे कि पांच प्रान्तों में पानी की किल्लत मची हुई है। कुएं सूख गए हैं और नल पानी नहीं दे रहे हैं। यह समस्या समस्त देश के अन्दर है। बड़े दुख की बात है कि आजादी के 44 वर्षों के बाद भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मेरी राय में इसके दो कारण हैं—एक कारण यह है कि जब हम प्रान्तीय सरकारों से बात करते हैं या केन्द्र से जानकारी लेते हैं तो हम से कहा जाता है कि पैसे का अभाव है, दूसरा कारण यह है कि जब हम उसकी जानकारी दूसरे स्रोतों से करते हैं तो हमको यह मालूम होता है, कुछ ऐसा पैसा हर प्रांत में पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल केन्द्रीय सरकार के आधार पर होता है और केन्द्रीय सरकार उनको परमीशन नहीं देती है कि उनको खर्च किया जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर प्रांत में यह जो पानी की समस्या है, उसके समाधान के लिए यदि केन्द्रीय सरकार और प्रदेश की सरकारें समन्वय के साथ काम करें तो इस समस्या का बहुत जल्दी ही समाधान हो जाएगा। (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो स्रोतों से पैसा पड़ा हुआ है, भारत सरकार के सूखा राहत कोष का पैसा और मिलिटन वैल स्कीम का पैसा पड़ा हुआ है तो मैं मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं कि वह उनको परमिट करें कि पेयजल योजनाओं में वह उनको खर्च करें। यह मेरी मांग है कि हर प्रांतीय सरकार को यह निर्देश करें कि उस पैसे को पेयजल योजनाओं में खर्च करें।

[अनुवाद]

कुमारी क्रीडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, यह बहुत आवश्यक है कि उड़ीसा और विशेषकर पश्चिम उड़ीसा में दहेज के कारण हत्याओं और महिलाओं पर अत्याचार की बुरी घटनाएं बढ़ रही है। इस्पात नगरी राउरकेला जहां पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रह रहे हैं

वस्तुत: ऐसे अपराधों से ग्रस्त हैं । 1990 और 1991 के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि ऐसे घृणित अपराध उड़ीसा में कटक, पुरी और बालासोर तटीय जिलों की तुलना में राउरकेला में अधिक होते हैं ।

सरकारी अनुमान के अनुसार उड़ीसा में विगत आठ वर्षों में 293 महिलाओं की हत्या हुई, 1000 महिलाओं पर अत्याचार हुए और 319 दहेज संबंधी हत्याएं हुई हैं । महिलाओं पर अत्याचार रोजाना बढ़ रहे हैं । जब तक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी तन्त्र, मीडिया, स्वैच्छिक संगठनों को प्रभावी रूप से शामिल करने के कदम नहीं उठाये जाते और महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति राज्य का रवैया नहीं बदल जाता तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा । विवाहित लड़कियों का भविष्य अंधकारमय और अनिश्चित रहेगा ।

इस प्रकार मैं सभा का ध्यान राउरकेला और उड़ीसा के अन्य भागों में ऐसे अत्याचारों की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर आकर्षित करती हूं और अनुरोध करती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय करने हेतु नया अधिनियम लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं ।

श्री चित्तबसू (बारसाट) : महोदय कल सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में व्यापक सूखे की स्थिति की ओर आकर्षित किया गया था और माननीय कृषि मंत्री ने भी इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए थे । उनके हस्तक्षेप से अनेक सदस्यों और मुझे और गलतफहमी हो गई । यू एन आई ने केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों में सूखे की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट परिचालित की है । यू एन आई रिपोर्ट के अनुसार इस समय पांच राज्यों में गंभीर सूखे की स्थिति है । देश के लगभग 70-80 जिले इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं । दो करोड़ हेक्टेयर भूमि इससे प्रभावित हुई है । देश के विभिन्न भागों में इस दो करोड़ से अधिक भूमि पर खेती नहीं होगी ।

देश के विभिन्न भागों में इस सूखे की स्थिति से सात करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं । सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि प्रेस ने मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात और अन्य राज्यों सहित विभिन्न भागों में भुखमरी से हुई मृत्यु के 60 मामलों का उल्लेख किया है ।

यह भुखमरी से मृत्यु प्रारंभ हो गई है । नवम्बर में इस सभा में भुखमरी का प्रश्न उठाया गया था । भुखमरी से मृत्यु का कारण जानने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है । लगभग सभी राज्य सरकारों, चाहें वे किसी भी राजनीतिक दल की हों, ने भुखमरी से मृत्यु के मामलों का खंडन किया है । महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की थी कि ऐसी कोई घोषणा करनी चाहिए अथवा ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए कि भूखमरी से मृत्यु की घटनाओं की जांच की जा सके । इस संदर्भ में मेरा यह कहना है कि सभी राज्यों में भुखमरी से हुई मृत्यु की घटनाओं के बारे में जांच की जानी चाहिए । दूसरे, भारत सरकार को वित्तीय सहायता की घोषणा करनी चाहिए कि सरकार प्रभावित राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव करती है विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट किया था कि केन्द्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को वित्तीय

सहायता देने का प्रस्ताव बनाया है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि सरकार को पूरे देश में व्याप्त सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य देना चाहिए और बाद में उस पर चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी है। पूनम का यह मामला दिनों से समाचार पत्रों में आ रहा है और दो सदस्यों ने कल इस को उठाया था, लेकिन इस सदन में अभी तक कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है। सदन में वैसे भी महिलाओं की संख्या कम है, माइनोरिटी में है। यह मामला 29 फरवरी को इंडियन हाउस-वाइफ-फैडरेशन की विशेष बैठक में उठाया गया, उस दिन इस बैठक की अध्यक्षता राज्य सभा की उपसभापति, डा० नजमाहैपतुल्ला ने की थी। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री, श्री एम एम जैकब भी आए थे। जैकब साहब ने फौरन दिल्ली के पुलिस आयुक्त, श्री एम बी कौशल, से तलब किया। अभी तक इन्सपैक्टर* के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई है, न उन से इस सिलसिले में कोई पूछताछ की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध करूंगी कि इस के बारे में आज इस सदन में कुछ बयान दिया जाए।

श्री विश्व नाथ शास्त्री (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की आबादी इस समय बीस लाख से अधिक है। यहां लगभग दस-बारह बड़े-बड़े कस्बे भी हैं। हजारों एल पी जी कुकिंग गैस के उपभोक्ता भी हैं। पर दुःख की बात है कि पिछले कई वर्षों से इस जनपद के कुकिंग गैस उपभोक्ताओं को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कारण यह है कि इस जनपद में कुकिंग गैस वितरित करने वाली एक भी एजेंसी नहीं है। पहले यहां बलिया की एक एजेंसी कुकिंग गैस सिलैन्डर वितरित करती थी और अब वाराणसी की एक एजेंसी कर रही है। उक्त एजेंसी भी सिलैन्डर वितरित करने में मनमानी करती है। परिणाम होता है कि उपभोक्ताओं को समय से गैस का सिलैन्डर नहीं मिल पाता।

मेरा सरकार से आग्रह कि वह गाजीपुर जनपद के कुकिंग गैस उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए वहां कम से कम दो-तीन कुकिंग गैस एजेंसियां स्वीकृत करें और ये एजेंसियां अनुसूचित पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के पढ़े-लिखे बेरोजगारों या सेना से सेवानिवृत्त उपरोक्त समुदायों के जवानों को दी जायें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय उठाना चाहता हूं वह बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का है। इस समय उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में आतंकवाद दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्थानीय सिक्ख नवयुवक और नान-सिक्ख लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके लिए विशेषकर वर्तमान प्रशासन दोषी है। वहां जो भी आतंकवादी आता है और वह आतंकवादी जब किसी भी स्थानीय सिक्ख के घर जाता है, संगीनों की नोक पर खाना खाता है और संगीनों की नोक पर

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

ट्रैक्टर और ट्रौली इस्तेमाल करता है। मजबूरी में वह बेचारा सिक्ख ट्रैक्टर, ट्रौली और भोजन की सारी व्यवस्था करता है, लेकिन अगर वह नहीं करता है तो उसके पूरे परिवार को उड़ा दिया जाता है। इसके खिलाफ वह अगर पुलिस में नहीं बताता है तो पुलिस वाले उसको टाडा में बन्द कर देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अन्दर हजारों लोग टाडा में बन्द हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां सरकार होने के बावजूद भी न विशेष अदालतों का गठन है और न टाडा एक्ट के अन्दर बन्दी लोगों का कहीं ट्रायल हो रहा है। जिसका अन्जाम यह है कि पुलिस का कोई अधिकारी किसी भी सिक्ख अथवा नॉन सिक्ख को बुलाते हैं तो नवयुवक भाग खड़ा होता है, इस डर से कि कहीं टाडा में बन्द कर दिया जाऊंगा और जहां बरसों तक उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा।

मान्यवर, मजबूर होकर वह नवयुवक आतंकवादी बन जाता है। हमारा जिला शाहजहांपुर और तराई आतंकवाद से प्रभावित है। पिछले सप्ताह तीन लोग मारे गए थे और उसके बाद दो युवक पकड़े गए। बलबीर सिंह और हीरा सिंह का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन एक सप्ताह उन्हें बन्द रखा और झूठे केस बनाकर उन्हें टाडा एक्ट में बन्द कर दिया गया। मेरी सरकार से मांग है कि टाडा एक्ट के अन्दर जो बेगुनाह हैं, उन सब के ट्रायल की व्यवस्था केन्द्र सरकार तुरन्त करे और पुलिस को निर्देश दे कि जो लोग अपनी मजबूरी के तहत खाना खिलाते हैं, उन्हें एकदम गुनहगार न मानकर, उन बेगुनाहों को बन्द न करें और इस प्रक्रिया को बन्द करें। पुलिस इतनी बहादुर है कि वहां पर वे पुलिस की वेश-भूषा में घूमने के लायक नहीं है और अदालतों में नहीं जाते। वहां के नागरिकों पर भरोसा करते हैं कि वे आतंकवादियों का मुकाबला करें। . . . . . (**व्यवधान**) इसलिए केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों इस तरफ ध्यान दें। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए वक्ताओं की सूची में 32 नाम हैं लेकिन प्रत्येक को अवसर नहीं मिल सकता है।

श्री विजय नवल पाटिल (इरनदोल) : महोदय कार्य-सूची में सम्मिलित न हुए कार्य को डेढ़ घंटे से अधिक समय नहीं दिया जा सकता। केवल 10 अथवा 15 सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा इसका समय शाम 9.00 बजे रखा जाना चाहिए तथा सदस्य और संबद्ध मंत्री उस समय उपस्थित रहें (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालयोगी आपने अच्छा सुझाव दिया है लेकिन आपको कल बोलने का मौका मिलेगा। अब देर हो रही है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय आपने कहा था कि सबको मौका दिया जाएगा और हम एक घंटे से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह इच्छा है कि सभी 32 सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए और क्या हमें 2 बजे तक बैठना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, इस प्रकार सभी नियमों का उल्लंघन कर गैर सूचीबद्ध कार्य ही हो पाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : 32 व्यक्तियों में से 32 व्यक्तियों को ही अवसर दिया गया है । शेष व्यक्तियों को कल बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री गुमान मल लोढा : लेकिन कल शायद माननीय अध्यक्ष महोदय की अपनी सूची हो । हमें दुबारा सूचना देनी पड़े । इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल हमें मौका मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कल निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा । कृपया यह मत सोचिए कि कल अनिश्चित है ।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय, सात मंत्री यहां पिछले दो घंटे से एक पंक्ति बोलने के लिए बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर पत्र रखने का कार्य लेंगे ।

1.43 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1892-93 के अनुदानों की मांगें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं सभा पटल पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखता हूं ।

[मंत्रालय में रखी गई : देखिए संख्या एल० टी० 1833/92]

भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1990–91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1856/92]

संचार मंत्रालय की वर्ष 1992–93 की अनुदानों की मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री राजेश पायलट की ओर से मैं संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग सहित) के वर्ष 1992–93 के केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) - सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०. टी०-1857/92]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1992–93 की अनुदानों की मांगें

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं सभा पटल पर जल भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1992–93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1858/92]

आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 1992 जो 1 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 254(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1992 जो 23 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा का नि० 338(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए। संख्या एल० टी०-1859/92]

(2) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 374(अ) जो 30 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थापित हीरे तथा आभूषण एककों तथा झंडेवालान परिसर, नई दिल्ली में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों से संबंधित अधिसूचना से संलग्न सारणी में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हुए ऐसे एककों द्वारा आभूषण के निर्माण के दौरान स्वर्ण के बेकार होने की अधिक प्रतिशतता की छूट दी जा सके की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-1860/92]

(3) कर सुधार समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के सारांश के अंग्रेजी संस्करण के शुद्धि पत्र* की एक प्रति ।

[ग्रथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1861/92]

उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1992–93 की अनुदानों की मांगें संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार-मंगलम) : प्रो० पी० जे० कुरियन की ओर से मैं उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1992–93 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-1862/92]

[अनुवाद]

1.44 म० प्र०

प्राक्कलन समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं वित मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड संबंधी प्राक्कलन समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

1.44½ म० प्र०

प्राक्कलन समिति

की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

श्री मनोरंजन भक्त : (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में अपने 81वें प्रतिवेदन (आठवीं लोकसभा) के संबंध में सरकार द्वारा

की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (नौवी लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन के अध्याय-एक के अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के संबंध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.45 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैं कोल इंडिया लिमिटेड संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.45½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी समिति चौथा प्रतिवेदन

श्री राम सिंह मंडेवास (हरिद्वार) : महोदय, मैं निजी क्षेत्र नियोजन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्लाण संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.45½ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति पहला और चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों-संबंधी समिति के पहले और दूसरे प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा इससे संबंधित कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

1.46 म०प०

हथकरघा बुनकरों की समस्याओं और मांगों के बारे में याचिका

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैं हथकरघा बुनकरों की समस्याओं और मांगों के बारे में श्री रामचन्द्र, बारुपाल, उरमुल मरुस्थली बुनकर विकास समिति, बीकानेर और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

1.46½ म० प०

सेना (संशोधन) विधेयक*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सेना अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सेना अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

1.47 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

तापी नदी पर खड़ियागुटी और नवधा सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय नवल पाटील (इरनदोल) : तापी नदी पर दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनायें लागू किए जाने की योजना है। ये हैं—खड़ियागुटी और नवधा परियोजनाएं। इनकी योजना लगभग 30 वर्ष पहले बनाई गई थी और इन पर 80 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन कई दशक बीत चुके हैं अभी तक इन पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। इनमें से कम से कम एक परियोजना पर तत्काल कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश के जिला खण्डवा और महाराष्ट्र के अमरावती, जलगांव और धुल्ली जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके।

*दिनांक 28 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

यहां तक हयनूर बांध, जोकि लगभग 8 वर्ष पहले निर्मित हुआ था, भीखडियांगुटो और नाथवा में संग्रहित पानी पर ही आश्रित है। चूंकि यह एक अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है, इसमें भारत सरकार के जल-संसाधन मंत्रालय का समर्थन और हस्तक्षेप परमावश्यक है।

यदि इन परियोजनाओं में और देरी की जाती है, तो हयनूर बांध के पानी पर आश्रित किसानों को इससे काफी हानि होगी। इसके अलावा टापी नदी के दोनों किनारों पर लगे बिजली से चलने वाले 10,000 जलपम्प या तो बन्द हो जायेंगे या आंशिक रूप से कार्य करेंगे जिससे किसानों को भारी क्षति होगी। इस नदी पर 70 के लगभग सहकारी 'लिफ्ट सिंचाई स्कीमें बनी हुई हैं। इन उठाऊ सिंचाई स्कीमों से जिस भू-क्षेत्र की सिंचाई होती है, टापी नदी पर पानी का प्रवाह निरन्तर न बने रहने की अवस्था में, विशेषकर गर्मी के महीनों में, इस भू-क्षेत्र पर भी सिंचाई नहीं हो सकेगी।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इस मामले पर ध्यान दिया जाए और इन सिंचाई परियोजनाओं में से किसी एक को बिना किसी विलम्ब के आरम्भ करने की दिशा में कदम उठाये जायें।

(दो) द्रविड संस्कृति के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के कुप्पम नामक स्थान पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री महासमुद्रम गंगेन्द्र रेड्डी (चित्तूर): महोदय, विन्ध्य के दक्षिण का जो क्षेत्र है, उसकी संस्कृति, जीवन का ढंग, वहां की विचारधारा, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, लोक-संस्कृति, प्रौद्योगिकी, औषधि और वहां की कृषि की अपनी अलग ही पहचान है, जो विन्ध्य के उत्तर में विद्यमान संस्कृति व अन्य इन्हीं बातों से भिन्न है। भारत सरकार ने हाल ही में जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद गठित की है, वह इसी विशिष्टता और निष्पादन कलाओं के तीव्र विकास पर आधारित है। दक्षिणी राज्यों, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में ऐसी जनजातियां मिल जाती हैं जो कोई न कोई द्रविड़ भाषा बोलती हैं।

दक्षिणी विन्ध्य से शुरू-शुरू में आये प्रवासी जोकि सुदूर-पूर्व और अफ्रीका तथा प्रशान्त महासागर में बसे हैं। उनकी संख्या दो करोड़ के लगभग है। उनकी समस्याओं का अध्ययन करना अत्यावश्यक है ताकि असन्तुलन और असन्तोष को समाप्त किया जा सके।

विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में मातृ भाषा में शिक्षा गरीबी को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। दक्षिणी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं की एक समान तकनीकी शब्दावली निर्धारित करने और वहां की भाषाओं में ग्रंथ रचनाओं के प्रयास से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

दक्षिणी भाषाओं की एक समान लिपि निर्धारित करने तथा कम्प्यूटरों का उपयोग करके एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करने से चार दक्षिणी राज्यों में तथा उत्तर में जल्दी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

यद्यपि तमिल, तेलुगु और प्रस्तावित कन्नड़ भाषा विशेषज्ञ [illegible] क्षेत्र में एक-एक भाषा का गहन अध्ययन कर रहे हैं फिर भी एक व्यापक और तुलनात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाना जरूरी है।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के, कुप्पम स्थान पर द्रविड़ संस्कृति के विकास के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।

(तीन) राजस्थान में रायसिंह नगर और अनूपगढ़ में उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पाकिस्तान बार्डर पर रायसिंह नगर और अनूपगढ़ कस्बें हैं। इन कस्बों के आसपास देश की रक्षा हेतु बहुत बड़ी संख्या में मिलिट्री तैनात है। मिलिट्री के जवान टी० वी० देखते हैं लेकिन टी० वी० में लाहौर की खबरें सुनते हैं। इससे हमारे देश के रक्षकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए रायसिंह नगर और अनूपगढ़ में उच्च शक्ति वाला टी० वी० स्टेशन खुलना देश के हित में बहुत जरूरी है।

टी० वी० स्टेशन के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए रायसिंह नगर और अनूपगढ़ दोनों कस्बें तैयार हैं। अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इन दोनों जगहों पर प्राथमिकता के आधार पर टी० वी० चालू करने के आदेश देने की कृपा करें।

(चार) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मानकू राम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, बस्तर के विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले बैलाडीला आयरन और प्रोजेक्ट में देश के कोने-कोने से कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत हैं। उनको अपने परिवार से सम्पर्क करना हो तो संचार व्यवस्था के गड़बड़ी के कारण जरूरी सम्पर्क के लिए भी महीनों लग जाता है। यहां तक कि कभी-कभी माता या पिता की मृत्यु के दुखद खबर को भी इतने विलम्ब से पाते हैं कि वे मृत्यु पश्चात के दिन क्रिया कर्म में भी पहुंच नहीं पाते। अधिक दूरी होने से केवल टेलीफोन ही एकमात्र साधन है जिसको उपयोग किया जा सकता है। पर टेलीफोन लाइन में 8-10 दिन तक भी सम्पर्क नहीं हो पाता। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमेशा शिकायत की गयी है, पर कोई सुधार कार्य सन्तोषजनक नहीं हो सका है। इसलिए परेशान होकर इस परियोजना में एस० टी० डी० कनेक्शन जोड़ने के लिए केन्द्र शासन को आवेदन किए हैं। आवेदन में यह भी जानकारी दी गयी है कि अभी निकट भविष्य में दन्तेवाड़ा में एस० टी० डी० कनेक्शन से जोड़ने का आदेश हुआ है। उसी आदेश में इस परियोजना को भी शामिल किया जाये जो केवल 40-50 कि० मी० की दूरी पर स्थित है।

अतः केन्द्र शासन से मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को भी दन्तेवाड़ा एस० टी० डी० कनेक्शन योजना में अवश्य शामिल किया जाए।

(पांच) राजस्थान के कोटा नगर को "बी" श्रेणी के नगर का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : कोटा नगर को बी–2 श्रेणी का नगर घोषित करने बाबत लगातार भिन्न–भिन्न माध्यमों से मैं कई वर्षों से उक्त समस्या को उजागर करता रहा हूं। केन्द्र सरकार ने इस निमित्त मानदंड निर्धारित कर रखे हैं। नगरों के वर्गीकरण हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों के तहत कोटा नगर हर प्रकार से बी–2 श्रेणी का नगर घोषित किए जाने योग्य है। इस निमित्त 1981 व 1991 के अधिकृत आंकड़े उपलब्ध हैं।

कोटा नगर की वर्ष 1991 की जनगणना तहत जब कि अन्तिम आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं व जिसके तहत कोटा की आबादी 5 लाख 36 हजार 645 है तो फिर कोई कारण नहीं कि कोटा को बी–श्रेणी का नगर घोषित नहीं किया जाये। इस निमित्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित पूरा कोटा जिला आंदोलित है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि कोटा नगर को बी–2 श्रेणी का नगर शीघ्र घोषित किया जावे।

(छः) उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में जल स्तर घटने की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बांदा, बुलन्दशहर, फतेहपुर, फतेहगढ लखनऊ, ललितपुर, नैनीताल सहित लगभग बाईस जिलों के विभिन्न भागों में मानसून आने के पहले गर्मी के मौसम में सामान्य भूगर्भ जल स्तर से दो मीटर से भी अधिक गिर जाता है जिसके कारण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगे हैंडपंप, कुएं तथा ट्यूबवैल सूख जाते हैं तथा उनमें से पानी नहीं निकलता। इन जिलों के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मनुष्यों व पशुओं को पीने के लिए पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता। बूंद–बूंद पानी के लिए निवासी तरस जाते हैं। आगरा व आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी सहित अनेक जिलों में पर्यटन केन्द्र होने के कारण पर्यटकों को भी जलाभाव के कारण भारी असुविधा होती है। आगरा मण्डल राजस्थान से सटा हुआ होने के कारण आगरा में भूगर्भ जल स्तर के गिरावट की समस्या का अति भयंकर स्वरूप हो गया है।

आगरा नगर व आगरा जिले के निवासी बूंद–बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जून माह में या मानसून आने में विलम्ब होने पर यह स्थिति अति भयावह हो जाती है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि आगरा सहित पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलों के भूगर्भ स्तर की समस्या के निराकरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रदेश के बाईसों जिलों के भूगर्भ जल स्तर की गिरावट की समस्या का निराकरण करें ताकि गर्मी के मौसम में इन जिलों के निवासियों को पानी के अभाव की समस्या से मुक्ति मिल सके।

(सात) समस्तीपुर, दरभंगा-सीतामढ़ी-नरकटियागंज मीटरगेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का नेपाल सीमावर्ती जिला सीतामढी विकास की दृष्टि से बहुत ही पीछे है। सीतामढ़ी जो कि सभी दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है, की जनता बहुत ही गरीब है तथा इस जिले की बहुत ही घनी आबादी है। क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक दृष्टि से आवागमन की सुविधा की बहुत ही कमी है। समस्तीपुर से दरभंगा को छोटी रेल लाइन से बदलकर बड़ी रेल लाइन करने की स्वीकृति पूर्व में ही मिल चुकी है। मगर आज तक यह रेल लाइन नहीं बन पाई है जबकि इससे पीछे जिसका सर्वेक्षण और स्वीकृति मिली वह रेल लाइन बन गई। सीतामढ़ी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, यहां रेल लाइन का होना अनिवार्य है। इसलिए समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, से नरकटियागंज तक छोटी रेल लाइन को बदलकर बड़ी रेल लाइन किया जाए तथा इसका सर्वेक्षण रेलवे विकास बोर्ड द्वारा अविलम्ब कराया जाए, ताकि जन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। विकास की दृष्टि से इस लाइन को बदलना बहुत ही जरूरी है।

(आठ) पश्चिमी बंगाल में नवद्वीप से होकर जाने वाले एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नव द्वीप) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पश्चिम बंगाल के नवद्वीप क्षेत्र से गुजरता है। यह एक संकीर्ण मार्ग और भारी वाहन इस मार्ग से गुजरते है इस पर रात और दिन बहुत ही ज्यादा यातायात होता है। इस मार्ग पर लगभग एक सौ वाहन एक घन्टे में गुजरते हैं। इसके अलावा इस सड़क के दोनों ओर बहुत बड़े-बड़े वृक्ष खड़े हैं। इसके सकरे होने के कारण यहां प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं। यह एक महत्वपूर्ण है। उत्तर-बंगाल के रास्ते असम और मणिपुर को जोड़ने वाला केवल यही ही एकमात्र मार्ग है।

वृक्ष इतने अधिक पुराने हैं कि यदि सरकार इन्हें अब नहीं कटवाती तो भविष्य में इनको कटवाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इन वृक्षों के इतने अधिक समय तक और कीटग्रस्त रखने की अपेक्षाकृत सरकार इन की लकड़ी व इनके नए पौधे बेच कर आय प्राप्त कर सकती है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि यातायात को निर्विघ्न बनाने के लिए एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3—00 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1-58 म० प० तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3—00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.08 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3-08 म० प० पर पुनः समवेत हुई

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1992-93

श्रम मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगामी चर्चा आयोजित होगी।

श्री नीतीश कुमार कृपया अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी से सम्बन्धित जो विधेयक 1990 से राज्य सभा में लम्बित है, उसका मैं जिक्र कर रहा था। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने इस सवाल में रुचि दिखलाई, नीति विषयक निर्णय लिया और इस सम्बन्ध में बिल तैयार करके राज्य सभा में उसको प्रस्तुत किया। इस सरकार की इस सम्बन्ध में कोई दृष्टि नहीं है, यही कारण है कि अब तक वह विधेयक राज्य सभा में पड़ा हुआ है। अगर इनकी दिलचस्पी रहती कि मजदूरों की प्रबन्धन में भागीदारी हो, मैनेजमेण्ट में लेबर का पार्टीसिपेशन हो तो निश्चित रूप से इस विधेयक को अब तक कानून बनवा चुके होते लेकिन इनकी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है। इसमें इनका इरादा साफ नहीं है। हम लोगों के समय में लेबर लॉज में कई प्रकार के सुधार लाने के लिए, ट्रेड यूनियन को अधिक अधिकार देने के लिए और कई चीजों पर विचार करने के लिए और सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनी थी, रामानुजम साहब की अध्यक्षता में, कांग्रेस का ही जो मजदूर संगठन इण्टक है, उसके वे अध्यक्ष थे। हम लोगों की व्यापक दृष्टि थी। अगर हम चाहते तो दूसरे व्यक्ति की अध्यक्षता में वह कमेटी बन सकती थी लेकिन तमाम सवालों पर हम सही मायने में राष्ट्रीय सहमति चाहते थे। आज जो राष्ट्रीय सहमति की बात करते हैं, उनकी बात खोखली है। उस समय में रामानुजम साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी उसमें कई चीजें कही गई थीं। कई प्रकार की यूनियन काम करती हैं। यह हुआ कि गुप्त मतदान के जरिए कौन-कौन यूनियन की क्या ताकत है, उस की क्या हैसियत है, इसका पता लगाया जाए। इन तमाम बातों को उसमें रैफर किया गया है। रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही इनके द्वारा अब तक नहीं हो रही है। मतलब—मजदूरों को अधिकार देने के मामले में, ट्रेड यूनियन को अधिक अधिकार देने के मामले में, फर्जी यूनियन न चले जायज यूनियन चले, हैसियतदार यूनियन चले, लोकप्रिय यूनियन चले, इन सवालों पर इनकी कोई दृष्टि नहीं है और ये कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। बछावत एवार्ड लागू करने की घोषणा नेशनल फ्रंट की सरकार ने की थी। जो प्रैस मीडिया के लोग हैं जर्नलिस्ट हैं या उस में काम करने वाले दूसरे किस्म के लोग हैं, कर्मचारी हैं उनसे संबंधित बछावत एवार्ड लागू करने की बात कही गई थी। उस समय जो इसमें दोषी पाए जा रहे थे, जो इसको लागू

करने में छोटूही कर रहे थे, उनके खिलाफ ही कार्यवाही शुरू हुई थी। लेकिन अब लगता है कि बछावत एवार्ड को सरकार भूल चुकी है, इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको मीडिया की आजादी में दिलचस्पी नहीं है। जो इसमें काम करने वाले पत्रकार हैं या गैर पत्रकार हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में इनको कोई चिन्ता नहीं है, बल्कि उसके मालिक जो हैं, उनकी चिन्ता इनके मन में ज्यादा है। इनकी दृष्टि मालिकों के पक्ष में है और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पक्ष में इनकी दृष्टि नहीं है।

हम लोगों के समय में बान्डेड लेबर कमीशन बनाया गया था। बन्धुवा मजदूरों की बात हुई थी। बन्धुवा मजदूरों की मुक्त कराने का अधिकार और इस संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार जिले के कलैक्टरों को और पुलिस कप्तान को, डी एम और एस पी को है। लेकिन देखा क्या है, डी एम और एस पी की पहले से तो शायद ही किसी बन्धुवा मजदूर की मुक्ति हुई हो। आज तक जितने भी बन्धुवा मजदूर मुक्त हुए हैं, अधिकांशतः जो संगठन हैं, जैसे बन्धुवा मुक्ति मोर्चा संगठन या इस तरह के जो संगठन देश में हैं, उनकी पहल से और प्रयास से ही या समाचार पत्रों के प्रचार से और सामाजिक संगठनों के प्रयास से, इनकी मुक्ति का काम हुआ है। यह कहा गया था कि बन्धुवा लेबर कमीशन बना दिया गया है और इस कमीशन को अधिकार दे दिया जाए, जो आज इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार डीएम और एसपी को है। डीएम और एसपी को तो कई प्रकार के अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग नहीं होता है और अमल भी नहीं होता है। इसलिए अलग से सही मायनों में बन्धुवा मजदूर को मुक्त करने के लिए या इस प्रथा को सदा-सर्वदा समाप्त करने के लिए, उस समय कारगर पहल और प्रयास किया गया था, लेकिन उस मामले में भी सरकार की कोई दृष्टि नहीं है। आप इस संबंध में क्या करना चाहते हैं और आपका क्या इरादा है, इस बारे में कोई वक्तव्य इनकी तरफ से नहीं आया है और न कोई सफाई दी गई है। हम चाहते हैं कि जब राज्य मन्त्री जी जवाब दें, तो इन सवालों के बारे में जवाब दें—बछावत एवार्ड के बारे क्या करना चाहते हैं? बन्धुवा मुक्ति लेबर कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं? रामानुजम कमेटी की जो सिफारिश थी, उसको आप अमल में लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं?

3.14 म०प० श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए

हम लोगों ने अपने वक्त में कन्स्ट्रक्शन लेबर बोर्ड बनाने की बात कही थी। निर्माण कार्य में जो मजदूर लगे हुए हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनको भी पैंशन, पैंशन नहीं उसके लिए भी प्रोवीडेंट फण्ड खोला जाए। एक महीने तक जो मजदूर काम कर रहा है, उसके बाद उसमें से पैसा काट कर जमा होने लगे। उनके वैलफेयर के लिए, मजदूरों के वैलफेयर के लिए, जिस प्रोजेक्ट में वे काम कर रहे हैं, उस प्रोजैक्ट की तरफ से उसमें कन्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये सारी बातें कही गई थीं। उनको आइडेंटिटी कार्ड देने की बात भी कही गई थी। आज बहुत बड़ी संख्या में मजदूर यहां आ रहे हैं। बड़े-बड़े शहरों में

लोग काम करने के लिए आते हैं, बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है, उनके जीवन की कोई गारन्टी नहीं है। आज वे काम करते हुए यदि मर जायें तो कोई उनको देखने वाला नहीं होता है। उनकी सुरक्षा के लिए एक बोर्ड गठित करने की बात भी हुई थी। हम सरकार से जानना चाहेंगे, जब मन्त्री जी जवाब दें, इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं और इसके सम्बन्ध में जो पहले कार्यवाही हुई थी, उस पर आप क्या सोच रहे हैं। जिस प्रकार ये असंगठित मजदूर हैं, कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और इस प्रकार के और भी असंगठित मजदूर हैं, जैसे खेतिहर मजदूर हैं, इन खेतिहर मजदूरों को एक समय काम नहीं मिलता है और वे बेकार हो जाते हैं। उस समय उनको काम देने के लिए एक ही योजना चल रही है और वह है, जवाहर रोजगार योजना। इस जवाहर रोजगार योजना के जरिए उतने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है या जितने मैन-डेज का सृजन हो रहा है, मानव दिवस का सृजन हो रहा है, वह नाकाफी है। वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

उसमें कोई स्थिति नहीं है। 1990-91 में जो एलोकेशन दो हजार एक सौ करोड़ रुपये का जे० आर० वाई० में था, उसको घटा दिया गया। एक तरफ इन्फलेशन बढ़ा और दूसरी तरफ 2046 करोड़ कर दिया। मानवीय दिवस का सृजन घट गया पिछले वर्ष और इस साल और दुर्गति होने वाली है। रीयल टर्म में सोचा जाए तो 21-22 प्रतिशत नीचे चला गया। जो खेत मजदूर हैं और जो देहात में रहने वाले मजदूर हैं तो उनको खेत के अलावा रोजगार देने का जरिया जे० आर० वाई० था उसमें भी भारी कटौती की गई है। इस बारे में सरकार की कोई दृष्टि नहीं है कि किस प्रकार से मजदूरों को काम पर लगाया जाए। बाल श्रमिक भी काम कर रहे हैं। बड़े लोगों के कुत्ते गाड़ियों में सफर करते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे चाय की दुकान पर, फुटपाथ पर, होटलों में काम कर रहे हैं। किस परिस्थिति में वे जी रहे हैं, इन पर रोक लगाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इनको उठाने का विचार है या नहीं। जे०आर०वाई० में जो कटौती हुई है तो उससे देहात में एम्पलायमेंट की समस्या और गम्भीर होगी। देहात के बारे में कोई चिन्ता नहीं है पढ़े-लिखे और बड़े लोगों के घड़ियाली आंसू बहते रहते हैं। 1991 के अंत में 346.32 लाख नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज थे और 91 के जून में 352 लाख 15 हजार हो गए। वह बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी ओर नए रोजगार के अवसर नहीं। पिछले वर्ष डेढ़ लाख रोजगार के अवसर क्रिएट नहीं कर पाए हैं। उन्होंने दावा किया था कि हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यह दूर करने की बात दूर रही। जो रोजगार में हैं, उनको भी निकालने का काम कर रहे हैं चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो, जिसकी चर्चा हमने कल की है, उसको मैं दुहराना नहीं चाहता। कुल मिलाकर सरकार के पास मजदूरों के हित में कोई सोची-समझी नीति नहीं है। अगर है तो मजदूरों के खिलाफ है। बछावत आयोग, रामानुजम कमेटी, कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड या बान्डेड लेबर कमीशन के सवालों पर सरकार की दृष्टि साफ नहीं है। सरकार इस देश के बड़े पूंजीपतियों के हित में काम करना चाहती है और मजदूरों के हित में कुठाराघात करना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदान मांगों का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एस० गंगाधरा ।

श्री राम कापसे (थाणे) : महोदय, दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी से शुरू होगा । पहला चरण कांग्रेस से शुरू हुआ था । अतः दूसरा चरण भा०ज०पा० से शुरू होना है ।

सभापति महोदय : कांग्रेस की ओर से केवल एक सदस्य ही बोला है । इसलिये दूसरा सदस्य भा०ज०पा० का होगा ।

श्री गंगाधरा सानी पल्ली (हिन्दुपुर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध से कुछ विशिष्ट मुद्दों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । सर्वप्रथम, मैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि अधिकतर रोजगार राज्य के क्षेत्र में है । उतनी ही दृढ़ता के साथ वास्तविक अधिनियम का यहां पालन नहीं होता है । मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह एक केन्द्रीय समिति गठित करे जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में सुझाव दें और पूरे-देश में यह ठीक से लागू यह सुनिश्चित करने के लिये निगरानी भी करें ।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही जैसे कार्य के लिये पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी नहीं मिल रही है । केन्द्र अथवा राज्य की कोई भी ऐसी एजेन्सी क्षेत्रों में जो श्रमिकों में चेतना पैदा कर सके । समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1987 ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावी नहीं है ।

मेरा तीसरा मुद्दा बाल श्रमिकों के संबंध में है जो कि हमारे देश में वर्तमान गरीबी का स्टीक उदाहरण है । जब तक गरीबी हटाओ कार्यक्रम को गंभीरता से लागू नहीं किया जाएगा, हम समस्या को हल नहीं कर सकते । कोई भी माता-पिता अपने बच्चे को श्रमिक के तौर पर कार्य करने के लिये नहीं भेजना चाहते । केवल उनकी गरीबी और निम्न जीवन स्तर के कारण ही उन्हें अपने बच्चों को मजदूरी के लिये भेजते हैं । सबसे पहले बाल श्रमिक अधिनियम के वर्तमान महत्व को बढ़ाना होगा । साथ ही साथ, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा के प्रति लोगों में चेतना पैदा करने की आवश्यकता है । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तरह सरकार सांध्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि बच्चे वहां जा सकें और उसके साथ उन बच्चों के माता-पिता की उत्पादक गतिविधियों में सहयोग दिया जाए ।

मेरा चौथा मुद्दा बंधुआ मजदूर के संबंध में है । बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के लिये स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने की बहुत ही अच्छी योजना हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी ने शुरू की थी । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस योजना को और मजबूती प्रदान करने के विचार से स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को बढ़ाए और उन श्रमिकों के कल्याण के लिये उन्हें पूरी छूट दी जाये जो इस कुचक्र में फंसे हैं ।

मेरा पांचवा मुद्दा मातृत्व के संबंध में है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मैं सरकार की वर्तमान नीतियों और प्रणाली से प्रसन्न हूं। लेकिन मैं सरकार की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं मातृत्व संबंधी लाभ अभी केवल महिलाओं को उपलब्ध है। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि इस योजना में पतियों के लिये भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। जब उनकी पत्नियां अन्य बच्चों की देख-रेख गृह कार्य में असमर्थ होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वे कार्य पतियों द्वारा किये जा सकते है। मेरे विचार में पतियों के लिये भी कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिये ताकि वे अपनी पत्नियों तथा गृहकार्य की देख-रेख कर सकें। यह प्रावधान कई देशों में है और अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठनों द्वारा उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। इस संबंध में गर्भवती ग्रामीण महिला श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा 900 रुपये देने जैसी अच्छी योजना को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं आपको इसी तरह की व्यापक योजना ग्रामीण महिला श्रमिकों के लिये पूरे देश में लागू करें।

अंत में, ग्रामीण श्रमिकों के दयनीय स्थिति के संबंध में सरकार को बताना चाहता हूं। जो भी योजनाएं सरकार अच्छे इरादों से बनाती वह ग्रामीण श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाती है। यहीं पर स्वैच्छिक एजेन्सियों की भूमिका सामने आती है। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि स्वैच्छिक एजेन्सियों को शामिल करके हम ग्रामीण जनता में सजगता ला सकते और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बना सकते हैं।

उपरोक्त कुछ मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए मैं श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के क्रम में कुछ आंकड़ों पर हमें ध्यान देना होगा।

भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है। जो लोग किसी कार्य में लगे––चाहे वह लाभकारी हो या अन्य वे 30 करोड़ हैं। संगठित मजदूर 2.60 करोड़ हैं। यह अद्यतन आंकड़ा है।

एक राष्ट्र जिसकी आबादी 85 करोड़ है यदि उनमें से केवल 2.60 करोड़ लोग ही संगठित क्षेत्र में हों तो श्रम मंत्रालय का मुख्य दायित्व नये रोजगार पैदा करने का होना चाहिये।

मैं रोजगार पैदा करने के पहलू पर चर्चा करूंगा जिसका उल्लेख कार्य निष्पादन बजट में किया गया है। लेकिन यह बहुत थोड़ा है। रोजगार कार्यालय में 3,63,00,000 लोग पंजीकृत हैं। 1995 तक संगठित क्षेत्र में रोजगार मांगने वालों की संख्या सरकारी अनुमान के आधार पर 6,50,00,000 होगी। अतः आप उन्हें कहां से रोजगार देंगे? वास्तव में 1988-89 के दौरान रोजगार निर्माण केवल एक प्रतिशत थी। यह सब आपके आंकड़े हैं और यदि आप का आंकड़ा यही बताता है तो यदि श्रम को सुरक्षा देने का जहां तक संबंध उस दृष्टि से श्रम मंत्रालय की पूरी विफलता को देखें तो उसके कई पहलू सामने

आते हैं और तब मेरे विचार में मुझे यह पूरा अधिकार है कि इस कारण मैं मांगों का विरोध करूं। क्या आप देश के पूरे श्रमिक वर्ग को इसमें शामिल करते हैं? वास्तव में मेरे विचारानुसार कामगार वर्ग के केवल दस प्रतिशत लोग ही श्रम के अंतर्गत आते हैं। यदि 30 करोड़ कामगार चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के, अधिकतर असंगठित हो और यदि आपका कानून इन सभी क्षेत्रों को शामिल नहीं करता है तो आप केवल दसवां भाग शामिल कर रहे हैं और यह पुनः आपकी विफलता है।

ग्रामीण श्रमिक के संबंध में अगस्त 1987 में ग्रामीण श्रमिक के लिये राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया गया था। उन्होंने जुलाई, 1991 के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। आपका अध्ययन कब पूरा होगा? ग्रामीण श्रमिक की सुरक्षा आप कब सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि आप यहां भी यह मानते हैं कि भूमिहीन श्रमिकों के लिये जो भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है वह समान रूप से सभी राज्यों में नहीं मिल रहा है। हरियाणा और पंजाब में निर्धारित मजदूरी से भी अधिक मिल सकता है पर बिहार, महाराष्ट्र और कई ऐसे राज्य हैं जहां आपके द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है। आप सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, वे आपके बैठकों में शामिल होते हैं और अंत में उसका परिणाम क्या निकलता है? साथ ही मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहां तक कि जो न्यूनतम मजदूरी 14 या 15 रुपये राज्य द्वारा दी जाती है, श्रमिकों को कितने दिन काम मिलता है? तीन या चार महीना? और कई महीने उन्हें कोई काम नहीं होता है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग की जहां उन्हें या तो आंशिक रोजगार है, महीनों तक उन्हें कोई काम नहीं मिलता, उन्हें अपना स्थान छोड़कर जाना होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जहां भी आप जाएं सभी जगह यही स्थिति है। निर्वाचन के दौरान हम यह पाते हैं कि लाखों लोग वहां से बाहर हैं। उनका नाम मतदाता सूची में होता है वे वहां नहीं होते हैं। वे किसी अन्य राज्य में होते हैं उनको वहां से लाना संभव नहीं होता है। यही स्थिति है। यह निर्वाचन संबंधी कोई शिकायत नहीं है बल्कि यह स्थिति हम देखते हैं और सभी कोई देखते हैं। जब भी उन्हें काम मिलता है, पूरा परिवार काम पर चला जाता है। भारत में महिलाओं को अत्यधिक कष्ट का सामना करना होता है। जब उन्हें काम मिलता वे काम में सहायता देती हैं और उन तीन चार महीनों के दौरान बच्चे भी और पूरा परिवार ही काम पर होता है।

बच्चों के विकास का क्या होगा? इस दिशा में हम कुछ कर सकते हैं। जब माता-पिता भूमिहीन श्रमिक के रूप में तीन-चार माह कार्य करते हैं, तो उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देख-रेख कैसे हो सकती है? पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है और यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।

क्या मैं यह कह सकता हूं कि ग्रामीण श्रमिकों को इस शताब्दी के अंत तक शामिल करने की कोई संभावना नहीं है? यह वर्ष 1992 है। कार्य निष्पादन बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि ग्रामीण श्रमिकों के लिये आप तुरंत क्या करने जा रहे हैं। कम-से-कम, यदि आप कोई कानून पारित करते हैं और इसे उचित रूप से लागू किया जाता तब भी

शताब्दी के अंत तक उन क्षेत्रों को शामिल करने के कोई आसार नजर नहीं आते । एक दूसरा क्षेत्र शहरी आबादी में है जो असंगठित वर्ग के अंतर्गत आता है । भारतीय मजदूर संगठन ने मुम्बई में कुछ करने का प्रयास किया और उस संगठन का नाम है घरेलू कामगार संगठन यानि वे लोग जो आपके घरों में काम करते हैं और 50 या 100 रुपये कपड़े धोकर या अन्य कामों से कमाते हैं उनके लाभके लिए कोई कानून है ? महाराष्ट्र में हमने इसके लिये प्रयास किये । मैं वहां 12 वर्ष तक था और 12 वर्ष बाद हमारी सफलता शून्य थी । मैं सफलता नहीं प्राप्त कर सका ।

दूसरा क्षेत्र ठेका मजदूरों का है । उनके लिये एक कानून है । क्या मैं आपको यह बताऊं कि ठेका मजदूरों में वृद्धि हो रही है । यह काम नहीं हो रहा है । ठेका मजदूर की व्यवस्था समाप्त करने के लिये एक कानून है लेकिन जिन क्षेत्रों में यह निषिद्ध है वहां भी ठेका मजदूर कार्य कर रहे हैं और आपके सार्वजनिक उपक्रमों में भी यह जारी है । आपके परिपक्व सार्वजनिक उद्यमों में पहुंचते हैं फिर भी दिन-ब-दिन ठेका मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है और नियमित कामगारों की संख्या घट रही है । अतः क्या संगठित मजदूर विकसित हो सकते हैं ? यह कठिन लगता है । 1988-89 में यह एक प्रतिशत था और इसके इतनी की भी संभावना आपके नई औद्योगिक नीति के कारण नहीं है । मैं श्रम मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि नई औद्योगिक नीति को बनाने संबंधी जब निर्णय लिए गए थे तो उनके मंत्रालय से विचार विमर्श किया गया था क्योंकि इससे केवल श्रम मंत्रालय ही प्रभावित होने जा रहा है । यदि आपसे विचार-विमर्श कर लिया गया था तो फिर आप क्यों यह कहते फिर रहे हैं कि छंटनी नीति नही है ? क्या आपको पूरा विश्वास है कि छंटनी नीति नहीं है? आप मद्रास गए और आपने यह कहा कि ऐसी कोई छंटनी नीति नहीं है । तो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । आप 25,000 करोड़ रुपये क्यों एकत्र कर रहे हैं। आपने कहा है कि रुपयों की आवश्यकता होती । श्री संगमा ने कहा :—

> "उन श्रमिकों के हितों में जिनकी रक्षा की जानी है लगभग 25,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । सरकार इस रकम को खर्च करने के लिये तैयार थी परंतु इसे नए उद्यमों में लगाया जाए तो कम से कम 15 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है ।"

लेकिन आपको यह रकम देनी होगी । यह 'नेशनल रिन्यूअल फंड' किस लिये है ? वह आधुनिकीकरण के नाम पर है । इस मुद्दे पर यह बजट एकदम चुप्पी साधे है । आप राज्यों के मंत्रालयों से यह धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं । आपने उनके सार्वजनिक उपक्रमों और उनके बंद होने का उल्लेख किया है । आपने बहुत से ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों को बी० आई० एफ० आर० के पास भेजा है उन सब का भी जिक्र किया है । मैं नई औद्योगिक नीति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में आपको एक उदाहरण दूंगा । मैं जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं । आप कह सकते हैं कि यह उद्योग मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में है । परन्तु मैं इसका उत्तर आप से जानना चाहता हूं क्योंकि जहां तक डिटरजेंट्स का संबंध है मैं लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बचाना चाहता हूं ।

हिन्दुस्तान लीवर व्हील और लाइफ बॉय साबुन का उत्पादन कर रहा है। व्हील में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। अभी भी उन्होंने कीमत 10 प्रतिशत कम कर दी है। उन्होंने लाइफबॉय और रिन की कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ा दी हैं। एक तरफ उन्होंने कीमतें बढ़ाईं जो कि उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध हैं, दूसरी तरफ जहां तक व्हील का संबंध है, उन्होंने कीमत कम कर दी है। किस लिए? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे डिटरजेंट्स का 91 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। अब वे लघु उद्योग के क्षेत्र के पास बचे शेष 9 प्रतिशत को भी हथियाना चाहते हैं। वे सम्पूर्ण उद्योग पर एकाधिकार चाहते हैं। यदि वे इसमें सफल हो जाते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि कम से कम 6 लाख कामगार जो कि लगभग 11,000 लघु उद्योग इकाइयों में काम कर रहे हैं वे उद्योगों से बाहर हो जाएंगे। उन्हें हिन्दुस्तान लीवर में नहीं खपाया जाएगा क्योंकि उन्हें कम श्रमिकों की आवश्यकता है। कम से कम आप क्या कामगारों के हितों को नहीं देखेंगे और क्या यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि यह अनुचित श्रमिक व्यवस्था जारी न रहे।

दूसरा मामला नई दिल्ली में ताजमहल होटल का है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में 1982 में अनुचित श्रमिक पद्धतियां शामिल की गई। परन्तु सरकार की अनुमति के बिना किसी नियोक्ता के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ताजमहल होटल के प्रबंधक मण्डल ने अनेक अनुचित श्रमिक पद्धतियां अपनाई हैं। सरकार ने कार्यसमितियों के चुनाव के आदेश जारी किए हैं परन्तु प्रबंध मण्डल ने उस आदेश की अनदेखी कर दी है। सरकार ने तब अनुचित श्रमिक पद्धति अपनाने के लिए यूनियन को केवल महाप्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के प्राधिकृत किया। इसमें कंपनी और अध्यक्ष को जानबूझ कर छोड़ दिया गया। क्या आप कंपनी और अध्यक्ष को बचाने के लिए हैं क्या आप श्रमिकों को बचाने के लिए हैं? ये मेरा प्रश्न है। जहां तक श्रमिकों के हित का संबंध है आपको इस बारे में बहुत कठोर होना पड़ेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में डब्ल्यू जी फॉरगेज और एन एम एम दो बहुत बड़े उद्योग हैं। ये दोनों ही कारखाने बंद हैं। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। उनके पास पर्याप्त जमीन है और वे उसे बेचना चाहते हैं। बंबई में वस्त्र उद्योग की भी वही समस्या है। कामगारों ने मिलकर कामगार समिति गठित की है। उन्होंने बी आई एफ आर को व्यवहार्य समाधान दिया है। आज की स्थिति में एन एम एम और डब्ल्यू० जी० फॉरगेज की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वे वर्षों से बंद पड़ी हैं। अन्ततः कामगारों को उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ा और उन्हें इस तरह की घोषणा मिली कि वर्षा के मौसम में मशीनरी को बचाया जाए। जहां तक कामगारों के हितों का संबंध है, उन्होंने अनेक तरह के रवैय्ये अपना लिए हैं बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा के करोड़ों रुपये के अंशदान का भुगतान नहीं किया है। आपने केवल पिछले सप्ताह ही यहां उत्तर दिया है। परन्तु हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम असफल हो रहे हैं।

इस संबंध में 1988 और 1990 के विधेयक राज्य सभा में लंबित पड़े हुए हैं। राज्य सभा में लंबित पड़े हुए उन विधेयकों से आप क्या करने जा रहे हैं? उन्हें यथाशीघ्र लोक सभा

में लाइए । मुझे मालूम नहीं है कि क्या हम अपने पांच साल पूरे कर पाएंगे । हमें इसकी उम्मीद करनी चाहिए । लेकिन उससे पहले कम से कम हम कानून बना लें ।

परन्तु इन कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में क्या है जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं ? ये कानून विफल हो रहे हैं ।

बाल श्रम के बारे में श्री रंगराजन कुमार मंगलम् ने 1990 में विपक्ष की ओर से कहा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि शिवकाशी में बाल मजदूरों के हित सुरक्षित नहीं हैं । यह श्री पी० चिदम्बरम का निर्वाचन क्षेत्र है । यदि आप अपनी मांगों को देखें तो उसमें तीन क्षेत्रों मे बाल मजदुरों का जिक्र किया गया है । कार्यनिष्पादन बजट में आप ने इस बात का उल्लेख किया है कि बाल मजदूरों पर 2,50,00,000 रुपए व्यय किए जाएंगे । यह आप के पास होना चाहिए । आप ने बजट बनाया है । परन्तु पृष्ठ 15 और 107 और 127 पर आपने बाल मजदूरों का उल्लेख किया है परन्तु केवल एक स्थान पर बाल मजदूरों के लिए 18 लाख रुपए की मांग की गई है । 1992-93 से इसके लिए धन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । क्या यह मेरी गलती है ? अतः मैं जानना चाहूंगा कि जहां तक बाल मजदूरों का संबंध है माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालें कि उनके विभाग में इस बारे में उनका विचार क्या है ।

बहुत छोटे मुद्दे हैं । कुछ नियमों को बदलने की आवश्यकता है । एक मुद्दा उपदान राशि के बारे में है । केवल 50,000 रुपए अधिकतम उपदान राशि की अदायगी की जा सकती है । क्या आपको मुद्रास्फीति की मौजूदा दर के हिसाब से उपदान राशि में वृद्धि नहीं करनी चाहिए ? यदि कोई व्यक्ति वेतन के रूप में 2,500 रुपए प्राप्त करता है तो यह ठीक है । यदि वह 5,700 रुपए या 3,000 रुपए प्राप्त करता है तो उसे उपदान राशि प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है ।

बोनस के बारे में कोई नए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है ? गुप्त मतदान के विषय में वे कई दिनों से बात कर रहे हैं । आप इस मुद्दे को कब उठाएंगे और कब इस बारे में निर्णय लेंगे ।

मैं महसूस करता हूं कि आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति बहुत तेज गति से बढ़ रही है । इससे श्रम मंत्रालय प्रभावित होगा परन्तु श्रम मंत्रालय इस बारे में उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा है । साथ ही सभी आंकड़ों से मुझे ऐसा महसूस होता है कि पूरे बजट में नई चुनौतियों को नहीं दर्शाया गया है ।

मेरी मांगें विशिष्ट हैं और मैं उन्हें केवल पढ़कर सुनाता हूं । श्रमिक कानूनों का यथाशीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा उन्हें सरल बनाया जाए । कानून सरल होने चाहिए । अलवर्ड फॉरगेज, एन एम एम, कालवा, ताज महल और इसी तरह की अन्य घटनाएं होती रहेंगी ।

इकाइयों को गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता दी जाए ।

सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों और भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों में निचले स्तर से लेकर प्रबंध व्यवस्था तक में मजदूरों की भागीदारी शुरू की जाए।

आपने मजदूर प्रबन्धन के बारे में फार्मूला स्वीकार किया है। परन्तु आपने ऐसा किया नहीं है।

मुद्रास्फीति से मजदूरों को बचाओ। यह अति आवश्यक है। उन्हें वास्तविक मजदूरी नहीं मिल रही है।

मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले व्यावसायिक दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कानून बनाओ तथा उन्हें इसे बचाने के लिए कारगर तंत्र शुरू करो।

कम से कम बाल मजदूरों को रासायनिक आदि उद्योगों से उत्पन्न दुष्प्रभाव से बचाओ।

डा० आर० के० जे० राजलु (शिवकासी) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडिगम दल की ओर मुझे श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी।

मैं कहना चाहूंगा कि मजदूर हमारे देश की रीढ की हड्डी हैं और उनके बिना देश कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने में समर्थ नहीं होगा।

मजदूरों को दो कामों में विभाजित किया गया है अर्थात संगठित मजदूर और असंगठित मजदूर, पहले वे मजदूर हैं जो लिमिटेड कम्पनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी खेतिहर श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, हस्तकला विशेषज्ञों, बुनकरों, बाल मजदूरों, मिल मजदूरों और वस्त्र उद्योग कर्मचारियों की है। जो मजदूर संगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उन्हें चिकित्सा, भविष्यनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बोनस, पेंशन और समयोपरि भत्ते की सुविधाएं प्राप्त हैं। वे अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उन्हें और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं।

परन्तु असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में क्या है मुख्य रूप से खेतीहर मजदूरों और निर्माण मजदूरों के बारे में क्या सोचा गया है। हाल के बजट में ईंट उत्पादन पर लगाए गए अत्यधिक उत्पाद शुल्क के कारण इस असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक मजदूर पर प्रभाव पड़ा है। गृह निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है और उनमें लगे मजदूरों को नियमित रूप से काम नहीं मिल पा रहा है। इस बेरोजगारी के कारण वे भुखमरी की जिन्दगी जी रहे हैं। भारत सरकार को उन्हें एक महीने में कम से कम 25 दिन रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए आगे आना होगा ताकि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

केन्द्रीय सरकार ग्रामीण निर्धनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आई आर डी पी, एन आर ई पी और जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से कई योजनाओं को भी कार्यान्वित कर

रही है । इस कार्यक्रम से ग्रामीण निर्धनों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं । हमारे माननीय मुख्य मंत्री डा० पुरातचिथिलायवी के गतिशील नेतृत्व में तमिलनाडु ही केवल ऐसा राज्य है जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित उक्त योजनाओं के लिए आबंटित राशि का उपयोग कर रहा है । इसलिए सरकार को उक्त कार्यक्रम को सर्वोत्कृष्ट रूप से लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार को पुरस्कार देने के लिए आगे आना चाहिए ।

भारत सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों को समुचित अनुदेश देने चाहिए कि उन ग्रामीण निर्धनों के प्रति ऋण के लिए उदार रवैया अपनाएं जिन्होंने उक्त योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया है । सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या धनराशि वास्तव में गरीबों तक पहुंच रही है या नहीं ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंच सके ।

डा० पुरातचिथिलायवी के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार पंचायत यूनियनों को अधिक महत्व दे रही है तथा सभी ग्रामों में मूल सुविधाएं देने के लिए पंचायत यूनियनों को एक करोड़ रुपये दे रही है । इस स्वतः सक्षम योजना से अनेक ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल रहा है ।

खेतिहर मजदूरों के बारे में एक बात यह है कि प्राकृतिक विपदाओं के कारण वे बहुत परेशानी उठा रहे हैं । इस संबंध में तंजावुर और त्रिची जिलों में श्रमिक कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश को कार्यान्वित न करने के कारण बहुत परेशानी उठा रहे हैं । उच्चतम न्यायालय भारत सरकार को पहले ही निर्देश जारी कर चुका है कि वह अधिकरण के अंतरिम आदेश राजपत्र में प्रकाशित करें और सरकार ने ऐसा किया भी है । परन्तु अधिकरण के अंतरिम आदेश के अनुसार कर्नाटक सरकार 205 टी एम सी पानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है । कावेरी से पानी न मिलने के कारण उपरोक्त क्षेत्रों के खेतिहर मजदूर अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तथा केन्द्र सरकार को इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे आना चाहिए तथा कर्नाटक सरकार को 205 टी एम सी पानी छोड़ने के निर्देश देने चाहिए ताकि इस क्षेत्र के खेतिहर मजदूरों पर इसका प्रभाव न पड़े ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री डा० पुरातचिथिलायवी सभी बंद पड़ी मिलों को खोलने के लिये कार्रवाई करके मजदूरों की सभी समस्याओं को हल करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं । उदाहरण के तौर पर मद्रास की एक बहुत पुरानी कपड़ा मिल अर्थात् बिन्नी मिल को काफी समय के बाद फिर से खोल दिया गया है । इस मिल को इस महीने की 13 तारीख को खोला गया था । तमिलनाडु सरकार ने इस मिल मजदूरों के सभी ऋण माफ कर दिए हैं और सरकार ने मजदूरों की ओर से सभी देयताओं का भुगतान कर दिया है । इस मिल के पुनः शुरू करने से 8000 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है । एक अन्य रुग्ण उद्योग चेंगलपट्टू जिले में 'स्टैण्डर्ड मोटर्स' है । मुख्य मंत्री महोदय इस उद्योग को भी फिर से खोलने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं । हमारे मुख्य मंत्री मजदूरों को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं और इन मजदूरों को कल्याण के लिए सभी प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं । जो भी समस्या हो, हमारे मुख्य मंत्री उन समस्याओं के सामयिक समाधान हेतु तुरन्त एक बैठक आयोजित करते हैं ।

भारत सरकार ने इस बजट में आयकर छूट की सीमा 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये करके ई० एस० आई० सुविधायें भी प्रदान कर दी हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में, प्रबंधन अंशदायी राशि नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वृद्धावस्था के दौरान बहुत सारे कर्मचारी प्रभावित होते हैं। इसे केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही ठीक किया जा सकता है और सरकार को मजदूरों की सहायतार्थ इस गलती को सही करने के लिए आगे आना होगा।

कुछ कारखानों, कम्पनियों और मिलों के अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाने के बारे में एक समिति होनी चाहिए ताकि बंद की अवधि के दौरान कर्मचारी अपने निर्वाह हेतु कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। किन्हीं कारखानों, कम्पनियों, कपड़ा मिलों की हड़ताल और बंद के आपातकालीन समय के दौरान, केन्द्रीय सरकार को उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान हेतु तुरन्त एक समिति गठित करनी चाहिए, ताकि मजदूर प्रभावित न हों और उत्पादन पर भी प्रभाव न पड़े।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का यह अवसर दिया। मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

जैसा कि आपको विदित ही है कि श्रम मंत्रालय, एक साधारण और निष्कपट मंत्रालय है, जोकि किसी उत्तम कार्य में संलग्न है। हम सभी की श्रमिकों के प्रति—ग्रामीण श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक—सहानुभूति है। श्रमिकों की भी अपनी समस्याएं हैं। जब उन्हें नियोजित किया जाता है, उनमें से बहुत कम का शोषण किया जाता है। ऐसे श्रमिक भी हैं जिन्हें पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता और इस प्रकार उन्हें कम रोजगार मिलता है। श्रम मंत्रालय का कार्य उनके हितों की देखभाल करना, श्रमिक-बल के हितों की रक्षा करना और देश में श्रमिक-बल के कल्याण का ध्यान रखना, उनके सभी तरह के शोषण को समाप्त करना है और श्रमिकों के बेहतरी के लिए कार्य करना है तथा उनके लिए कार्य करने का स्वस्थ माहौल उत्पन्न करना है। यह सब कुछ मिलाकर निश्चय ही एक महान कार्य बनता है और ये सब कार्य इसी मंत्रालय की देख-रेख में होते हैं।

हमारे पास बड़ी संख्या में प्रगामी श्रम कानून हैं। वास्तव में विधान के मामले में हम पीछे नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हम पूरे विश्व में अद्वितीय हैं। हम कानून आगे लाने अथवा विधान बनाने में काफी तीव्र हैं। लेकिन मुझे यह अनुभव करके परेशानी होती है कि श्रम कानून लागू करने के मामले में हम काफी सुस्त हैं और यह इस मामले में स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके लिए भी हम केन्द्र में श्रम मंत्रालय को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। स्थिति ऐसी है कि अधिकतर श्रम कानूनों को राज्यों द्वारा उन्हीं के तंत्र के माध्यम से लागू किया जाता है।

जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्रम का विषय समवर्ती सूची में आता है। केन्द्र राज्यों के साथ मिलकर कानून बनाने में सक्षम है। राज्य और केन्द्र केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के लिए कानून बनाते हैं। कुछ क्षेत्र हैं, जो कि सीधे ही केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित अथवा नियंत्रित होते हैं; अतः वे भी अपने कानूनों को पारित करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में भी श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की उनके अपने कानून लागू करने की एक जिम्मेदारी है।

हम बाल श्रमिक अधिनियम, प्रवासी श्रमिक अधिनियम और ऐसी ही अनेक बातें करते हैं। इन अधिनियमों का ज्यादातर उपयोग राज्य सरकार के तन्त्र द्वारा किया जाता है। अतः, मैं श्रम मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इन श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर एक कड़ी और कारगर निगरानी रखी जाए।

आज, हम श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि श्रमिक के हितों के बारे में, विशेषकर कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात् रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वातावरण भी, कुछ हद तक असम्भावनाओं और असुरक्षाओं से घिरा हुआ है।

मेरे अच्छे मित्र श्री नीतीश कुमार और उस पक्ष से कुछ अन्य सदस्य हमारी नई औद्योगिक नीति और नई आर्थिक नीति की आलोचना करते हैं। इसकी वजह से श्रमिक-बल के दुःख दर्दों के बारे में वे आशंकित थे।

जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, पिछले दो वर्षों तक, अर्थात् 1989 के चुनावों तक काफी अच्छी थी। हम सभी जानते हैं कि यह काफी गुंजायमान और आशाजनक थी। हमारी छवि बहुत अच्छी थी। इतना ही नहीं इस पूरी अवधि के दौरान जी० डी० पी० और विकास दर आदि काफी ऊंची थी। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था को क्या हो गया था। लेकिन परिणाम यह है कि हमारी गुंजायमान अर्थव्यवस्था विघटन के कगार पर थी और विघटन के बिन्दू पर थी। इसलिए, इसमें अनेक सुधारात्मक कदम उठाने, संरचनात्मक परिवर्तन करने और अन्य परिवर्तन करने की जरूरत थी। जैसा कि आप जानते हैं कि समूचा विश्व आमूलचूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। हम यह भी जानते हैं कि महा-शक्ति, सोवियत संघ की क्या दशा हुई है। मैं इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। जब समूचा विश्व आमूलचूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, तो स्वाभाविक ही था कि हमें भी नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति, जिसने लाभांश देना प्रारम्भ कर दिया है और जोकि काफी कारगर और सफल सिद्ध हो रही थी, के बारे में सोचना पड़ा था।

स्वाभाविक ही है उनके मन में यह आशंका थी और वे छंटनी-नीति, 'गोल्डन हैंड शैक', पुनर्निर्माण-कोष और ऐसी ही बातों के बारे में कहा करते थे। यद्यपि, हमारे बजट में पुनर्निर्माण-कोष के लिए एक प्रावधान है। वित्त मंत्री सहोदय, श्रम मंत्री महोदय और माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा इस मुद्दे की स्पष्ट व्याख्या करने के बाद कोई ऐसी आशंका नहीं रहनी चाहिए। प्रधान मंत्री का इस सभा-पटल पर यह कथन भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित हुआ है कि इस आधार पर श्रमिकों की छंटनी नहीं होगी। हम सभी यह जानते हैं कि श्रम मंत्री

स्वयं त्रिपक्षीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसमें सभी रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों की इकाईवार चर्चा होगी। बी० आई० एफ० आर० को भेजने से पहले इन पर इकाई-वार चर्चा होगी।

4.00 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

स्वाभाविक ही है कि ऐसा सुस्पष्ट आश्वासन 48 अथवा 58 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के श्रमिक-बल के हितों की रक्षा के लिए भी दिया गया था। आखिरकार यह, नई आर्थिक नीति, छंटनी-नीति और इन सभी बातों का वह भूत हमारे विपक्ष के मित्रों को और अधिक आहत नहीं करेगा।

इसके साथ ही, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि जब ये मामले इस त्रिपक्षीय समिति के समक्ष हैं, तो बजटीय-समर्थन एक नियमित तरीके से होना चाहिए। ऋण इत्यादि, इन सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिल रहा है। जिसके परिणाम-स्वरूप, हालांकि हमारा विचार चाहे पवित्र हो, यह उनके बंद होने की ओर अग्रसर हो सकता है। हम जानते हैं कि त्रिपक्षीय समिति एवं बी० आई० एफ० आर० बीमार व्यक्ति के लिए एक हस्पताल के समान है। जब कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है अथवा कोई संकट में होता है, तो वह अच्छे उपचार और सामान्य स्वास्थ्य वापिस पाने की आशा से हस्पताल में जाता है। हम सभी महसूस करते हैं कि काफी बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों, जो कि पहले रुग्ण बताई जाती थीं और बी० आई० एफ० आर० को अग्रेषित कर दी गई थीं, ने अपना सामान्य स्वास्थ्य/हालात वापिस पा ली है। बंद होने की बजाय, वे इकाइयां बिल्कुल ठीक-ठाक कार्य कर रही हैं। स्वाभाविक ही है कि जब सुधारात्मक कदम की मांग की जाती है और यदि बजटीय व्यवस्था नहीं की जाती है, और आवश्यक साख व्यवस्था प्रदान नहीं की जाती है, पैसे की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यह इकाई/उद्योग अपने आप ही समाप्त हो जायेगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह यह देखे कि ऐसी इकाइयों के बारे में वित्तीय कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वह अपने उत्तर के दौरान इस स्थिति को स्पष्ट करें।

मैं एक उद्योग विशेष, अर्थात् आई० डी० पी० एल० का नाम लेना चाहूंगा। यह दवाइयों के उत्पादन में संलग्न अग्रणीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक प्रतिष्ठित इकाई है। आई० डी० पी० एल०, इसके कर्मचारियों अथवा प्रबन्धन के बिना किसी कसूर के, वह इकाई रुग्ण हो गई है। क्यों? एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें यह कार्य नहीं कर सकती। फिर उन्हें उनकी उत्पादन-लागत से भी कम मूल्य निर्धारित करने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि वे जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। इन दवाइयों को बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है ताकि ये हमारे देश के गरीब लोगों की पहुंच में हों। यहां तक कि निर्धारित कीमतें उत्पादन लागत से भी कम हैं और वह भी भारत सरकार के कहने पर ही निर्धारित की गई हैं। फिर पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में आई० डी०

पी० एल० में किसी प्रकार की रुग्णता उभर आई है। वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं जो कि दोषपूर्ण प्रौद्योगिकी—डिजाइन दोष के कारण है। तालचेर उर्वरक संयंत्र रुग्ण ही शुरू हुआ था। हमने जर्मनी की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया था और जहां कहीं भी समस्त विषय में जर्मनी की प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है, वह प्रौद्योगिकी बहुत सफल सिद्ध नहीं हुई है और आरम्भ से उसमें कोई रुग्णता रही है। पुनः वह बिजली की कमी आदि की कठिनाई के कारण और भी बदतर हुई है। उड़ीसा में भी बिजली की कमी, बिजली की कटौती होती है और सुनिश्चित बिजली की आपूर्ति नहीं है। यद्यपि, विशेषज्ञ-दल ने इन सभी बातों की समीक्षा की है। और उन्होंने कुछ दिकपरिवर्तन के लिए सिफारिश की है। अतः स्वाभाविक है, ऐसी सिफारिशों को मान लेना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि ये सभी औद्योगिक इकाइयां बंद न होने पायें।

अब, मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुछ कठिनाइयों पर आता हूं। मैं वर्तमान श्रम मंत्री, श्री संगमा को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि वह कोयला मंत्रालय के भी प्रभारी मंत्री हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 10000 करोड़ रुपये के कुल घाटे में, 30 प्रतिशत घाटा, यानि 3000 करोड़ रुपये अकेले कोयला क्षेत्र का घाटा है। कोयला मंत्री ने व्यक्तिगत रुचि लेकर इसका पूरा अध्ययन किया, जिसके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं क्योंकि उस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का मैं सदस्य हूं। उनकी व्यक्तिगत रुचि से सारे देश में एक नया और सबसे अलग संकेत दिया है और कोयला मंत्रालय ने इस वर्ष लाभ कमाया है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि कारगर और अर्थपूर्ण भागीदारी, नयी कार्य-तकनीक और उचित मार्गदर्शन से एक सही वातावरण बन जाता है, तो निश्चय ही सार्वजनिक क्षेत्र में काफी सुधार हो जायेगा। यदि ऐसा हो जाता है, तो यहां तक कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, जिन्हें आज रुग्ण घोषित कर दिया गया है, में भी सुधार होगा और धीरे-धीरे वे लाभ कमाने लगेंगी। अतः, इकाइयों को बंद करने के कठोर निर्णय को टालना चाहिये। मैं हमेशा कहता हूं कि आज तक, हमारे देश में अपनेपन की भावना विकसित नहीं हुई है। आधुनिक भारत के निर्माता, हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू को हमारा प्रणाम, जिन्होंने मिश्रित-अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया था और जिससे सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली ऊंचाइयों को छूआ है।

स्वाभाविक तौर पर मैं भी उस पवित्र आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कुल मिलाकर हुआ ऐसा था कि हमने अपने और सरकारी क्षेत्र को गम्भीरता से नहीं लिया और ऐसी भावना की कमी थी। इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए सरकार से मजदूर नेताओं को अपने साथ लेने का अनुरोध करता हूं ताकि हम चुनौती का सामना कर सकें। मजदूर नेता और मजदूर संघों के सदस्य आदर्श कर्मचारी माने जाते हैं लेकिन कई मामलों में ऐसा हमारे देश में नहीं है। उदाहरण के लिए टाटा ग्रुप के उद्योग को लें। प्रबन्धन समिति और कार्मिकों में जिस तरह का स्वस्थ सम्बन्ध स्थित है, वह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित सम्बन्ध से काफी अच्छा है। मैं यह नहीं कहता कि टाटा ग्रुप के उद्योग में सुधार के अवसर नहीं हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 'प्रिवी पर्स' को रद्द कर देने के बाद औद्योगिक मालिक तथा प्रशासनिक मालिक

ही बच गये हैं तथा वे जो कुछ चाहेंगे, वे कर सकते हैं । जो व्यक्ति किसी विशेष उद्योग के लिए कुछ भी नहीं करता उसे अध्यक्ष तथा प्रबन्धन निदेशक बनाया जा सकता है और फिर वह जो कुछ चाहे कर सकेगा । ऐसे कैसे हो सकता है ? अत: काम करने की नई संस्कृति की आवश्यकता है । यदि गम्भीरता है, अपनेपन की भावना है, यदि सही माने में सही अर्थ-व्यवस्था है तथा जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्वता की भावना है तब निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। इसके साथ-साथ इसे स्वतन्त्रता अथवा स्वायत्तता भी देनी चाहिए । कर्मचारियों से युक्त एक नई कार्योन्मुख संस्कृति होनी चाहिए। हम एक दशक अथवा उससे अधिक समय से, इस विषय में बात कर रहे हैं। अब सही वक्त है, जबकि हमें इस योजना को अन्तिम रूप देना चाहिए और उसका कार्यान्वयन उचित समय पर करना चाहिए ।

महोदय, हमारे पास राष्ट्रीय कर्मचारी संस्थान है । मैं इसके सदस्य के रूप में तथा संसद के प्रतिनिधि के रूप में इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि संस्थान में नये पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उचित ढंग से प्रशिक्षण दिया जा सके। हम प्रबन्धन में कर्मचारियों द्वारा हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं । आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे जितने भी मजदूर संघों के सदस्य बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं, वे अपना उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम हैं । उनमें से कई लोग लेखा, लेखा-परीक्षा और अन्य सम्बद्ध विषयों को समझने की स्थिति में नहीं हैं । ये उनकी गलती नहीं है। हमें उन्हें बदली हुई परिस्थिति के अनुसार प्रशिक्षण देना चाहिए । इसलिए, इस राष्ट्रीय कार्मिक संस्थान द्वारा इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अब मैं राष्ट्रीय वेतन नीति की बात करूंगा। महोदय, हम शीघ्र ही स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद, इसकी स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं । स्वर्ण जयन्ती निकट ही है। लेकिन हमारे पास अभी तक राष्ट्रीय वेतन नीति नहीं है। ऐसे नीति के न होने की वजह से केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न वेतनों को प्रवर्तित किया गया है । यहां तक कि राज्य के अन्दर ही, नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों के लिए अलग वेतन विनियम है । ठेका मजदूर व्यवस्था भी प्रचलित है जिसे समाप्त करना है। एन० एम० आर० की घृणित व्यवस्था का प्रचलन आज भी हो रहा है। इसे भी तुरन्त ही समाप्त करना चाहिए। हमारे पास कानून है कि यदि कार्य, स्थायी स्वभाव का हो और यदि कोई व्यक्ति पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहा हो तो उसे स्थायी बना दिया जाना चाहिए । लेकिन हम ऐसा नहीं करते । केन्द्र सरकार के कुछ प्रतिष्ठान भी निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं । मैं एक संस्था का नाम बता सकता हूं । वह है उड़ीसा की शिफिलमा एग्रीकल्चरल फार्म, जहां पर न्यूनतम वेतन नहीं दिये गये हैं । यहां पर, मैं एक और बात कहना चाहूंगा । यह ऐसी बात है कि उड़ीसा में निर्धारित न्यूनतम वेतन 25 रुपये है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित वेतन, 15 अथवा 16 रुपये पर ही रुका हुआ है। अत: ऐसा देखा जा सकता है कि कुछ राज्यों में उनके द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन, केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतनमान से भी अधिक है। इसमें इस तरह की समस्याएं हैं । यह उपयुक्त समय है जबकि हमें राष्ट्रीय वेतन नीति की समस्या से जुड़ना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमें ठेका मजदूर व्यवस्था को भी समाप्त करना चाहिए। किस तरह से मजदूरों का शोषण किया जाता

है, इसको बताने के लिए भारतीय खाद्य निगम एक जीता-जागता उदाहरण है। हम इस ठेका व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं और कर्मचारियों से सीधे काम ले सकते हैं।

एक और ऐसा विवाद है, जिसे अभी तक मैं समाहित नहीं कर पाया। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या काफी गम्भीर है। जहां पर बहुत अधिक जनशक्ति है, जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है, वैसे स्थितियों में यदि आप नये रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं करते तो मैं इसका विरोध नहीं करता था, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अतिरिक्त भर्ती न होने के कारण, काम रुका हुआ है। लेकिन तब भी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। भर्ती पर लगे इस प्रतिबन्ध के कारण कोयले की नई खानों का कार्य प्रभावित हुआ है। अतः प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् नये पदों के सृजन की बात सोचनी चाहिए। लेकिन जब पदों का सृजन किया जाता है और रिक्त पद उपलब्ध होते हैं। तो उन पदों को भरना चाहिए। विशेषकर ऐसे समय जबकि नौकरी के लिए कई बेरोजगार लोग भटक रहे हैं। हमें रिक्त पदों को क्यों नहीं भरना चाहिए? मैं कहता हूं कि सभी कानूनों की सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए।

हम सभी लोगों में मजदूरों के प्रति सहानुभूति है राष्ट्रपिता गांधी जी ने अपना सार्वजनिक जीवन मजदूर संघों से शुरू किया था। आप जानते हैं कि अहमदाबाद में कपड़ा मजदूरों का बहुत शोषण होता था और गांधी जी ने उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उनकी भलाई के लिए भूख हड़ताल तथा सत्याग्रह किया था। अदालत द्वारा मजदूर संघ के पक्ष में जो फैसला दिया गया उस पर आगे अपील नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जब अनुकूल न्याय दिया जाता है, तब सरकार को चाहिए कि वह इस मामले को उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय तक न ले जाये।

अब जैसा कि आप जानते हैं कि पत्रकार भी मजदूर कानून के अन्तर्गत आते हैं। श्री एन० डी० तिवारी के समय पत्रकारों को पेंशन देने की घोषणा की गई थी। उस काम को भी अभी मूर्त रूप देना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस सन्दर्भ में कुछ करें।

मैं मांगों का समर्थन करता हूं और इसके साथ-साथ मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि प्रगतिशील मजदूर कानूनों को उचित रूप से लागू किया जाएगा। प्रवासी मजदूर कानून के विषय में, मैं ये कहना चाहूंगा कि कई लोग रोजगार की तलाश में उड़ीसा के कालाहान्डी और मध्य प्रदेश के बस्तर से पंजाब तथा हरियाणा को प्रस्थान कर गए हैं। ये प्रवासी कई घोर विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। मैं केन्द्रीय श्रम मंत्रालय से ये अनुरोध करता हूं कि वे इन प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कक्ष स्थापित करें। इन मजदूरों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे देश से दूसरे मध्य पूर्वी देशों को प्रवसन कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगो का समर्थन करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करता हूं कि मैंने वाद-विवाद के उत्तर में जो मुद्दे उठाये थे, उनसे हमें अवगत करायें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मुझे श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द बोलने का जो अवसर दिया गया है, सर्व प्रथम मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं इन मांगों के विरोध में बोलने को खड़ा हुआ हूं।

रोजगार सृजन के सन्दर्भ में, सरकार की नीति पहले से ही दोषपूर्ण है। हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जन संख्या वाला देश है। दुर्भाग्यवश श्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही उत्तरोत्तर सरकारें महात्मा गांधी द्वारा दी गई सलाह से मुंह मोड़ती गई हैं। विभिन्न देशों में हुए विकास को गंभीरता से देखने के बाद गांधी जी ने यह सलाह दी थी कि हमें असहाय लघु उद्योग क्षेत्र, मध्यम दर्जे के उद्योग क्षेत्र को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके बाद ही हमें बृहत उद्योगों तथा अन्य विषयों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसका पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप श्रीमान जो आज माननीय मंत्री जी के वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि वर्ष 1991 के अन्त तक रोजगार केन्द्रों में लगभग 362 लाख बेरोजगारों का नाम दर्ज है। जब ऐसी स्थिति है तो यह सरकार हमसे यह विश्वास करने के लिए क्यों कह रही है कि प्रति वर्ष एक करोड़ अथवा दस मिलियन रोजगार अवसर उपलब्ध किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्देश पटेल (जामनगर) : व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है।।

[अनुवाद] :

सभापति महोदय : अब, 'कोरम बेल' बजाई जाएगी..... अब, कोरम है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : सभापति महोदय, सरकार कहती है कि वह हर वर्ष एक करोड़ रोजगारों का सृजन करेंगी। लेकिन इस समय हमारा यह अनुभव है कि वर्ष 1991 के दौरान, सम्पूर्ण देश के इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंजों में 62 लाख बेरोगजगार के नाम दर्ज थे और केवल 2.53 लाख लोगों को ही रोजगार प्राप्त हुआ था। जब ऐसी स्थिति है जबकि आप केवल लगभग 2 लाख लोगों को ही रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं तो इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से उत्पन्न इन कार्य दिवस पर यदि हम विचार भी करें, तो आप हमें ये कैसा विश्वास दिला सकेंगे कि आप प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इससे पहले, एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० जैसे और अन्य कार्यक्रम थे। अब जवाहर रोजगार योजना की बात लें। यदि आप इन सब को सम्मिलित भी करोगे तो ये आपने जितना कहा था, उसका 1/10 भाग भी नहीं होगा। महोदय, यह बहुत ही करुणाजनक स्थिति है।

आज, इस देश में दो करोड़ से भी अधिक शिक्षित बेरोजगार है। आठवीं योजना के अन्त तक, बेरोजगार लोगों की संख्या लगभग साढ़े छः करोड़ हो जायेगी।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से जब वह उत्तर देंगे, यह स्पष्टीकरण चाहुंगा कि किस तरह से सरकार हर वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवायेगी ? कृपया इन योजनाओं को

स्पष्ट कीजिए । महिला रोजगार के विषय में तो स्थिति और भी बुरी है। उनकी संख्या भी हमारी कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत है और उनमें से केवल कुछ महिलाओं को ही रोजगार मिला हुआ है ।

आंध्र प्रदेश में श्री एन० टी० रामाराव की नेतृत्व में तेलुगु देशम की सरकार इस प्रकार की नौकरियों में महिलाओं के लिये एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करने के लिये एक विधेयक लाई थी क्योंकि महिलायें इस प्रकार की नौकरी करने के लिये उपयुक्त हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार को उसकी समीक्षा करके महिलाओं को आरक्षण देने हेतु एक वैसा ही विधेयक लाना चाहिए जिससे उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें ।

मुझे वार्षिक रिपोर्ट के मार्फत यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि औद्योगिक विवाद, ताला–बन्दी, हड़ताल आदि के कारण श्रमदिवसों में होने वाले ह्रास में कमी आई है, यह एक अच्छी घटना है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए । यदि मजदूरों और प्रबंधन के संबंध सौहार्दपूर्ण हों, तो इसमें और भी कमी आएगी । मुझे नहीं पता कि सरकार आखिर इतना समय क्यों ले रही है ?

राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी के अवसर प्रदान करने वाला विधेयक लाने में बहुत ही उत्सुकता दिखलायी थी। हमने देखा कि उस निर्णय, सुझाव और नीति के प्रति प्रतिबद्ध थे क्योंकि कि पांच ही महीने के अन्दर उन्होंने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय संगोष्ठियां आयोजित की गयीं, राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और फिर उन सभी फोरमों में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते एक विधेयक 30 मई 1990 को राज्य–सभा में प्रस्तुत किया गया । इस बात को हुए दो वर्ष हो चुके हैं । मैं सरकार से इस विधेयक को पारित करवाने का आग्रह करता हूं । अगर उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हों तो जरूर करें लेकिन इस विधेयक को अधिनियम के रूप में लाने में विलम्ब न करें । मजदूरों को भी प्रबंधन की समस्या समझनी चाहिए । परिस्थितियां हमेशा ही सुखद नहीं होती हैं। अगर मजदूर प्रबंधन की वास्तविक समस्या से अवगत होंगे तो वे भी निश्चित रूप से उसके साथ सहयोग करेंगे । वे अपनी मांगों में कमी कर सकते हैं या यह कहिये कि प्रबंधन की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए वे अपनी मांग की दर कम कर सकते हैं । अतः यह उपयुक्त अवसर है जब सरकार को ऐसा विधेयक पारित करवाने में पहल करनी चाहिए। इससे मजदूरों और प्रबंधन के बीच औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने में बहुत ही मदद मिलेगी ।

राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर आयोग के रिपोर्ट के बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहूंगा । कई माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है । लेकिन मुझे जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की सत्ता के दौरान स्थायी कृषि सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, मैं उस रूप में यह कहना चाहूंगा कि श्री शरद जोशी की अध्यक्षता में उस समिति ने सरकार से न्यूनतम मजदूरी पर विचार करने की सिफारिश की थी और उस समय तक कृषि में होने वाली लागत–खर्च के आकलन में न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में नहीं रखा जाता था ।

हमने इस बात की सिफारिश की तथा इसे महसूस भी किया गया कि एक बार अगर वैधानिक न्यूनतम मजदूरी या दी जाने वाली वास्तविक मजदूरी में से जो भी ज्यादा हो, को कृषि लागत खर्च के आकलन में शामिल किया जाता है तो सरकार की यह जिम्मेवारी हो जायेगी कि वह खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी भुगतान लागू करे। चूंकि कृषि लागत मूल्य के आकलन में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर भी विचार होगा तो किसान निश्चित रूप से खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य होंगे और सरकार को इसे लागू करवाने के लिए एक मजबूत आधार मिल जाएगा। इस लिये मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इसे पूर्ण रूप से लागू करे।

कई कृषि की दृष्टि से पिछडे कई इलाकों में खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है जबकि कृषि उन्नत इलाकों में उन्हें सामान्य तौर पर कहीं अधिक मजदूरी दी जाती है।

देश भर में भवन और निर्माण के कार्यों में लगे मजदूरों की संख्या लाखों में है जो भवनों, बांधों, नहरों और दूसरे अन्य राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के कार्यों में लगे हुए हैं। वे लोग अभी तक असंगठित हैं और कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने दिल्ली में एक विशाल जुलूस निकाला था और सम्मेलन भी किया था तथा उन्होंने केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था। मैं सरकार से उन भवन और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कानून बनाने का अनुरोध करता हूं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि चौथी या पांचवीं या उससे भी ऊपर की मंजिल पर कार्य करने वाला कोई मजदूर या कारीगर दुर्घटनावश या प्लास्टरों के ढह जाने के कारण नीचे गिर पड़ता है और अपनी जान गंवा बैठता है। और ऐसी स्थिति में उन लोगों या उनके परिवारों की कोई सहायता नहीं की जाती है। मेरा माननीय मंत्री से सुझाव है उनके परिवारवालों को ऐसी किसी भी गंभीर दुर्घटना के मामले में खदान मजदूरों को दी जाने वाली सहायता की तरह सहायता दी जानी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री, जिनको इस विषय की पूरी जानकारी है, लोगों की मदद करेंगे। मुझे विश्वास है कि उनके हितों की रक्षा के लिए वे इस पर सोच-विचार करके एक उपयुक्त कानून बनाएंगे।

मेरे चुनाव क्षेत्र में जग्गटयापेटा नामक स्थान में सीमेंट कारखानों की संख्या काफी है क्योंकि वहां चुना-पत्थर का प्रचूर भंडार है और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में चूने-पत्थर पीसने वाली इकाई भी हैं, जिनके कारण वहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, खासकर वायु-प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। इससे वहां काम करने वाले और उस इलाके में रहने वाले लोग बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और देखें कि वहां के मजदूरों और लोगों की भलाई के खातिर जग्गय्यापेटा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खुलवाएं।

इस तरह, सभी को बोनस देने के बजाय उसकी कुछ सीमायें निश्चित कर दी गई हैं। एक निश्चित सीमा तक वेतन-पाने वाले कर्मचारी ही बोनस पाने के हकदार हैं। मुझे समझ में

नहीं आता कि ऐसा क्यों है ? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के अध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों और दूसरे निदेशकों को अतिरिक्त भत्ता, आवास भत्ता आदि जैसे कई रूपों में एक भारी रकम राशि दी जाती है। दूसरे अन्य लाभों, चाहे वह काले धन के रूप में हो या सफेद धन के रूप में, वे लाखों रुपये पाने के हकदार होते हैं। मैं तो सरकार से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि वह बोनस का भुगतान किसी एक विशेष स्तर तक ही सीमित क्यों कर रही है? उस सीमा से अधिक वेतन पाने वाले लोग भी उद्योग के विकास में अपना योगदान देते हैं, लाभ कमाने में सहयोग करते हैं और अपनी इकाईया प्रतिष्ठान के विकास के लिये कड़ी मेहनत करते हैं, तो फिर उन्हें इस लाभ से वंचित क्यों किया जाना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस बात पर गम्भीरता से विचार करें और इसकी सीमा को बढ़ायें। मैं तो उन्हें यहां तक सुझाव दूंगा कि कर्मचरियों को बोनस के भुगतान की इस सीमा को ही ख़त्म कर दिया जाए। और मैं बोनस को उत्पादकता और कार्य-निष्पादन से जोड़ने का सुझाव भी दूंगा। अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत से निष्ठापूर्वक कार्य करके उत्पादन बढ़ाने में योगदान देता है, तो उसे निश्चित तौर पर ज्यादा बोनस मिलना ही चाहिए। इन प्रतिष्ठानों या उद्योगों के प्रबन्धकों को ही उसकी इकाई के कार्य-निष्पादन के लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि आई० ए० एस० अधिकारियों की नियुक्ति सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कर दी जाती है। वे अपना दिमाग उसमें नहीं लगाते, वे वहां की समस्या को समझने और उसे सुलझाने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि वे नई दिल्ली या अन्य स्थानों से सिफारिश लगवाकर या दबाब दिलवाकर अपनी नियुक्ति अन्यत्र करवाने की फिराक में लगे रहते हैं। एक प्रबन्धक की नियुक्ति एक स्थान पर तो कम से कम तीन या पांच वर्षों के लिये होनी चाहिए। क्या इन इकाईयों या प्रतिष्ठानों में टेक्नोक्रेटस, इंजीनियर और डाक्टरों को ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाना अच्छा नहीं होगा, जहां इनकी कुशलता की जरूरत है? लेकिन वहां आई ए० एस० अधिकारियों को भेजा जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि किसी इकाई के प्रबन्ध निदेशक या महाप्रबन्धक को कम से कम तीन से पांच वर्षों तक उसी जगह पद स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उसे पर्याप्त समय मिल सके। और उस इकाई के कार्य-निष्पादन की जिम्मेवारी उस पर डाली जानी चाहिए। अगर उसका कार्य अच्छा है, तो उसे पदोन्नति मिले और वह अपनी योग्यता नहीं सिद्ध कर पाये तो उसे वहां से हटा दिया जाना चाहिए।

अन्त में, माननीय मंत्री से नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा। मुझे डर है कि कहीं इस नीति से बेरोजगारी की समस्या और भी न बढ़ जाये। इस प्रकार की खूनी नीति में मुझे कोई दोष नजर नहीं आता, लेकिन हमें दरवाजे चुनिंदा वस्तुओं के लिये खोलने चाहियें। हमें अपने सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को विदेशी निवेशकर्त्ताओं के लिये नहीं छोड़ देना चाहिए। उनका एक मात्र उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। निश्चित रूप से उनकी प्रौद्योगिकी पूंजीगत ढांचे पर आधारित है। दिनों दिन उनकी प्रौद्योगिकी में प्रगति ही रही है और जहां 100 करोड़ रुपये की राशि निवेश की जाती है, वहां दो सौ से भी कम लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसलिये हम उन्हें, उन्हीं क्षेत्रों में आमंत्रित करें जिनमें हमारे पास पूंजी और तकनीक का अभाव है। उन्हें हम अपनी पर्याप्त क्षमता या कमोवेश उसी के अनुरूप

क्षमता वाले क्षेत्रों खासकर उपभोक्ता सामग्रियों के क्षेत्र, में उन्हें अपने पैर फैलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । अन्यथा मुझे डर है कि देश को आर्थिक विकास के संदर्भ में आगे ले जाने के बजाय कहीं नियोजन के अवसर में कमी न हो जाये क्योंकि बहुत सारी इकाईयां बंद हो जायेंगी । सरकार को इस अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिर्फ श्रमिकों के साथ ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र के लोगों से भी व्यापक बहस करनी चाहिये क्योंकि इनके परिणाम बहुत ही दूरगामी होंगे ।

मेरा सरकार से, खासकर माननीय श्रम मंत्री से, अनुरोध है कि वे ऐसा करें । मैं उनसे उन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने का भी अनुरोध करता हूं जिनका उल्लेख मैंने किया है ।

श्रीमती रीता वर्मा (धनबाद): सभापति महोदय, मुझे इस गरिमामय सदन के सदस्य बने हुए एक साल से कम समय हुआ है । मैंने इसकी कार्यवाही देखी है और विशिष्ट सांसदों के वक्तव्यों को भी सुना है। मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी इस दिशा में काफी कुछ करना है।

सभापति महोदय, सामान्य तौर पर इस गरिमामय सदन के एक कनिष्ठ सदस्य द्वारा जो अपना पहला योगदान दिया जाता है, जिसे उसका प्रथम भाषण कहा जाता है, मेरे लिए कुछ घबराहट वाला तो है लेकिन साथ ही उत्साहवर्द्धक भी है । इस सदन के अपने कुछ सुस्थापित सदस्यों द्वारा मुझे बताया गया है कि प्रथम भाषण देने वाले सदस्य को बोलने में कोई व्यवधान नहीं डालने की परम्परा रही है । मुझे आशा है कि मैं इस सुखद और मानवीय परम्परा से लाभान्वित होऊंगी ।

जबकि मैं पूरी विनम्रता से यह स्वीकार करती हूं कि मैं एक प्राध्यापक के रूप में एक व्यवसायिक वक्ता रही हूं, क्योंकि बोलना ही मेरी नौकरी थी। लेकिन फिर भी वहां के बोलने में और यहां पर बोलने में अन्तर है । वहां तो सबसे तेज छात्र भी मेरा अधीनस्थ श्रोता हुआ करता था जबकि यहां जो हमारे माननीय सहयोगियों में से सबसे कमजोर श्रोता हैं, मेरा अभिप्राय किसी का अनादर करना नहीं है, उसको भी मुझे नजरअंदाज करने का अधिकार है, वे प्रश्नों की झड़ी लगा सकते हैं या ऐसी प्रवृत्ति दिखला सकते हैं कि उनकी ओर कम ध्यान देने से काम नहीं चलने वाला।

मैंने श्रम मन्त्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन काफी रुचि से पढ़ा है लेकिन इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं है । इसमें अपनी प्रशंसा की गई है तथा अपनी कार्य न करने की बात पर खेद भी व्यक्त नहीं किया गया है, दूसरे शब्दों में उसमें उत्साहजनक कोई बात नहीं है बल्कि इसमें अनेक निराशाजनक बातें हैं। यदि वे बेहतर कार्य करना सीख लें तब उनके पास देने के लिए आंकड़े तथा कुछ उत्साहजनक मुद्दे होंगे।

महोदय, आरम्भ में कार्य सूची की विषय वस्तु के बारे में मैं अवश्य यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश को कार्यशील पुरुषों और महिलाओं की प्रशंसा तथा सम्मान करना सीखना चाहिए।

एक प्रोफैसर के रूप में मैंने कार्यशील महिला के रूप में कार्य किया है और मैं श्रम की गरिमा का महत्व जानती हूं। एक पत्नी अथवा एक माता के रूप में ही रहने के बजाय मैंने राष्ट्रीय कर्त्तव्य निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भाग लेने के बारे में सोचा। कार्य करना एक सुख है, वास्तव में इससे आपको कुछ कर सकने का बहुत सन्तोष मिलेगा, चाहे आप शारीरिक श्रम करते हैं, लिपिकीय कार्य करते हैं अथवा व्यवसायिक कार्य करते हैं।

उत्पादक क्रियाकलापों में मानव श्रम का मुख्य अंश होता है। इसकी गुणवत्ता और इसकी भागीदारी उत्पादन के अन्य तथ्यों का निर्धारण करती है। आज प्रश्न यह है कि कार्यशील पुरुषों और महिलाओं को आज की अपेक्षा किस प्रकार उत्पादन में अधिक लाभकारी बनाया जाए। सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन गैर-कार्यकर्त्ताओं को किस प्रकार उत्पादन कार्य में शामिल किया जाए जिन्हें उत्पादन कार्य में भाग लेने का अवसर अब तक नहीं मिला है।

तीसरा प्रश्न भारत के भविष्य, इसकी अर्थव्यवस्था तथा इसकी शक्ति से जुड़ा हुआ है कि हम किस प्रकार युवा लड़के और लड़कियों को शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा बाजार में खपने के योग्य बनायें।

मुझे बताया गया है कि रोजगार पैदा करना श्रम मन्त्रालय का दायित्व नहीं है। श्रम मंत्रालय को बेरोजगार पुरुष और महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। इस श्रेणी में दो उप-श्रेणियां हैं :—

—श्रम शक्ति में निवल वृद्धि

—पिछली योजनाओं से चला आ रहा बकाया कार्य और विडंबना यह है कि इस सरकार ने उपलब्ध रोजगारों को समाप्त करने का कार्य किया है। इन कठिनाइयों और चुनौतियों के समय में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार के लिए संभव नहीं है?

देश को इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए यदि भारत 21वीं सदी में बड़ी संख्या में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं के साथ कदम रखे। सत्तारूढ़ दल के घोषणा पत्र में अरबों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा किया गया था लेकिन आठवीं योजना में इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

श्रम की मांग को देखते हुए भी श्रम मंत्रालय ने कोई निश्चित कार्य सूची नहीं बनाई है। जब तक श्रम मन्त्रालय इस बारे में कोई कार्य सूची बनाएगा तब तक हम इसकी पूर्ति के पक्ष पर चर्चा कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय के दक्षता विकास के चार मुख्य भाग हैं जिनके लिए बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है।

1. शिल्पी प्रशिक्षण कार्यक्रम—क्या यह औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालयों का जाल है?
2. राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना;

व्यवसायिक और रोज़गारोन्मुख शिक्षा

इसमें सबसे प्रमुख चौथा मुद्दा उन व्यक्तियों को पुनः प्रशिक्षण देना और पुनः रोज़गार देना है जिन्हें राष्ट्रीय नवीकरण कोष के ढांचे के भीतर अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के कारण कठिनाइयां झेलनी पड़ीं।

इनमें से अधिकांश कार्यक्रम इन सभी दशकों में मंत्रालय की कार्य-सूची का एक भाग रहे हैं। आज राष्ट्र यह स्पष्टीकरण मांग रहा है कि हमारे पास इतनी संख्या में प्रशिक्षित, लेकिन बेरोज़गार पुरुष और महिलायें कैसे हैं। दूसरी ओर महत्वपूर्ण रोज़गारों में उचित प्रतिभा के अभाव में कार्य नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न यह है कि क्या आप बाजार मांग के अनुसार उचित प्रशिक्षण दे रहे हैं ? श्रम मन्त्रालय के दो स्कन्ध हैं--प्रशिक्षण और रोज़गार। लेकिन क्या कोई जानता है कि अन्य विभागों में क्या हो रहा है ? इस चरण पर हमारा ध्यान रोज़गार कार्यालयों को संस्थागत ढांचा बनाने की लम्बे समय से लंबित पड़े कार्य की ओर जाता है। इस योजना को ठीक प्रकार से बनाया गया था। यह सोचा गया था कि श्रम बाजार के बारे में उचित जानकारी प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जायेंगे तथा रिक्त पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों को लगाया जाएगा। मैं इस कार्य में लगे व्यक्तियों की आलोचना नहीं करना चाहती लेकिन क्या श्रम मंत्रालय यह बता सकता है कि नेटवर्क अपने कार्य में पूरा उतरा है तथा उसमें अकुशलता नहीं बरती गई और भ्रष्टाचार की अनेक घटनायें नहीं घटीं। इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि वे बेकार और पूर्णतः अनुत्पादक साबित हुए। जब आप विभाग छोटा कर रहे हैं तब आप इस अभिकरण के बारे में भी सोचें क्योंकि हम वेतन-रोजगार की बजाय स्व-रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं।

श्रम मन्त्रालय पहले ही संगठित श्रमिकों की आवश्यकताओं के लिए कार्य कर रहा है तथा इस क्षेत्र में सक्रिय नियोजकों अथवा ट्रेड यूनियनों को बढ़ावा देता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि श्रमिकों में मुख्यतया तीन प्रकार की श्रेणियां होती हैं: (क) बन्धुआ मजदूर, जो गुलामों को परिभाषित करने का एक विनम्र तरीका है, (ख) बाल श्रमिक, जो परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण श्रमिक बनते हैं; और (ग) महिला श्रमिक।

आप बन्धुआ श्रमिकों की समस्या को जितना सुलझाने का प्रयास करेंगे, यह उतनी ही उलझती जाएगी। इनकी संख्या ही काफी ज्यादा है। एक अन्धी और भावनाहीन सरकार ही मेरी बातों का विरोध कर सकती है।

आपने सदैव महिलाओं को समान पारिश्रमिक देने का वायदा किया है। कुछ दिन पहले ही इस दिशा में कुछ कार्य करते हुए आपने ईला भट्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आयोग की सिफारिशों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? आपने असंगठित श्रमिकों की स्थिति पर भी एक रिपोर्ट

जारी की है। सरकार ने वह रिपोर्ट संसद में क्यों नहीं पेश की ? मुझे इस बात पर हैरानी नहीं है क्योंकि कुछ कार्यों के लिए श्रम मन्त्री होना चाहिए। कुछ समय पहले श्रम मन्त्री थे लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने यह पद छोड़ दिया और आज एक कुशल कोयला मन्त्री को इसका कार्यभार भी सौंप दिया गया है । इस कारण श्रमिकों से सम्बन्धित समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनका समाधान नहीं हो पाता तथा साथ ही उनके अपने कोयला मंत्रालय में भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता । मैं ऐसा इस लिए कह रही हूं क्योंकि मैं इस सभा में कोयला क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं और मैं कोयला खान उद्योग की समस्याओं के बारे में जानती हूं । मैंने कोयला खान के मजदूरों की समस्याओं को देखा और सुना है। क्या श्री संगमा ने उनकी समस्याओं को देखा व सुना है अथवा वे इसे देख–सुनकर भी अनदेखा व अनसुना कर देते हैं ? मैं केवल कोयला खान मजदूरों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती हूं बल्कि बन्धुआ श्रमिकों, बाल श्रमिकों तथा महिला श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व करती हूं। उनकी समस्याओं से संबंधित आवाज ऊंची होती जाएगी और इन श्रेणियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें अवश्य कुछ करना चाहिए।

मुझे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में शामिल होने का विशेषाधिकार मिला है और मुझे जानकारी मिली कि हमारे सरकारी उपक्रमों को कितनी कठिनाइयों तथा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि सरकार को रुग्ण उद्योगों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को नहीं निकालना चाहिए । चाहे सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एकक हों अथवा गैर–सरकारी क्षेत्र के एकक हों, यह गलत नीतियों और अक्षम प्रबन्धन का परिणाम है और प्रतियोगी कुशलता के नाम पर आप कामगरों पर ही पूरी जिम्मेदारी नहीं लाद सकते हैं। राष्ट्रीय नवीकरण कोष से समस्या का कोई समाधान नहीं होगा क्योंकि दो बच्चों की मां होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आय के लिए रोजगार अवश्य होना चाहिए ताकि परिवार के सदस्यों को आवश्यक सामान मिल सके। यह कोष भी उलझनपूर्ण है। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता और जो इससे प्रभावित होते हैं उन्हें इससे दूर रखा जाता है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि लोग इसलिए काम करते हैं कि उन्हें अर्जन द्वारा प्रयोज्य आय मिले। एक सभ्य समाज और आपने समाजवादी समाज का वायदा किया है, को कुछ सामाजिक मानदंड द्वारा न्यूनतम दर पर कामगारों को पारिश्रमिक देना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में शुरू के वर्षों में न्यूनतम वेतन अधि–नियम बनाया गया था । लेकिन विडम्बना यह है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के स्थान पर उनका उल्लंघन अधिक किया गया है । श्रम की परिस्थितियों में अतिरिक्त बाजार शक्ति का बुरा प्रभाव पड़ता है। नियोजक किसी भी प्रकार से लागत कम करना चाहते हैं लेकिन वे श्रमिकों को उनका देय नहीं देते हैं। मजदूर संघों, जो आशा की केवल एक किरण है, वे पहले से सुरक्षित मुद्दों को और सुरक्षा देने में व्यस्त हैं जबकि श्रम मंत्रालय के कर्मचारी नियोजकों से मिले हुए हैं। मेरा सुझाव है कि (एक) निष्पक्ष नियोजक,

(दो) मजदूर संघों जिनको कमजोर वर्गों में रुचि हो; और (तीन) न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू न करने की समस्या से निपटने के लिए मन्त्रालय में ईमानदार कर्मचारी हों, के दल द्वारा एक कार्यक्रम बनाया जाए और उसे लागू किया जाए।

संगठित श्रमिकों के मामले में मैं सरकार का ध्यान तीन महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं। वे हैं :

(एक) उत्पादकता के लाभों में उन्हें उचित हिस्सा देना सुनिश्चित करना।

(दो) यदि आप मूल्य स्थिर नहीं कर सकते जोकि क्योंकि आपकी नीतियों और आपके पिछले कार्यनिष्पादन को देखते हुए मैं जानती हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते—आप उनकी वास्तविक आय को सुनिश्चित करें; और

(तीन) नियोजकों द्वारा परेशान करने के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करें चाहे वे सरकारी, गैर-सरकारी, बड़े, मध्यम अथवा छोटे उद्योग के मजदूर हों।

मैं जानती हूं कि मैंने आपका बहुत समय ले लिया है लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है।

श्रम मन्त्रालय का प्रशासनात्मक ढांचा है जो पांच स्तरों पर कार्य करता है जिसमें मुख्य श्रम आयुक्त सबसे ऊपर होता है और सहायक श्रम आयुक्त सबसे निचले स्तर पर कार्य करता है।

मैं सरकार का ध्यान, इसलिए इस ओर दिलाना चाहती हूं क्योंकि जहां उनका सीधा क्षेत्राधिकार है वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। वे कोल इंडिया, सेल और भारतीय उर्वरक निगम तथा ऐसे अन्य केन्द्रीय उपक्रमों जैसे केन्द्रीय उपक्रमों के सम्बन्ध में कार्य करते हैं। कार्य निष्पादन के बारे में टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त समय है लेकिन इतना अधिक औद्योगिक असन्तोष क्यों है? क्या अभी भी कोयला खान मजदूरों का शोषण नहीं किया जाता और क्या कोयला खान कल्याण कोष कल्याण की अपेक्षित सुविधायें जुटाने में असफल रहा है? कोयले का खनन एक जोखिमपूर्ण कार्य है। सुरक्षा और कल्याण सुविधाओं का स्तर निश्चय ही उच्च होना चाहिए। सरकार इसके प्रति कितनी चिन्तित है। इसका पता इस बात से चलता है कि धनबाद में सी० एम० पी० एफ़० कार्यालय पिछले दो वर्षों से बिना नियमित, स्थायी मुख्य अधिकारी के चल रहा है।

अन्त में निष्कर्ष पूर्ण टिप्पणी के रूप में यह बातें कहना चाहूंगी. (1) श्रम मंत्रालय को अपनी कार्यसूची में और अधिक कार्य सम्मिलित करने चाहिए ताकि मात्र दिखावे की बजाय परिणामों पर ध्यान दिया जा सके।

(2) कामगार वर्ग, बन्धुआ मजदूर, ठेका मजदूर, बाल श्रमिकों तथा महिला श्रमिकों जैसे दलित तथा साधन विहीन वर्गों के हित के लिए अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना होगा।

(3) उन्हें अपने सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करनी होगी, उन कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना होगा और उनका पुनर्निर्माण करना होगा तथा राज्यों के लिए कला बाजारों की व्यवस्था करनी होगी।

(4) तकनीकी आधुनिकीकरण के शिकार लोगों के पुनर्वास तथा उन्हें रोजगार में रख कर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

(5) कामगारों के उत्साह को बनाए रखने के लिए उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। कामगारों को प्रबन्धन में कब और कितना हिस्सा लेने दिया जायेगा ?

इतना कहने के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पूर्णकालिक नेतृत्व के अभाव में मंत्रालय के पास अपने कार्य निष्पादन के समर्थन में कुछ भी महत्वपूर्ण बात कहने के लिए नहीं है।

पिछले बजट में जो संसाधन इसे उपलब्ध करवाये गये थे, उनके द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। इसे एक अच्छे कार्यनिष्पादन सम्बन्धी रिकार्ड के साथ संसद के समक्ष नई मांगें लेकर आना चाहिए।

इन बातों को समक्ष रखते हुए मैं इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों के प्रति अपना विरोध तथा असहमति व्यक्त करती हूं।

सभापति महोदय, मैं इन मुद्दों पर पहली बार नहीं बोल रही हूं क्योंकि मैं स्वयं एक कामकाजी महिला हूं। मैं दो बच्चों की मां भी हूं जोकि अन्य युवकों तथा युवतियों की तरह लाभकारी रोजगार प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं उस क्षेत्र तथा निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हूं जहां कि बंधुआ मजदूरी का चलन है, बाल श्रमिकों का शोषण होता है, महिलाओं को असमान वेतन दिया जाता है तथा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। यहां तक कि यह कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि उनका भारी पैमाने पर यौन शोषण भी होता है। नियोजक, सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का यह नैतिक दायित्व है कि वे अपनी कार्यसूची में उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दें तथा जितनी राशि का प्रावधान संसद द्वारा एक उद्देश्य के लिए किया जाये उसका उपयोग असंतोष और अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय चेयरमैन साहब, माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा जो मांग यहां रखी गई है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं —

"रेशम के गलीचों पर धनवान के बेटे सोते हैं,
जिनकी बदौलत सब कुछ है वह रात को बैठे रोते हैं।
धनवान खजाना भरता है कानून हिफ़ाजत करता है,
गरीब बेचारे रो-रोकर तकदीर की स्याही धोते हैं।"

हिन्दुस्तान के अंदर 1919 में महात्मा गांधी जी ने जब महसूस किया कि हिन्दुस्तान के अंदर किस तरह से आजादी को प्राप्त किया जा सकता है तो सबसे पहले उनका ध्यान गांव के गरीब लोगों पर, मजदूरों की तरफ गया और उन्होंने मजदूर संस्थाएं आर्गेनाइज करवाईं। इस राष्ट्र की आजादी के लिए उन लोगों को आगे लाने के प्रयत्न किए और हिन्दुस्तान के अंदर जब मजदूर किसान इकटठे होकर आजादी की मूवमेंट में लगे तो हिन्दुस्तान आजाद हुआ। 1947 में हम आजाद हुए। हिन्दुस्तान के अंदर जिस प्रकार की बेकारी भुखमरी और गरीबी थी, उसको दूर करने के लिए पूरे प्रयत्न सरकार ने किए हैं। अगर कांग्रेस न होती तो इस देश के अंदर इतने भारी तरक्की के काम नहीं हो सकते थे। कांग्रेस ने हिन्दुस्तान के अन्दर एक नयी रोशनी दिखाई। इस राष्ट्र हिन्दुस्तान को आजाद कराने में जिस तरह से पूरी कांग्रेस ने काम किया, उसमें मजदूरों ने पूरा सहयोग दिया। आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के अंदर जिस तरह से गरीब लोगों के साथ अन्याय होता है, गांवों में हो, कारखानों में हो, पब्लिक अंडरटेकिंग में हो, उनमें सबमें अन्याय होता है। [5.00 म०प०] और खासतौर पर अन्याय और ज्यादा होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ तो ज्यादा अन्याय हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनु० जाति एवं अनु० जन जाति के लिए जो रिजर्व कोटा है, उसमें कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। जो नीचे के लोग हैं, वे हमेशा उन लोगों से काम करवाते हैं। वे मकान बनाते हैं, फैक्ट्री का स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं और उसके बाद उनको इस तरह से लताड़ दिया जाता है जिसके कारण आज उनकी दशा बहुत खराब हो गई है और वे बहुत गरीब होते जा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर वह गरीब लोगों और मजदूरों के प्रति ठीक से काम करना चाहती है, तो उसको इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सरकारी अधिकारी उनके कल्याण के काम में लगे हुए हैं उनको इस बात की जांच करानी चाहिए कि आज जो हिन्दुस्तान के अन्दर मजदूर हैं वे किस तरह से पिसते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि मजदूरों की तरक्की होगी, तो देश की तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा। जो बड़े-बड़े महलों में बैठकर योजना बनाने वाले हैं, उनके द्वारा मजदूरों का भला नहीं हो सकता है। मजदूरों का भला तभी हो सकता है, जब उनको अपनी मजदूरी मिले।

आज भी दो तरह के मजदूर हैं। एक डेली वेजेज पर काम करने वाले और दूसरे परमानेंट। जो डेली वेजेज पर काम करने वाले मजदूर हैं उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। चाहे वे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हों, लेकिन उनका ही सबसे ज्यादा शोषण होता है। जिस प्रकार का आज हिन्दुस्तान के अन्दर वातावरण है, उसमें हम देख रहे हैं कि मजदूरों के साथ अन्याय होता है, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। जो लेबर आफीसर होते हैं, वे भी मजदूरों की आवाज ठीक से नहीं सुनते हैं। इसलिए हमको नियम और कानून

इस तरह से बनाने होंगे, जिस तरह से महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने नीतियां बनाई हैं । उनके अनुरूप जब तक देश में इनके लिए कानून नहीं बनेंगे, तब तक इनका कल्याण नहीं हो सकता है। मन्त्री जी, जो इस विभाग को देख रहे हैं, श्री संगमा, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। वे जानते हैं कि किस तरह से मजदूरों को आगे ले जाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि संगमा जी इस बात पर ध्यान देंगे। हमारे जो कारखाने हैं, चाहे बैंक हैं चाहे दूसरे संस्थान हैं, वहां देखा जाए कि मजदूरों के साथ अन्याय न हो। जहां-जहां मजदूरों के साथ अन्याय होता है, वह बन्द करवाया जाए और इसकी मानिटरिंग की जाए ताकि पूरे देश के अन्दर मजदूरों को पूरी मजदूरी मिले और उनको इज्जत मिले। उनको ठीक प्रकार से काम मिले। यदि इस प्रकार से कानून बनायेंगे, तो उनका जरूर कल्याण होगा। जो कानून बने हुए हैं, उनकी इम्पलीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। इसलिए इनके इम्पलीमेंटेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी थी, जो अभी भी सत्ता में है, उसने कहा था कि हम पंजाब के बराबर हिमाचल प्रदेश में मजदूरों को मजदूरी देंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं यह तो उनके मैनीफ़ेस्टो में लिखी है। उन्होंने देश और प्रदेश के अन्दर यह प्रचार किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, तो हम हिमाचल के मजदूर को पंजाब के बराबर मजदूरी देंगे। पंजाब में 35 रुपए प्रति दिन एक मजदूर की मजदूरी है, तो हम भी 35 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देंगे और नमक का भाव 25 पैसे प्रति किलो कर देंगे तथा चावल 2 रु० 50 पैसे प्रति किलो में देंगे, लेकिन सरकार ने यह वायदा पूरा नहीं किया बल्कि उल्टा हो रहा है। वहां मजदूरों की छंटनी हो रही है। आज हालत यह है कि कोई भी मजदूर शेड में नहीं लगा है। हमारा जो शेडयूल्ड ट्राइब्स का कमीशन बना है, वह भी कोई इफैक्टिव काम नहीं कर पा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को तबाह कर के रख दिया है । वहां पर गरीब आदमियों का शोषण हो रहा है। हम तो इसको एक बार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा, जो उसके सपोर्टर हैं, जो उस सरकार को सपोर्ट करते हैं, वे कम से कम इस बात को ध्यान में रखें कि गरीब के साथ तो कम से कम अन्याय नहीं होना चाहिए।

महोदय, आज हमारे देश की जो इन्डस्ट्रीज को लगाने वाले कारखानेदार हैं, वे भी प्रदेशों के अन्दर जाकर वहां कारखाना लगाने के नाम पर सभी सुविधायें ले लेते हैं, लेकिन कारखाना नहीं लगाते हैं और वहां से सब सुविधायें लेकर वे इंडस्ट्रीयलिस्ट दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। वे गवर्नमेंट से, बैंक्स से, जहां से भी उन्हें मदद मिलती है, उसे लेकर, वहां कारखाना न लगाकर दूसरे प्रदेश में फ़िर मदद लेने चले जाते हैं। इस प्रकार से एक कांकस बना रखा है। एक गुट है जो इस प्रकार से कर रहा है। चाहे वह केन्द्र की सरकार हो चाहे वह प्रदेश की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उनका गुट बन गया है। वे पैसा एंठने का ढंग जानते हैं कि सरकार से किस प्रकार से पैसा लिया जाता है। जो

स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो इमारतें बनाते हैं, उसके लिए बताते हैं कि इतने करोड़ रुपए की इमारत बनायेंगे और इतनी लेकर हम रखेंगे। लेकिन होता क्या है, इन्तजाम तो कर लेते हैं और धीरे-धीरे वह कारखाना बन्द हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे कारखानों ने देश का अरबों रुपया खा लिया है और वे पकड़े नहीं जाते हैं। उनकी कोई नीलामी नहीं होती है, लेकिन अगर गरीब मजदूर पांच हजार रुपए लेता है और उस की रिकवरी नहीं होती है, तो उसके खिलाफ़ डिक्री हो जाती है।

पिछले दिनों जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, तो उसने एक काम किया कि दस हजार रुपए तक लोन माफ़ कर दिया। इन्होंने कहा कि जिसने सरकारी खजाने से कर्जा लिया है, उसको माफ कर देंगे। मैं आप से पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी मजदूरों का ख्याल आया, मजदूरों का भी माफ़ कर देंगे ? आपको ख्याल नहीं आया था। हमारे इसमें साम्यवादी भाई, बी० जे० पी० के लोग कहते थे, उस वक्त यह इसलिए माफ़ नहीं हुआ, क्योंकि गरीब लोगों की बात थी। अगर बड़े-बड़े आदमियों की बात होती तो दूसरी बात होती। आप बता दें, कितने लोगों का माफ़ किया। मजदूर चाहे कारखाने में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे खेती में काम करने वाला मजदूर हो और चाहे गांव में रहने वाला कोई हो, उनका किसी का भी माफ़ नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, आज हमारी सरकार है .....(व्यवधान)..... मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको गुस्सा आता है कि हम क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको यह बात इसलिए कहता हूं कि आप इस बात को ध्यान में रखें। आपके जो लोग हैं, आप से आशा करते हैं कि हमारे जो रेल कर्मचारी हैं, टेलीग्राफ़ में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, पोस्ट आफ़िस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जितनी भी भारत सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, वहां जिस तरह से काम होता है, उनको आपको देखना चाहिए। आप यहां शोर करते हैं कि रेल के मजदूरों को बहाल किया जाए। आज यहां जार्ज साहब नहीं हैं, ऐसे लोग जिन्होंने रेल पटरी उखाड़ी हो, तबाही मचाई हो, ऐसे लोगों को मजदूर नहीं मानते हैं। उनकी किसी तरह से मदद नहीं होनी चाहिए। जब उनका शासन आया, तो उन्होंने यही सबक सिखाया उनको कि अब एजीटेशन करने का वक्त है, उलट करो। मजदूरों को बहका दिया, इन्डस्ट्री में प्रोडक्शन हो या न हो, खेत में काम करो या न करो और खेती उपज दे या न दे, एजीटेशन करना है। ऐजीटेशन से उनका पेट भरना चाहते हैं। उनसे चन्दा इकट्ठा करो और उनको गिरफ्तार करते थे और उन्हीं के ऊपर डंडे बरसाए, ताकि तुम्हारी लीडरी चलती रहे और देश के अन्दर यह बात चली जाए कि हम गरीबों के हमदर्द हैं। अब गरीब आदमी समझते हैं, जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वे इस बात को जानते हैं कि जो इस देश का शोषण करने के लिए जिम्मेदार लीडर हैं, जो इस देश के अन्दर घंटों स्पीचें करते हैं कि देश गिरवी हो गया, देश दूसरों के हाथों में चला गया और आईएमएफ से लोन आया तो गड़बड़ी हो गई। इसी प्रकार की बातें करते हैं। आज जब योजनाएं बन रही हैं, तो कौन तारीफ़ कर रहा है इस देश की और कौन तारीफ़ कर रहा है वी० पी० सिंह की जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। नौजवानों को मार दिया गया और सारी जगह एजीटेशन चला। मजदूरों का एजीटेशन चला और लोगों ने अपने ऊपर पैट्रोल छिड़क कर आग लगाई, क्या किसी ने आंसू बहाए ? कहा गया कि देश में इन्कलाब आ रहा है। यादव जी और राम बिलास पासवान जी, इन्होंने कहा कि देश में क्रान्ति आ रही है। देश में नई क्रान्ति पैदा हो रही है। मैं पूछता हूं, क्या क्रान्ति पैदा हुई ? क्रान्ति

यह पैदा हुई कि पढ़े-लिखे नौजवानों को मार दिया गया इस देश के अन्दर, जो राष्ट्र की सेवा कर सकते थे। मजदूरों के ऊपर कितनी बार गोलियां चलीं। मजदूरों का जितना शोषण राष्ट्रीय मोर्चे ने किया, उसको कोई भुला नहीं सकता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मजदूरों की आवाज तो भगवान के पास जाती है और जो बड़े आदमी हैं, इनकी आवाज तो बेईमान के पास चली जाती है, पैसा कमाए जाओ और हम पैसा कमा कर गरीब आदमी का शोषण कर सकते हैं। ऐसे ही उनके विचार होते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर गरीब आदमियों का भला करना है तो देश के अंदर हमको एक मामला तय करना पड़ेगा। जो हमारे कारखाने हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। मजदूर भाईयों को कुछ लोग तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये लोग एजीटेशन करने के लिए न कहें, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो माल पैदा होगा तब पैसा आयेगा और उनको अच्छी वेजेस मिलेगी। उनको लड़ाकर वे अपना उल्लू सीधा करने के लिए बात करेंगे तो यह राष्ट्र कमजोर होगा। इस सदन में इधर या उधर के साथियों के साथ नोक–झोंक होती रहती है, उसकी परवाह नहीं है। अगर देश को चलाना है तो एक बात तय करनी चाहिए कि इस देश के मजदूरों को गलत रास्ते पर न ले जाएं बल्कि उनको सही रास्ते पर ले जाएं। इसके बाद अच्छी पैदावार होगी, मार्किटिंग होगी और अच्छी क्वालिटी होगी और देश आगे बढ़ सकेगा। हमारे हिमाचल प्रदेश के अन्दर नाहन में एक कारखाना घाटे में चल रहा है और जितने पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, वे भी घाटे में चल रहे हैं। देश में जितनी सिक यूनिट्स है, उनकी भारत सरकार ने मदद की है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कोई मदद नहीं हुई। हमारे कारखाने घाटे में हैं, आप उनको संभालिए। उनको अपने हाथ में लीजिए जिनको भारत सरकार चला सके ताकि वे ज्यादा प्रोडक्शन करें और उसका हिसाब–किताब मजदूरों को मिल सके। हमारे पर्यावरण को खतरा हो रहा है। इससे मजदूरों को बीमारी न फैले और उनके बच्चों के लिए स्कूल–कालेज का प्रबन्ध हो। मजदूरों के साथ न्याय किया जाना चाहिए।..... (व्यवधान) मैं आपके लिए बोल सकता हूं। "बदलो–बदलो हिमाचल की सरकार बदलो और बी० जे० पी० की सरकार बदलो"। बदले जमाने की चाल बदले, मौसम बदले, बहार बदले और जमाने की हर चीज बदलती है, क्यों न हिमाचल, राजस्थान, यू० पी० और मध्य प्रदेश की सरकार बदले। धन्यवाद !

श्री तेज नारायण सिंह (बकसर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में मजदूरों की हालत बहुत खराब है। अगर कुछ लाभ है तो उसका लाभ देश के मजदूरों को नहीं मिल पाता। इस देश के मजदूर कई महकमों में काम करते हैं। कुछ मजदूर पब्लिक सेक्टर में और कुछ मजदूर प्राईवेट सेक्टर में काम करते हैं। साथ ही साथ कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनको साल भर काम नहीं मिल पाता, वे खेत मजदूर के नाम से पुकारे जाते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को साल भर का काम मिल जाता है जिनकी परमानेंट नौकरी हो जाती है। लेकिन प्राईवेट सेक्टर में जो मजदूर परमानेंट नहीं है उनको साल भर काम नहीं मिलता। उनकी हालत इतनी खराब रहती है कि उनको दोनों टाईम खाना नहीं मिल पाता। सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया है। लेकिन वह बड़े पैमाने पर देश में लागू नहीं होता। सरकार ने कानून बना दिए हैं लेकिन उनको लागू करने के लिए किसी भी तरह का मजबूत प्रावधान नहीं बना है। जिसका नतीजा है कि जो देश के लिए धन की कमाई करता है, वह आज भूख से मरता है। जो कुछ

काम नहीं करता है, वह बैठकर खाता है। वह तमाम संसार की विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और रात-दिन काम करने वाला आदमी हरेक युग में मरता है ।

इसलिए आज जरूरत है देश के पैमाने पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाया जाये । अगर कानून को मजबूत नहीं बनाया जायेगा जैसे वर्तमान कानून है इस कानून से देश के मजदूरों की रक्षा नहीं हो सकती । दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आदि राज्यों से लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं । फैक्ट्री का मालिक दो महीने काम कराता है उसके बाद हटा देता है । इसलिए हटा देता है कि कहीं वह परमानेंट न हो जाये । अगर वह मजदूर लेबर ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त देता है तो दिल्ली का वह फ़ैक्ट्री मालिक पुलिस के साथ मिलकर उसके खिलाफ़ झूठा मुकदमा दायर कर देता है और उसे जेल की सींखचों के पीछे डाल दिया जाता है । दिल्ली ही नहीं, देश में अन्य भागों में जहां भी प्राईवेट फैक्टरीज हैं वहां भी मजदूरों की यही दुर्दशा होती है। इसलिए प्राईवेट फैक्टरीज के लिए अलग से कानून बनाया जाये जिससे मजदूरों की रक्षा हो सके । वर्तमान कानून से मजदूरों की कोई रक्षा नहीं होती है । हमारे इलाके से कितने ही लोग बाहर मजदूरी करते हैं, फ़ैक्ट्री के मालिक यही कहते हैं कि अगर हमारे पर लेबर कोर्ट में मुकदमा करोगे तो तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा, इसलिए उस मजदूर को न्याय नहीं मिल पाता है ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह कितने दुःख की बात है कि आजादी के 44 साल के बाद भी गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है । यह हमारे लिए और सरकार के लिए बहुत दुःख की बात है। देश में जो गरीब है उसको न्याय देने की सख्त जरूरत है । इसलिए श्रमिकों के लिए एक मजबूत कानून बनाया जाये जिससे उनकी और उनके हितों की रक्षा हो सके । खेत में काम करने वाले मजदूर की बहुत दयनीय हालत है। उसको दो महीने काम मिलता है। अगर भगवान की दया से बारिश सही हो गई तो काम मिलता है नहीं तो वह भी नहीं मिलता है। मिनिमम वेजेज के अन्तर्गत उनको 30-40 रुपये जो मिलने चाहिए, वह नहीं मिलते हैं । भूख से जब वे मरने लगते हैं तो उनको दो-चार रुपये के लिए काम करना पड़ता है, वह अपनी वाजिब मजदूरी नहीं मांग सकता। अगर मांगे तो सींखचों में बन्द कर दिया जाता है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है ।

मैं जिस इलाके से आता हूं वहां आज भी मजदूरी बाबा आदम के जमाने से जो चली आ रही है तीन सेर धान, वह मिलती है। औरतें जो रोपणी का काम करती हैं उनको एक सेर चावल दिया जाता है, रुपया नहीं दिया जाता है । अगर इसमें सुधार नहीं किया जायेगा तो श्रमिक कितना ही काम करे उसको भर पेट भोजन नहीं मिल सकेगा । जो धरती चीरकर फसल पैदा करता है, फैक्टरी का सारा काम करता है, देश को बनाने में आगे रहता है, वही भूख से मरता है । लेकिन जो देश को बनाने में पीछे रहता है, वह तमाम सुख-सुविधायें भोगता है । इसलिए देश में मजबूत कानून बनाने की जरूरत है जिससे हम उसकी रक्षा कर सकें और मिनीमम वेजेस एक्ट को लागू करने के लिए अधिक से अधिक इंतजाम करने चाहिएं ।

ऐसे भी लोग हैं जो मजदूरों को उचित मजदूरी देना चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन पर अत्याचार किये जाने पर वे ऐसा नहीं कर पाते । पंजाब और हरियाणा के किसान चाहते हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के भी कई किसान चाहते हैं कि उनको उचित मजदूरी दें, उनकी इच्छा रहती

है कि हम मजदूरों के साथ कोई भेदभाव नहीं करें । लेकिन उनके साथ लाचारी होती है । यह सरकार कानून बना देती है, लेकिन सिंचाई का इंतजाम नहीं करती है । जब रोपणा हो जाता है, फसल तैयार करने का समय आता है तो उसकी फसल मारी जाती है । जिसका नतीजा यह होता है कि किसान चाहते हुए भी उचित मजदूरी नहीं दे पाता । इसलिए किसानों के खेत में पटबन्ध के लिए सिंचाई का इंतजाम किया जाये, बिजली की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वह अपना उत्पादन बढ़ा सके और जितना जरूरी हो कानून के अनुसार अपने मजदूरों को मजदूरी दे सके । अगर यह काम नहीं होगा तो देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि मजदूर को पूरी मजदूरी न दी जाये, वे भी चाह कर ऐसा नहीं कर पायेंगे । इसलिए जरूरी है कि मजबूत कानून बनाया जाये । खासतौर से किसानों के खेत का बीमा करने की व्यवस्था की जाये जिससे अगर उसकी फसल सूख जाये तो सरकार द्वारा उसे मुआवजा दिया जा सके । अगर यह काम नहीं होगा तो मजदूरों की रक्षा नहीं हो सकती । साथ ही साथ मजदूरों के ऊपर कई तरह के अत्याचार होते हैं लेकिन सरकार इस मामले में चुपचाप बैठी रहती है । कहीं चोरी या डकैती हो जाती है तो पुलिस बड़े लोगों के पास तक नहीं जाती है और प्रशासन भी उनको कुछ नहीं कहता है परन्तु मजदूर अपनी मजदूरी के लिए आन्दोलन करता है या अपनी आवाज उठाता है या किसी फैक्टरी के खिलाफ आन्दोलन छेड़ देता है या गांव के बड़े किसान के खिलाफ आन्दोलन करता है तो पुलिस धारा 395, 396 या 302 के तहत उसको अरेस्ट करके जेल भेज देती है । इसलिए एक अलग से कानून बनाना चाहिए कि जो भूमिहीन हैं, मजदूर हैं और मजदूरी करके अपनी जिन्दगी बिताते हैं, उनको गिरफ्तार करने से पहले उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए । उसको किसी भी हालत में जेल नहीं भेजना चाहिए । यदि इन मजदूरों के लिए कोई कानून का इन्तजाम नहीं किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि मजदूरों की हालत ठीक नहीं रह सकती । यदि उनकी हालत ठीक नहीं रहेगी तो देश का विकास भी नहीं होगा । जिस देश का मजदूर खाने के बिना मरेगा, उस देश का विकास क्या होगा ? इसलिए जरूरत है मजदूरों के पक्ष में एक मजबूत कानून बनाने की ।

सभापति महोदय, मजदूरों की भागीदारी भी मैनेजमेंट में होनी चाहिए । यदि भागीदारी नहीं होगी तो मजदूर जिन्दा नहीं रह सकेगा । इसलिए मेरी मांग है कि जितने भी पब्लिक सैक्टर हैं, उनमें मजदूरों की हिस्सेदारी होनी चाहिए । यदि भागीदारी होगी तभी उनको उचित मजदूरी मिल सकेगी और देश का विकास हो पायेगा । यदि पब्लिक सैक्टर में घाटा होता है तो उसमें केवल एकपक्षीय दोष नहीं होता है । इसका भार दोनों पक्षों पर होता है । इसलिए मजदूरों को उसकी मजदूरी के साथ न्याय किया जाये तभी ये पब्लिक सैक्टर घाटे से बच सकेंगे । इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारे देश के पब्लिक सैक्टर को प्राईवेट सैक्टर को दे दें । इसलिए जरूरत है कि मजदूरों के हित में पब्लिक सैक्टर को किसी भी हालत में प्राईवेट सैक्टर को न दिया जाये ।

सभापति महोदय, देश में कई तरह से मजदूरों को सताया जाता है । उनके बाल-बच्चों को भी सताया जाता है । संविधान के मुताबिक 14 वर्ष से कम आयु का लड़का काम नहीं कर सकता है । यदि देखा जाये तो देश में लाखों लड़के ऐसे हैं जो चाय, पान, होटल पर बर्तन मांजने का काम करते हैं । कानून के मुताबिक उनको वहां काम के लिए नहीं जाना चाहिए । यहां तक देखा गया है कि 14 साल से कम उम्र के लड़के अपनी जिन्दगी चलाने के लिए रिक्शा तक चलाते हैं । इसलिए सरकार

को चाहिये कि उन गरीब लड़कों को काम दिये जाने का प्रबंध किया जाये ताकि उनकी जिंदगी बर-बाद न हो। कम उम्र में ऐसे काम करने से उनकी उम्र भी कम हो जायेगी और वे ऐसे रोग के शिकार हो जायेंगे जिससे उनकी मृत्यु शीघ्र हो जायेगी क्योंकि वे होटलों में 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बर्तन मांजने का काम करते हैं, उनको सोना नहीं मिलता है, नहाने को नहीं मिलता है, उनकी जिन्दगी दुखमय है। इसलिए ऐसे श्रमिकों के बच्चों का कोई प्रबंध किया जाये। देश की एकता के नाम पर आप ऐसा कुछ मत करिये जिससे मजदूर को जिन्दगी दूभर हो जाये। इसलिए जो गरीबी रेखा से नीचे के मजदूर हैं, जिनके पास दोनों समय खाने को नहीं मिलता है, उनके बाल-बच्चों के लिए सरकार इन्तजाम करें। अगर सरकार अलग से इंतजाम नहीं करेगी तो उनके बाल-बच्चों को सरकार के प्रति और देश के प्रति कोई मोह नहीं रह जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने ही उनको ऐसा बना दिया है। मैं कहता हूं कि भगवान किसी को नहीं बनाता। भगवान किसी के लिए दो नहीं होता है, एक होता है। यह दूसरी बात है कि राम के नाम पर जिन्दा रहने वाले लोग यह कह देते हैं कि भगवान ने उनके भाग्य में यह लिख दिया है। भगवान किसी का भाग्य नहीं बिगाड़ता। वह सबको खाना देना चाहता है लेकिन जो दूसरे भगवान बनकर इस देश में आ गए हैं, जो भगवान के नाम पर जिन्दा हैं, वह कह देते हैं कि उसने हमारे भाग्य में ऐसा लिख दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि श्रमिकों के बच्चों के लिए कपड़े पहनने का इंतजाम होना चाहिए, दवा का इंतजाम होना चाहिए और देश में इनके लिए एक प्रकार का स्कूल होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि धनिक का बेटा देहरादून जाएगा, धनिक का बेटा राष्ट्रपति भवन में पढ़ेगा और गरीब के बेटे को स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, 100 में से 90 विद्यालयों में भवन नहीं हैं। अगर किसी को देखना हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, वहां जो गरीब के बेटे हैं, जो गांव से आते हैं, उनको भी पढ़ने के लिए भवन नहीं हैं, अगर मास्टर कभी स्कूल में आ जाते हैं तो पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए बैठने के लिए बैंच ही नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर देश का विकास करना है तो गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में भवनों का इंतजाम होना चाहिए। वहां बैठने के लिए बैंच का इंतजाम होना चाहिए और साथ ही साथ लड़कों को पढ़ने के लिए किताब और स्लेट की व्यवस्था करनी होगी। अगर इस प्रकार से काम नहीं होगा तो केवल आजादी का नाम लेने से यह देश आजाद नहीं कहलाएगा। कांग्रेसी भाई कह रहे थे कि कांग्रेस ने देश को बना दिया है। कांग्रेस ने अगर बनाया है तो मुट्ठी भर लोगों को बनाया है, कांग्रेस ने आम जनता को नहीं बनाया है। अगर कांग्रेस के लोग यह दिमाग रखते हैं कि आजादी दिलाई है तो केवल आपने नहीं, और लोगों ने भी इसके लिए कुर्बानी की है। हां, आजादी मिली तो आजादी की सत्ता पर आप बैठे और मुट्ठी भर लोगों को आपने खुशहाल किया। आज सरकार के आंकड़ों के मुताबिक आजादी के बाद आधे से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। दो-एक वर्ष सरकार चलती है। कहते हैं कि आपने बिगाड़ दिया। 42 वर्ष तक आपने हकूमत चलाई तो किसने आप को रोक दिया था और आपने और इंतजाम क्यों नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को बनाने के लिए श्रमिकों के पक्ष में कई तरह के कानून बनाने चाहिए जिससे कि देश मजबूत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

.....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : मेरा पांइट आफ आर्डर है।.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, केन्द्रीय श्रम मंत्री मेरे अच्छे मित्र हैं तथा आज उनके साथ मेरी पूरी सुहानुभूति है। मेरी उनके साथ सुहानुभूति इस लिए है क्योंकि आज उन्हें सारी सरकार, सभी विभागों तथा सभी मंत्रालयों तथा उनकी गतिविधियों के सम्बंध में सदन के प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, जहां तक मैं देख सकता हूं, श्रम मंत्रालय की कार्यसूची बड़ी सीमित है। रोजगार के अवसर पैदा करने के सम्बन्ध में भी इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मोटे तौर पर यह नौकरी प्राप्त लोगों के कल्याण, बेरोजगारों के संगठन तथा अल्प-रोजगार प्राप्त लोगों को श्रम कानूनों की परिधि में लाने तक सीमित है।

महोदय, माननीय मंत्री जी की श्रम बाजार की स्थिति पर कोई नियन्त्रण नहीं है क्योंकि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में श्रम बाजार खरीददार पर आधारित है, विक्रेता पर नहीं। माननीय मंत्री जी सरकार की आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति अथवा कृषि नीति के सम्बन्ध में शायद ही कुछ कह सकें । वे प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में, वरीयताओं के सम्बन्ध में हमें कुछ नहीं बता सकते, उद्योग तथा उत्पादन के अन्य साधनों के स्वामित्व के ढांचे में वे परिवर्तन नहीं कर सकते; वे देश के आर्थिक विकास की गति को निर्धारित नहीं कर सकते। विकास संसाधनों को वरीयता क्षेत्रों को पहुंचाने के सम्बन्ध में सम्भवतः वे निर्णय नहीं ले सकते। जनसंख्या की विकास दर भी वे निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर सकते। वे चाहें भी तो सभी लोगों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध नहीं करवा सकते। मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग की स्थिति ऐसी है।

जैसा कि मैंने कहा कि यह खरीददार पर आधारित बाजार है। यह बाजार फैल रहा है। छोटे बच्चे जिन्हें आधे मन से श्रम बाजार से मुक्त करने के प्रयास किए जाते हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन श्रम बाजार में बढ़ती जा रही है। वे लोग जिन्हें 45 अथवा 55 वर्ष तक कठिन परिश्रम करने के पश्चात् रिटायर हो जाना चाहिए, उन्हें देश में व्याप्त परिस्थितियों के कारण अपनी आखिरी सांस तक काम करना पड़ता है। इसलिए श्रम बाजार फैलता जा रहा है। हम माननीय श्रम मंत्री से इस सम्बन्ध में क्या करने के लिए कह सकते हैं? समस्या का स्वरूप ऐसा है । श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए समस्त देश के लिए एक व्यापक नीति के सम्बन्ध में त्रुटि नजर आती है। इस सम्बन्ध में एक समन्वित दृष्टि-कोण अपनाया जाना चाहिए, जिसकी कि कमी है। इसलिए इन सभी खामियों के लिए मैं माननीय मंत्री जी को दोषी नहीं ठहराऊंगा ।

परन्तु फिर भी जो तथ्य उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए । कम से कम जो बातें उन्होंने यहां पर कहीं हैं। उनके लिए तो वे उत्तरदायी हैं । ऐसा लगता है कि जो मूल प्रश्न आज राष्ट्र के समक्ष है, उसका सन्तोषजनक समाधान नहीं ढूंढा गया

है। ग्रामीण श्रमिकों की समस्या है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय रिपोर्ट दी गई थी। जुलाई, 1991 में इसे सरकार को प्रस्तुत किया गया था। अब लगभग एक वर्ष बीत चुका है। इस लिए हमें यह अधिकार है कि हम उनसे यह पूछें कि उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया? आप इसे संसद तथा भारत के लोगों के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं करते ?

1975 से हम बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास तथा मुक्ति की बातें कर रहे हैं। उन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे मजदूरों के पुनर्वास तथा मुक्ति से सम्बन्धित आंकड़े तक भी नहीं दिए हैं। इसी से उनकी सफलता को आंका जायेगा। उन्होंने इकट्ठे आंकड़े दिए हैं, वार्षिक आंकड़े नहीं। इससे पता चलता है कि वे कुछ छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं।

उन्होंने बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में चर्चा की है। इस सम्बन्ध में उनका क्या योगदान रहा ? मात्र दिखावे के लिए कुछ योजनाएं लागू की गईं जो कि मूल समस्या के समाधान को छूती हुई भी नजर नहीं आतीं। मजदूरी तथा दूसरे छोटे कामों में लगे हुए लाखों बच्चों में से केवल 7 हजार बच्चों को स्कूली शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इन बच्चों को इस कठोर मजदूरी से मुक्त कराने तथा उन्हें स्कूल भेजने, जो कि उनके लिए उचित स्थान है जहां कि वे अपने लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, में कितने साल अथवा सदियां लगेंगी ?

उसके पश्चात् न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न आता है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने हमें सूचित किया है कि इस पर राष्ट्रीय सहमति हुई है कि न्यूनतम मजदूरी में प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् संशोधन होना चाहिए, तथा जीवनयापन मूल्य के सूचकांक में 15 अंकों की बढ़ौतरी, प्रत्येक राज्य में गरीबी की रेखा को इस सम्बन्ध में ध्यान में रखा जायेगा। फिर भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि वहां पर एक दशक से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन नहीं किया गया है। अपने सी० पी० एम० के मित्रों से क्षमा याचना सहित मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल एक प्रगतिशील राज्य है जिसकी तरफ प्रेरणा के लिए देखा जाता है, वहां पर भी 1982 से अब तक न्यूनतम मजदूरी में संशोधन नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है। वे एक राष्ट्रीय मजदूरी दर निर्धारित क्यों नहीं करते ? यह स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं कहा जाता कि प्रत्येक राज्य मजदूरी दर निश्चित कर सकता है, परन्तु ऐसा करते हुए उसे राष्ट्रीय मजदूरी दर को ध्यान में रखना होगा। पिछले दिनों आयोजित सैमिनार में यही सिफारिश की गई थी।

जैसा कि मेरे बहुत से मित्रों ने किया है, मैं उन्हें कामगारों की प्रबन्धन में भागीदारी के महान राष्ट्रीय उद्यम के सम्बन्ध में हुई प्रगति के सम्बन्ध में भी स्मरण कराना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में 30 मई, 1990 से एक विधेयक राज्य सभा में लम्बित पड़ा है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने इस बारे में क्या किया है ? मैं सरकार की छंटनी नीति के बारे में उन पर आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन से उनके उलझनें, समस्या बढ़ेंगी और इससे गम्भीर सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। इससे लाखों बेरोजगार मजदूर सड़क पर आ जाएंगे और संभवतः उनको निराशा पर काबू पाना बहुत कठिन होगा इसलिए वह अपनी भूमिका अदा करें और सरकार में अपने साथियों को सावधान करें कि ऐसे कार्य

न करें। इसलिए वह इस प्रकार तीव्रता से न चलें कि बुनियादी आर्थिक स्थिरता ही पूर्णतः समाप्त हो जाए जिसे हम देश में कायम रखना चाहते हैं।

महोदय, वह प्रवासियों के लिए उत्तरदायी हैं। क्या मैं उन्हें याद दिलाऊं कि प्रवासियों की रक्षा करने वाले प्रत्येक कार्यालय में बहुत भ्रष्टाचार है? प्रत्येक प्रवासी को अपने पासपोर्ट पर सील लगवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि वह इस बारे में क्या कर रहे हैं? वह विदेश जाने वाले प्रवासियों के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि वह कहेंगे कि हमारे कुछ श्रम अताशे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए कितने श्रमिक श्रम अताशे के दायित्व या कर्त्तव्य के तहत हैं। क्या उन्होंने एक मिशन में तैनात श्रम अताशे की संख्या तय कर ली है जो कि उस देश में कार्यरत भारतीय श्रमिक प्रवासियों की संख्या के अनुरूप है? यह बुनियादी समस्या है। मैं जानता हूं कि इस मुद्दे पर उन्हें विदेश मंत्रालय से लड़ना पड़ेगा। संभवतः वह लोगों को उनके बजट के तहत नहीं आने देंगे। लेकिन अगर विदेशों में भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी है तो यह बहुत जरूरी है। एक श्रम अताशे और सलाहकार से कुछ नहीं होगा। आपको देखना है कि आपके सम्मुख समस्या के आकार को देखते हुए श्रम अताशे और सलाहकारों की पर्याप्त संख्या हो। अन्यथा हर रोज हमें ऐसे महिला नौकरों के लिंग संबंधी हमले तथा ऊंट दौड़ में बच्चों के मरने की खबरें मिलती रहेंगी।

सभापति महोदय, मैं ई० एस० आई० की देय राशि के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। उनके शासन में इसमें वृद्धि हुई है और यह कम नहीं हुआ है। उन्होंने स्वयं यह स्वीकारा है। अगर यह थोड़ी भी कम हुई होती तो मैं उन्हें श्रेय देता। वास्तव में यह एक वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसलिए वह सभा को इस बारे में स्पष्टीकरण दें।

अब, श्रमिक संगठनों को मान्यता के बारे में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति है। यहां पर हरेक ने यह कहा है कि श्रमिक संगठनों को मान्यता गुप्त मतदान द्वारा दी जाए। इसे प्रारम्भ क्यों नहीं किया जा सकता? मैं उनसे जानना चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय संगठन की मान्यता के लिए राष्ट्रीय मानदंड क्यों नहीं हो सकते। चार राज्यों में फैले और चार उद्योगों में कम से कम चार लाख की सदस्यता होनी चाहिए। उनके शासन में राष्ट्रीय समर्थन वाले इन निर्णयों को लागू क्यों नहीं किया जा सकता?

सभापति महोदय मैं बेरोजगारी की स्थिति का भी उल्लेख करना चाहूंगा। यहां पर इस बारे में विचार-विमर्श हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, समस्या यह है कि श्रमिक बाजार में वृद्धि नहीं हो रही सप्लाई बढ़ रही है और मांग नहीं है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि उनका यह दोष है। रोजगार में वृद्धि एक प्रतिशत हो रही है जबकि जनसंख्या में वृद्धि 2.5 प्रतिशत से अधिक हो रही है। इसलिए मैं हमारे सम्मुख एक बड़ा संकट देख रहा हूं। श्रम मंत्री की योग्यता, वचनबद्धता और बुद्धिमत्ता चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है। उन्हें उन अन्य मंत्रालयों की मदद लेनी चाहिए जो रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं अनुमान लगाया है कि पांच वर्ष की अवधि के दौरान अतिरिक्त श्रम शक्ति 65

मिलियन हो जाएगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्हें यह खपा लिया जाएगा और इसके कल्याण का कार्य कैसे किया जाएगा । कुछ योजनाएं हैं । इन योजनाओं में सबसे बड़ी जवाहर रोजगार योजना है, इसका बहुत प्रचार हुआ है । मेरे मित्र ने पहले ही यह बताया है कि वास्तव में जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटन कम हुआ है । महोदय, लेकिन में एक आंकड़ा आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मैंने अभी-अभी यह गणना की है। मैंने पाया है कि अगर एक व्यक्ति को एक वर्ष में न्यूनतम 200 दिन रोजगार दिया जाता है, वर्ष के प्रत्येक दिन नहीं, केवल तब ही वह अपने आपको और अपने परिवार को रख सकता है।

5.38 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तब आप ऐसे करोड़ों लोगों में से केवल 45 लाख बेरोजगार लोगों की वास्तव में देख रेख कर रहे हैं । महोदय, इसलिए जब हम एन०आर० वाई० या एस० ई० ई० यू० पी० के एस० ई० एफ० यू० वाई० पर गौर करें तो मैं पाता हूं कि ये नाम मात्र की योजनाए हैं । जिनसे इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता। हमें एक राष्ट्रीय रोजगार और मजदूरी नीति की जरूरत है जो काम के अधिकार को मान्यता दे। काम के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि काम के बिना जीने का अधिकार नहीं मिल सकता और जीवन यापन के अधिकार के बिना प्रतिष्ठा का अधिकार, काम का अधिकार नहीं मिल सकता । इसलिए यह पहला कदम है ।

सरकार सभी के लिए रोजगार के लिए प्रतिबद्ध हो। इसलिए वह यह सुनिश्चित करे कि सारी अर्थव्यवस्था का इस मुद्दे के तहत पुनर्गठन हो । उन्हें प्रौद्योगिकी के बारे में भी निर्णय लेना होगा कि क्या यह श्रम-उन्मुखी हो या पूंजी-उन्मुखी हो। उन्हें निवेश के प्राथमिकता क्षेत्रों के बारे में निर्णय लेना होगा। उन्हें विदेशी स्पर्धा या खुली स्पर्धा के लिए स्थापित करने के संबध में विशेष निर्णय लेना होगा । अगर इस समस्या का समाधान करना है तो ये सभी मुद्दे उत्पन्न होंगे । इसलिए राष्ट्रीय रोजगार और मजदूरी नीति से शुरुआत करके हमें निजी रोजगार पर भी निर्णय करना है। एक निजी रोजगार नियोक्ता को अपने रोंजगार व्यवहार में निष्पक्ष होना चाहिए । महोदय, यह मेरा निजी मत है लेकिन मैं इससे भी आगे कहूंगा । संविधान निवास के आधार पर किसी भेदभाव की अनुमति नहीं देता, इस तथ्य के बावजूद मैं स्थानीय अपेक्षाओं को मानता हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि प्रत्येक नौकरी की उस स्तर पर समीक्षा की जाये और संबंध रखा जाए जिस पर इसका उपयोग होना है आपको ग्रहण क्षेत्र को परिभाषित करना है। उदाहरण के लिए एक चपरासी या ड्राइवर जैसे सरल अकुशल या कुशल नौकरी के लिए स्थानीय क्षेत्र रखा जा सकता है। कुशलता के अगले स्तर के लिए जिला स्तर रखा जा सकता है। कुशलता के तृतीय स्तर के लिए राज्य स्तर रखा जा सकता है और जब व्यावसायिकता का स्तर रखते हैं तो पूरा देश माना जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और स्थानीय और बाहरी लोगों का प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि हर नौकरी के लिए आपको सही आदमी

मिले। इसके साथ ही आपको यह भी देखना है कि जब रांची में सिपाहियों की नियुक्ति हो रही है तो ऐसा न हो कि दरभंगा के लोगों की ही नियुक्ति हो और जब धनबाद में कोयला खान के कामगारों की नियुक्ति हो तो स्थानीय लोगों, स्थानीय संथाल और अपने कार्यों से हटाए जा रहे स्थानीय आदिवासियों की बजाए बिहार और उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र से आए लोगों को प्राथमिकता न दी जाए। इसलिए रोजगार के लिए एक स्वस्थ ढांचा बनाने के लिए स्थानीयता की एक निश्चित मात्रा बहुत आवश्यक है।

अब मैं कल्याण संबंधी कोष पर आता हूं। संगठित श्रमिक अपनी देखरेख स्वयं रखते हैं। यह संगठित है और हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर, संसद में और बाहर भी इसके अनेक मित्र हैं। यहां पर मैं असंगठित श्रमिकों के बारे में चिन्तित हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री कार्य करने की अधिकतम आयु पर पहुंच चुके असंगठित श्रमिकों, स्व-रोजगार में लगे श्रमिकों के बारे में अपनी वचनबद्धता दर्शाएं। वह असंगठित श्रमिकों को क्या राहत देना चाहते हैं? वे श्रमिक जो कार्य करने की अधिकतम आयु प्राप्त कर चुके हैं और अब शालीनतापूर्वक सेवा निवृत्त होना चाहते हैं उनके भविष्य हेतु वह क्या देना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय मजदूरी नीति या राष्ट्रीय रोजगार नीति में एक गंभीर तत्व यह हो कि असंगठित श्रमिक और स्व-रोजगार के तहत श्रमिक के सामान्य कल्याण कोष हों।

महोदय, अन्त में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया जाए और मुद्रास्फीति के अनुसार चलने के लिए सूचकांक बनाया जाए। जैसा कि हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया है, बोनस उत्पादकता से जुड़ा होना चाहिए।

अगर हम इस मत को स्वीकार कर लें कि आर्थिक कारणों और राष्ट्रीय हित में कुछ फैक्ट्रियों को बन्द किया जाए तो मैं कहूंगा कि आप इन्हें बन्द करने से पूर्व श्रमिकों को एक मौका दें। श्रमिक स्वयं को सहकारिता में संगठित करें। श्रमिक मालिक बनें, प्रत्येक श्रमिक का उस फक्ट्री में हिस्सेदारी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप श्रमिकों को मालिकों में बदलने के इस सरल से मापदंड को अपनाते हैं तो देखेंगे कि भारतीय उद्योग और भारतीय उद्यम में से रुग्णता समाप्त हो जाएगी।

सभापति महोदय, श्रमिकों का कल्याण और हमारे सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है तथा इसके लिए जन समर्थन और सामुदायिक प्रयास करना जरूरी है। इसके लिए सारी सरकारी एजेंसियों को सभी तरह के प्रयास करने पड़ेंगे तथा व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, ताकि श्रमिक बाजार संबंधी समस्या का बढ़ना रोका जा सके और फिर उपलब्ध श्रमिकों, प्रशिक्षित श्रमिकों, कुशल श्रमिकों को विनिर्मित रूप से उत्पादनकारी कार्यों में लगाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री अपनी सभी प्रत्ययकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए जनता का पूरा ध्यान रखेंगे तथा

अपने साथियों को इस बात के लिए जोर देंगे कि वह अधिक पैसा दें, उनके मंत्रालय को अधिक जिम्मेदारी सौंपे तथा उनके मंत्रालय को अधिक सहयोग दे, ताकि वह हमें अगले वर्ष और अच्छी रिपोर्ट पेश कर सकें। लेकिन जहां तक इस वर्ष की बात है मुझे खेद है कि हमारे पास इस समय जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारे पास इस बात के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है कि हम श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करें।

5.46 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

5.46 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1992-93

श्रम मंत्रालय (जारी)

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरनदोल) : महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

आमतौर पर हम यह देखते हैं कि एक व्यक्ति यदि अपने ही मामले ठीक ढंग से निपटाले तो वह अच्छी तरह से कल्याण कार्यों को निभा सकता है। यही बात श्रम के मामले में भी सच है। यदि कारखानों के प्रबंधन में कामगारों की भागेदारी होती है तो उनके प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के अच्छे अवसर मिलेंगे कि श्रमिकों से सही बरर्ताव किया जाये। पिछले 10 वर्षों से हम इसे कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है, लेकिन निजी क्षेत्र के मामले में इसका अनुसरण नहीं किया गया है। इस संबंध में एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है। यहां तक कि सहकारी क्षेत्र में भी हम देखते हैं गुप्त मतदान के जरिए श्रमिकों के प्रतिनिधि प्रबंधक मंडल में आ जाते हैं और उसका अच्छी तरह से प्रबंधन निभाते हैं तथा सही ढंग से श्रमिकों के कल्याण पर गौर किया जाता है।

कई यूनियन राजनैतिक दलों के प्रभाव में कार्य करती हैं, हम समझते हैं कि सभी यूनियनों को राजनैतिक दलों से अलग कर देना चाहिए। कांग्रेस दल से जुड़ी यूनियन

को आई० एन० टी० यू० सी० कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और भारतीय साम्यवादी दल की तो बात ही न करें तो अच्छा है, क्योंकि ये सब सोचते हैं कि वे ही श्रमिक हितों के एकमात्र संरक्षक हैं लेकिन वास्तव में वे इन श्रमिकों का इस्तेमाल अपने राजनैतिक स्वार्थ को पूरा करने में करते हैं। विभिन्न दलों से जुड़ी यूनियनें तो श्रमिक के कल्याण की बात न करके राजनैतिक दलों के स्वार्थ सिद्ध करेंगी। मेरे मित्र श्री शाहबुद्दीन ने अभी कहा था कि सभा में यूनियनों को मान्यता देने के संबंध में सर्व सम्पत्ति है तथा यह गुप्त मतदान के जरिए किया जा सकता है ताकि श्रमिकों को उचित प्रतिनिधित्व हासिल हो। इससे श्रमिकों के कल्याण पर उचित ढंग से गौर किया जा सकेगा। अन्यथा यदि कई यूनियनें हों और उनका वास्तविक समर्थन का आधार नहीं है तथा यदि आप उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं और उनकी संख्या बढ़ाते हैं तो सरकार का भी नुकसान होगा। विभिन्न विभागों में हम देखते हैं कि छोटे चपरासी भी बैठकों के बहाने पर अपने काम से गायब रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पाटील जी, आप नजदीक आयें ताकि हमारे रिपोर्टर आपको ठीक ढंग से सुन सकें।

श्री विजय एन० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक असंगठित मजदूरों को संरक्षण देने की बात है कई बातें कही जा रही हैं और सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है। परन्तु यहां मैं सरकार को याद दिलाउंगा तथा मैं हमारे भूतपूर्व नेता श्री राजीव गांधी द्वारा किए प्रयासों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम हमारे भूमिहीन मजदूरों के लिए उन्होंने बीमा योजना शुरू की अर्थात् यदि एक भूमिहीन मजदूर की पचास से कम आयु में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमे की राशि के रूप में 1000 रुपये दिए जायेंगे। यह तो केवल एक छोटी सी राहत है। लेकिन यह तो उस भूमिहीन मजदूर के परिवार के लिए है जो पचास की आयु से पहले मर जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय का मुख्य कार्य श्रमिकों के लिए उचित ढंग से कार्य करने का माहौल पैदा करना तथा उनका कल्याण देखना है। यह मंत्रालय सीधे रोजगार बढ़ाने के बारे में सुझाव या कार्यान्वयन संबंधी योजनाओं से निपटे जाने के बारे में संबंधित नहीं है। परन्तु मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह ऐसे उद्योगों को शुद्ध करने के संबंध में कदम उठाये जो रोजगारोन्मुख हों तथा जिनमें रोजगार पैदा होने की काफी गुंजाइश हो। उदाहरण के लिए यदि एक उद्योग 2 करोड़ के निवेश से शुरू करते हैं और यदि यह भारी उद्योग है जोकि इस्पात के पुर्जे निर्मित करता है तो उसमें 30 से 33 श्रमिकों को ही रोजगार मिलेगा। यदि 2 करोड़ के निवेश से एक रासायनिक उद्योग खोलते हैं तो लगभग 300 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यदि यही निवेश इलेक्ट्रानिक उद्योग में किया जाये तो 1000 श्रमिकों या कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। अतः इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए शुरू किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें विदेशों में रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य ने कई वर्ष पहले एक विदेश रोजगार संवर्धन परिषद शुरू की थी। भारत सरकार को इस कार्य को बढ़ावा देना चाहिए और अन्य राज्य सरकारों को भी इस तरह की विदेश रोजगार संवर्धन परिषद शुरू करने की सलाह देनी चाहिए और इसमें पासपोर्ट के लिए आवेदकों की संख्या पिछले वर्ष की 24 लाख से बढ़कर इस वर्ष 30 लाख हो चुकी है, इससे पता चलता है कि लोगों को अन्य देशों में रोजगार मिल रहा है।

श्रम मंत्रालय को भी उन्हें इस जोखिम भरे कार्य में सहायता करनी चाहिए और यदि कुछ ऐसे लोग भेजते हैं, जिनकी बुद्धिमता, व्यापक जानकारी रखने, मेहनतकश होने, ईमानदार होने की वजह से विश्व के विभिन्न देशों में मांग है तो हम ऐसे लोगों को वहां रोजगार दिलाने में सहायता दे सकते हैं और देश का भार भी कम किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत सरकार पांच दिवसीय सप्ताह की नीति पर पुनर्विचार करे। क्योंकि सरकार को वेतनों की वजह से काफी राजस्व की हानि होती है। और सरकारी काम भी पांच दिन के सप्ताह में पूरा नहीं किया जाता है। फिर साथ ही कितनी ही राष्ट्रीय छुट्टियां और कई सरकारी छुट्टियां भी होती हैं।

हम देखते हैं कि वर्ष में 365 दिनों में से सरकारी कर्मचारी और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के कई कर्मचारी वास्तव में केवल 175 दिन या 180 दिन ही कार्य करते हैं। यहां शुक्रवार को कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है क्योंकि वह आमतौर पर छुट्टी के मूड़ में होता है। और जब वह सोमवार को काम पर आता है तो भी काम करने का मूड़ नहीं होता है। यही सब हम यहां देखते हैं लेकिन यह हमारे जैसे गरीब देश के लिए ठीक नहीं है। जहां कितने ही लोग बेरोजगार हैं। जो नौकरी पर हैं उन्हें एक सप्ताह में दो छुट्ठियां मिलती हैं। हम कहते हैं कि हम इसकी भरपाई प्रत्येक दिन कार्य समय बढ़ा कर करते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप में ऐसा नही होता है, यह कार्यान्वित नहीं होता है और हमे अन्ततः यही लगता है कि छह दिन का सप्ताह ही ठीक है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर भी पुनर्विचार करें।

कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्साह में आकर श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें इसका दण्ड भुगतना पड़ता है। किसी का भी नाम लिए बगैर मैं वैस्टर्न कोलफील्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का उदाहरण दूंगा, जिन्होंने नागपुर के कम्पटी क्षेत्र में एक 50 बिस्तर वाला अस्पताल लगाने की योजना बनाई, 25 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए कार्य शुरू हुआ लेकिन उन्होंने उसी दर पर 25 और बिस्तरों के लिए ठेके को बढ़ा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद वहां के उन प्रमुख प्रबन्ध निदेशक द्वारा उनकी निन्दा की गयी जिन्होंने इस व्यक्ति के सेवानिवृत होने पर इनका स्थान ग्रहण किया था और उन्होंने इस मुद्दे को दूसरी तरह से मोड़ने की कोशिश की और सरकार को यह कहकर रिपोर्ट भेजी कि इस अस्पताल में 25 बिस्तर से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है इसी तरह कुछ शिकायतें पेश की गयीं।

इसके विपरीत स्थानीय क्षेत्र के लोगों से पता चला कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है । अतः इस तरह के लोगों को जिन्होंने श्रमिकों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की हो उन्हें अनावश्यक रूप से दण्ड न दिया जाये और उन्हें सेवानिवृत होने के बाद तनाव में न रखा जाये ।

समाप्त करने से पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बात पर सुझाव देना चाहूंगा कि भर्ती की प्रक्रिया में शहरी क्षेत्र के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की तुलना में ज्यादा फायदा होता है । अतः अंकों या योग्यता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शहरी क्षेत्रों की तुलना में कुछ अन्तर रखना चाहिए ।

जहां तक हम आज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर देखते हैं वहां अध्यापक, खासतौर पर अच्छे अध्यापक वहां नहीं जाते हैं और वे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को उचित प्रशिक्षण नहीं देते हैं इसी वजह से अंकों के मामले में कुछ अन्तर होना चाहिए, रोजगार के मामले में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को कुछ अनुग्राहांक देने चाहिए और इससे उन्हें अपने शहरी भाईयों के साथ समान अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

6.00 म० प०

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कई और लोगों को भी बोलना है और माननीय मंत्री कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद उत्तर देंगे । अतः मेरा सुझाव है कि हम सभा का समय एक घंटे और बढ़ा दें ताकि सभी सदस्य जो बोलना चाहते हैं बोल सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाये ?

श्री राम नाईक (नूम्बई उत्तर) : हमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि जिन सदस्यों ने बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं उन्हें बोलने का अवसर मिले । अन्यथा आधा घंटा या एक घंटा समय बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सभी सदस्य जिन्होंने अपने नाम दिए हैं उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा । क्या हम इस प्रस्ताव पर सहमत हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाराधन राय ।

***श्री हाराधन राय (आसनसोल)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि हमने इससे पहले सामान्य बजट का भी विरोध किया था । इस समय सम्पूर्ण देश कांग्रेस के कुप्रशासन के कारण कंगाल हो गया है । अब वे विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता मांग रहे हैं ताकि स्थिति से बचा जा सके । इस समय सरकार की छंटनी नीति के

*मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर ।

फलस्वरूप ही सार्वजनिक क्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह से विघटित हो रहा है और उसकी आलोचना की जा रही है। परन्तु सरकार सार्वजनिक क्षेत्र पर दोष लगा रही है ताकि इसे जनता के समक्ष निन्दित किया जा सके। वे यह छवि बना रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों का कार्य संचालन निर्विघ्न नहीं हो सकता और वे घाटे में चलते हैं। 98 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हमेशा के लिए आर्थिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया गया है। मैं उन लोगों को यह याद दिलाना चाहूंगा जो अपने उपक्रमों को अर्थ अक्षम बनाने के लिए निजीकरण का गुणगान कर रहे हैं कि कुछ उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया क्योंकि वे पहले ही रुग्ण हो चुके थे। वे रुग्ण क्यों हो गये थे, मैं इस सब पर विस्तार में जाना नहीं चाहता। परन्तु इस समय सरकार यह दावा कर रही है कि ये उपक्रम हमेशा से रुग्ण रहे हैं और इन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इच्छुक पार्टी को बेच दिया जाये। अब इससे एकाधिकारवादियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप देश की आर्थिक प्रभुता संकट में पड़ जायेगी और देश समृद्ध नहीं हो सकता तथा इससे देश के लिए संकट उत्पन्न होगा।

श्रम मंत्रालय में परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति है। इसका काम रुग्ण उद्योग की देखभाल करना है। समिति के सदस्यों और श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री पिछली बार पश्चिम बंगाल गये थे। मैं पिछले शनिवार को हुई बैठक में उपस्थित था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक आयोजित की गई थी। मैं उस बैठक में भी उपस्थित था। कलकत्ता में हुई बैठक में यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये उपक्रम कुप्रबन्धन के कारण रुग्ण हो रहे हैं और साथ ही उन्हें रुग्ण बनाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था।

इन उद्योगों को षड्यंत्र के तहत रुग्ण बनाया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा भी यह स्वीकार कर लिया गया है कि श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप केवल 2 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रुग्ण हैं। शेष उपक्रम कुप्रबन्धन, भ्रष्टाचार और तुच्छता के कारण रुग्ण हो गए हैं। इन उद्योगों के रुग्ण होने का मुख्य कारण गबन और व्यापक स्तर पर कुप्रबन्धन का व्याप्त होना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी यही विचार व्यक्त किया गया है। मैं दोनों ही बैठकों में उपस्थित था। उनमें से एक बैठक पहले हुई थी और दूसरी पिछले शनिवार को बुलाई गई थी और उन बैठकों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि वे क्यों रुग्ण हो गये हैं।

'इस्को' सदैव रुग्ण रहा है। अब क्या कोई चमत्कार हो गया है कि इस वर्ष यह लाभ अर्जित कर रहा है? दुर्गापुर स्थित बी० ओ० जी० एल० करोड़ों रुपये के घाटे में चल रही है। अब उनका कहना है कि यह लगभग 50 लाख रुपये के घाटे में चल रही है और अगली बार यह लाभ अर्जित करना आरम्भ कर देगी। ट्रेड यूनियनों के सभी प्रतिनिधि और एसोसिएशन के अधिकारी एम० ए० एम० सी० फैक्टरी में उपस्थित थे। उन सभी का मत है कि ये उपक्रम अर्थ अक्षम हो सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। वे घाटे में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कच्ची सामग्री और कलपुर्जे प्रदान नहीं किये गये हैं और स्वाभाविक है कि उत्पादन कम होगा और मजदूरों को केवल बैठे रहने की ही मजदूरी

मिल रही है। 'बर्न स्टैंडर्ड रीफैक्टरी ग्रुप' और 'बर्न स्टैंडर्ड' की दूसरी इकाइयों में यह देखा गया है कि वे उत्पादन करना नहीं चाहतीं। उनकी नीति यह है कि काम किये बिना मजदूरी मिलती रहे जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। वे इन युक्तियों द्वारा इन एककों को रुग्ण घोषित करना चाहते हैं। महोदय, यह कैसे संभव हो सकता है? कर्मचारियों को भी यह विश्वास है कि इन कारखानों को रुग्ण होने से बचाया जा सकता है और इन्हें व्यवहार्य बनाया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में कामगारों की छंटनी करके इन एककों को बन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकारी, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि यह समझते हैं कि इन एककों को रुग्ण होने से बचाया जा सकता है और इन्हें बन्द करने की कोई जरूरत नहीं है। महोदय, मेरा विचार है कि कामगारों को जानबूझकर निष्क्रिय और बेकार बैठे रहने के लिए उकसाया गया है। उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। यदि हम मंत्री जी से खुलेआम पूछते हैं कि क्या वास्तव में वे समझते हैं कि ये एकक हमेशा रुग्ण रहे हैं। क्या इन्हें पुनः चालू करके इन्हें अर्थ अक्षम नहीं बनाया जा सकता? ये मंत्री और सरकार के प्रतिनिधि सभा में हमारा विरोध करते हैं। परन्तु सदन के बाहर वे मजदूरों को कहेंगे कि इन एककों को पुनः चालू किया जा सकता है और व्यवहार्य बनाया जा सकता है। उनमें इस तथ्य को स्वीकारने की भी शक्ति नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे क्या रिपोर्ट देंगे। श्रमिकों में कुछ आशा की लहर आई है।

हमारे मुख्यमंत्री मित्र ज्योति बसु के दिनांक 28 फरवरी, 1992 के पत्र के उत्तर में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है : "किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को जल्दबाजी में बन्द नहीं किया जाएगा और संसाधन सम्बन्धी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए उनकी पुनर्स्थापना और उन्हें पुनः चालू करने की सभी संभावनाओं का अध्ययन किया जायेगा। आपके सुझाव पर पूरे ध्यान से विचार किया जाएगा"।

महोदय, यह अत्यन्त हास्यास्पद है कि एक ओर तो आप इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की बात करते हैं और दूसरी ओर इकाइयों को बी० आई० एफ० आर० के सुपुर्द कर दिया जाता है। बी० आई० एफ० आर० के नियमानुसार लाभ में चलने वाली इकाइयां काम नहीं कर सकतीं क्योंकि उन्हें एक बार बी० आई० एफ० आर० के सुपुर्द करने के पश्चात् बैंक से सहायता नहीं मिल सकती। अतएव बैंक द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता मिलनी बन्द हो जायेगी और कच्ची सामग्री की सप्लाई भी बन्द हो जायेगी। वे कच्ची सामग्री की सप्लाई करना बन्द कर देंगे क्योंकि यह इकाई बन्द होने जा रही है। उत्पादित सामग्री की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान करने वालों ने इकाई के बन्द होने के डर से ऐसा करना बन्द कर दिया है। इन इकाइयों का कोई भविष्य नहीं है क्योंकि सरकार इन्हें बन्द करने की घोषणा कर रही है अतः उनमें निवेश करना व्यर्थ है। जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की स्थिति पैदा की गई है।

अतः मैं सबसे पहले यह आग्रह करूंगा कि इन एककों को बी० आई० एफ० आर० के सुपुर्द नहीं किया जाये। दो वर्ष तक घाटे में चलने वाले किसी भी उद्योग को स्वतः ही बी० आई० एफ० आर० को दे दिया जाता है। अतः सरकार को बी० आई० एफ० आर०

के पास किसी भी इकाई को सुपुर्द नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए । दूसरे मजदूरों को आश्वस्त किया जाये कि एककें बन्द नहीं की जायेंगी । हमारे कोयला और खान मंत्री श्री संगमा ने कहा था कि 35 खानें बहुत समय से हमेशा के लिए रुग्ण हो चुकी हैं और उन्हें बन्द किया जाना था परन्तु उसके पश्चात् ये खानें लाभ अर्जित कर रही हैं और देश की अन्य इकाइयां भी लाभार्जन कर रही हैं और 29 नवम्बर, 1991 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा औद्योगिक हड़ताल की गई थी । कर्मचारियों ने यह घोषणा कर दी है कि यदि सरकार अपनी नयी औद्योगिक नीति को लागू करती है तो देशभर में इसका विरोध किया जायेगा । यदि सरकार बलपूर्वक नयी औद्योगिक नीति को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करती है, तो 16 जून, को देशभर में विरोध और हड़तालें की जायेंगी । सभी ट्रेड यूनियनों और कई संगठनों द्वारा यह घोषणा की गई है ।

महोदय, इस सम्माननीय सदन में मैंने यह महसूस किया है कि देश में केवल दो ही मंत्री है, एक तो प्रधानमंत्री और दूसरे वित्त मंत्री । अन्य के पास कोई अधिकार नहीं है ।

महोदय, मैं उनके विरोधाभासी वक्तव्यों के कुछ उदाहरण देता हूं । मैंने मजदूरी में संशोधन करने के सम्बन्ध में कोयला और खान मंत्री से प्रश्न किया था । उन्होंने यह उत्तर दिया था कि इस सम्बन्ध में एक समिति बनाई जायेगी । परन्तु दिनांक 25.3.92 को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता सम्बन्धी लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 404 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में यह वक्तव्य दिया गया था ।

(क) और (ख) :

"कोयला उद्योग के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न कोयला कम्पनियों के प्रबन्धन के प्रतिनिधियों सहित एक संयुक्त त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है । ट्रेड यूनियनों से अनेक ज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं और उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है ।"

पुन: माननीय सदस्य श्री अनिल बसु के प्रश्न संख्या 7529 के इस प्रश्न के उत्तर में कि सार्वजनिक उद्यमों के ब्यूरो के अन्तर्गत कितने उद्योगों में पिछले तीन वर्षों से मजदूरी में संशोधन करने से इंकार कर दिया गया है । श्री थुंगन ने कहा था कि ऐसे कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नहीं हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से अपने कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन करने से इंकार किया हो ।

मैंने प्रश्न संख्या 7529 के उत्तर में यह सिद्ध कर दिया है कि, पिछले दस वर्षों से 'बर्न स्टैंडर्ड रीफैक्टरी ग्रुप' में मजदूरी में कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

पुन: उद्योग मंत्री ने कहा था कि मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मजदूरी में संशोधन करने सम्बन्धी समझौते की अवधि 31.12.91 को समाप्त हो गयी थी । इन सार्व-

जनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धन को परामर्श दिया गया है कि वे अपनी मजदूर यूनियनों के साथ तब तक किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करें जब तक कि सरकार मजदूरी समझौते के पांचवें दौरे के लिए एक नयी मजदूरी नीति नहीं बना लेती ।

महोदय, क्या मामला है ?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री हाराधन राय जी, और भी कई वक्ता हैं । उन्हें भी बोलने का अवसर दीजिए ।

***श्री हाराधान राय** : महोदय, 2 लाख 65 हजार लघु और मध्यम उद्योग रुग्ण होने के कारण बन्द होने को हैं अत: उन एककों को कौन संभालेगा ? निजी क्षेत्रों द्वारा इन्हें खरीद लिया गया है । ये इकाइयां भी बंद हो जायेंगी यद्यपि जनता का 8, 10 करोड़ से भी अधिक पैसा इनमें फंसा हुआ है । हमें यह विचार करना है कि इन्हें कैसे बचाया जाये । कल माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मारुति उद्योग की घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था । अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों के सम्बन्ध में सरकार कौन से कदम उठा रही है। इसी प्रकार से सभा के 50, 60 सदस्यों ने भारती भारती उद्योग निगम के अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के पास ज्ञापन भेजा है । परन्तु सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने से भी इंकार कर दिया । जब मैं कलकत्ता से आ रहा था तब मैंने बोकारो इस्पात संयंत्र के एक और बड़े अधिकारी को रेलवे के डिब्बे में शराब पिये हुए देखा था।

महोदय, मैं श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों का विरोध करता हूं साथ ही सरकार से अपील करता हूं कि वह इन रुग्ण इकाइयों की पुर्नस्थापना और इन्हें पुन: चालू करने के लिए कुछ कारगर कदम उठायें ताकि मजदूरों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े और उनकी छंटनी नहीं की जाये। श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों का विरोध करने के पश्चात मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, सबसे पहले मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

मैं सभा का ध्यान इस देश के असंगठित श्रमिकों की कुछ गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । देश में कुल श्रमिकों में से नब्बे प्रतिशत से भी अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। जब कि श्रमिकों के हितों के लिए देश में काफी आन्दोलन इत्यादि किये जाते हैं, दुर्भाग्य से यह सब कुछ 10 प्रतिशत से भी कम संगठित क्षेत्र के लिए किया जाता है। यह असंगठित श्रमिक मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्यरत हैं । मैं इन असंगठित श्रमिकों के कुछ क्षेत्रों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उनमें से एक महिला श्रमिक है। महिला श्रमिक देश में सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों के वर्ग में आती हैं और उन पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। जो महिलाएं खेतिहर मजदूर अथवा सिर पर बोझा ढोने का काम करती हैं अथवा

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

निर्माण कार्यों में श्रमिक का काम करती हैं उन्हें पुरुषों के समान वेतन और भत्ते नहीं दिये जाते। यहां तक कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं को उपलब्ध प्रसवावकाश और अन्य सुविधायें भी मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को नहीं दी जाती ।

देश के बड़े शहरों में अधिकांश झुग्गी-झोंपड़ियां गांवों से शहरों में बसने वाले असंगठित श्रमिकों द्वारा बनाई गई हैं। अतएव मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि श्रम और शहरी विकास विभाग को झुग्गी-झोंपड़ी वाले इलाकों के सुधार के लिए विशेष रुचि दिखानी चाहिए।

इसी तरह से फैक्ट्रियों आदि की तरह संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को जो अधिकार और संरक्षण प्राप्त हैं महिला श्रमिकों को भी वही अधिकार और संरक्षण दिया जाना चाहिए।

बाल श्रमिकों के मुद्दे पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम शिवकाशी अथवा हिमाचल प्रदेश की कुछेक मिलों में जाकर देखें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि वहां पर बच्चे रात और दिन काम कर रहे हैं। यद्यपि इस बारे में कई नियम और विनियम बने हैं लेकिन हम यह देख सकते हैं कि ये सभी नियम और विनियम वहां लागू नहीं किये जाते। जिन परिवारों में मां-बाप को दो जून का भोजन जुटाने में कठिनाई होती है तो वे अपने बच्चों को काम पर भेज देते हैं। मैं मछुआरा समुदाय से संबंधित हूं और हमने देखा है कि मछुआरा समुदाय के ज्यादातर बच्चे विद्यालयों में नहीं जा सकते। इसलिए मैं सोचता हूं कि इन नियमों और विनियमों की बजाय सरकार को इस मामले में विशेष रुचि दिखानी चाहिए। चर्च, हिन्दु संगठनों और मुस्लिम संगठनों को एकजुट करने के प्रयास किये जाने चाहिएं ताकि बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कदम उठाये जा सकें।

अगली बात निर्माण कार्यों मे लगे श्रमिकों से संबंधित है। इस देश के सभी शहरों में हम ऐसे हजारों महिला और पुरुष श्रमिकों को देख सकते हैं जोकि रात और दिन मेहनत करते हैं, बड़ी-बड़ी इमारतों, सुन्दर भवनों के निर्माण कार्य में अपना खून और पसीना बहाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी नियति क्या है ? बोनस उन्हें नहीं मिलता। स्थायी रोजगार उन्हें नहीं मिलता। उन्हें वे दूसरे लाभ भी नहीं मिलते जोकि फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलते हैं। इस तरह के कुछ नियम और विनियम बनाये जाने चाहिए जिससे निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को भी लाभ मिल सकें, विशेषकर उन दिनों में जबकि उनके पास कोई काम नहीं होता। केरल में हमने निर्माण श्रमिक कल्याण कोष बनाया हुआ है ताकि जब कभी इन श्रमिकों को पर्याप्त काम नहीं मिलता तो यह कल्याण कोष निर्माण श्रमिकों के काम आता है। सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों का भी यही हाल है। वे इस देश के सर्वाधिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राय: समाज में उनको उचित सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वे बोझा ढोने के लिए रात-दिन इंतजार में रहते हैं। जब कभी उन्हें कोई काम मिलता है तो अकसर वे कुछ अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। इससे समाज उन्हें असामाजिक तत्व का करार देता है। केवल निर्धनता और भुखमरी ने उन्हें इस विशेष अवस्था में ला खड़ा किया है। इसलिए सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। घरों में आया के रूप में काम

करने वालों की भी यही हालत है। घरों में नौकर और आया के रूप में काम करने वालों की संख्या भी हजारों में है। उनके कल्याण की कौन परवाह करता है ? हम यह नहीं जानते कि देश में उनकी कुल संख्या कितनी है। कम आयु के लड़के और लड़कियां जो कि घरों में नौकर व आया का काम कर रहे हैं, उनके हित में भी कोई गंभीर कदम उठाये जाने चाहिएं।

देश में एक राष्ट्रीय वेतन नीति होनी चाहिए। भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से श्रम संबंधी विषय समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है। राज्यों और केन्द्र दोनों को ही श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए। लेकिन देश में कोई भी राष्ट्रव्यापी न्यूनतम मजदूरी नीति नहीं बनाई गई है। कई राज्यों में, यदि न्यूनतम मजदूरी संबंधी नियम बनाये भी गये हैं, तो उन्हें लागू नहीं किया जाता।

मेरा यह सुझाव है कि केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए ताकि विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय वेतन नीति संबंधी एक राष्ट्रव्यापी नीति तैयार की जा सके।

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में इस सभा में अनेकों बार चर्चाएं होती रही हैं। इस बारे में अनेकों प्रश्न उठाये गये हैं कि क्या यह भागीदारी योजना विकास कार्यों के लिये है अथवा निचले स्तर के कार्यों के लिए अथवा श्रमिकों की यह भागीदारी उच्चतम प्रबंधकीय स्तर पर है। हमने कई बातों पर चर्चा की है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने में श्रमिकों की भी सुनवायी होनी चाहिए। लेकिन प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का यह अर्थ नहीं है कि इससे ट्रेड युनियनों का किसी प्रकार का बहिष्कार होगा। ट्रेड युनियन इस देश में सामाजिक और राजनैतिक दोनों प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। एक ओर जहां ट्रेड युनियन श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं, वहां दूसरी तरफ देश में राजनैतिक विचारधारा में परिवर्तन लाने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ट्रेड युनियनों ने इस देश के राजनैतिक भविष्य को दिशा प्रदान करने में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केरल के बारे में एक और बात भी कहना चाहता हूं। मैं आप्रवासन नियमों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन नियमों को आसान बनाया जाना चाहिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वर्तमान प्रवास नीति के अन्तर्गत उन्हें दण्डित किया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस बारे में साधारण नियम होने चाहिएं।

हमारे देश से बहुत से लोग विदेशों में जा रहे हैं। ऐसी भी कुछ एजेंसियां हैं जो मानव संसाधन को बाहर भेजती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक भर्ती एजेंसियां भी कार्यरत हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र केरल से बहुत से लोग दिल्ली में आते हैं जो कि एजेंटों को दस हजार से बीस हजार रुपए की रकम चुका कर आते हैं। उन्हें ठगा जा रहा है। इस मामले के बारे में मैं स्वयं भी माननीय मंत्री जी के पास कई बार आ चुका हूं। कोई न कोई नियम और विनियम इस बारे में अवश्य ही बनाए जाने चाहिएं।

मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकारें यह कार्य अपने हाथ में ले सकती हैं जिससे कि श्रमिकों, कुशल मजदूरों, प्लम्बर और निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों आदि को, जिनकी खाड़ी देशों को आवश्यकता है, उचित माध्यम से भेजा जा सके निजी एजेंसियां जो कि घूस देकर अपना पंजीकरण करवा लेती हैं, इन गरीब लोगों को ठग रही हैं। केन्द्र सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि यह देखें कि ऐसी एजेंसियां, जो कि लोगों को भर्ती करती हैं, को सही रास्ते पर लाया जा सके और उन पर उचित ढंग से नियंत्रण रखा जा सके जिससे वे लोगों की सही सेवा कर सकें।

महोदय, केरल के श्रमिकों की बात करते हुए मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि प्राय: केरल के श्रमिकों को केरल के बाहर यह मानकर सम्मान नहीं दिया जाता कि ये लोग उग्रवादी हैं। लेकिन केरल के अन्दर श्रमिक अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति सचेत हैं। महोदय, हमारे राज्य में श्रमिकों की हड़ताल के कारण कार्यदिवसों की हानि देश के अन्यत्र राज्यों की अपेक्षाकृत बहुत कम है। जब कभी भी श्रमिकों का प्रबन्धन के साथ कोई समझौता हुआ है, केरल के श्रमिकों ने उस समझौते को सैद्धान्तिक तौर पर और व्यावहारिक तौर पर दोनों तरह से निभाया है। यदि केन्द्र सरकार गत एक वर्ष के दौरान केरल में हुई श्रमिक हड़तालों पर नजर डाले तो यह देखा जा सकता है कि यहां पर सबसे कम हड़तालें हुई हैं।

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का एक बार फ़िर से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नरेश कुमार बालियान (मुजफ्फरनगर) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था, तब इस देश का प्रत्येक घर निर्माणशाला था। विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं बाहर के देशों को निर्यात की जाती थीं और दुनिया से सोना, चांदी, हीरे-जवाहारात और बहुमूल्य वस्तुएं यहां आती थी। इस स्थिति को पुन: स्थापित करने के लिए भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में प्रत्येक हाथ को काम का प्रस्ताव था। किन्तु हमारे इस बजट में बेकारों की संख्या लाखों से करोड़ों तक ले जाने की व्यवस्था तो है किन्तु संविधान के नीति निर्देशक अध्याय में वर्णित काम को व्यक्ति का मूल अधिकार के रूप में स्थापित करने का कोई संकल्प नहीं है। परिणामस्वरूप 1990 में लगभग 4 करोड़ पंजीकृत बेरोजगार थे जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में नहीं थे उनकी संख्या और अधिक थी जिस का अर्थ है करीब 10 करोड़ लोग ऐसे थे जो काम के लिए दर-दर भटक रहे थे जबकि देश के समस्त रोजगार कार्यालयों में लगभग दो लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जो ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत को चरितार्थ करता है।

इसी वर्ष मेरे जनपद मुज्फ़रनगर में 30 स्थान लेखापालों के लिए विज्ञापित हुए जिस के लिए 12 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया और लिखित परीक्षा में भाग लिया जिसमें एम० ए०, एम०एस०सी०, एम० काम० तक योग्यता के आवेदक थे। ये भयंकर और विस्फोटक स्थिति है जो रोजगार की जटिल होती समस्या को प्रदर्शित करती है।

मेरे ही जनपद में 1974 के बी० टी० सी० उत्तीर्ण नवयुवक हैं जिन्हें आज तक काम नहीं मिला है और इन अनुदान मांगों के परिपेक्ष्य को देखने से लगता है कि उन्हें इस प्रशिक्षण का कोई लाभ जीवन-पर्यन्त मिलने वाला नहीं है। फ़िर किस आधार पर इन अनुदान मांगों का समर्थन किया जाए।

महोदय, पिछले दिनों कुवैत, दूतावास के एक जिम्मेदार अधिकारी से मेरी वार्ता हुई मैंने उससे पूछा कि "माया" एवं "इण्डिया टूडे" में जो भारतीय महिलाओं के कुवैत में उत्पीड़न और शोषण के सामाचार आये दिन छपते हैं उनमें क्या सच्चाई है, तो उनका कहना था कि इस देश में क्योंकि रोजगार का अभाव है, यहां के लोग नारकीय परिस्थितियों में इस कारण फ़ंसते हैं कि यहां रोजगार के अवसर कम है और रोजगार प्राप्त करने की मृग-मरीचिका में फ़ंस कर वे गरीब स्त्री-पुरुष अपना सब कुछ दाव पर लगा कर अनाधिकृत तौर पर सब प्रकार के कानूनों का उल्लंघन कर वहां जाते है और वहां के धन्ना सेठ हमारी इस मजबूरी का अत्यधिक शोषण करते हैं और लाभ उठाते हैं।

क्या यह हालात देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकेंगे? नहीं, इस अपमान से निकलने का एक ही मार्ग है, देश में नये-नये रोजगारों के अवसर पैदा करना, खाली, योग्य, इच्छुक परिश्रमी हाथों को काम देना, जो इस बजट एवं श्रम अनुदान मांगों में लक्षित नहीं है।

देश में कुशल रोजगारों की तो और भी शोचनीय दशा है। जितने रुपए उनके घर वालों ने अनेक कठिनाइयां उठाकर उन्हें प्रशिक्षित करने में व्यय किए थे, उसकी वापसी का तो सवाल ही नहीं, अपितु घोर निराशा सारे परिवार पर छाई है। जितना धन यह छात्र छात्रावासों में अपने पर व्यय करते थे, प्राइवेट उद्योग धन्धों में उन्हें उतना भी प्राप्त नहीं होता है। एक इंजीनियर ओवरसियर के वेतन में काम करने को बाध्य है, मजबूर है। क्या इन अनुदान मांगों में लोगों को इससे छुटकारा दिलाने की कोई व्यवस्था है।

क्या दहेज के दानव से स्त्री समाज को मुक्ति दिलाने का बजट में कोई प्रावधान है? क्या प्रशिक्षित या अप्रशिक्षत महिलाओं को रोजगार की इस श्रम अनुदान मांगों में कोई योजना है? यदि नहीं तो फिर स्त्री समाज कैसे स्वावलम्बी बनेगा। आर्थिक निर्भरता ही इस उत्पीड़न का, पाप का मूल कारण है।

वनवासी, आदिवासी, गिरीजनों को रोजगार के लिए कोई व्यवस्था न होने से कैसे वहां तक रामराज्य जायेगा? ऐसे लोगों का शोषण निरन्तर जारी रहेगा। इन दशाओं में समाज में

समता कैसे आयेगी? अतः यह बजट देश को खुशहाली की ओर कैसे ले जायेगा, जब दो हाथों को काम देने की व्यवस्था इसमें नहीं है ?

नई औद्योगिक नीति से परिलक्षित होता है कि बड़े पैमाने पर श्रमिकों की छंटनी होगी। रेलवे जैसे विराट विशाल संस्थान में भी छंटनी की व्यापक अफ़वाह जारी है। हालांकि इसका खंडन कई बार किया जा चुका है। नये स्वचालित उद्योगों में नये रोजगार की बहुत ही कम सम्भावना है जबकि प्रतियोगिता में न ठहर पाने के कारण अनेक छोटे, कुटीर उद्योग बन्द हो जायेंगे और लाखों मजदूरों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा । इस सम्भावना से आज कोई भी इन्कार नहीं करता है।

बढ़ी मंहगाई एवं रूपए के अवमूल्यन से इस कठिनाई को और जटिलता प्रदान कर दी है। एक तरफ़ रोजगार नहीं, दूसरी तरफ़ प्राप्त मजदूरी का बाजार मूल्य कम हो रहा है, क्रय शक्ति घट रही है, फ़िर कैसे समाज एवं देश खुशहाल होगा? स्वचालित उद्योगों में रोजगार का सृजन कैसे होगा ? पेप्सीकोला इसका एक आदर्श उदाहरण है । जब इस कम्पनी ने अपना प्रोजैक्ट दिया था तो 50 हजार लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था जिसकी पूर्ति मात्र 489 लोगों को रोजगार देकर हुई और इस कम्पनी के कारण अनेक छोटे लघु कुटीर उद्योग चौपट हो रहे हैं । हजारों लोगों का काम बन्द होने से अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इस प्रकार यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि बड़ी मछली अनेक छोटी मछलियों को अपना भोजन बनाकर समाप्त कर देती है।

साथ ही यह तो पूरे तौर पर माना जा रहा है कि इस बजट में सरकारी सेवाओं में कोई नई भर्ती नहीं होगी। फ़िर कैसे देश आगे बढ़ेगा? करोड़ों नवयुवकों का क्या होगा, उनका इस बजट में क्या भविष्य है?

अतः यह बजट और श्रम अनुदान मांगें जनविरोधी हैं, श्रमिक विरोधी हैं। यह नवयुवकों में घोर निराशा उत्पन्न करने वाला है। बेरोजगारी बढ़ाने वाला है, देश में रोजगार के अवसर कम करने वाला है, स्वदेशी के स्थान पर विदेशमुखी है, मंहगाई बढ़ाने वाला है। इस प्रकार इस देश के नागरिकों के जीवन स्तर को गिराने वाला है और इससे देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर मैं सदन से इसे अस्वीकार करने का निवेदन करता हूं। [अनुवाद]

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं सरकार की इन मांगों का समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार भी रखना चाहता हूं।

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

दुर्भाग्य की बात यह है कि वे साम्यवादी लोग जो कि इस बात का दावा करते हैं कि वे श्रमिक वर्ग की भलाई के लिए ही बने हैं, इस चर्चा के दौरान सभा में उपस्थित नहीं है।

श्रमिकों के साथ अच्छे व्यवहार को लेकर मैं यह कहना चाहूंगा कि श्रम कल्याण मंत्री मेरी बात को ध्यान से सुनें। मंत्री जी ने इयर-फ़ोन नहीं लगाया हुआ है और वह मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनें। मंत्री जी कृपया इयर-फोन लगा लें और मेरी बात पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि मंत्री जी तमिल भाषा को समझ रहे हैं।

श्री सी० के० कुपुस्वामी : जी नहीं महोदय! मैं समझता हूं कि वह तमिल भाषा में कही गई कोई बात भी नहीं समझ रहे हैं और मंत्री महोदय मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं एक बार फ़िर यही कहना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि अब जब हम श्रम-कल्याण पर चर्चा कर रहे हैं, तो साम्यवादी यहां उपस्थित नहीं है।

मैं इस समय कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। साम्यवादी इस निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विजयी हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद लगातार तीन बार मैंने साम्यवादियों को पराजित किया है। ये साम्यवादी लोग जोकि मई दिवस को पर्व के रूप में मनाते है और समस्त विश्व के श्रमिकों को एक हो जाने का आह्वान करते हैं, वे लोग स्वयं इस समय चर्चा में उपस्थित न होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। मेरा अभिप्राय केवल दो साम्यवादी दलों से ही है न कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अन्य दलों से। अन्य दलों का इस समय यहाँ उपस्थित होना अथवा उपस्थित न होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं इस बात को बड़े ही दुख के साथ कहना चाहूंगा कि साम्यवादी इस समय उपस्थित नहीं है। इन दलों से केवल एक सदस्य ही यहां उपस्थित है। इन दलों से एक और सदस्य भी इस सभा में उपस्थित है और वह अपने हाथ भी उठा रहे हैं।

मैं वलपराई, कुन्नूर और ऊंटी के विभिन्न चाय बागानों में पौध लगाने वाले श्रमिकों की दयनीय दशा से भी सरकार तथा इस सभा को अवगत कराना चाहता हूं इन चाय बागानों में काम करने वाले अधिकतर श्रमिक बंधुआ मजदूरों की तरह से रहते हैं और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ किये जाने की आवश्यकता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि सरकार को इस बात पर यथासंभव शीघ्र ध्यान देना चाहिए क्योंकि वलपराई चाय बागानों में जो लोग काम करते हैं उनमें 90 प्रतिशत से भी अधिक अनुसूचित जाति वर्गों से संबंधित हैं। टाटा और बिरला जैसे बड़े-बड़े औद्योगिक घरानें और धनाढ्य परिवार बहुत से चाय बागानों के मालिक हैं। ये लोग इनमें से बहुत अधिक श्रमिकों को अपने इन बागानों में लगाये रखते हैं लेकिन उन्हें कम मजदूरी देते हैं। भले ही हमारे देश को स्वतन्त्र हुए इतने वर्ष हो गये हैं तथापि इन श्रमिकों को इन सामन्त-

कारी बागान प्रबन्धनों के चंगुल से मुक्ति दिलाना अभी भी बाकी है। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इन स्थानों पर श्रमिक वर्ग की जो दयनीय स्थिति है, उस पर ध्यान दिया जाये। मेरा मंत्रालय से भी अनुरोध है कि इस बात को निजी तौर पर लेकर इस बारे में यथा संभव प्रयास किए जाए कि जो श्रमिक वहां पर खून पसीना बहा रहे हैं, वे बेहतर जीवन यापन कर सकें। इन श्रमिकों को ई०एस० आई० और पी० एफ़० सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ज्यादातर श्रमिकों को वे सुविधाएं नहीं मिली हैं जोकि सरकार ने प्रयास कर और कानून बना कर उनके लिए निश्चित की हैं। हमारे महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की विचारधारा तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापार संघ ने इनके लिए काफ़ी कुछ कार्य किया। आज तो बहुत से व्यापार संघ बन गये हैं। इनमें से बहुत से तो पहले के व्यापार संघों से पनपे हैं जोकि उस महान राष्ट्रवादी आंदोलन—उस कांग्रेस द्वारा बनाये गये थे जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए इन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों के साथ मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इन श्रमिकों को, जोकि बंधुआ मजदूरों की तरह से रह रहे हैं, मुक्त कराने के लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहियें। स्वतंत्रता के 45 वर्ष बाद की सरकार की ओर से उनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए उनकी ओर उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

खेतिहर मजदूर जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं मैं उन पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए तथा यह राष्ट्रीय नीति पर आधारित होनी चाहिए। यह पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। अलग-अलग राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में अत्यधिक अन्तर की स्थिति को हमें मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। ये खेतीहर मजदूर असंगठित क्षेत्र का एक भाग हैं। उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम और सामान्य भविष्य निधि की सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इस संबंध में ऐसा कानून है कि जिन स्थानों पर 20 से अधिक कामगार कार्यरत हैं उनके लिए सामान्य भविष्य निधि सुविधा होनी चाहिए। परन्तु खेतीहर मजदूरों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। मैं इस कमी को सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। ऐसा कारखानों में भी होता है। श्रम निरीक्षक जिनसे कि यह अपेक्षा की जाती है कि वे मजदूरों के हितलाभ सुनिश्चित करें वे नियोक्ता के साथ मिलकर कुछ और ही कर देते हैं। वे लालची नियोक्ताओं से पैसा लेते हैं और यह घोषणा कर देते हैं कि अमुक नियोक्ता ने केवल 15 या 18 कर्मचारी नियुक्त किए हैं हालांकि उसने 20 से 25 कर्मचारी तक नियुक्त किए हुए होते हैं यह भ्रष्ट तरीका अनेक राज्यों में आम बात है तथा यह किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं है। मैं इस बात को सरकार के ध्यान में लाना अपना कर्तव्य समझता हूं।

मैं सरकार का ध्यान निर्माण मजदूरों की दशा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वे हमारे अनेक शहरों में अनके गगनचुम्बी इमारतें बनाते हैं। वे आवासीय ढांचों को बनाने वाले वास्तविक वास्तुकार हैं। परन्तु इन भवन निर्माण मजदूरों को सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ऐसे बहुत से निर्माण कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत से चिकित्सा सुविधाएं अथवा भविष्यनिधि अधिनियम सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। सरकार को पूरे देश में निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक कल्याण उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए।

मैंने सरकार का ध्यान कई अवसरों पर उन कपड़ा मिलों के मजदूरों की दशा की ओर आकर्षित किया है जो बंद हो गई हैं। अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बटूर में ही आठ कपड़ा मिलें जो कि बंद हो गई हैं उन्हें अभी अपनी औद्योगिक गतिविधि आरंभ करनी है। बसंत और राधा कृष्ण जैसी मिलें पिछले 6 वर्षों तक बंद रही जिससे 10 से 15 हजार कर्मचारी बेकार हो गए। ये सभी पीड़ित लोग अभी उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जिस दिन इनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। यहां तक कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार को उन मिलों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैं श्रम मंत्री से इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

दूसरी बात यह है कि मैं मेत्तूर स्थित 'मालकों' के कामगारों की सोचनीय दशा का उल्लेख करना चाहूंगा जहां तक सलेम जिले का संबंध है यह एक बड़ी औद्योगिक इकाई है जिसमें लगभग 2500 कामगार हैं तथा पिछले कई महीनों से यह इकाई निरन्तर बंद रही है। यह बात सुखद है कि बी० आई० एफ० आर० जांच कर रही है। वह भी पिछले काफी समय से लंबित पड़ी हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मजदूरों के फायदे के लिए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए। ऐसा कहा गया है कि बी० आई० एफ० आर० किसी भी यूनिट के बंद हो जाने से मजदूरों को होने वाली समस्याओं को ध्यान में नहीं रखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उस इकाई को कामगार वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने हाथ में ले ले। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि "मालको" रुग्ण इकाई को सरकार अपने हाथ में ले ले और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस संबंध में आश्वासन दें। इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे न्यायिक रूप से उन औद्योगिक इकाइयों का पता लगाने में अनियमितताओं को दूर करें जिनमें 20 या उससे अधिक संख्या में कामगार कार्यरत हैं ताकि उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। मैं श्रम मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि बेईमान नियोक्ताओं द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन न होने पाए। मैं जहां कहीं भी जाता हूं मुझे इस संबंध में अनेक कामगारों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र और मेरे गृह नगर तिरूपुर का संबंध है वहां पर यह समस्या काफी ज्वलंत है। तिरूपुर प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये मूल्य के बुने हुए सिले-सिलाए वस्त्रों और बनियानों का निर्यात करता है। केवल तिरूपुर कस्बे में ही लगभग 75 हजार बुनाई उद्योग कामगार वहां पर स्थित हजारों इकाइयों में कार्यरत हैं। उनमें से अधिकांश ठेका मजदूर हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि उन्हें स्थाई कामगार बनाया जाए और उन्हें मजदूर कल्याण उपायों का लाभ मिले। मजदूर आयुक्तों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव हो तथा कामगारों के लाभ के लिए बने मौजूदा कानूनों को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाए।

ठेका मजदूर प्रणाली को नियमित करने के कई उदाहरण मौजूद हैं। रेलवे, नागर विमानन तथा डाक-तार विभागों में कर्मचारियों की भलाई के लिए ऐसे परिवर्तन हुए हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह "होजरी उद्योग" के कामगारों को स्थाई करने के लिए कदम उठाए।

मैं आपका ध्यान शिवकाशी में मुद्रण उद्योग के सामने आए संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । कार्य संविदा प्रणाली पर भारी कर लगाए गए हैं । इससे वहां पर वर्षों से स्थापित मुद्रण उद्योग पर प्रभाव पड़ता है । कुछ इकाइयों के बंद होने और विस्थापित होने के कारण अन्ततः कामगारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। केवल कामगारों को ही नहीं बल्कि हजारों परिवार जो अपनी आजिविका के लिए मुद्रण उद्योग पर निर्भर हैं इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । ठेका कार्य पर कर लगाने के बजाय सरकार को ऐसी इकाइयों के प्रबंधन पर औद्योगिक कामगारों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए दबाव डालना चाहिए । औद्योगिक कामगारों और बागान कामगारों की शिक्षा संबंधी जरूरतों पर ठोस तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए । यदि कामगारों के बच्चे प्रतिभावान हैं तो उन्हें डाक्टर या इंजीनियर बनने के अवसर मिलने चाहिए । मैं मंत्री महोदय से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं तथा यह भी अनुरोध करता हूं कि कामगारों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए ।

मैंने सरकार का ध्यान पहले भी खेतीहर मजदूरों की दशा की ओर आकर्षित किया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्तर्गत नही लाया गया है तथा स्थिति निराशाजनक है और यह बदतर होती जा रही है। वे राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी मात्रा में अंशदान करते हैं। अतः हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम खेतीहर मजदूरों को मान्यता दें और उन्हें उचित प्रोत्साहन दें । उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन एवं भविष्यनिधि योजनाओं के जरिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

मैंने मजदूर कल्याण से संबंधित अपने सभी विचारों को सुस्पष्ट रूप से सामने रख दिया है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया और साथ ही मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्रीमति सरोज दुबे (इलाहाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं । श्रम मंत्रालय को अनुदान मांगों का मैं विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं क्योंकि वर्तमान सरकार की सभी विरोधी नीति इस देश के मजदूर के सिर पर कच्चे धागे से बंधी तलवार के समान लटक रही है । इस वजह से मजदूर जो पहले ही अभाव में जी रहा था, आज वह अपने भविष्य के प्रति आशंकित हो रहा है और इधर-उधर भटक रहा है और आन्दोलन की राह पकड़ना चाहता है। श्रमिक वह इन्सान है जो अपना पेट भरने की खातिर अपना श्रम बेचता है और दिनभर मेहनत करके इस देश के लिए उत्पादन करता है। लेकिन भारत का मजदूर वह इन्सान है जो दिन भर मेहनत करता है और शाम को जब वह अपने घर जाता है तो देखता है कि गरीबी के कारण उसके बच्चे भूखे रह गए और दिन भर की मेहनत के बाद वह खुद भूखा रह जाता है । किसी भी देश की तरक्की उसके उत्पादन पर निर्भर रहती है और उसका उत्पादन सही ढंग से तभी होता है जब मालिक और मजदूरों के मधुर रिश्ते होते हैं और मजदूरों को उनके परिश्रम का सही पारिश्रमिक मिलता रहता है । लेकिन जब मजदूर को सही वेतन नहीं मिलता है और वह देखता है कि वह भूखा है, उसका परिवार भूखा है दिन भर तपती धूप में और जलती

हुई भट्टी के सामने वह काम करता है लेकिन जब वह घर जाता है तो उसके बीमार बच्चे को देने के लिए दवा नहीं होती है, स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं और दूसरी तरफ उसके श्रम से और रात दिन खून पसीने की आमदनी से उसका मालिक पूंजीपति एयर कंडीशन रूम में डनलप के गद्दे पर बैठे हुए अपने कुत्ते को मलाई और दूध पिला रहा होता है और उस मेहनतकश गरीब मजदूर का बच्चा दवा के अभाव में दम तोड़ देता है। जब इस तरह की विषमताएं पैदा होती हैं तब मजदूर के मन में आक्रोश पैदा होता है और जब आक्रोश पैदा हो जाता है तो करोड़ों हाथ जो देश के उत्पादन में लगे होते हैं वे तोड़–फोड़ में लग जाते हैं, देश का उत्पादन कम होने लगता है और देश की तरक्की में अवरोध पैदा हो जाता है। संगठित मजदूर तो अपनी मांगों को संगठित होकर मनवा लेते हैं, लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं वे गरीबी, अज्ञानता और अशिक्षा तथा रोजगार के अभाव के कारण मालिकों के जुल्म को बराबर सहते रहते हैं। उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। वे आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने अगर आवाज उठाई तो उन्हें काम से निकाल दिया जायेगा और कल ही वे सड़क पर आ जायेंगे। उसके सामने फिर से रोटी के लाले पड़ जायेंगे, मजबूर हो जुल्म सहते रहते हैं।

सबसे ज्यादा दयनीय हालत और असंगठित क्षेत्र बाल श्रमिकों और महिला श्रमिकों की है। समान वेतन और समान काम का अधिनियम बना हुआ है, कानून बने उसे एक जमाना हो गया। लेकिन आज भी गांवों में खेतीहर महिला मजदूर, जो कि पहले अपने घर का काम–काज करती हैं फिर वे खेतों में काम करने जुट जाती हैं और सारा दिन काम करती हैं। उसका दूधमुहां बच्चा किसी पेड़ के नीचे तपती धूप में रोता–बिलखता रहता है और उसकी देखभाल करने वाला दूसरा बच्चा स्वयं चार या पांच साल की उम्र का होता है। बच्चे का रुदण और क्रंदन उस महिला श्रमिक के कान में पहुंचता रहता है, लेकिन वह जानती है कि अगर काम नहीं करेगी तो शाम को उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए वह मन को पत्थर बना कर अपने बच्चे को रोता–बिलखता हुआ छोड़कर खेत में काम करती रहती है। परन्तु उसको अफसोस तब होता है जब वह शाम को काम करके निकलती है और उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती है वह पुरुषों के बराबर काम करती हैं लेकिन उसको दस–बारह रुपये ही मिलते हैं, जबकि उतना काम करने पर पुरुषों को पच्चीस से तीस रुपये तक मिलते हैं।

इसी तरह से अन्य संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। वे दिन भर खेतों व कारखानों में मेहनत करती हैं। इस कारण उनके भी बच्चे सड़क पर भटकते रहते हैं, जिन बच्चों के पढ़ने के दिन होते हैं, जिसको मां के लाड़–प्यार की जरूरत होती है। वह मासूम बच्चा अपने घर की चारपाई से बंधा अकेला रोता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ वही पूंजीपति जो महिलाओं से परिश्रम करा कर अपना बैंक बैलेंस बनाता है, अपने लिए सुख के साधन जुटा लेता है। यह भी नहीं होता कि वह श्रमिक महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु सदन या बाल निकेतन बनवा दे, महिलाओं के लिए विश्राम तथा अलग से शौचालय की स्थापना कर दे।

एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने वाली महिला श्रमिकों की दशा और भी दयनीय है। आपको ऐसी श्रमिक महिलायें सड़क बनाती हुई मिल जायेंगी। ऊंची–ऊंची इमारतों के निर्माण में ये महिला मजदूर आपको काम करती दिखाई देंगी। आप देखेंगे तो पायेंगे कि गर्भवती मातायें सिर पर बोझा

ढोते हुए मंजिलों पर चढ़ती-उतरती रहतीं हैं, जब प्रसव का समय आता है तो वहीं उस निर्माणाधीन भवन के किनारे या सड़क के किनारे गिट्टियों के ऊपर, खुले आसमान के नीचे बिना डाक्टर की मदद और अन्य देख-रेख के वे बच्चे को जन्म दे देतीं हैं। उसको इस बात की जल्दी रहती है कि उसे प्रसव से शीघ्र छुटकारा मिल जाए ताकि वह दूसरे दिन फिर काम पर चली जाये। क्योंकि वह जानती है कि अगर एक दिन काम पर नहीं गई तो उसके बच्चे और परिवार को रोटी के लाले पड़ जायेंगे। इस देश का भविष्य, इस देश के भावी नागरिक, देश की धरोहर सड़क के किनारे गिट्टियों पर जन्म ले रही है, जबकि मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 से बना हुआ है। मगर उसका लाभ जरूरतमंद माताओं को नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं के लिए समान वेतन, समान कानून अधिनियम बने हुए हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ये सब कानून कहां हैं? क्या केवल किताबों में रह गया है या लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाने के लिए हैं? ये आपके कानून कब इम्पलीमेंट होंगे? आज भारत वर्ष की आजादी को 44 साल हो गए लेकिन महिलाओं की दशा में कोई सुधार नहीं आया है। इस देश में आज भी महिलायें सिर पर मैला ढोने का काम करती चली आ रही हैं। उनको इस काम के महीने में कभी 10/- रुपये मिलते हैं और कभी 8/- रुपये मिलते हैं। स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सन् 1980 में कहा था कि "भंगी कष्ट मुक्ति योजना" की घोषणा कर कहा था कि 1990 तक इस योजना के अन्तर्गत हम मैला ढोने की घृणित प्रथा को समाप्त कर देंगे और तीन हजार रुपये अनुदान देकर शुष्क शौचालय घर-घर बनवाकर इस प्रथा को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे लेकिन कहां है वह योजना? आज भी दिल्ली की सड़क पर या अन्य जिलों में निकल जायें या गांवों में निकल जायें तो हमारी बहनें और उनके साथ उनके छोटे-छोटे बच्चे सिर पर मैला ढोते हुए दिखाई देते हैं और गन्दगी के बीच में पलते हुए दिख जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल लेबर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ अपवादों को छोड़कर इस तरह के मैला ढोने वाले लोगों के पास मकान के नाम पर केवल एक छोटी सी कोठरी या झोंपड़ी होती है और उनको वह स्थान कहां मिलता है—या तो कब्रिस्तान के बगल में या कूड़ा ढ़ेर के बगल में या नाले की बगल में। इस तरह की जिन्दगी हमारे देश के नागरिक जी रहें हैं केवल इसलिए कि इस देश में जो जरूरी चीजें हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चन्द लोगों ने इस देश में अपना हक बना लिया है और ऐश करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं और कुछ लोग इस देश में गरीब और दबे हुए श्रमिकों पर अपना-अपना आधिपत्य जमाकर उनका शोषण करते हैं तथा उन्हें जानवरों सी जिन्दगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि अब महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो गया, कृपया अब आप इस देश के नागरिकों को जन्म देने वाली माताओं के लिए एक केन्द्रीय मातृत्व कोष की स्थापना करें ताकि जो इस तरह की असंगठित महिला मजदूर सड़क के किनारे या गरीबी के कारण स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रह कर बच्चों को जन्म देती हैं, ऐसी महिलाओं को प्रथम प्रसव में सहायता दी जानी चाहिए और इस देश में आने वाला नौनिहाल दूध और दवाई से वंचित न रह जाये। उस गरीब श्रमिक महिला को अपने मातृत्व का गौरव अनुभव करने का अहसास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सीवर लाईन बिछाने का तरीका और शौचालय बनाने का जो तरीका है उससे ऐसा नहीं लगता है कि इस देश में मैला ढोने की प्रथा से शीघ्र छुटकारा पाया जा सकेगा

इससे अधिक बदतर स्थिति हमारे देश के बाल श्रमिकों की है । पं० जवाहर लाल नेहरू, जो इस देश के औद्योगीकरण के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं देश के हर बच्चे की आंख में आने वाले कल की तस्वीर देखता हूं । आशावादी कल का आधार आज एक स्वस्थ्य और शिक्षित बालक है । बालक ही राष्ट्र होते हैं लेकिन अगर हम अपने बच्चों का बचपन देखें तो वे कूड़े के ढेर से जूठा बीनते हुए या अपने सुकोमल हाथों से तपती हुई भट्टी में काम करते हुए दिखाई देंगे लेकिन वे कोमल हाथ अपनी मां के गले का हार नहीं बन सकते हैं। उन बच्चों के हाथों पर श्रम की गहरी लकीरें खिचती जा रही हैं और पं० जवाहर लाल नेहरू जो उनकी आखों में सुनहरा भविष्य देखना चाहते थे, उन बच्चों की आंखों में आज अंधेरा और मायूसी छायी हुई है। आपने बाल श्रमिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कानून बनायें हैं लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में आज भी तीस करोड़ बच्चें हैं जिनमें चार करोड़ चवालिस लाख मजदूरी के काम में लगे हुए हैं । इस प्रकार भारत का हर सातवां बच्चा मजदूरी में लगा हुआ है । चाहे मिर्जापुर का कालीन उद्योग हो, चाहे फिरोजाबाद का कांच उद्योग हो, चाहे आतिशबाजी का काम हो, हर जगह बाल श्रमिकों का दुरुपयोग हो रहा है, कांच उद्योग में 1400 सेंटीग्रेड की तपती भट्टी के सामने 12 साल से 17 साल के बच्चे दिन में 12-12, 14-14 घण्टे काम करते हैं और उनकी आंखों में कोर्निया खराब हो जाता है और वे तपेदिक की बीमारी के शिकार हो जाते हैं । कालीन उद्योग में काम करने वाले बच्चों को रुई और धूल की वजह से तपेदिक हो जाती है और उनको कैंसर होने का डर रहता है । आतिशबाजी के उद्योग में शिवाकाशी में काम करने वाले बच्चों के साथ कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन आपने उस पर कभी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी । 14 घन्टे की विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए, बच्चे अपनी खिल-खिलाहट और हंसी को भूलकर और दुनियां से कट कर केवल इन फैक्ट्रियों में बंद हो कर रह जाते हैं । चाहे ताला उद्योग हो, चाहे बास बेयर उद्योग हो, चाहे कालीन उद्योग हो, हर जगह मजदूरों के बच्चों का शोषण हो रहा है और इन बच्चों का शोषण करने वाले लोग यह कहते हैं कि बच्चा ज्यादा काम कर लेता है क्योंकि वह थकता नहीं है । किसी भी ढाबे वाले या होटल वाले से पूछो कि यहां काम करने वाला मजदूर बच्चा क्यों होता है तो वह कहेगा कि वह ऊपर की मंजिलों में पचास चक्कर लगाकर चाय पहुंचा देता है फिर भी थकता नहीं है । इस प्रकार उसके बचपन में होटल वाले शोषण करते रहते हैं। बचपन उनके पढ़ने और खेलने के समय मेहनत करने के बाद उसे जब भूख लगती है तो होटल वाले की मार खाने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है और उनको चीथड़ों में लिपटाकर किसी तरह से जीने लायक बनाए रखा जाता है, कि वह उसके लायक बना रहे इस प्रकार उनका शोषण किया जाता है । मैं आप से पूछना चाहती हूं माननीय मंत्री जी कि आप कौनसी उद्योग नीति बनाना चाहते हैं, कौन सी श्रमिक नीति बनाना चाहते है ? कब इन लोगों की दशा में आप सुधार करना चाहते हैं ? कैसे इन बच्चों का जीवन सुधरेगा कभी इस बारे में आपने सोचा है ? पूंजीपतियों के चक्कर में गरीब के बच्चों की तरफ नहीं देख रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न की तरफ नहीं देख रहे हैं । मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ऐसा न हो कि इस देश की सताई हुई श्रमिक महिलाओं के जो आंसू हैं, वे तेजाब बन जाएं और इस देश की व्यवस्था को भस्म कर डालें । इसी तरह से इस देश में बंधुआ मजदूर की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है । कई बार कानून बनाए गए और घोषणा कर दी गई कि बंधुआ मजदूर प्रथा खत्म हो गई । 20-सूत्री कार्यक्रम में बंधुआ मजदूरों की मुक्ति की योजनाएं बनाई गई, इनके पुनर्वास की परियोजनाएं बनाई गई, इनकी पहचान की जाए, लेकिन आज भी

इस देश में उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, हर जगह बंधुआ मजदूर घूम रहे हैं और उनके पुनर्वास के नाम पर जो आपका फंड जाता है वह अधिकारियों की जेब में चला जाता है और अगर बंधुआ मजदूर एक बार किसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं तो फिर बेरोजगारी के डर से पुराने मालिकों के पास चले जाते हैं । इसी तरह से हमारे विदेश में जाने वाले जो श्रमिक लोग हैं, हमारी बहनों को गरीबी के कारण नौकरी के लालच में बहकाकर ले जाते हैं और जब वे वहां चली जाती हैं तो उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है और वे वहां पर नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं और कभी-कभी मुक्त होने के प्रयास में उनकी हत्या भी हो जाती है । जब वे अपने दूतावास में मदद के लिए जाती हैं तो उनको कोई मदद नहीं मिलती है इस पर भी आपको सोचना चाहिए ।

आपकी नयी औद्योगिक नीति ने, जिसने बड़े सुनहरे सपने इस देश को दिखाए हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपने जो नेशनल रिन्यूअल फंड बनाया है, यह नेशनल छंटनी फंड बन गया है । आप छंटनी के नाम पर इस देश के मजदूरों को बेरोजगार बना कर सड़क पर लाना चाहते हैं । आपने जो नई योजनाएं चलाई हैं—गोल्डन हैंड शेक और वालंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, इसकी आड़ में मजदूरों के साथ धोखा हो रहा है, कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है । जो वर्ल्ड बैंक ने 500 करोड़ रुपया दिया है, क्या इसलिए दिया है कि आप अपने देश के मजदूरों की छंटनी कर दें और उनको सड़क पर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दें ? आपके कौन से उद्योग क्यों रुग्ण अवस्था में चल रहे हैं ? क्या कभी ईमानदारी से बताने का प्रयास किया । रुग्ण अवस्था के उद्योगों के लिए आपने 58 रुग्ण अवस्था के उद्योगों को बी आई एफ आर को रेफर कर दिया है । बी आई एफ आर आप जानते हैं कि अपने आप में एक रुग्ण संस्था हो गई है क्योंकि इसमें जो सदस्य थे उनकी अवधि समाप्त हो गई है और वे स्थान खाली हैं 58 रुग्ण उद्योगों की रिपोर्ट बी आई एफ आर क्या शीघ्र दे पाएगी, यह सभी जानते हैं आप जब बी आई एफ आर में किसी उद्योग को रेफर कर देते हैं और उस उद्योग को मदद से अपना हाथ खींच लेते हैं तो वह उद्योग वैसे ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि हमारे ससदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलाहाबाद के टी एस एल और बी पी सी एल के जो उद्योग हैं, इनको बी आई एफ आर को रेफर कर दिया गया है । यह कभी जानने की कोशिश नहीं कि गई कि इन उद्योगों के रुग्ण अवस्था में पहुचने के क्या कारण हैं । खानापूरी करने के लिए आपने इनको रेफर कर दिया परिणामस्वरूप जितने भी काम के आर्डर उनको मिलने वाले थे सबने देने से इंकार कर दिया क्योंकि रुग्ण उद्योग को कोई आदमी काम देने को तैयार नहीं है ।

7.00 म०प्र०

आपने बी० आई० एफ० आर० के नाम पर इन संस्थाओ को मौत के वारंट थमा दिये हैं । मैं माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहती हूं कि आपको इन रुग्ण उद्योगों के कारणों में जाना चाहिए, उनके कारणों का पता लगाना चाहिए क्योंकि हर उद्योग के रुग्ण होने के कारण अलग-अलग होते हैं । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात आपको बताना चाहती हूं कि यदि भारत यंत्र निगम के तहत यदि आपने इन उद्योगो को न रखा होता (बी० पी० सी० एल० और टी० एस० एल०) तो ये उद्योग बीमार न होते, क्योंकि भारत यंत्र निगम आज एक ऐसी संस्था

बन गयी है जो अपने अण्डर छः उद्योगो को चला रही है, वह उन उद्योगो का शोषण कर रही है। वह डायरेक्ट कान्ट्रैक्ट लेती है और इसकी राजनीति की वजह से आधे उद्योगों को काम नहीं मिल पाता है। अधीनस्थ उद्योग 25 लाख रुपया महीना केवल इसलिए भारत यंत्र निगम को देते हैं क्योंकि यह भारत यंत्र निगम है और उसे इन उद्योगों की सुपरवाइजरी के लिए रखा गया है। उसमें आज जिस तरह की दुर्व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उसे आप देखने की कोशिश कीजिए।

माननीय मंत्री जी, अगर ये उद्योग बंद हो गये तो आप समझ लीजिए कि लाखों मजदूर बेकार हो जायेंगे। मैंने तो मात्र दो उद्योगो का नाम लिया है, इस तरह यदि बीसियों लाख मजदूर बेकार, बेरोजगार हो गये, छंटनी करके आपने उन्हें निकाल दिया, कम्पलसरी रिटायरमेंट के जरिये आप इनको निकाल देंगे तो इस देश में बेरोजगारों की भीड़ लग जाएगी। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण क्या इस देश में तूफान और आंधी नहीं आ जायेगी। क्या आप चाहते हैं कि इस देश के मजदूर, इस देश के नौजवान बेरोजगार बनकर घूमने लगें। आपको चाहिए कि एक नई राष्ट्रीय नीति इस देश में लागू करते और इस देश के बेरोजगारों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराते। आपने अपने घोषणा पत्र में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वचन दिया था, प्रावधान किया था। मेरे ख्याल से अभी तक कोई रोजगार देने की आपने योजना नहीं निकाली है बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो सारी नई भर्ती बंद कर दी गयी है। क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है।

मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब आप देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित कर रहे हैं, फिर आप रोजगार की व्यवस्था कहां से करेंगे क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने साथ कम्प्यूटर लायेंगी, अपने साथ नई तकनीक लायेंगी जिसमें मजदूरों के और हाथों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे कम्पनियां आपके देश में आयेंगी और आपके कुटीर उद्योगों को तथा परम्परागत हुनर वाले उद्योगो को नष्ट कर देंगी। इस देश का नौजवान, जिसके मां-बाप बड़े सुनहरे सपने संजोकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उस नौजवान के सभी सपने चकनाचूर हो जायेंगे। जिन कर्मचारियों को आप कम्पलसरी रिटायरमेंट दे देंगे, क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होने जो योजना 58 साल तक की बना रखी है, उनकी योजना चौपट नहीं हो जायेगी और पूरा देश निराशा के वातावरण में नहीं डूब जायेगा।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी आप अपनी नीतियों पर फिर से विचार कीजिए और पूंजीपतियो के चंगुल से बाहर निकल कर वास्तविकता के धरातल पर आ जाईये और देखिए कि इस देश का मेहनतकश मजदूर, उस राह पर चल रहा है जो कंटीली है। मखमली गद्दों की तरफ से अपनी निगाह हटाकर, चकाचौंध की दुनिया से हटकर जरा झुग्गी-झौंपड़ी की तरफ देखिए। जरा खेतों की तरफ देखिए। जरा हमारी पीड़ित श्रमिक बहनों की तरफ देखिये जो आज सड़कों के किनारे पड़ी हुई हैं। तब आपको स्वयं महसूस होगा कि आपकी सारी नीतियां अधूरी हैं और केवल मात्र दिखावा है। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि एक बार आप इस पर पुनर्विचार कीजिये। छंटनी की नीति को तुरन्त बंद कीजिए। इस देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करना बंद कीजिए और आपने जो देश में नई योजनाएं, जैसे रिन्यूअल

फण्ड और रूग्ण उद्योगों का नाटक शुरू कर रखा है, उसे बंद कीजिए, अपनी नीतियों पर फिर से विचार कीजिए तभी यह देश तरक्की कर सकेगा। इन शब्दों के साथ, मैं आपकी तमाम नीतियों का विरोध करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ और माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं। क्या हम बैठक का समय एक घण्टा और बढ़ा दें।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: समय एक घण्टा और बढ़ाया जाता है। जैसा कि अनेक माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं यदि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्हें निराशा होगी। इसलिए आज सदस्यों के भाषण समाप्त होने दें और माननीय मंत्री कल इसका उत्तर दे सकते हैं।

अब श्री द्वारकानाथ दास बोलेंगे।

श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्रम मंत्रालय के बारे में कुछ शब्द बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं प्रारंभ में ही इन अनुदान मांगों का विरोध करता हूं। मैं अपनी बातें बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा बल्कि समय की कमी के कारण मैं केवल उन्हें पढ़कर सुनाता हूं।

महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक असंगठित मजदूरों की स्थिति, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी तक अच्छी नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 ऐसे मजदूरों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को संरक्षित नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की बेरोजगारी है उदाहरण के लिए भूमिहीन बेरोजगारी, प्रच्छन बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प रोजगारी आदि। ग्रामीण मजदूरी पर अगस्त, 1987 में गठित राष्ट्रीय आयोग समस्या छोर को भी नहीं छू सकता है समस्या की तो बात ही क्या करनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का अंदाजा लगाना बहुत कठिन है क्योंकि 40 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। यद्यपि, सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं परन्तु ये प्रयास स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपने मजदूर संगठनों की स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग बहुत अधिक संख्या में असाधारण रूप से देहातों के गांवों में रह रहे हैं। इसलिए सरकार को वास्तविक ढंग से इस समस्या का सामना करने के लिए, निश्चय के साथ आगे आना चाहिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूरे देश में ऐसे मजदूरों के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण करवाया जाए। केवल तभी सरकार वस्तुस्थिति को जान पाएगी और समस्याओं को दूर करने के लिए समुचित उपाय कर सकेगी।

श्रम मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राज्य इसके आर्थिक क्षमता की सीमाओं के अन्तर्गत होंगे और विकास से कार्य, शिक्षा, बेरोजगारी

के मामले में सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता तथा अन्य अवांछित मामलों में अधिकार प्राप्त करने के लिए कारगर प्रावधान बनेंगे। परन्तु असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह सपनों की बात है और सामाजिक सुरक्षा उनके लिए एक कथा मात्र है।

ऐसा कहा गया है कि बंधुवा मजदूर प्रणाली (समापन) अधिनियम, 1976 के द्वारा बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु हाल ही में यह बात देखने में आई है कि केवल बिहार के पलामू जिले में ही बंधुआ मजदूरों की संख्या कम से कम एक लाख है।

ऐसा कहा गया है कि 1975-77 में सरकार द्वारा मुक्त कराए गए इन मजदूरों को वापिस उनके परम्परागत स्तर पर धकेल दिया गया है, सरकार ने मुक्त किए गए मजदूरों को खेती करने के लिए जमीन दी थी, परन्तु अधिकांश मामलों में उन्हें दी गई जमीन बंजर और पथरीली थी। वे इस पर खेती नहीं कर सके। न तो वे अपने श्रम को गांव में बेच सकते थे, जहां उनके मालिकों ने उन्हें **सरकारी जमाई** कहकर उनका सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। जीविकोपार्जन के अन्य साधन न होने के कारण इन मुक्त किए गए मजदूरों को मजबूरन अपने भूतपूर्व मालिकों के दरबार में **बंधुवा मजदूरी** स्वीकार करनी पड़ती थी।

देश के कुछ भागों में, एक अन्य प्रथा --'**देवदासी**' प्रथा प्रचलित है, जोकि एक अन्य किस्म की **बंधुवा मजदूरी** प्रतीत होती है, जिसे जितनी जल्दी संभव हो सके समाप्त किया जाना चाहिए।

ग्रामीण कामगार संगठन से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौता संख्या 141 को भारत ने अगस्त 1978 में असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों और उप श्रेणियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के उत्थान हेतु उनकी पहचान करने के लिए अनुसमर्थित किया था। यह योजना कुछ अवैतनिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को आवंटित कर आठ राज्यों में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को संगठित होने के लिए राजी करना तथा उन्हें उनके कल्याण हेतु बनाए गए कानूनों के बारे में जानकारी देना है। लेकिन यह योजना पहले ही अनेक राज्यों द्वारा परित्याग दी गई है। इस प्रकार यह योजना बुरी तरह असफल हुई है।

असम में, बेरोजगार कृषि श्रमिक असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं और क्योंकि असम औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ राज्य है, अतः अकुशल श्रमिक बल को उद्योगों की ओर नहीं मोड़ा जा सकता और इसका परिणाम यह है कि वह राज्य स्वतन्त्रता प्राप्त होने के समय से ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। असम के मामले में लघु-स्तरीय मझौले-आकार के उद्योग स्थापित करने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए रास्ता बनेगा। मैं, हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की

समस्या के समाधान हेतु सात-सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव देता हूं। जो हैं—(1) कुटीर-उद्योग; (2) लघु व्यापार; (3) मुर्गी पालन; (4) हस्तशिल्प; (5) ग्रामीण श्रमिकों को उद्योगों की ओर मोड़ना; (6) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को इसके विविध मामलों में संशोधनों सहित कार्यान्वयन करना; और (7) ग्रामीण कर्जदारी को एक नियोजित तरीके से दूर करना।

असम के पौधारोपण-श्रमिकों के बारे में, मुझे यह कहना चाहिए कि भूतपूर्व चाय-बागान श्रमिकों का भाग्य अनिश्चित है क्योंकि उनके रोजगार हेतु कोई वैकल्पिक साधन नहीं हैं। हम जानते हैं कि चाय विदेशी मुद्रा अर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन फिलहाल असम के अधिकतर चाय बागानों, विशेषकर जो करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में हैं, की स्थिति संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित बागान बंगलादेश से घुसपैठियों के छिपने के सुरक्षित स्थान हैं। इसके साथ ही बागान भूमि के अनाधिकृत कब्जों के सैकड़ों और हजारों मामले होते हैं। ऐसे कुछ बागानों का इतने गलत तरीके से प्रबंधन किया गया है कि दो वर्षों के भीतर ही ये बागान रहेंगे ही नहीं। अतः कहना यह है कि असम अब रुग्ण-चाय-बागानों से आप्लावित है और यदि यही हाल रहा, मुझे डर है कि असम एक दशक के भीतर ही चाय-उत्पादन में अपने गौरवपूर्ण स्थान को खो देगा। चाय-श्रमिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए कुछ मजदूर संघ हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि भूतपूर्व चाय श्रमिकों के लिए वे क्या संरक्षण प्रदान करते हैं। उन श्रमिकों को भूमि के बहुत छोटे टुकड़ों पर छोटे काश्तकार का कार्य देना खेतीहरों की बुद्धिमता नहीं है और न ही असंगठित श्रमिक-बल को बढ़ाना उचित है। ऐसी स्थिति में, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि समूचे असम में चाय-बागानों के काम की परिस्थितियों का एक उच्च-स्तरीय समिति से विस्तृत सर्वेक्षण करवाया जाये और उसके बाद उन्हें पुनर्जीवित करें और इस महान उद्योग को नष्ट होने से बचायें। यदि ऐसा किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि अनाधिकृत कब्जे हट जायेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और चाय-बागानों के पूर्व श्रमिकों की लम्बे समय से चली आ रही समस्या कुछ हद तक सुलझ जायेगी। संक्षेप में, महोदय, जैसा कि दिखाई देता है, सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के चहुंमुखी कल्याण हेतु ईमानदारीपूर्वक प्रयास किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वह अफसरशाही-तन्त्र तक ही सीमित है, अतः मैं श्रम मंत्रालय के बहुत कम बजटीय अनुदान का विरोध करता हूं।

डा० आर० मल्लू (नगर कुरनूल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों के लिए मांगों का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले, विकट आर्थिक परिस्थितियों में, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव और हमारे वित्त मंत्री, श्री मनमोहन सिंह जी ने श्रम मंत्रालय को पिछले वर्ष 362

करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष के लिए 392 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं । महोदय, केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ कुशल श्रमिकों की भी पहचान की है जिनमें उन्होंने बीड़ी कामगारों के लिए कुछ विशेष योजनाओं और प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्य योजनाएं प्रदान की हैं। इस वित्तीय संकट की स्थिति में भी, श्रम मंत्री को प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से उनका देय हिस्सा मिला है। यद्यपि, महोदय मैं श्रम मंत्री के ध्यान में श्रमिकों की मांग के बारे में कुछ बातें लाना चाहता हूं । श्रम मंत्रालय संगठित और असंगठित कामगारों की देखभाल का कार्य करने वाला एक मंत्रालय है । संगठित क्षेत्र वेतन आदि जैसे अधिकारों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं और इस क्षेत्र की देखभाल असंगठित क्षेत्र की तुलना में एक अच्छे तरीके से की जा रही है । आपको पता ही है कि हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रह रही है और अधिकतर असंगठित श्रमिक गांवों में कार्य कर रहे हैं तथा उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, उनके आवास, उनके बच्चों की शिक्षा एवं उनके भावी कल्याण के बारे में कोई योजना नहीं है । जब कभी कार्य होता है वे केवल मौसमी आधार पर कार्य करते हैं। और जब कोई कार्य नहीं होता है तब वे अपने बच्चों और परिवार के बारे में चिन्ता किए बिना शारीरिक रूप से संघर्ष करते हैं। स्वतन्त्रता के 45 वर्ष बाद, मैं समझता हूं कि अब सरकार को कम–से–कम असंगठित श्रमिकों की देखभाल करनी है। उनके हितों की रक्षा की ही जानी चाहिए और उन्हें संगठित श्रमिकों के समान समझा जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि असंगठित श्रमिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन और भवन निर्माण का कार्य करते हैं, जोकि लोगों के रहने के लिए अति अनिवार्य है । ये वो लोग है जोकि सड़कें बनाते हैं, रेल लाइनें बिछाते हैं और ये वो लोग हैं जो कि हमारे देश में सभी संभव कार्य करते हैं । हमें गर्व होना ही चाहिए कि भारत के पास बहुत बड़ी जनशक्ति है, जोकि कितने ही विकसित देशों में उपलब्ध नहीं है । यद्यपि, मैं सहमत हूं कि ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में एक समस्या है। प्रत्येक पैदा होने वाले प्राणी के दो हाथ भी हैं, जिनका कारगर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। सरकार को राष्ट्र हित में इन हाथों के उपयोग का तरीका ढूंढना चाहिए।

महोदय, हमने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया है । लेकिन बहुत से राज्यों में इसको समुचित रूप से लागू नहीं किया जाता है । अब हमारे लिए वह समय है, जबकि हमें यह देखना है कि इस अधिनियम का उचित क्रियान्वयन हो, ताकि लोगों को नियत न्यूनतम मजदूरी मिले । मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह असंगठित क्षेत्र में हमारे परिश्रमी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने हेतु सुधारात्मक कदम उठाएं। सामाजिक सुरक्षा उपाय जैसे कि कामगार मुआवजा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, अनुग्रह राशि भुगतान अधिनियम आदि संगठित औद्योगिक क्षेत्र में कुछ हद तक लागू हैं। लेकिन इन अधिनियमों को असंगठित क्षेत्र में बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया है । इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि

उपरोक्त अधिनियमों को असंगठित कार्यरत-श्रेणी पर भी लागू किया जाये। यहां पर मैं यह बता दूं कि कुछ राज्यों, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कुछ प्रसूति लाभ कृषि श्रमिकों को भी दिए गए हैं। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र की प्रसूता स्त्रियों को कुछ भत्ता सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के बराबर दे रही है। इस प्रकार की सुविधा अन्य राज्यों में भी दी जानी चाहिए।

अब मैं तमिलनाडु में शिवकाशी जैसे स्थान पर पटाखा उद्योगों में कार्यरत बाल मजदूरों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। इन उद्योगों में बच्चों को स्वास्थ्य-संकटों को झेलना पड़ता है। उन्हें घंटों कार्य करना पड़ता है और उनका निर्लज्जता से शोषण होता है। इन बाल मजदूरों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है। उन्हें कोई सुरक्षा अथवा सामाजिक संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। सरकार को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

सरकार को विद्यमान रोजगार योजनाओं जैसा कि आई॰ आर॰ डी॰ पी॰, आर॰ एल॰ ई॰ जी॰ आदि के कारगर क्रियान्वयन हेतु सुधारात्मक कदम भी उठाने चाहिए। कुछ राज्यों में बेरोजगार युवकों को अब कुछ भत्ते दिए जा रहे हैं हालांकि उनसे कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बेरोजगार युवकों को वृत्तिका दे और उनसे कुछ कार्य ले, ताकि उनकी शक्ति का राष्ट्र निर्माण में उचित उपयोग हो।

मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि कुछ राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना है। योजना के अन्तर्गत, अकुशल कामगार अपने नाम मंडल अथवा जिला मुख्यालय पर दर्ज करवा सकते हैं। एक सप्ताह के अन्दर, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी उन्हें कुछ कार्य प्रदान कर देंगे। इस प्रकार की योजनायें बेरोजगार लोगों में विश्वास पैदा करती हैं। यह रोजगार गारंटी योजना अन्य राज्यों में भी लागू की जानी चाहिए क्योंकि इसके बहुत अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। केन्द्र सरकार को इस योजना को सभी राज्यों में लागू करने के लिए एक विधान बनाना चाहिए।

एक अन्य बात मैं प्रवासी श्रमिकों के बारे में कहना चाहूंगा जोकि जीविकोपार्जन के लिए विदेशों में जाते हैं। उन्हें कुछ पंजीकृत एजेन्टों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। ये एजेंट उनसे पैसा लेते हैं और उन्हें लूटते हैं। यहां तक कि वे श्रमिकों को पैसा भी वापिस नहीं करते हैं। इस बात की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक विशेष जनशक्ति निगम की स्थापना करे, जोकि इन बातों का ध्यान रख सके, ताकि जो लोग विदेशों में रोजगार पाने हेतु जाना चाहते हैं, वे अपने नाम निगम के पास पंजीकृत करवा सकें।

जब मैं आंध्र प्रदेश में, नगर कुरनूल में, जोकि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, जाता हूं तो मैं वहां विशेष कर ग्रीष्म ऋतु के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासियों को देखता हूं। जिले में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। युवा लोग अपने निवास शहर से अपने बूढ़े माता-पिता को पीछे छोड़कर पलायन करते हैं। उनमें कुछ तो इतने वृद्ध होते हैं कि अपनी जीविकापार्जन हेतु भी बाहर नहीं जा सकते। मेरे जिले में भूख से होने वाली मौतों का एक कारण यह भी है। मैं केन्द्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को, मेरे जिले में अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाली एक मुख्य योजना की स्वीकृति देने के लिए, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन, मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि वह सारे देश में भी ऐसे जिलों का पता लगाये। सरकार को यह देखना ही चाहिए कि प्रवासी श्रमिकों को उन्हीं के निवास स्थान पर किसी प्रकार का रोजगार प्रदान कर दिया जाता है। यह उन्हें केवल अपने पांवों पर खड़ा होने में ही सहायक नहीं होगा, बल्कि इससे भूख से मरने वालों की संख्या, जो कि फिलहाल बढ़ रही है, भी कम होगी।

संविधान के अनुच्छेद 41 में समाज के कमजोर वर्ग के प्रति राज्य सरकार के उत्तरदायित्व का उल्लेख है। इसमें उपबन्ध किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अन्दर काम के अधिकार को प्रदान करने का कारगर प्रावधान करेगा। इसका ध्यान रखा जाना है। यद्यपि संविधान में यह उपबन्ध किया गया है, तथापि इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है।

विभिन्न वैधानिक अधिनियमों में लिखे गये सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपायों को सही माने में लागू किया जाना चाहिए।

बेरोजगारों की संख्या 1991 के 3 करोड़ 46 लाख से बढ़कर 1992 में 3 करोड़ 62 लाख हो गई है। ये संख्या प्रति वर्ष लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार के पास उचित रोजगार नहीं है। इस सन्दर्भ में, मैं सरकार के ध्यान में ये बात लाना चाहूंगा कि बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अवसर निजी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जायेगा तो ये लोग स्वावलम्बी हो सकेंगे।

महिला और बाल मजदूर के सन्दर्भ में जिन सदस्यों ने पहले भाषण दिया उन्होंने मुझसे लिंग भेद के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन के विषय में बहुत कुछ कहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा करे कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाये। यह भी सुनिचित करे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने की अनुमति न दी जाये। अन्यथा इस नाजुक उम्र में उन्हें काफी बोझ सहना पड़ेगा और उनका भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

सरकार द्वारा असंख्य कानूनों का अधिनियम किया गया लेकिन उनको उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया । हमें ये देखना होगा कि राज्य स्तर, आंचलिक स्तर तथा सम्मण्डलीय स्तर पर इनका उचित रूप से कार्यान्वयन हो सके ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना लाभकारी रही है । जो केन्द्र अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को आशुलिपिक तथा अन्य लिपिक संबंधी नौकरी के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन केन्द्रों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ उपलब्ध कराने हेतु, मुख्यालय में अतिरिक्त निदेशक के पद का सृजन करके, योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहिए ।

प्रशिक्षण निदेशालय : प्रशिक्षण निदेशालय के केन्द्र जरूरतमदों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाते हैं । जबकि वर्तमान व्यवसायों में सुधार की आवश्यकता है, नये व्यवसायों में नई तकनीकी, प्रशिक्षण को शुरू करने की आवश्यकता है । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण के लिए स्थित विश्व बैंक परियोजना को कार्यान्वित करना चाहिए ।

व्यावसायिक पुनर्वासन केन्द्र : केवल 17 व्यावसायिक पुनर्वासन केन्द्र ही देश के प्रशिक्षण और पुनर्वासन आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं । ऐसे केन्द्रों की संख्या देश की कुल आवश्यकताओं से काफी कम है । केवल व्यावसायिक पुनर्वासन केन्द्रों के आधुनिकीकरण और सशक्त करने की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि डी० जी० ई० तथा टी० के० रोजगार निदेशालयों को भी सशक्त बनाने की आवश्यकता है जो इन केन्द्रों को नियंत्रित करते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में, हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए ।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, श्रम मंत्रालय का मुख्य काम ये देखना है कि श्रम के क्षेत्र में शक्ति की स्थापना हो और मजदूरों और मालिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें । इसके लिए मुख्य काम ये करना होगा कि उचित कानूनों को लायें और उनको लागू करें ।

हमारे यहां आचार-संहिता है । हमारे यहां औद्योगिक विवाद अधिनियम है । हमारे यहां अन्य कानून भी है । लेकिन इन अधिनियमों में कई कमियां हैं । इन अधिनियमों में कई विसंगतियां हैं । इन अधिनियमों का कार्यान्वयन न होने के कारण अथवा इन अधिनियमों के प्रावधान के कारण, कई स्थानों पर तथा विभिन्न औद्योगिक एककों में कार्यरत श्रमिकों में असामंजस्यता है ।

इन अधिनियमों का फिर से मूल्यांकन करना इस मंत्रालय का मुख्य काम है । औद्योगिक विवाद अधिनियम को प्रस्तुत किया गया । न्यायालय के कई फैसले आये हैं । अनेक

व्याख्या दी गई हैं कि कतिपय सुधार लाने के लिए अधिनियमों में और संशोधन किया जाना चाहिए ।

उदाहरण के लिए श्रमिकों की शिकायत को लें कुछ स्थानों पर, यदि वे न्यायालय जाना चाहेंगे तो जा नहीं सकते । केवल ऐसे संघटित क्षेत्रों में ही जहां पर शक्तिशाली संघ हैं वहीं पर वे अपनी शिकायत इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे मजदूर नेताओं के साथ समझौता करने के लिए प्रबन्धक चले आते हैं । यदि समझौता नहीं होगा तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । जब यदि श्रम आयुक्त अथवा श्रम अधिकारी सरकार को इसका उल्लेख करेंगे और सरकार जब न्यायालय को इसका उल्लेख करेगी तब ही यह विषय न्यायालय में जा सकता है । इसमें कई विसंगतियां इस तरह से हैं कि ऐसे कई मामलों में जब श्रमिक अथवा श्रमिकों का समूह जो न्यायालय में वास्तव में जाना चाहते हैं, वे न्यायालय को जाने की स्थिति में नहीं थे । अनुचित श्रम प्रथायें जोकि अनुचित श्रम प्रथा की सूची में नहीं दी गई उन्हें इस सूची में दिया गया है । अब उस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू किया गया है ।

ऐसे कुछ मामले हैं जब ऐसे समय स्थानांतरण किया गया जब कुछ औद्योगिक एककों ने यह महसूस किया कि ऐसे क्षेत्रों में श्रमिकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता । दिल्ली से केरल को हुए स्थानांतरण का उदाहरण ले सकते हैं । जो लोग दिल्ली में छोटी सी रकम पर काम कर रहे हैं वे वहां पर जाने और काम करने की स्थिति में नहीं हैं । मेरे पास ऐसा ही एक मामला है जो कि हाल ही में दिल्ली में घटा है जिसमें एक कम्पनी के 40 महिला श्रमिकों को काम की कमी के कारण गुजरात के किसी फ़ैक्टरी में काम करने के लिए भेजा गया, उसके लिए उन्हें स्थानांतरण पत्र दिये गये हैं । हम ये नहीं जानते कि स्थायी आदेश में ऐसे स्थानांतरण के विषय में कुछ कहा गया है ।

लेकिन ये स्थायी आदेश ऐसे भी है जिसमें श्रमिकों की जानकारी के बिना कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं विशेषकर ऐसे समय जबकि श्रमिक संगठित नहीं हैं । कुछ ऐसे भी मामले हैं जब श्रमिकों के अनुसार स्थायी आदेश बदले गये और उनको नहीं दिये गये अथवा मालूम नहीं होने दिये ताकि उनको ये पता न चले कि क्या वैधानिक रूप से स्थानांतरण किया जा सकता है । और मैं ये नहीं समझता कि इस तरह के विश्रंखल प्रकृति के स्थानांतरण पर रोक लगाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम में उचित प्रावधान है क्योंकि वे कर्मचारियों को शिकार बनाना चाहते हैं । मैं इसे केवल एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा था ।

मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उदाहरण भी देना चाहता हूं । भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी आप के पास पहले ही आ चुके है । मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी शिकायतें आपके सामने रखी होंगी । कुछ ऐसी शिकायतें है जिसे सरकार अथवा प्रबंधक उचित नहीं समझते हैं । लेकिन प्रबंध और श्रमिकों अथवा सरकार को बातचीत के लिए आमंत्रित करने में क्या अवरोध है ? इस तरह से हमें मामले को निपटाना होगा ।

दो महीने पहले भारतीय खाद्य निगम के कर्मचरी संघ ने नोटिस दिया था । उन्होंने अचानक ही हड़ताल शुरू नहीं किया अपितु उन्होंने कहा, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, कि यदि उनकी शिकायतों पर विचार नहीं किया जायेगा तो वे 15 मई को हड़ताल करेंगे । हालांकि अब तक लगभग दो महीने हो

गये हैं, उन्हें समझौता अथवा बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, और संसद सदस्यों ने यहां पर इसी मामले का प्रतिनिधित्व किया। मैंने भी इस मामले का प्रतिनिधित्व किया है, और माननीय खाद्य मंत्री ने कहा है कि सरकार का इस मामले में खुला विचार है । अब, यहां पर केवल खुला विचार रखने का प्रश्न ही नहीं है, उस खुले विचार का उपयोग भी होना चाहिए। अतः, मेरा ये विचार है कि ऐसे मामलों में जब कर्मचारी शिकायत लेकर आते हैं, तब प्रबन्धक और सरकार तथा सम्बद्ध एजेन्सियों में कम से कम इतना तो साहस हो कि वे कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुला सकें और मामले को निपटा सकें और ये देखें कि क्या मामला निपटाया जा सकता है; और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रियों को बदलने के मामले अथवा उनको इस मामले के शिकार बनाने के काम नहीं होना चाहिए। मेरा ये विचार है कि इस तरह के मामलों के कारण ही श्रमिकों में और बेचैनी बढ़ जाती है।

यदि भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल होगा तो मेरा ये विचार है कि इसमें परिणामस्वरूप सारी परिस्थिति बदल जाएगी और सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण इससे प्रभावित होगा; और जहां तक आम जनता का सवाल है, ये मामला पक्षपातपूर्ण होगा।

मैं समझता हूं कि कृषि श्रम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन मैं सोचता हूं, जैसा कि मेरे कई मित्रों ने कहा, कि प्रोत्साहन देने के लिए, उचित प्रेरणा देने के लिए तथा उनके रोजगार को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए भी, कोई समुचित कानून नहीं है और अन्य कल्याणकारी उपायों को छोड़ भी दे तो उनको उचित वेतन नहीं दिया जाता है। मेरा ये विचार है कि कृषि श्रम क्षेत्र में उचित कानून बनाने के लिए श्रम मंत्रालय को आगे आना चाहिए; ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 80 प्रतिशत श्रमबल है हांलांकि उनको सही रूप से संगठित नहीं किया गया। मैं केरल के काली मिर्च के बागान के मामले की बात कर रहा हूं, उन बागानों को कई कारणों से क्षति पहुंची है। इन्हें कई बिमारियां हो जाती हैं। कीमतें तथा वातावरण भी किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। इस क्षेत्र में, अधिक संख्या में श्रमिक काम कर रहे है। लेकिन जब ये श्रमिक नहीं रहेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? अतः श्रम मंत्रालय को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन बतीहर मजदूरों के लिए किस तरह से कल्याणकारी उपाय किया जा सके जो कि कामगार नही हैं अथवा कृषि क्षेत्रद्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न समस्यायों के कारण बेरोजगार बने हुए हैं ।

ऐसा बताया गया था कि आवासी कानूनों को उदार बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। उदाहरण के लिए, कई नर्सों को विदेशों में नौकरी मिल रही है । लेकिन उन सब लोगों की सहायता करने के लिए श्रम मंत्रालय को आगे आना चाहिए और इस मामले से संबंधित श्रम कानून में उचित परिवर्तन करना चाहिए तथा व्यावहारिक संशोधन लाना चाहिए । मैं अन्त में यही कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि इस मंत्रालय को हमारे पास जो विशाल श्रम बल और और जन शक्ति है उनका ध्यान रखना चाहिए और बेरोजगारों को नौकरी देने की शक्ति इस मंत्रालय का नहीं है। यही एक मात्र मंत्रालय है जो बेरोजगारों का समुचित ध्यान रख सकता है और यह देख सकता है कि उन्हें समुचित फोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से कल्याणकारी कदम उठाये जाने हैं।

बेरोजगारी से त्रस्त लोगों को कुछ हद तक केरल में बेरोजगारी राहत दी जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें सफलता मिली है। यद्यपि 50 से 60 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है

लेकिन इसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। अगर हम उसी के साथ-साथ अगर यह भी देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार से हम अपने श्रम शक्ति और जन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। संभवतया उन्हें कुछ अनुदान दिया जा सकता है। मेरे विचार से इस प्रकार की प्रेरणा-राशि देने से बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और यह राशि इस क्षेत्र में लाभदायक रूप में खर्च की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दस मिनट में ही अपने भाषण समाप्त कर देने के लिये धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह। उसके बाद श्री सय्यद मसूदल हुसैन और श्री कृष्णाराव की बारी है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है लेकिन इसकी महत्ता की नहीं जाती क्यों कि भारत का मजदूर पिछड़ा हुआ है तो यह मंत्रालय भी पिछड़ा हुआ है। इस मंत्रालय का काम था मजदूरों को शोषण से बचाना लेकिन यह मंत्रालय ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे देश में दो तरह के मजदूर हैं—संगठित और असंगठित। असंगठित मजदूरों की तादाद बहुत बड़ी है जो ईंट-भट्टों में काम करते है पत्थर काटने का काम करते हैं या क्रैशर मशीनों पर काम करते हैं। जो वाल श्रमिक हैं, वे असंगठित हैं। चाय-बागानों में काम करने वाले मजदूर भी असंगठित हैं। जो मजदूर मिट्टी का काम करते हैं वे भी असंगठित मजदूर हैं। इनकी तादाद संगठित मजदूरों से भी ज्यादा है। इन असंगठित मजदूरों के लिए किसी पालिटिकल पार्टी ने यूनियन नहीं बनायी है और न श्रम विभाग की तरफ से इनकी देखभाल है। इनका बड़ा शोषण होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ईंट भट्टा पर जो मजदूर काम करता है, मालिक एक ईंट एक रुपये पच्चीस पैसे में बेचता है जबकि एक मजदूर को एक ईंट के लिए सिर्फ पांच पैसे मजदूरी मिलती है। इतनी कम मजदूरी इनको मिलती है। ईंट को पकाने के लिए जो खर्च होता है, वह भी कम है लेकिन इनके साथ एक ऐसा अत्याचार किया जा रहा है जो मजदूर इतना कठोर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो क्रेशर मशीन पर काम करते हैं पत्थर काटने का काम करते हैं उनको बहुत ही हलकी मजदूरी दी जाती है। इतनी कम मजदूरी में वह अपने परिवार और बच्चों की परवरिश नहीं कर पाता। इस सब बात की जानकारी श्रम विभाग के मंत्री को भी है लेकिन कोई कुछ नहीं करना चाहता है। इसको बदलना चाहिये जिसके लिए एक सुझाव है कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि असंगठित मजदूरों की तादाद इस देश में कितनी है ? क्या उनका शोषण हो रहा है जिसे वे मुक्त कराने में मदद कर सकेंगे ? आप बन्धुआ मजदूर की बात करते हैं। कई वार इस बारे में हंगामा भी होता है लेकिन इस संबंध में क्या हो रहा है ? क्या आप इन लोगों के संगठन के बारे में एक सर्वेक्षण करायेंगे कि इस तरह के मजदूर काम करते हैं। इनके लिए कुछ उपाय करने चाहिए लेकिन आप करते नहीं हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ठीक दिल्ली की नाक के नीचे हो रही है। दिल्ली में बहुत से छोटे-छोटे उद्योग हैं उनमें लाखों लाख उद्योग में काम करने वाले लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। उनको क्या मजदूरी मिलती है ? चार सौ छह सौ रुपया रोज पर वह लोग रखे जाते हैं। पांच-छह महीने में वह निकाले जाते हैं और फिर एमपी के दरवाजे पर आते हैं। कोई इनको बचाने वाला नहीं है। क्या यह काम सरकार की नजर में नहीं हो रहा है ? कभी सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि चार छह सौ रुपए में इनकी जिन्दगी कैसे बसर हो सकती है ? आप रोज ऐलान करते हैं नौजवानों के बारे में कि राष्ट्रीय धारा से अलग हो

रहे हैं वे राष्ट्रीय धारा में आ जाएं। वे कैसे आ जाएं ? जिस राष्ट्र में उसका पेट नहीं भरता हो, जिस राष्ट्र में पांच वर्ष का बच्चा मजदूरी करके अपने माता पिता को खिलाता हो तो यह शर्म की बात है और इस देश के सब लोगों के लिए जो सुखी-संपन्न हैं उनके लिए भी शर्म की बात है। कहीं पांच वर्ष के बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए नौकर जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो होटलों में 50-60 रुपया प्रतिमाह पर काम करते हैं और कमाकर अपने बाप को देते हैं। चाय की दुकान पर काम करते हैं, कालीन बनाने के उद्योग में काम करते हैं। ये सारी बातें आपको देखनी चाहिए। यह एक परिपाटी हो गई है बहस करने की। यहां बहस करने से कुछ नहीं होगा। यह परिपाटी आज से नहीं बनी, यह तब से बनी होगी जब से यह सर्वोच्च पंचायत बनी हुई है और हम आप बहस करते रहे हैं और रोग बढ़ता ही जा रहा है। बहस करने का मतलब है कि हम इसका निदान करें और रोग आगे न बढ़े। हम दिखाएं कि पिछली बहस से हमने ये लाभ उठाया है। लेकिन इन पर कोई असर नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं, इन सब बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए जिससे कि उन श्रमिकों की हालत ठीक हो सके। खेत मजदूर की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किए गए लेकिन वह कैसे लागू होगी, यह भी आप बताइएं। जहां पर सिंचाई का प्रबंध किया गया है वहां पर न्यूनतम मजदूरी लागू हुई है जैसे पंजाब, हरियाणा में सिंचाई का पूरा प्रबंध है। वहां न्यूनतम मजदूरी से भी अधिक मजदूरी मिलती है लेकिन बिहार में क्या होता है ? बिहार में न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि किसानों की फसल की कोई गारंटी नहीं है। कभी आप सारी पूंजी लगाएं तो भी फसल जल जाएगी, सूख गई या कभी बाढ़ से बरबाद हो गई। मजदूरी तो देनी ही है, लेकिन वह मजदूरी देने लायक नहीं रहता है, खेती करने के लायक नहीं रहता है। इसलिए श्रम विभाग और सिंचाई विभाग को एक होना चाहिए तभी यह काम हो सकता है। इन तीनों को एक मंत्री के जिम्मे होना चाहिए क्योंकि एक ही रिश्ता मजदूरों का तीनों में जुड़ा हुआ है। हम यह कहना चाहते हैं कि खेतिहर मजदूरों की जो हालत है, वह अच्छी नहीं है और दिनों-दिन उनकी हालत बदतर होती चली जा रही है। आज उन्हीं के नौजवान देश के चारों तरफ फैले हुए हैं और संगठन बनाकर जिसको आप कह रहे हैं वामपंथी, उग्रवादी, ये नाम आपने उनको दिए हैं। यह उग्रवाद क्यों है ? नौजवानों को काम नहीं मिलता है। जो मिट्टी में काम करने वाले मजदूर हैं उनको उचित मजदूरी ठेकेदार नहीं देते हैं। अगर वह एक हजार मिट्टी का ईंट बनाते हैं तो उनको ढाई सौ रुपया मिलना चाहिए लेकिन सवा सौ रुपया मिलता है उसमें सरकारी अधिकारी वगैरह सब मिल कर खा जाते हैं। इसको देखने के लिए विभाग बना हुआ है और यह केन्द्र और राज्य स्तर पर बना हुआ है। केन्द्र सरकार सीधे कहती है कि यह राज्य सरकार का काम है।

लघु उद्योगों का जहां तक सवाल है, आज आप देखिये कि लघु उद्योगों की हालत क्या है। लघु उद्योगों की हालत को मैंने अभी बताया कि दिल्ली में क्या हालत है। लघु उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन्हें आज भी उचित मजदूरी नहीं मिलती है। आज वैसे तो हम यहां श्रम मंत्रालय पर बहस कर रहे हैं और उसका उद्देश्य यही है कि मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जहां मजदूरों को शोषण से हम बचायें वहीं उनकी समस्याओं पर ध्यान दें, उनका आर्थिक सुधार करें।

अब प्रश्न है कि जो हमारे संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वे तो अपने हकों की लड़ाई यूनियनों के द्वारा लड़ लेते हैं और अपने हकों की हिफाजत कर लेते हैं, कुछ अपनी मांगों को

मनवा लेते हैं लेकिन उससे भी काम चलने वाला नहीं है। आज हम जिस तरह बदनाम हो रहे हैं, हमारी सरकार ने जो अलग नीति बनायी है—औद्योगिक नीति—उस नीति के आधार पर सरकार समझती है कि राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के हमारे जितने उद्योग हैं वे सब कम उत्पादन दे रहे हैं या वे अधिकतर घाटे में चल रहे हैं। अब हमें देखना चाहिए कि वे क्यों घाटे में चल रहे हैं। मैं यहां सभी राजनैतिक पार्टियों से भी अनुरोध करूंगा, जिनकी वहां यूनियनें हैं और जो उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं। बहुत सी लड़ाईयां उन्होंने लड़ी हैं, वे हड़ताल कराती हैं लेकिन इसके साथ-साथ आज मजदूरों में चेतना जगाने की भी ज़रूरत है ताकि हमारे राष्ट्रीयकृत उद्योगों में उत्पादन बढ़ सके। वैसे ही निजी क्षेत्र के उद्योगों के मजदूरों में भी चेतना जगाने की आवश्यकता है ताकि उनका उत्पादन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और राष्ट्र का विकास हो। हमारे राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के उद्योग तभी पनप सकते हैं, जब उसमें काम करने वाले मजदूर खाली एक ही लड़ाई, अपनी मांगों की लड़ाई ही न लड़ें बल्कि उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने की भी उनमें चेतना जगायी जाये। हम उनके दिमाग में ऐसी बात डालें कि अगर उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा तो जहां उद्योगों का विकास होगा, उससे उन्हें भी लाभ होगा और देश का भी लाभ होगा देश का भी विकास होगा और वह लाभ देश के सभी नागरिकों को मिलेगा, सभी का विकास होगा। इसमें सभी के विकास की बात छिपी हुई है, सभी का विकास इससे संभव है।

जब निजी क्षेत्र के उद्योगों का विकास होगा तो उससे जहां राष्ट्र को लाभ मिलेगा, वहीं उद्योग के मालिक को भी लाभ मिलेगा, जो उस उद्योग को चलाता है। पूरे देश को उससे लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इससे पहले जब केन्द्र में श्री वी० पी० सिंह की सरकार सत्ता में थी तो वह एक बिल लाई थी। वह बिल था कि चाहे राष्ट्रीयकृत उद्योग हो या निजी क्षेत्र का उद्योग हो, उसमें सभी मजदूरों की प्रबन्ध में भागीदारी होगी। वह हमारे विचार से बहुत अच्छा बिल था और इस सरकार को चाहिए कि उस बिल को सदन में पास कराये जिससे कि कारखाने के मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच एक रिश्ता बने और हर उद्योग का उत्पादन बढ़ सके। उस बिल से मजदूरों में विश्वास की भावना बढ़ेगी बल मिलेगा और उससे सभी को लाभ होगा। मजदूर अपने उद्योग के मुनाफ़े में भागीदार या हकदार बन जायेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि उस बिल को सरकार तुरन्त पास कराये ताकि जल्दी से जल्दी मजदूरों की प्रबन्ध में भागीदारी हो और उससे राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा मिल सके। इतना ही कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सैयद मसऊद हुसैन (मुर्शिदाबाद) माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने शायद देखा होगा कि सड़कों के किनारे या रेलों में सफ़र करते हुए, जो हाकर्स होते हैं, वे अपने सामान को किस तरह बेचते हैं। घटिया से घटिया सामान को भी कितना अच्छी तरह लोगों को समझा-बुझा कर बेच देते हैं। सरकार खुद कहती है कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो गयी है, इसलिए उन्हें वह हटाना चाहती है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, प्राइवेट सैक्टर को भी यह सरकार बदनाम कर रही है। दूसरी तरफ़ इसने मल्टी-नेशनल कम्पनियों को देश में लाने का रास्ता खोल दिया है। पहले तो यह रास्ता खोला ही हुआ था अब

तो इन्होंने उस दरवाजो को उखाड़ कर फेंक दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि हाकर जिस अच्छे तरीके से अपने सामान को बेचते हैं यह सरकार उसके काबिल भी नहीं है, यह सरकार हाकर होने के काबिल भी नहीं है।

इन्होंने जो डिमाण्ड्स फ़ार ग्रांट्स सदन में प्रस्तुत की है, उन डिमान्ड्स को सपोर्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं यहां सिर्फ़ एक मुद्दे की तरफ़ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक मुद्दे को ही उठाना चाहता हूं क्योंकि संगमा साहब इस समय सदन में मौजूद हैं, जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, । मैं मुर्शिदाबाद जिले से आता हूं और हमारे यहां ढ़ाई लाख बीड़ी वर्कर्स हैं। उनकी वैलफ़ेयर के लिए जो फ़ण्ड बना था, उसमें अब तक काफ़ी पैसा जमा हो गया है। मेरे यहां, उनके लिए एक टी० बी० हास्पिटल बनाने की बात चली थी और हमारे यहां की राज्य सरकार ने उसके लिए जमीन भी दे दी थी 1987 साल में, लेकिन संगमा साहब और उस समय एक और मिनिस्टर थे, जो आज इस सदन के मैम्बर भी हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं, उनका नाम छोटा सा है—जनाब आबुल बरकत अताउल गनी खां चौधरी। संगमा साहब और वे गए, जहां शिलान्यास होने की बात थी, कार्ड छप गए थे, कार्ड बंट गये थे, वहां से उस शिला को ले जाकर दूसरी जगह, एक प्राइवेट लैंड में शिलान्यास कर दिया। जमीन के मालिक को मालूम भी नहीं था और जहां शिलान्यास होना चाहिए था, वहां नहीं किया तथा वह जमीन आज भी वैसी ही पड़ी हुई है। फ़ण्ड्स भी हैं, पैसा भी है, लेकिन फिर भी वह हास्पिटल नहीं बन रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से संगमा साहब से, अनुरोध है कि वे जब श्रम मंत्री हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप अगला सेशन शुरू होने से पहले इस काम को शुरू करें। अगर शुरू नहीं करेंगे, तो शिला को वहां से उखाड़ कर लायेंगे और इस सदन में रखेंगे। सिर्फ़ इतना ही नहीं, आप जो गलती कर चुके हैं, धुलिया में, तारापुर में जहां हास्पिटल होने की बात है, वहां तो आपको हास्पिटल खोलना ही पड़ेगा, बल्कि औरंगाबाद में, जहां आपने प्राइवेट लैंड में शिलान्यास करवाया है, उस शिलान्यास के समय आप मौजूद थे, वहां भी आपको एक हैल्थ सेंटर खोलना पड़ेगा, ताकि औरंगाबाद और धुलिया के बीड़ी मजदूरों में संघर्ष न हो जाए, आप उनको बांटना चाहते हैं, मैं इस काम से आपको रोकना चाहता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले सेशन से पहले इस काम को आप शुरू करेंगे। अगर संगमा साहब इस बारे में यहां जवाब दे देंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा और मेरे इलाके के जो बीड़ी मजदूर हैं वे भी आपको बधाई देंगे, और मैं भी आपको दिल से बधाई दूंगा।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्षा महोदय, हम श्रम मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं चूंकि मेरे दल की ओर से श्रम नीति के बारे में काफी विस्तार से कहा जा चुका है इसलिए मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन यह बात सही है कि इस सरकार की वस्तुतः कोई श्रम नीति है ही नहीं और श्रम कानूनों का इतना जाल बिछा हुआ है कि यदि कोई श्रमिक उनमें उलझ जाए, तो वह आसानी से नहीं निकल सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि श्रम कानूनों का सरलीकरण होना चाहिए और जितना इनको हम सरल कर सकेंगे उतना

ही श्रमिक को जल्दी न्याय दिला सकेंगे । इस प्रकार की व्यवस्था श्रम कानूनों के माध्यम से की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री सैयद मसूदल हुसैन जी ने बीड़ी श्रमिकों के बारे में, खदान श्रमिकों के बारे में और अन्यान्य श्रमिकों के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, ठीक उसी प्रकार से मैं इस क्षेत्र में काम करने वाले दो प्रकार के मजदूरों के बारे में इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वे हैं--घरों में काम करने वाले असंगठित मजदूर और दूसरे वे हैं जो स्लेट-पेंसिल में काम करते हैं । जिनकी संख्या लाखों में है । मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र मंदसौर में लगभग 25 हजार ऐसे मजदूर हैं जो स्लेट-पेंसिल मजदूर हैं । इसलिए मैं एक ही समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, जो स्लेट-पेंसिल बनाने वाली हैं । उनमें से जो धूल निकलती है उससे सिलीकोसिस नाम की बीमारी होती है । इसके कारण जो मजदूर वहां काम करते हैं उनमें 5-7 साल में टी० बी० या अन्य रोग हो जाते हैं । आपके कानून में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनकी रक्षा की जा सके । श्रमिक धूप खाते रहते हैं, बीमार होते हैं, असहाय बनते हैं और मृत्यु हो जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जरूर है कि इस बारे में बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई चिन्ता नहीं की है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में भी चिन्ता कीजिए । जो असंगठित मजदूर हैं, जो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी संख्या लाखों में है उनके कल्याण के लिए भी आप कानून बनाइए।

अन्त में मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा और जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी श्रम नीति है, उसे इसमें उद्धृत करना चाहूंगा ।

[अनुवाद]

"भारतीय जनता पार्टी एक स्वस्थ ट्रेड यूनियनवाद में विश्वास करती है । यह पार्टी निम्नांकित कार्य करेगी :

(1) श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाएगी ;

(2) गुप्त मतदान के आधार पर यूनियनों को मान्यता देगी ;

(3) सभी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और लिमिटेड कम्पनियों तथा भारत में चल रही विदेशी कम्पनियों में निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक मजदूरों की भागीदारी शुरू कराएगी ;

(5) मुद्रास्फ़ुति से मजदूरों को बचाएगी ; और

(6) एस्बेस्टस सीमेंट, स्लेट, अभ्रक, रसायन, कपड़ा, आदि जैसे उद्योगों में होने वाले स्वास्थ्य को होने वाले व्यावसायिक खतरों से मजदूरों की रक्षा करने हेतु कानून बनाएगी और प्रभावशाली क्रिया-विधि का विकास करेगी ।

[हिन्दी]

यह सिर्फ मैंने उल्लेख किया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों के बारे में ध्यान देंगे क्योंकि समयाभाव के कारण प्रत्येक बिन्दू पर या प्रत्येक विषय पर चर्चा संभव नहीं है।

मैं इन शब्दों के साथ, जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं, उनका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी० कृष्णा राव (चिक्कबल्लापुर) : *अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री, श्री संगमा को बधाई देना चाहूंगा और उन्हें देश के मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धित कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

हमारे देश में तीन प्रकार के मजदूर हैं--संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर और बाल मजदूर। संगठित क्षेत्र के मजदूरों को ग्रेच्युटी जनरल प्रोविडेंट फण्ड, पेंशन आदि की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, असंगठित मजदूरों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। खेतिहर मजदूरों, खदान मजदूरों और बांध-निर्माण के कार्यों में लगे मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरन्तर प्रवास करना पड़ता है। उनकी जीवन-दशा वास्तव में बहुत ही खराब है। वे कड़ी मेहनत करते हैं और मामूली दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहते हैं। उन अभागे मजदूरों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करना उन मजदूरों के विरूद्ध एक प्रकार का अपराध होगा।

बाल मजदूरों की दशा दयनीय है। हमने गरीब बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर फेंके गए जूठन पर झपटते हुए देखा है। अत्यन्त गरीब बच्चों की यह करुण दशा है। ऐसी स्थिति को चलते रहने देना बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें उन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जिससे वे अपने देश के अच्छे नागरिक बन सकें।

विदेश जाने वाले मजदूरों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाड़ी के देशों में जाने वाले मजदूरों को कुछेक विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे माननीय मंत्री अवगत हैं उन देशों में स्थित हमारे दूतावासों को उनकी सहायता करनी चाहिए।

खेतीहर मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों का साठ प्रतिशत है और वही सबसे ज्यादा पीड़ित है। उनकी समस्याओं को समझने और उनकी जीवन-दशा को सुधारने हेतु कदम उठाए जाने के लिए मैं माननीय मंत्री से एक समिति गठित करने का आग्रह करता हूं।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

हमारी दिवंगत नेता स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीब मजदूरों के कल्याण के लिए अनेकों कार्यक्रम शुरू किए थे जिनका मुख्य उद्देश्य गरीबी को जड़ से मिटाना था। लेकिन आज क्या हो रहा है ? धनी और अधिक धनी होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच इस खाई को शीघ्र पाटने की आवश्यकता है। हमें गरीब मजदूरों की रक्षा करनी है और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस दिशा में समुचित कदम उठायेंगे। महोदय, मैं आपको मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2–3 समस्याएं जिनका कि मजदूरों और कर्मचारियों को सामना करना पड़ रहा है, उनकी तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आर्गेनाइज्ड सेक्टर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों में न तो कर्मचारियों को दवाइयां मिलती हैं, न उचित उपचार होता है। हर वर्ष अधिक से अधिक लोग इसके घेरे में आ रहे हैं। उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहियें, वे उन्हें नहीं मिलती हैं। मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों को जो पेंशन पे होती है, वह समय पर नहीं मिलती है। मंत्री–महोदय आपके पास सीधा विभाग है, आप ई० एस० आई० को रिपोर्ट करिये, उसे ठीक ढंग से चलाइये।

दूसरा भविष्य–निधि के बारे में मुझे कहना है। मालिक कर्मचारी की तनख्वाह से उसका हिस्सा तो काट लेता है लेकिन अपना हिस्सा देता नहीं है और जो कर्मचारियों का हिस्सा काटा होता है, वह भी कई वर्षों तक जमा नहीं होता है। इसके बारे में आपको कठोरतम कदम उठाने पड़ेंगे ताकि प्रोविडेंट फंड जो कर्मचारियों का कटता है और जो मालिक का हिस्सा है, वे दोनों मिला कर समय पर जमा हों।

तीसरी बात में प्रेस के साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में कहना चाहूंगा। बछावत आयोग की सिफारिशों की घोषणा कई वर्ष पहले हो चुकी है। आज तक बहुत से समाचार पत्रों में वह लागू नहीं हुआ है। मालिक और कर्मचारियों में हुई अंडरस्टैंडिंग बहुत भारी पड़ चुकी है। उनके जो प्रावधान हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। प्रेस में काम करने वाले पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों को किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा आदि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर दरों में प्रदान करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।

बहुत से मेरे पूर्व वक्ताओं ने मीनिमम वैजिज एक्ट को लागू करने के लिए और अन–आर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेबर जो काम करती है, उनके हितों के बारे में विस्तृत बात की है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार कंट्रीब्यूटरी फैमिली पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कदम उठाये। गवर्नमेंट एम्पलाइज के लिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए टाइमस्केल प्रमोशन, इम्पलीमेंटेशन आफ एवार्डस, जो आपका कैट का अवार्ड है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दूसरे अवार्डस भी कई बार लागू नहीं होते हैं, उनके लिए भी सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए।

एक बात जो मेरे दो पूर्व वक्ताओं ने विशेष तौर से कही है, जो लेबर की आक्यूपेशनल हैल्थ हैजर्ड्स के बारे में है। जिस पेशे में वह काम करते हैं, उसके कारण जो बीमारियां लगती हैं, उन बीमारियों से बचाने के बारे में भी सरकार को समुचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो हैजर्ड्स, जो बीमारी उनके पेशे के कारण लगती है, उससे उन्हें बचाया जा सके।

अन्तिम बात यह है कि ट्रेड यूनियन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनकी मैम्बरशिप तो है नहीं, लेकिन नेता बने हुए हैं। आप भी उनको रिकग्नाइज करते चले जा रहे हैं। गुप्त मतदान के द्वारा, सीक्रेट बैलेट के द्वारा आप पता करिए कि कौन सी यूनियन कहां बहुमत प्राप्त है, उसे मान्यता दीजिए ताकि कर्मचारियों के, मजदूरों के सही हितों के जो रक्षक हैं, वह लोग आपके साथ बात करें और उनकी समस्याओं को हम हल कर सकें।

अधिक समय न लेते हुए, आपका धन्यवाद।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत से वक्तागण अपने–अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं लेकिन मैं सरकार के द्वारा श्रम मंत्रालय के लिए जो अनुदान मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनका विरोध करता हूं। विरोध इस आधार पर करता हूं कि आज सर्वत्र यह शोर सुनाई पड़ रहा है, चाहे कुशल मजदूर हो, चाहे अकुशल मजदूर हो, चाहे संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर हो, चाहे खेतिहर मजदूर हो या किसी भी प्रकार का मजदूर हो, सब जगह हर आदमी यह नारा लगा रहा है कि "रोजी रोटी दे न सके, वह सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है" या "जोर जुल्म की टक्कर से इन्साफ हमारा नारा है या जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है"। आखिर यह देश के अन्दर इस प्रकार का वातावरण क्यों पैदा हो गया है जब हमने इतने श्रम कानून बनाए हैं, इतना श्रमिक हित के लिए हमने प्रयास किया है और उसके बावजूद भी परिणाम वही ढाक के तीन पात और मर्ज बढ़ता गया, ज्यों–ज्यों दवा की। आखिर इस प्रकार की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है ?

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मजदूरों के अधिकारों की बात या मजदूरों की समस्याओं की बात की ओर तो सब ने ध्यान आकर्षित किया है लेकिन इन मजदूरों के अन्दर कर्त्तव्यपरायणता की भावना कितनी है, जिस देश के अन्दर वह रहते हैं। जापान का मजदूर जो हड़ताल करना चाहता है, वह ज्यादा काम करके ओवरटाइम काम करके दिखाना चाहता है कि मैं समस्याग्रस्त हूं लेकिन हिन्दुस्तान के श्रमिकों के अन्दर आज जो यह भावना पैदा हो गई है कि बस काम नहीं करना है और एक बार पक्के हो गए तो उसके बाद हम तो नकद वह बन गए। तो यह जो भावना है इसके लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि जहां उनके हकों को पूरा करें, जहां उनको सब प्रकार की सुविधा प्रदान करें, जहां श्रमिकों के हितों के लिए कल्याणकारी कानूनों का निर्माण करें, जहां श्रमिकों की

कालोनियों में सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायें, जहां उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, वहां पर श्रमिकों के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हों, उनमें कर्त्तव्यपरायणता की भावना को भी जन्म दिया जाए कि यह मेरा देश है, मेरे देश के लिए मैं काम कर रहा हूं। मेरा कारखाना यदि उन्नति करेगा तो मेरे देश की उन्नति होगी। मेरे ईंट का भट्टा यदि ज्यादा ईंटों का उत्पादन करेगा तो मेरे देश की उन्नति होगी या खेती के अन्दर मैं ज्यादा काम करूंगा या कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति भी अगर पूरा कार्य करेगा तो मेरे देश की उन्नति होगी, यह भावना हमारे देश के श्रमिकों में पैदा करने की आवश्यकता है ।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से जो कहना चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर बहुत से खेतिहर मजदूर के रूप में बिहार से या राजस्थान से या अन्य क्षेत्रों से काम करने के लिए जो मजदूर गए, उन मजदूरों की निर्मम हत्या आतंकवादियों के हाथों से हुई । आखिर इस प्रकार के मजदूर, जो आतंकवादियों के हाथों बेमौत मारे जाते हैं, जिनको कहीं थोड़े समय के लिए, जो सीजनल लेबर होती है, मौसम विशेष में काम करने के लिए चले जाते हैं। आखिर ऐसे श्रमिकों की रक्षा करने के लिए सरकार ने कौन से उपाय किए हैं? इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा ।

मान्यवर, आज चारों ओर जो यह सुनाई पड़ता है और मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, उसको देखकर मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि "श्वानों को मिलता दूध यहां, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की छाती से चिपक-चिपक वह भूखे ही सो जाते हैं," आज देश के श्रमिक वर्ग के अन्दर अपने भविष्य के प्रति निराशा छा गई है । वह सोचने लगे हैं कि यह मल्टी नेशनल्स हिन्दुस्तान के अन्दर आ रहे हैं और इससे जो विदेशी चीजों को प्रोत्साहन मिलेगा, वह अपने साथ विदेशी एक्सपर्ट्स लायेंगे, वह ऑटोमेशन के द्वारा, कम्प्यूटराइजेशन के द्वारा कम से कम श्रमिक लगायेंगे, यहां के बड़े-बड़े उद्योगों के अन्दर जहां उनकी भागीदारी तय की जायेगी, श्रमिकों की छंटनी कर दी जायेगी और इसलिए उन में जो निराशा फैल रही है और वह यह सोचने लगे हैं कि "लिखा हो। किस्मत में फिर मालिकों को याद क्या करना, जहां बेदर्द हो सरकार, वहां फरियाद क्या करना"। श्रमिकों के अन्दर जो निराशा की भावना है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस निराशा की भावना को भी दूर करना पड़ेगा । इसके साथ-साथ जो श्रमिक कार्यालय, श्रम नियोजन कार्यालय, एम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं, उनके अन्दर नाम जो एक बार पंजीकृत हो जाते हैं, पंजीकृत होने के बाद जिन लोगों को नौकरी लग जाती है, वे एम्पलाइमेंट एक्सचेंज को सूचित नहीं करते हैं कि मुझे काम मिल गया है। परिणामस्वरूप नौकरी में काम करने वाले लोगों के नाम भी वहां पर लिखे रह जाते हैं। इस लिए श्रम नियोजन कार्यालय के कार्य में सुधार होना चाहिए। वहां पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का वातावरण है । दस-दस साल पहले जिन लोगों के नाम पंजीकृत हैं और जो कुशल लोग हैं, उनके नाम तो वहां से नहीं भेजे जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा वहां दे देता है, जैक लगा लेता है, उसका नाम भेज दिया जाता है। थोड़ा लालच देने से उनके नाम भेज दिए जाते हैं, इसलिए यह प्रथा भी

बन्द होनी चाहिए और वास्तव में जिन लोगों को काम मिल गया है, उनके नाम भी वहां की सूची से अलग होने चाहिए ।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं । दिल्ली की शानदार जो बड़ी-बड़ी गगन-चुम्बी इमारतें हैं, जिनको देखने से मनुष्य किम-कर्त्तव्य-विमूढ़ हो जाता है । उन बिल्डिंग्स का निर्माण करने में राजस्थान से श्रमिक यहां राजधानी की झुग्गी-झोंपड़ियों के अन्दर रहते हैं । वहां काम करते हुए उनकी मृत्यु भी हो जाती है या और कोई नाना प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है या ठेकेदार लोग उनको ज्यादा मजदूरी का लालच देकर बहका कर ले आते हैं और बाद में उन से काम कराकर उनको उनके भाग्य पर छोड़ देते हैं। उन ठेकेदारों के नियंत्रण को समाप्त करने के लिए और ठेकेदारों के द्वारा भी मजदूरों का शोषण न किया जाएगा और जो पंजीकृत लाइसेंस होल्डर ठेकेदार हैं, उनके ऊपर भी सरकार का कुछ नियंत्रण होना चाहिए, ताकि उन श्रमिकों का शोषण न हो। जो झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले मजदूर हैं, उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं ।

बंधुवा मजदूरी की बात हुई, राष्ट्रीय बंधुवा मजदूरी सम्मेलन भी हुआ । उसमें उन्होंने राष्ट्रीय वेतन नीति की मांग की है । वहां पर न्यूनतम वेतन बढ़ाने की बात भी की गई और मांग की गई। आज की वर्तमान मंहगाई की स्थिति यह है कि न्यूनतम वेतन की सीमाएं और बढ़ा दी जायें। इस तरफ भी सरकार को सहानुभूति-पूर्वक विचार करें तो हमारे देश के श्रमिकों का अहोभाग्य होगा । राष्ट्र का निर्माण करने वाली दो ही शक्तियां होती हैं—एक तो किसान और दूसरे खेती में काम करने वाला मजदूर । आज किसान और मजदूर दोनों ही निराशा के शिकार हो रहे हैं । उनकी निराशा को दूर करने के लिए, उनके कष्टों और समस्याओं का निराकरण सरकार को करना पड़ेगा ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया--"हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर मजदूर को सही दाम"। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सारी बातों को छोड़कर पहले लोगों को दो काम, उनके लिए बांधो दाम और फिर आप चाहो अपना नाम। लेकिन आपने कहा है कि हम एक वर्ष या आने वाले समय में एक करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेंगे । आखिर, वह रोजगार कहां है ? बेरोजगारी सुरसा के मुख की भांति दिन दूनी रात-चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं, विद्यालयों के अन्दर या आई० टी० आई० पालिटैक्नीक्स में जो व्यवसायी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, दुर्भाग्य है कि वहां से निकले हुए इंजीनियर्स बेकार बैठे हुए हैं। एक तरफ तो उनकी मांग आती है लेकिन दूसरी तरफ वे बेकार पड़े रहते हैं और इस प्रकार जो असंतुलन वाली स्थिति है, उसका निराकरण करना पड़ेगा। व्यवसायी शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को यहां से पैसा तो बहुत दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर एक ही स्कूल के अन्दर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं । ऐसा कर देने से वहां पढ़ाई में

और पाठ्यपुस्तकों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। विद्यार्थी वहां से व्यवसायी शिक्षा प्राप्त करके, वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करके कालेजों में जाना चाहते हैं, उनको आगे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए शिक्षा की सुविधा नहीं रहती है। परिणामस्वरूप न तो वे पालिटैक्नीक की तरफ जा सकते हैं और न ही इंजीनियरिंग कोलेजेज में जा सकते हैं और उनकी डिग्री को किसी प्रकार की मान्यता होती है। इसलिए इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा।

अन्त में, मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, गरीबों के दुख-दर्द को दूर करने के लिए सोचिए, उनके कष्टों का निवारण कीजिए, तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। राष्ट्र का मजदूर यदि खुश होगा, तो वह दत्तचित्त होकर कार्य करेगा और उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। उसके बाद ही हम विश्व में स्वाभिमान के साथ टिक सकेंगे। मैं इतना ही कह कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि महंगाई को कम करके मजदूरों को राहत पहुंचाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य बहस में भाग ले चुके हैं। माननीय मंत्री जवाब कल देंगे। अब सभा कल बुधवार 29 अप्रैल, 1992 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

8.20 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 अप्रैल 1992

9 वैशाख, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।